सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-01

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

बिहार सरकार

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या–01

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय–I अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
प्रतिवेदन संरचना	1.3	5
सरकारी लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रिया	1.4	6
राजकोषीय संतुलनः राजकोषीय घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	11
लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा	1.6	15
अध्याय–II राज्य का वित्त		
2020–21 की तुलना में राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	17
राज्य के संसाधन	2.3	19
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	34
लोक लेखा	2.5	56
ऋण प्रबंधन	2.6	60
नकद शेष राशि का प्रबंधन	2.7	69
निष्कर्ष	2.8	72
अनुशंसाएँ	2.9	72
अध्याय–III बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	73
विनियोग लेखे	3.2	74
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रमाणिकता	3.3	76
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.4	82
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी	3.5	88
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.6	89
अनुदान संख्या 39 "आपदा प्रबंधन विभाग"	3.6.1	89
अनुदान संख्या 41 "पथ निर्माण विभाग"	3.6.2	93
विशिष्ट बजट की समीक्षा	3.7	97
जेंडर बजट की समीक्षा	3.7.1	97
बाल कल्याण बजट की समीक्षा	3.7.2	100
हरित बजट की समीक्षा	3.7.3	104
अल्पसंख्यकों के लिए बजट प्रावधानों की समीक्षा	3.7.4	105
परिणाम बजट और उस पर उपलब्धि प्रतिवेदन की समीक्षा	3.7.5	108
संकेतक	3.8	111
अनुशंसाएँ	3.9	111

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय–IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार		
राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखे के बाहर की निधि	4.1	113
राज्य सरकार के ऋण (गैर–बजट उधारी) को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना	4.2	115
ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना	4.3	116
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा हस्तांतरण	4.4	117
स्थानीय जमा निधि	4.5	118
उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.6	120
सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र	4.7	122
व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता	4.8	123
लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग	4.9	125
मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष	4.10	128
विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	4.11	131
नकद शेष का समाशोधन	4.12	132
लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	4.13	132
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.14	132
स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण	4.15	135
लेखे की गुणवत्ता और समयबद्धता	4.16	136
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, आदि	4.17	137
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.18	138
राज्य के पुनर्गठन पर शेष राशि का विभाजन	4.19	138
अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय का असमायोजन	4.20	138
चेक एवं विपत्र	4.21	139
सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)	4.22	140
प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (एन0आर0ए0)	4.23	141
एकल नोडल लेखांकन (एस0एन0ए0)	4.24	142
सी0एफ0एम0एस0 में लेखांकन	4.25	144
निष्कर्ष	4.26	146
अनुशंसाएँ	4.27	146
अध्याय–V राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश	5.1	147
सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.2	150
सरकारी कंपनियों और निगमों से प्रतिफल	5.3	154

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
ऋण शोधन	5.4	155
सरकारी कम्पनियों की परिचालन दक्षता	5.5	157
हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 एवं पूँजी का क्षरण	5.6	160
अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का समापन	5.7	161
लेखों को अंतिम रूप नहीं देने के दौरान एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता	5.8	162
एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.9	163
वित्त लेखे के साथ समाशोधन	5.10	164
विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) का विद्युत क्रय बकाया तथा राज्य वित्त पर इसका प्रभाव	5.11	165
सार्वजनिक उपक्रम समिति (सी0ओ0पी0यू0) के प्रतिवेदन का अनुपालन	5.12	166
अनुशंसाएँ	5.13	166

परिशिष्ट			
क्रम सं0	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1.1	169
2.1	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	2.2	170
2.2	ऋणों की प्रतिकूल शेष राशि	2.4.3.3	174
2.3	अपूर्ण परियोजनाओं पर लंबित भुगतान	2.4.3.4	176
3.1	ऐसे मामले जहाँ निधि लोक लेखा में स्थानांतरित की गयी (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक)	3.3.1	185
3.2	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	3.3.2	187
3.3	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.3	189
3.4	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	3.3.3	194
3.5	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पुनर्विनियोजन के मामले	3.3.3	196
3.6	कुल प्रावधान में से ₹ 100 करोड़ एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग	3.3.4	197
3.7	कुल प्रावधान में से 20 प्रतिशत एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोजन	3.3.4	200
3.8	2017–18 से 2021–22 के दौरान सतत् बचत (₹ 100 करोड़ और उससे अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदान	3.3.4	202
3.9	2021–22 में ₹100 करोड़ और उससे अधिक निधि के अभ्यर्पण का विवरण	3.3.4	204

विषय सूची

परिशिष्ट			
क्रम सं0	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.10	अनुदान/विनियोजन का शत् प्रतिशत अनुपयोगी (₹10 करोड़ और उससे अधिक) रहना	3.4.1	205
3.11	मार्च 2022 माह में सघन व्यय	3.4.4	208
3.12	शत् प्रतिशत व्यय मार्च 2022 में (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक) किया जाना	3.4.4	209
3.13	गैर–आकस्मिक खर्च के लिए आकस्मिक निधि से निकासी	3.4.5	212
3.14	आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी0आर0आर0) योजनाओं पर अल्पव्यय	3.6.1.2	214
3.15	राज्य योजना और नाबार्ड ऋण के तहत पिछले पाँच वर्षों में चल रही परियोजनाओं का विवरण	3.6.2.3	215
3.16	रूकी हुई और बीच में बंद परियोजनाओं का विवरण	3.6.2.3	220
3.17	विलंबित परियोजनाओं का विवरण	3.6.2.3	221
4.1	निकायों/प्राधिकरणों, जिन्होंने लेखापरीक्षा का कार्य नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपा है	4.15	225
5.1	वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल एस0पी0एस0ई0 का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	5.1.3 & 5.5.1	227
5.2	उन एस0पी0एस0ई0 का विवरण जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं हैं	5.1.3	232
5.3	उन एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखे 31 जुलाई 2022 को बकाए थे	5.8	236
5.4	एस0पी0एस0ई0 के बकाया लेखाओं का विवरण	5.9.2	239
5.5	31 मार्च 2022 को इक्विटी, ऋण और गारंटी के संबंध में बिहार सरकार के वित्त लेखे और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखे के बीच अंतर	5.10	244
	संकेताक्षरों की शब्दावली		249

प्राक्कथन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ0सी0), सरकारी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियमों एवं संहिताओं तथा बजट अनुमान 2021–22 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के विरूद्ध वित्तीय प्रदर्शन का भी विश्लेषण करता है। प्रतिवेदन पाँच अध्यायों में संरचित है।

अध्याय I वित्त लेखों की लेखापरीक्षा और बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति (31 मार्च 2022) के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

अध्याय II सरकार के घाटे के प्रबंधन, राजस्व और पूँजीगत व्यय में रुझान, आकस्मिक मुद्दों, प्रतिबद्ध और अनिवार्य व्यय, सब्सिडी, ऋण, निवेश और उधार प्रतिरूप में गहन जानकारी प्रदान करता है। यह वर्ष 2021–22 के लिए बिहार सरकार के वित्त का लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्षों से संबंधित राज्य के वित्त लेखों में निहित विवरण और वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2022 तक की स्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय III बजटीय नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण और इसके लेखांकन की जाँच करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन के ढ़ंग का वर्णन करता है।

अध्याय IV चालू वर्ष के दौरान लेखाओं की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों का वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में राज्य सरकार के लेखाओं की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय V 'राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश' और 'राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका' पर एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, बिहार सरकार के अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति

राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 25,551 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,276 करोड़ से कम हो गया था। 2021–22 के दौरान, राज्य को 2004–05 के बाद तीसरी बार राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा, जो कि ₹ 422 करोड़ था। पूँजीगत खंड के अंतर्गत राजस्व लेनदेन के गलत वर्गीकरण की घटना को प्रतिवेदन में बताया गया हैं।

यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (बी0एफ0आर0बी0एम0) के संशोधित लक्ष्यों के भीतर था लेकिन यह बजट अनुमानों के अनुसार नहीं था। तथापि, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष बकाया ऋण पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ0सी0) के अनुमानों के भीतर था।

कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाले शीर्ष 10 राज्यों में बिहार तीसरा राज्य था और इसने विगत पाँच वर्षों के दौरान उच्चतम जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर्ज की।

(अध्याय I)

राज्य का वित्त

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य ने मुख्य रूप से केंद्रीय करों के हिस्से और स्व कर राजस्व में वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियों में ₹ 30,630 करोड़ (23.90 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की।

वर्ष के दौरान मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में ₹ 19,727 करोड़ (14.14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। साथ ही, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय में 30.03 प्रतिशत की वृद्धि की है।

वर्ष के अंत में बकाया लोक ऋण में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 31,698.43 करोड़ (17.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

31 मार्च 2022 तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) को ₹ 279.12 करोड़ (विगत वर्ष की शेष राशि का कम हस्तांतरण ₹ 338.96 करोड़ घटाव ₹ 59.84 करोड़ अतिरिक्त हस्तांतरित) हस्तांतरित किया जाना बाकी था।

विगत पाँच वर्षों (2017–18 से 2021–22) में, राज्य सरकार ने बकाया गारंटी की अधिकतम सीमा राशि ₹ 20,581.52 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 37,631.92 करोड़ कर दी है। 31 मार्च 2022 तक बकाया गारंटी ₹ 25,069.78 करोड़ (ब्याज सहित) थी।

(अध्याय II)

बजटीय प्रबंधन

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान कुल प्रावधान (₹ 2,65,396.87 करोड़) के विरुद्ध ₹ 1,94,202.20 करोड़ (73.17 प्रतिशत) का व्यय किया। अनुपूरक प्रावधान (₹ 47,094.17 करोड़) पूरी तरह से अनावश्यक हो गया क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

वर्ष के दौरान ₹ 71,194.67 करोड़ की कुल बचत में से, केवल 13.87 प्रतिशत (₹ 9,878.08 करोड़) को अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल बचत ₹ 61,316.59 करोड़ (कुल बचत का 86.13 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। 2021–22 के दौरान, 45 मामलों (38 अनुदानों/विनियोगों) में, ₹ 28,674.33 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक) की राशि के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और पूरी तरह से अनुपयुक्त रहे क्योंकि इनमें व्यय (₹ 1,17,957.57 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,45,097.60 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था।

जेंडर बजट में ₹ 73.22 करोड़ की निधि होने के बावजूद श्रेणी 'ए' की 17 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया। राज्य सरकार ने बाल कल्याण बजट की 33 योजनाओ में ₹ 942.87 करोड़ की निधि होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया। बिहार देश में हरित बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है। छह श्रेणियों के तहत, 275 योजनाओं के लिए ₹ 7,682.91 करोड़ का प्रावधान किया गया। हालाँकि, समूह 'ए' के रूप में वर्गीकृत 74 योजनाओं में से 16 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया।

(अध्याय III)

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

राज्य सरकार ने संबंधित वित्तीय वर्ष में अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ₹ 1,482.50 करोड़ की गैर–बजट उधारी को प्रदर्शित नहीं किया। तदनुसार, गैर–बजट उधारी सहित ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात 31 मार्च 2022 को 37.29 प्रतिशत था, जबकि बिना गैर–बजट उधारी के यह अनुपात 37.07 प्रतिशत था।

बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान के विरुद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा ₹ 99,178.89 करोड़ की राशि के 23,188 उपयोगिता प्रमाण पत्र (31.08.2020 तक आहरित) प्रस्तुत नहीं किए गए, जो प्रस्तुत करने के लिए देय थे।

राज्य सरकार के विभागों ने ₹ 2,460.86 करोड़ के 3,605 सार आकस्मिक (ए0सी0) बिल आहरित किये गये थे, जिसमें से मार्च 2022 में ₹ 572.76 करोड़ (23.27 प्रतिशत) की राशि के 954 ए0सी0 बिल आहरित किए गए थे। मार्च माह में ए0सी0 बिलों से किये गये महत्वपूर्ण व्यय से पता चलता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट प्रावधानों के अनुप्रयोग के लिए था जो अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रदर्शित करता है।

इसके अलावा, 31 मार्च 2022 तक 2021–22 के 827 ए0सी0 बिलों की राशि ₹ 770.05 करोड़ के अलावे ₹ 6,859.68 करोड़ के 25,101 ए0सी0 बिल (सितम्बर 2021 तक आहरित) बकाया थे। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक ₹ 7,629.73 करोड़ के कुल 25,928 ए0सी0 बिल लंबित थे। निकाले गए अग्रिमों का लेखांकन नहीं करना सरकारी निधियों की बर्बादी/दुर्विनियोजन की संभावना को बढ़ाता है।

व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) के अनुसार, मार्च 2022 के अंत में 212 प्रशासकों के अधीन व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खातों में ₹ 4,040.21 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी थी। इसके अलावा, ₹ 1.54 करोड़ की राशि वाले 05 पी0डी0 खातों का व्यापक कोषागार प्रबधन सूचना प्रणाली (सी0टी0एम0आई0एस0) से सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरण आज तक लंबित है।

विगत तीन वर्षों में ₹ 14,082.36 करोड़ के व्यय को संबंधित व्यय मदों में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि वाउचर, उप–वाउचर, मंजूरी आदेश, चलंत बिल और अन्य सहायक दस्तावेजों के अभाव में 8658–102–उचंत खाता (सिविल) शीर्षक के तहत रखा गया था, जो व्यय के प्रमाण के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), बिहार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरंभिक शेष (ओ0बी0) उचंत खातों में ₹ 2,384.56 करोड़ रखे गए, जबकि विगत वर्षों से संबंधित ओ0बी0 उचंत खातों से ₹ 2,063.14 करोड़ का समाशोधन किया गया। इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 321.42 करोड़ की राशि वास्तव में उस उद्देश्य के लिए खर्च की गई है जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2021–22 में व्यय उस सीमा तक कम प्रदर्शित हुआ है। मार्च 2022 के अंत में 8658–102– उचंत लेखे (सिविल) के अंतर्गत प्रगामी शेष राशि ₹ 14,785.91 करोड़ थी।

सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध संचालन के लिए, सी0टी0एम0आई0एस0 के स्थान पर, सी0एफ0एम0एस0, जिसे सत्य के एकल स्रोत के रूप में डिजाइन किया गया है, 01.04.2019 से लागू किया गया था। हालांकि, वित्त विभाग ने अप्रैल 2022 तक सी0एफ0एम0एस0 को गो–लाइव घोषित करने से पहले न तो उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू0ए0टी0) कराया था और न ही विभाग द्वारा सिस्टम का सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा करायी गयी थी। इसलिए, लेखों के आँकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा के बारे में आश्वासन प्राप्त करना मुश्किल है, जिसका स्रोत केवल सी0एफ0एम0एस0 है।

(अध्याय IV)

राज्य लोक क्षेत्र के उद्यम (एस0पी0एस0ई)

इस प्रतिवेदन में शामिल 16 एस0पी0एस0ई0 ने अपने नवीनतम अंतिम लेखे के अनुसार ₹ 20,396.89 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया। यह कारोबार वर्ष 2021–22 के लिए जी0एस0डी0पी0 के 3.02 प्रतिशत (₹ 6,75,448.00 करोड़) के बराबर था।

31 मार्च 2022 तक, इस प्रतिवेदन में शामिल एस0पी0एस0ई0 में कुल निवेश (अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 52,689.67 करोड़ था। निवेश में अंश पूँजी 76.41 प्रतिशत (₹ 40,260.17 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण 23.59 प्रतिशत (₹ 12,429.50 करोड़) सम्मिलित थे। अंश पूँजी में राज्य सरकार की धारिता ₹ 39,686.75 करोड़ थी। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ₹ 619.30 करोड़ का ऋण बकाया था। पिछले वर्ष की तुलना में, एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार की अंश पूँजी धारिता में ₹ 32.23 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई।

सरकार ने 31 मार्च 2022 तक 19 कार्यशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0), एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 जुलाई 2022 तक बकाया थे, को ₹ 29,830.55 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की। इन एस0पी0एस0ई0 ने कम्पनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 45 वर्षों से अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत नहीं किया था।

प्रतिवेदन में शामिल 16 एस0पी0एस0ई0 में से सात एस0पी0एस0ई0 ने वर्ष 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित किया। अर्जित लाभ 2020–21 में ₹ 302.15 करोड़ से घटकर 2021–22 में ₹ 291.30 करोड़ हो गया। 2021–22 में शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (₹ 143.97 करोड़) थी। 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सात एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य ₹ 10,989.84 करोड़ था। इन सात एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0), 2020–21 में 2.80 प्रतिशत की तुलना में 2021–22 के दौरान 2.65 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 में पाँच हानि वहन करने वाले एवं चार बिना लाभ/हानि वाले एस0पी0एस0ई0 सहित सभी 16 एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल (–)7.88 प्रतिशत था।

31 मार्च, 2022 तक 16 एस0पी0एस0ई0 में से केवल पाँच एस0पी0एस0ई0 थे, जिन्हें ₹ 1,946.95 करोड़ का घाटा हुआ। इन पाँच एस0पी0एस0ई0 का संचित घाटा और निवल मूल्य क्रमशः ₹ 21,041.52 करोड़ और ₹ 8,783.09 करोड़ था, जबकि अंश पूँजी निवेश ₹ 29,740.37 करोड़ था। चार एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और 31 मार्च 2022 तक ₹ 85.50 करोड़ के अंश पूँजी निवेश की तुलना में यह ₹ (–) 588.43 करोड़ था।

(अध्याय V)

अध्याय–I
अवलोकन

अध्याय I

अवलोकन

यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रह परिवर्तनों का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2022 को बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है, जो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यह भौगोलिक आकार (94,163 वर्ग कि0मी0) के मामले में भारत का बारहवाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या (12.49 करोड़) के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

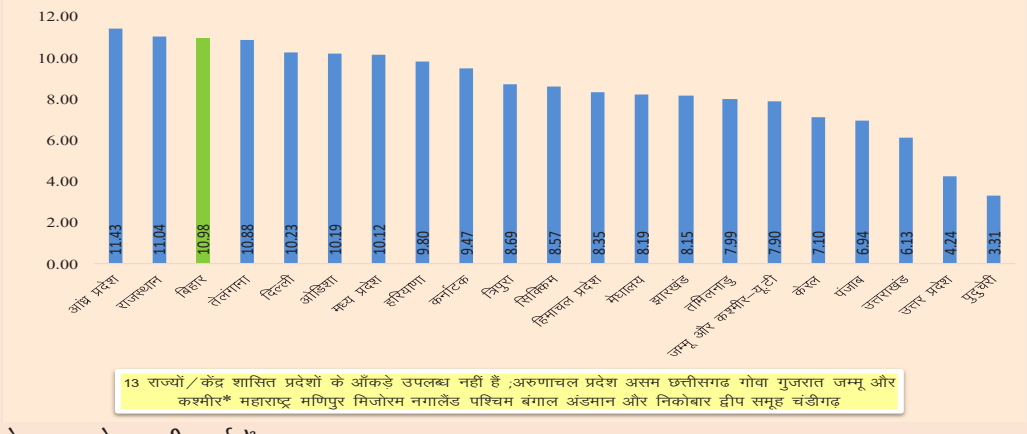
बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है, राज्य में जनसंख्या का घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 (2001) से बढ़कर 1,327 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 (2022) हो गया है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में गरीबी का स्तर अधिक है। यह एक सामान्य श्रेणी का राज्य है और इसने 2011–12 से 2021–22 (पी0[1]) की अवधि के लिए आर्थिक विकास में वृद्धि दिखाई है, क्योंकि 2021–22 के दौरान इसकी जी0एस0डी0पी0 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी0ए0जी0आर0) अखिल भारत के 10.11 प्रतिशत की तुलना में 10.18 प्रतिशत थी। पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान के अनुसार वर्ष 2021–22 के लिए बिहार की जी0एस0डी0पी0 की मानक मूल्यांकन वार्षिक वृद्धि दर 12 प्रतिशत थी और इसकी जी0एस0डी0पी0 की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 10.39 प्रतिशत थी। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2021–22 के अंत में ₹ 54,383 थी, जबकि झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः ₹ 88,535, ₹ 79,396, ₹1,39,995 और ₹ 1,37,339 थी।

कोविड–19 के बाद राज्य वित्त का पुनरुद्धार

कोविड–19 महामारी के कारण विगत दो वर्षों के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियों में व्यापक उतार–चढ़ाव देखा गया और इसका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन में स्पष्ट था। कोविड–19 का प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

हालांकि, कोविड–19 महामारी के बाद भारतीय राज्यों में इसकी तीसरी सबसे अधिक वृद्धि दर थी (**चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है)।

चार्ट 1.1: स्थिर मूल्यों पर विगत वर्ष 2020–21 के सापेक्ष 2021–22 में वृद्धि दर (आधार वर्ष 2011–12)



(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0)[2]

* *जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख*

राज्य ने अपने संशोधित बजट अनुमानों में विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान मूल्यों के आधार पर 9.84 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। हालांकि, इसकी अर्थव्यवस्था ने 2021–22 में 15.04 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज की, जो विगत दशक के दौरान सबसे अधिक है।

[1] पी0– औपबंधिक।

[2] एम0ओ0एस0पी0आई0–सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

वर्ष 2021–22 के दौरान 15.04 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ राज्य की जी0एस0डी0पी0 ₹ 6,75,448 करोड़ थी। महामारी की अवधि को छोड़ कर, जब राज्य ने 2020–21 के दौरान 0.80 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, इसने वर्ष–दर–वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर देखी।

1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय की अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाती है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद और राज्य के जी0एस0डी0पी0 की वार्षिक वृद्धि का वर्तमान मूल्यों और स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011–12) पर प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.1** में दी गयी है।

तालिका 1.1: जी0डी0पी0 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्तमान मूल्य					
वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (2011–12) श्रेणीबद्ध	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,913	2,36,64,637
विगत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.59	6.22	(-) 1.36	19.51
वर्तमान मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 (2011–12 श्रेणी)	4,68,746	5,27,976	5,82,516	5,87,154	6,75,448
विगत वर्ष की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.33	12.64	10.33	0.80	15.04
सकल घरेलू उत्पाद से जी0एस0डी0पी0 की प्रतिशतता	2.74	2.79	2.90	2.97	2.85
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष)					
स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (2011–12 श्रेणी)	1,31,44,582	1,39,92,914	1,45,15,958	1,35,58,473	1,47,35,515
स्थिर मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 (2011–12 श्रेणी)	3,44,028	3,81,383	3,98,283	3,85,728	4,28,065
विगत वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.80	6.45	3.74	(-) 6.60	8.68
विगत वर्ष की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.91	10.86	4.43	(-) 3.15	10.98

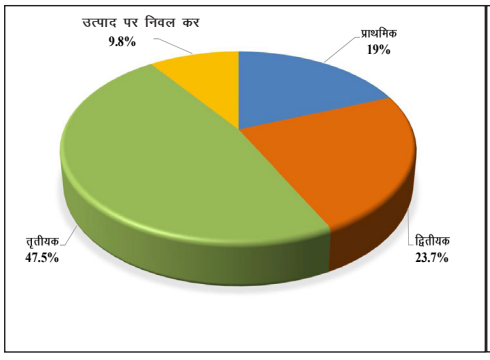
(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0)

वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान, बिहार की जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर 2021–22 को छोड़कर, वर्तमान मूल्यों पर अखिल भारतीय औसत से अधिक थी। तथापि, स्थिर मूल्यों पर, विगत पाँच वर्षों के दौरान विकास दर अखिल भारतीय औसत से अधिक थी।

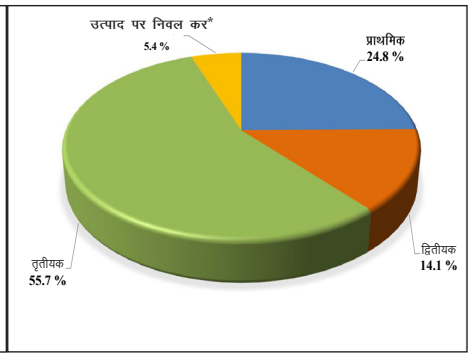
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) 2020–21 में विगत वर्ष की तुलना में (–) 1.36 प्रतिशत दर्ज किया गया था। इस नकारात्मक प्रवृत्ति की तुलना में, बिहार की जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर 2020–21 में 0.80 प्रतिशत दर्ज की गई थी। 2021–22 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर 15.04 प्रतिशत दर्ज की गई, जो विगत पाँच वर्षों के दौरान सबसे अधिक है। तथापि, विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान पहली बार देश के सकल घरेलू उत्पाद (19.51 प्रतिशत) की तुलना में जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर में कमी आई।

आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न जी0एस0डी0पी0 को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवाओं के अनुरूप होते हैं। 2021–22 के दौरान राज्य के जी0डी0पी0 और जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रीय योगदान, **चार्ट 1.2 और 1.3** में दिया गया है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2021–22 के लिए क्षेत्र–वार जी0डी0पी0 (प्रतिशत में)



चार्ट 1.3: वर्ष 2021–22 के लिए क्षेत्र–वार जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत में)



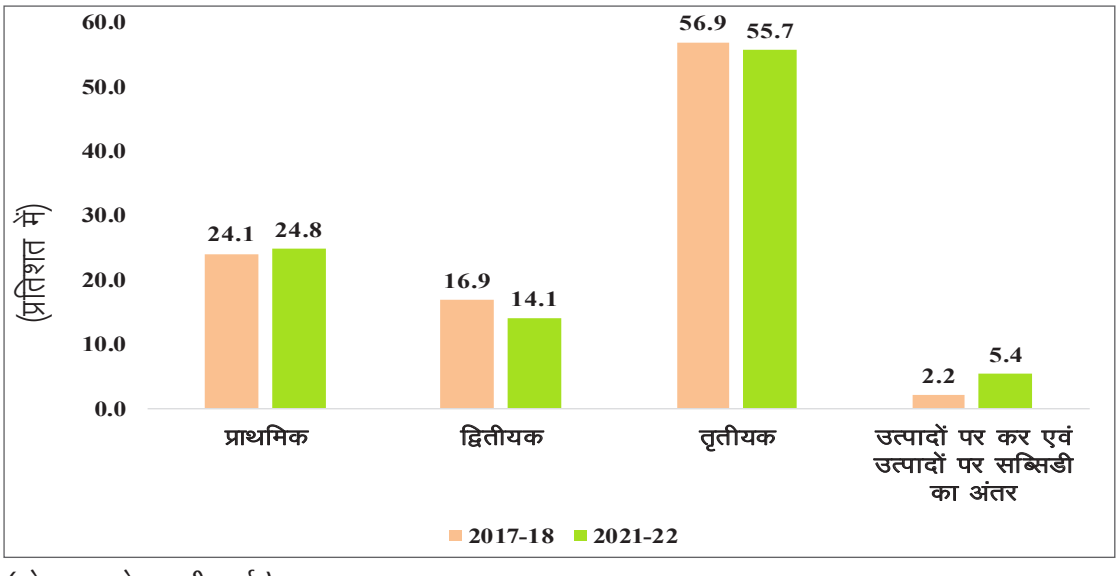
(स्रोतः योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार)
** उत्पाद पर निवल कर = उत्पाद पर करों से घटाव उत्पाद पर सब्सिडी*

राज्य के जी0एस0डी0पी0 में देश के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सेवा क्षेत्र (8.2 प्रतिशत अधिक) और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों (5.8 प्रतिशत अधिक) से योगदान का उच्च प्रतिशत था। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में जी0एस0डी0पी0 में द्वितीयक क्षेत्र अर्थात उद्योग और विनिर्माण का योगदान 9.6 प्रतिशत कम था। इसके अलावा, बिहार के मामले में उत्पादों पर सब्सिडी भारत की तुलना में कम थी।

1.1.2 क्षेत्रीय संरचना

आर्थिक गतिविधियों को आमतौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन को समझना महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ने और खनन के साथ मुख्य रूप से कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण और बुनियादी ढाँचा, बिजली की आपूर्ति, गैस आदि शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्र में सभी सेवा से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं। 2017–18 और 2021–22 के जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन को **चार्ट 1.4** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.4: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन (2017–18 और 2021–22)

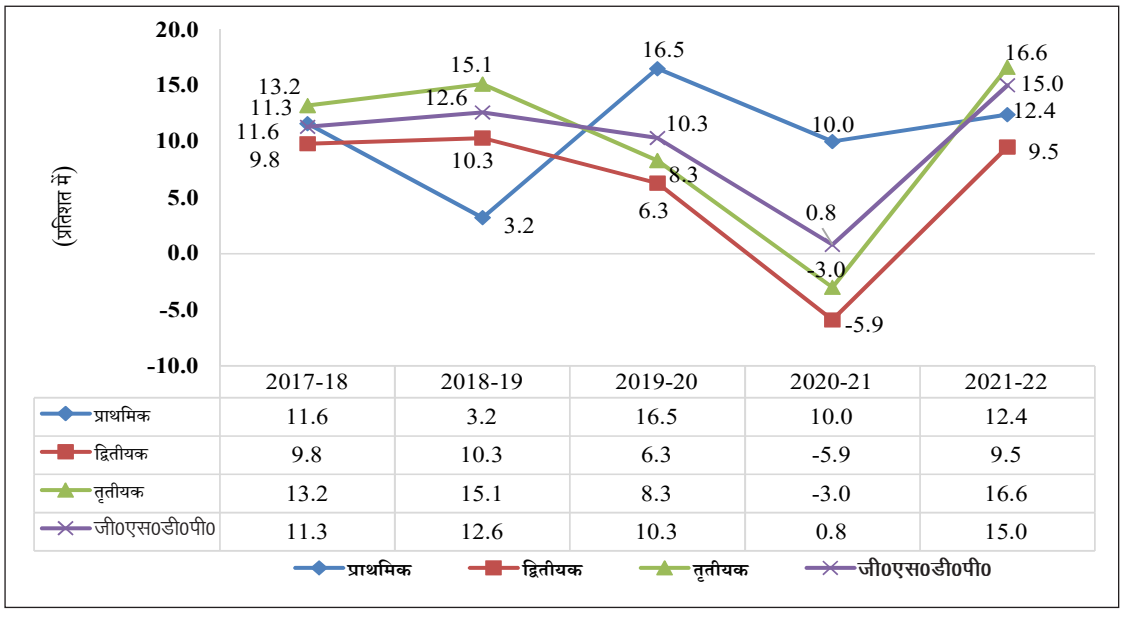


(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0)

जैसा कि **चार्ट 1.4** से देखा जा सकता है, वर्ष 2017–18 की तुलना में 2021–22 में प्राथमिक क्षेत्र में जी0एस0डी0पी0 की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी में कमी आई है।

फसलों, पशुधन, वानिकी और कटाई में नकारात्मक वृद्धि के कारण, प्राथमिक क्षेत्र में क्षेत्रगत योगदान 2020–21 में 25.40 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2021–22 में 24.80 प्रतिशत हो गया था। तथापि, विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, इसमें उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी है। द्वितीयक क्षेत्र के योगदान में मामूली कमी आई, जबकि तृतीयक (सेवा) क्षेत्र में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई, जो राज्य अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता था। **चार्ट 1.5** 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रीय विकास दर को दर्शाता है।

चार्ट 1.5: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत वृद्धि



(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0)

2021–22 के दौरान सभी तीनों क्षेत्रों की क्षेत्रगत विकास दर में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ने 2020–21 की तुलना में विकास दर में काफी वृद्धि दिखाई है।

2019–20 से 2020–21 की अवधि के दौरान प्राथमिक क्षेत्र ने लगातार उच्च विकास दर दर्ज की है, जो अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है लेकिन वर्त्तमान वर्ष के दौरान, प्रवृत्ति को बदल दिया है और तृतीयक क्षेत्र की विकास दर सबसे अधिक थी। जबकि सभी क्षेत्रों ने कोविड–19 महामारी और आर्थिक प्रगति को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों की पृष्ठभूमि में 2020–21 में विकास दर में गिरावट दिखाई है, प्राथमिक क्षेत्र ने फिर भी लगातार वृद्धि दर बनाए रखा।

कुल मिलाकर, 2021–22 में बिहार के जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि वर्त्तमान मूल्यों पर 15.04 प्रतिशत और स्थिर मूल्यों पर 10.98 प्रतिशत हुई।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवदेन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0) की राज्य के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना हैं, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए प्रेरित करेगा। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस0एफ0ए0आर0), भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों द्वारा प्रस्तुत अभिश्रवों, चालानों, प्रारंभिक एवं सहायक लेखों, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों तथा विभागों, जो इस तरह के लेखों के रख–रखाव के लिए जिम्मेवार हैं, तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणी के आधार पर प्रतिवर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आँकड़े हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: अनुमानों के साथ–साथ राजकोषीय मानकों और आवंटन की प्राथमिकताओं का आकलन करने, साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के पास अन्य आँकड़े (लेखा के साथ–साथ एम0आई0एस0);
- जी0एस0डी0पी0 आँकड़े और राज्य से संबंधित अन्य आँकड़े; तथा
- भारत के नि0म0ले0प0 के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ0सी0), छठे राज्य वित्त आयोग (एस0एफ0सी0), बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी0एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम, 2006, तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों की अनुशंसाओं के आलोक में भी यह विश्लेषण किया जाता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर वित्त विभाग के साथ 09 जनवरी 2023 को आयोजित 'बर्हिगमन सम्मेलन' के दौरान चर्चा की गई। विभाग से प्राप्त उत्तरों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य के वित्त प्रतिवेदन निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय–I **अवलोकन**

यह अध्याय, प्रतिवेदन और अंतर्निहित आँकडों के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, जो सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के समग्र राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय–II **राज्य के वित्त**

यह अध्याय, राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, एवं राज्य के वित्त लेखों के आधार पर विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संग्रह में 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य की ऋण संरचना और प्रमुख लोक लेखा संव्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय–III **बजटीय प्रबंधन**

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन को प्रतिवेदित करता है।

अध्याय–IV **लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार**

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर–अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय–V **राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों जैसा कि उनके लेखाओं से पता चलता है, के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है।

1.4 सरकारी लेखे की संरचना एवं बजटीय प्रक्रिया

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गये सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य सरकार को ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभार निर्मित करती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन स्थापित किया गया है, इसे राज्यपाल के निपटान में वैसे आकस्मिक व्ययों, जिनका राज्य मंडल विधायिका से प्राधिकृत किया जाना लंबित है, को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर उपयोग करने के लिए रखा गया है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष पर व्यय को नामे करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में पुनर्भुगतेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम लेखांकन लंबित) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल होते हैं। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

भारत में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज को बनाता है। इसके अलावा, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग रखना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) पर किए गए खर्चों से संबंधित होते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ**: बाजार ऋण, बाँड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर–ऋण प्राप्तियाँ**: विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली;

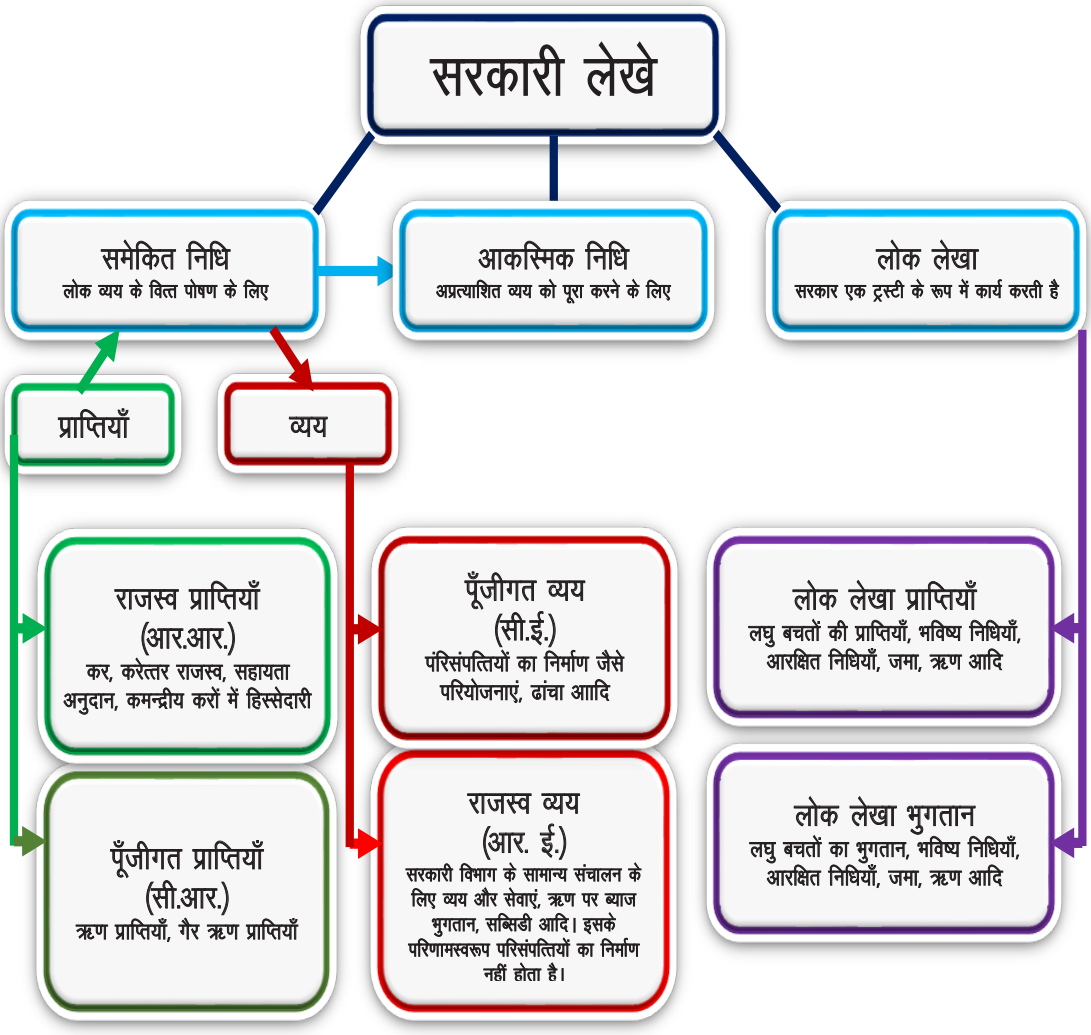
पूँजीगत व्यय में भूमि के अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, और सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य पक्षों को ऋण और अग्रिम पर व्यय शामिल होते हैं।

वर्तमान में, सरकार के पास एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यकारी और आर्थिक दोनों है।

	लेन–देन की विशेषता	वर्गीकरण
सी0जी0ए0 द्वारा मुख्य व लघु शीर्ष सूची में मानकीकृत	कार्य– शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4–अंकीय)
	उप कार्य	उप–मुख्य शीर्ष (2–अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3–अंकीय)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप–शीर्ष (2–अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2–अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	विषय शीर्ष–वेतन, लघु कार्य, आदि (2–अंकीय)

कार्यकारी वर्गीकरण के द्वारा विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के विषय को समझा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। मुख्य शीर्षों में निहित पहले अंक के आधार पर आर्थिक वर्गीकरण का पता चलता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए हैं। आर्थिक वर्गीकरण भी कुछ विषय शीर्षों की एक अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतया "वेतन" विषय शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" विषय शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत कराते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार, राज्य विधानमंडल को अनुदानों/विनियोगों हेतु मांगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, अनुच्छेद 204 के तहत समेकित निधि से आवश्यक धन के विनियोजन हेतु विनियोग विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

राज्य बजट संहिता, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी में मार्गदर्शन करती है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में वर्णित है।

1.4.1 वित्त का संक्षिप्त परिदृश्य

नीचे दी गई तालिका वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों के साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा वर्ष 2020–21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.2: वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविक वित्तीय परिणाम की तुलना बजट अनुमान एवं वर्ष 2020–21 के वास्तविक के साथ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	घटक	2020–21 (वास्तविक)	2021–22 (बजट अनुमान)	2021–22 (वास्तविक)	वास्तविक की बजट अनुमान से प्रतिशतता	वास्तविक की जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता
1.	कर राजस्व					
(i)	स्व कर राजस्व	30,342	35,050	34,855	99.44	5.16
(ii)	संघीय करों का अंश	59,861	91,181	91,353	100.19	13.52
2.	करेत्तर राजस्व	6,201	5,505	3,984	72.37	0.59
3.	सहायता अनुदान और अंशदान	31,764	54,531	28,606	52.46	4.24
4.	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	1,28,168	1,86,267	1,58,798	85.25	23.51
5.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	821	430	28	6.51	0.00
6.	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0.00	0.00
7.	उधारी एवं अन्य दायित्व (अ)	35,915	31,805	40,445	127.16	5.99
8.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	36,736	32,235	40,473	125.56	5.99
9.	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	1,64,904	2,18,503	1,99,271	91.20	29.50
10.	राजस्व व्यय (ब)	1,39,493	1,77,071	1,59,220	89.92	23.57
11.	ब्याज भुगतान	12,484	14,517	13,822	95.21	2.05
12.	पूँजीगत व्यय	18,209	30,788	23,678	76.91	3.51
13.	ऋण एवं अग्रिम	1,114	1,349	1,479	109.64	0.22
14.	**कुल व्यय (10+12+13)**	1,58,816	2,09,208	1,84,377	88.13	27.30
15.	राजस्व आधिक्य/घाटा **(4-10)**	(-) 11,325	9,196	(-) 422	(-) 4.59	(-) 0.06
16.	राजकोषीय घाटा **{14-(4+5+6)}**	29,827	22,511	25,551	113.51	3.78
17.	प्राथमिक घाटा **(16-11)**	17,343	7,993	11,729	146.74	1.74

(स्रोत: वित्त लेखे 2021–22 एवं बजट का सारांश 2021–22)

₹ 1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

(अ) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ – संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ – संवितरण) + निवल आरंभिक और अंतिम नकद शेष।

(ब) राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान शामिल है।

✦ यह देखा गया कि 2021–22 के लिए राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान, 2020–21 के वास्तविक से 45.33 प्रतिशत अधिक था। हालांकि, वास्तविक प्राप्तियाँ अनुमान से 14.75 प्रतिशत कम थीं, जो दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों का अनुमान बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया गया था। राजस्व प्राप्तियों में ब्याज प्राप्तियाँ (77.72 प्रतिशत) और लाभांश एवं लाभ (98.92 प्रतिशत) में विगत वर्ष की तुलना में करेत्तर राजस्व के तहत कम संग्रह देखा गया। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में संघीय करों के अंश के अन्तर्गत सी0जी0एस0टी0 (43.02 प्रतिशत), निगम कर (50.47 प्रतिशत), निगम कर के अलावा आय पर कर (43.98 प्रतिशत), सीमा शुल्क (113.09 प्रतिशत), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (92.29 प्रतिशत), सेवा कर (413.86 प्रतिशत) और अन्य करों (131.19 प्रतिशत) के संग्रह में वृद्धि देखी गई। यानी केंद्रीय कर हस्तांतरण के प्रत्येक घटक में वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य की राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 30,630 करोड़ की वृद्धि हुई।

- जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति, जी0एस0टी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017, के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालाँकि, वर्ष 2021–22 के दौरान जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष राशि के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 1,945.08 करोड़ का जी0एस0टी0 मुआवजा प्राप्त करने के अलावा, बिहार को ऋण प्राप्तियों के तहत ₹ 7,111.43 करोड़ का बैक–टू–बैक ऋण भी प्राप्त हुआ। भारत सरकार (व्यय विभाग) ने निर्णय लिया कि राज्य को ऋण प्राप्तियों के तहत बैक–टू–बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 7,111.43 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा। इस समझौते के कारण वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 422 करोड़ के राजस्व घाटे और ₹ 25,551 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जी0एस0टी0 मुआवजे के बदले ₹ 7,111.43 करोड़ की ऋण प्राप्ति के साथ जोड़ा जा सकता है।
- विगत वर्ष की तुलना में राज्य के राजस्व व्यय में वर्ष 2021–22 के दौरान 14.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 23.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जो यह विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान सबसे अधिक थी। हालांकि, राज्य के वर्ष 2021–22 के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को विगत वर्ष (12.61 प्रतिशत की वृद्धि) की तुलना में अधिक धन उधार लेना पड़ा। **तालिका 1.3** प्राप्तियों एवं व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत व्यय का पूँजीगत प्राप्तियों से प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2017-18	1,17,447	1,02,624	87.38	13,191	28,907	219.14
2018-19	1,31,794	1,24,897	94.77	20,493	21,058	102.76
2019-20	1,24,233	1,26,017	101.44	29,175	12,304	42.17
2020-21	1,28,168	1,39,493	108.84	36,736	18,209	49.57
2021-22	1,58,798	1,59,220	100.27	40,473	23,678	58.50

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऊपर दी गई **तालिका 1.3** से यह देखा जा सकता है कि:

- राजस्व के रूप में प्राप्त प्रत्येक ₹ 100 के लिए राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ₹ 0.27 उधार लेना पड़ता है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान पूँजीगत व्यय में 30.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 14.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2021–22 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक का उपयोग पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए किया गया, जो विगत तीन वर्षों के दौरान सबसे अधिक है लेकिन वर्ष 2017–18 की तुलना में कम है। पूँजीगत प्राप्तियों के प्रत्येक ₹ 100 के लिए, पूँजीगत व्यय 2017–18 में ₹ 219.14 से गिरकर 2021–22 में ₹ 58.50 हो गया।
- पूँजीगत प्राप्तियों में 10.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 30.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 96.27 प्रतिशत और 14.34 प्रतिशत की कमी आई है, जो राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत है।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों का संक्षिप्त परिदृश्य

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से बनाई गई परिसंपत्तियों को समाहित करते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधियाँ शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजी

परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियाँ					परिसंपत्तियाँ				
		2020–21	2021–22	वृद्धि प्रतिशत में			2020–21	2021–22	वृद्धि प्रतिशत में
समेकित निधि									
ए	आंतरिक ऋण	1,59,557.50	1,82,855.32	14.60	ए	सकल पूँजीगत परिव्यय	2,35,687.92	2,59,366.21	10.05
बी	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	17,657.35	26,057.96	47.58	बी	ऋण एवं अग्रिम	21,743.77	23,194.36	6.67
आकस्मिक निधि		350.00	350.00	0.00					
लोक लेखा									
ए	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,445.38	9,521.65	0.81	ए	अग्रिम	249.96	249.96	0.00
बी	जमा	39,634.21	38,033.80	(-) 4.04	बी	प्रेषण	1,118.43	1,125.96	0.67
सी	आरक्षित निधि	6,641.19	6,781.61	2.11	सी	उचंत तथा विविध	15,378.20	15,616.59	1.55
डी	उचंत तथा विविध शेष	110.99	207.48	86.94		**रोकड़ शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)**	24,864.64	29,478.66	18.56
ई	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01	0.00					
एफ	सरकारी लेखा पर अधिकाई	65,572.29	65,149.91	(-) 0.64					
कुल		**2,99,042.92**	**3,29,031.74**	**10.03**			**2,99,042.92**	**3,29,031.74**	**10.03**

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

सरकार की देनदारियों में 2021–22 में 10.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विगत वर्ष की तुलना में यह 8.15 प्रतिशत थी। 2021–22 के दौरान कुल बकाया देनदारियों में बाजार ऋण/आंतरिक ऋण का योगदान 55.57 प्रतिशत रहा। बाजार ऋण पर देनदारियों में निवल वृद्धि विगत वर्ष की 17.25 प्रतिशत (₹ 23,475.41 करोड़) की तुलना में 14.60 प्रतिशत (₹ 23,297.82 करोड़) थी, जो मुख्य योगदान कारक था।

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बिहार सरकार द्वारा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 एवं संशोधन अधिनियम, 2016 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित कर राजस्व घाटे को समाप्त करना, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करना, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करना तथा मध्यावधि की रूपरेखा में पारदर्शिता लाना है। इस संदर्भ में, यह अधिनियम घाटे और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य को निर्धारित करता है।

1.5.1 प्रमुख राजकोषीय मापदंडों और उपलब्धियों पर बी0एफ0आर0बी0एम0 लक्ष्य

पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य को 2021–22 के लिए जी0एस0डी0पी0 के अनुपात में ऋण को 40.20 प्रतिशत तक बनाए रखना था। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 2021–22 के दौरान जी0एस0डी0पी0 के तीन प्रतिशत के अलावा अतिरिक्त डेढ़ प्रतिशत उधार (4.5 प्रतिशत तक) लेने की अनुमति दी, ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के लिए सशर्त 0.5 प्रतिशत की

अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी गई। वर्ष 2021–22 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और वार्षिक उधार सीमा में विगत वर्ष की तुलना में 0.5 प्रतिशत की कमी आई थी। बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

jkt dk"kh; ekinM	e/;kof/k jkt dk"kh; uhfr vf/kfu;e esa fuèkkfjr jkt dk"kh; y{;	miyfC/k ¼₹ djksM esa½				
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व आधिक्य	14,823.01	6,896.64	(-)1,784.13	(-) 11,325.11	(-) 422.38
		✓	✓	×	×	×
राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+) (जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में)	2020–21 के लिए 5.00 प्रतिशत के भीतर। 2021–22 के लिए 4.5[3] प्रतिशत'	(-) 14,304.83 (3.05)	(-) 13,806.76 (2.62)	(-) 14,723.93 (2.53)	(-) 29,827.25 (5.08)	(-) 25,551.26 (3.78)
		×	✓	✓	×	✓
कुल लंबित ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात (प्रतिशत में)	2019–20 तक 28 प्रतिशत के भीतर। 2020–21 तक 41.20 प्रतिशत के भीतर। 2021–22 के लिए 40.20[4] प्रतिशत	33.45	31.99	33.20	38.69	37.07#
		×	×	×	✓	✓

स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे एवं बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)

#कुल बकाया देनदारियों में से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक–टू–बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 7,111.43 करोड़ के जी0एस0टी0 मुआवजे को छोड़ कर। इस वर्ष राज्य को राजस्व प्राप्ति के रूप में जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

- उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व घाटा ₹ 422.38 करोड़ था जो एम0टी0एफ0पी0 (₹ 9,196 करोड़) में राजस्व अधिशेष के अनुमानों से बहुत कम था। बजट के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में कमी और व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण राजस्व घाटे के कारण थे।
- राजकोषीय घाटा और ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात संशोधित लक्ष्यों और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के भीतर था।

1.5.2 राजकोषीय मापदंडों में मध्यावधि राजकोषीय योजना

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम0टी0एफ0पी0) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना, वर्त्तमान वर्ष के लिए संबंधित वास्तविक के साथ, नीचे **तालिका 1.6** में दी गई है:

[3] ऊपरी सीमा 4.5 प्रतिशत तय की गई थी, जिसमें उर्जा क्षेत्र के लिए कुछ मानदंडों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की जगह शामिल थी।

[4] पंद्रहवें वित्त आयोग में अनुशंसित राज्य सरकार के लिए सांकेतिक ऋण पथ के अनुसार, 2021–22 के लिए ऋण को जी0एस0डी0पी0 के अनुपात में 40.20 प्रतिशत तक बनाए रखना था।

तालिका 1.6: 2021–22 के लिए एम0टी0एफ0पी0 में प्रस्तावित अनुमान की तुलना में वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजकोषीय परिवर्तनीयता	2021–22		
		एम0टी0एफ0पी0 में अनुमानित	वास्तविकी	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्व कर राजस्व	35,050.00	34,854.54	(-) 0.56
2	करेत्तर राजस्व	5,505.47	3,984.34	(-) 27.63
3	संघीय कर का अंश	91,180.60	91,352.62	0.19
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	54,531.21	28,605.83	(-) 47.54
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,86,267.28	1,58,797.33	(-) 14.75
6	राजस्व व्यय	1,77,071.39	1,59,219.71	(-) 10.08
7	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (5-6)	9,195.89	(-) 422.38	(-) 104.59
8	राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+)	(-) 22,510.78	(-) 25,551.26	13.51
9	ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात (प्रतिशत)	26.61	37.07	
10	वर्त्तमान मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.39	15.04	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)

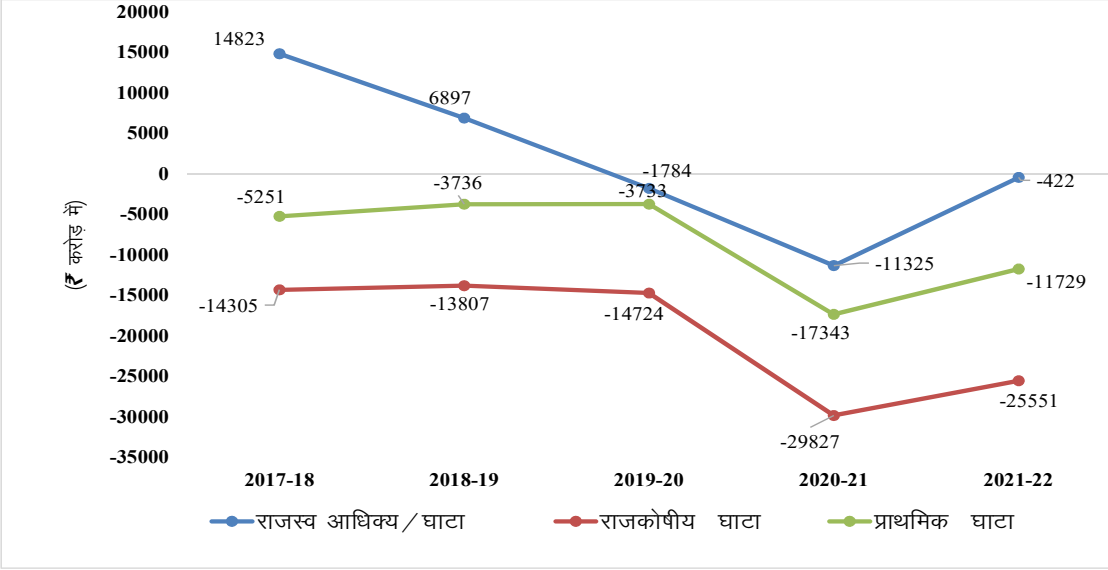
वित्त लेखे के अनुसार कुल बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात 38.12 प्रतिशत है। हालांकि, कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक–टू–बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 7,111.43 करोड़ के जी0एस0टी0 मुआवजे को छोड़कर प्रभावी ऋण और जी0एस0डी0पी0 अनुपात (37.07 प्रतिशत) पर पहुँच गया है, जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने (दिसंबर 2021) निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार वर्ष 2021–22 के दौरान अपने एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी, सिवाय 'संघीय करों के हिस्से' में अनुमानित से मामूली वृद्धि (0.19 प्रतिशत) के राज्य सरकार विगत वर्षों (2019–20 और 2020–21) में भी अपने एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। इस लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के कारण राज्य को विगत तीन वर्षों से लगातार राजस्व घाटा हो रहा है। तथापि, 'संघीय करों के हिस्से' में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 31,491 करोड़ की वृद्धि के कारण राज्य का राजस्व घाटा घटकर ₹ (–) 422 करोड़ रह गया। 2017–18 में ₹ 14,823 करोड़ का राजस्व अधिशेष, 2021–22 में घटकर ₹ (–) 422 करोड़ (102.85 प्रतिशत) हो गया था, जैसा कि **चार्ट 1.6** में दिखाया गया है। राजस्व घाटे के मुख्य कारणों में भारत सरकार से सहायता अनुदान की कम प्राप्ति (47.54 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व का कम संग्रह (27.63 प्रतिशत) और अनुमान से कम कर राजस्व संग्रह (0.56 प्रतिशत) था।

1.5.3 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों अर्थात् (i) राजस्व अधिशेष/घाटा, (ii) राजकोषीय घाटा और (iii) प्राथमिक घाटा, सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में सहायता करते हैं। इनकी गणना इस प्रकार से की जानी है कि वे सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने में सहायक हो। राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्तियाँ **चार्ट 1.6** में दिखाई गई हैं।

चार्ट 1.6: घाटे के मानकों की प्रवृत्ति



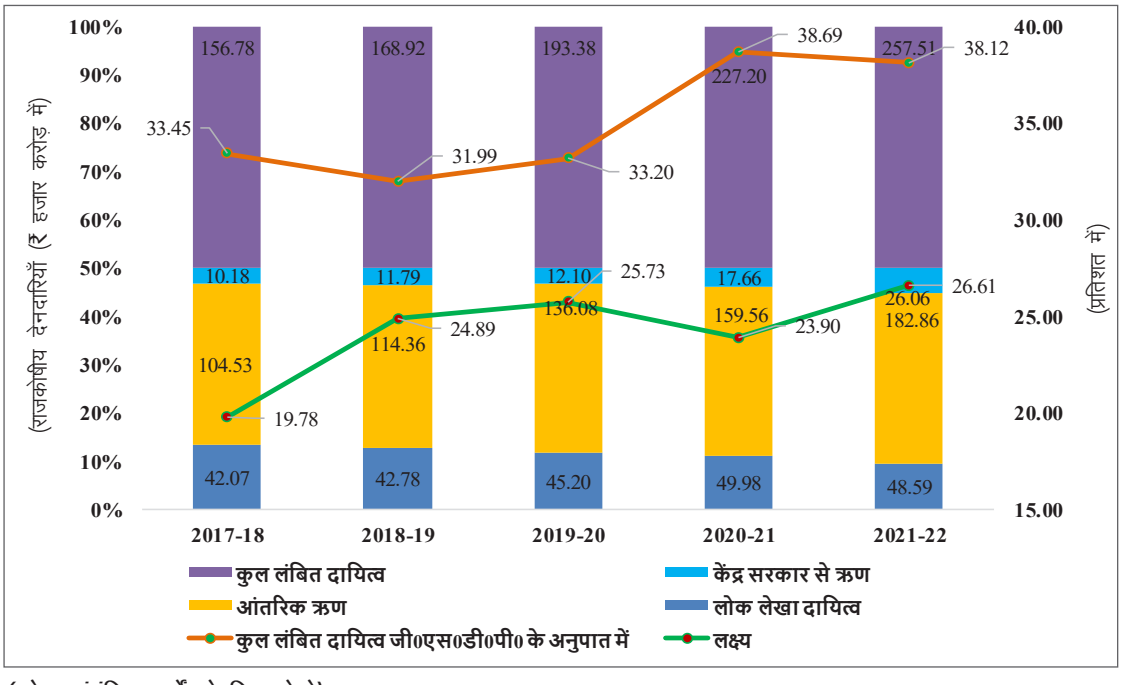
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

यद्यपि सभी राजकोषीय संकेतक / मापदंड नकारात्मक प्रवृत्ति में हैं, तथापि, उन सभी ने विगत वर्ष की तुलना में सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है, जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है।

1.5.4 वित्तीय देनदारियाँ और जी0एस0डी0पी0

विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय देनदारियों और इसके घटकों की प्रवृत्ति को **चार्ट–1.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7: राजकोषीय देनदारियों और जी0एस0डी0पी0 में प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2021–22 के दौरान, आंतरिक ऋण में 14.60 प्रतिशत (₹ 23.30 हजार करोड़) की वृद्धि और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 47.57 प्रतिशत (₹ 8.40 हजार करोड़) की वृद्धि के कारण विगत वर्ष की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 13.34 प्रतिशत (₹ 30.31 हजार करोड़) की वृद्धि हुई।

1.6 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

राजस्व खंड के कुछ वित्तीय लेन–देन को व्यय के पूँजी खंड के तहत या इसके विपरीत गलत तरीके से दर्ज किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व और पूँजीगत लेखा शीर्ष के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ है। निम्नलिखित कंडिका (उप–कंडिका) ऐसे चिन्हित वित्तीय संव्यवहार का वर्णन करता है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के बाद – घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान, निक्षेप और मोचन निधि आदि, भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आँकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आकलन पर ऐसी अनियमितताओं का प्रभाव **तालिका 1.7** में देखा जा सकता है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

विवरणी	राजस्व घाटे पर प्रभाव (कम बताया गया (+)) (अधिक बताया गया (–) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम बताया गया (+)) (₹ करोड़ में)	संदर्भित कंडिका
राजस्व के बजाय पूँजी खण्ड के तहत गलत वर्गीकरण	3.65	-	2.4.3.6
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा पर ब्याज का भुगतान न होना	17.52	17.52	4.3
श्रम उपकर का हस्तांतरण न होना	70.82	70.82	4.1
अन्य उपकर (सड़क सुरक्षा उपकर) का हस्तांतरण न होना	132.29	132.29	
एन0डी0आर0एफ0 अनुदान को लोक लेखे में हस्तांतरित नहीं करना	1,038.96	1,038.96	2.5.2.2
ब्याज देनदारियों का निर्वहन न होना	53.76	53.76	4.3
गैर–बजट उधारी का प्रकटीकरण	-	1,482.50	4.2
ऋण शोधन निधि में योगदान नही होना	1135.97	1135.97	2.5.2.1
निधि को उचंत खाते में रखना	(-) 82.12	321.42	4.10
कुल	**2,370.85**	**4,253.24**	

(स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण)

ऊपर दी गई तालिका से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, जो क्रमशः ₹ 422 करोड़ और ₹ 25,551 करोड़ दिखाया गया है, वास्तव में क्रमशः ₹ 2,792.85 करोड़ और ₹ 29,804.24[5] करोड़ होगा। प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा जी0एस0डी0पी0 का क्रमशः 0.41 प्रतिशत और 4.41 प्रतिशत था जो वित्त आयोग की चार प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

1.6.2 लेखापरीक्षा के बाद–कुल बकाया देनदारियाँ

सरकारी संस्थाओं (दो) ने राज्य सरकार को पक्ष बनाकर (31 मार्च 2022 तक) ₹ 1,482.50 करोड़ की राशि के ऋण प्राप्त किए हैं। ये ऋण राज्य सरकार द्वारा बजट से इतर उधारी (ओ0बी0बी0)

[5] उचंत लेखा के अंतर्गत रखे गए ₹ 321.42 करोड़ के निवल व्यय को शामिल नहीं किया गया है जैसा कि एन0टी0एफ0ए0 की कंडिका 3 (XIX) में बताया गया है।

हैं। सरकार ने इन ऋणों के लिए गारंटी प्रदान की है। चूँकि ये उधार सीधे सरकार की उधारी का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इन्हें वित्त लेखों के लोक ऋण में शामिल नहीं किए गए थे और इसलिए, राज्य के राजकोषीय घाटे की गणना में इनका उल्लेख नहीं किया गया। वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के लोक ऋण के साथ–साथ राजकोषीय घाटे को कम करके आँका गया है। *(बजट से इतर उधारी का ब्यौरा प्रतिवेदन की कंडिका 4.2 में दिया गया है)*।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के पश्चात समग्र ऋण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	समग्र ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में
1.	बकाया ऋण	2,57,510.21	37.07 $
2.	समग्र ऋण पर प्रभाव (कम बताया गया)		
अ	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (पथ निर्माण विभाग)	520.00	
ब	बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (ग्रामीण कार्य विभाग)	962.50	
	कुल (2)	1,482.50	0.22
	कुल (1 + 2)	2,58,992.71	37.29

$ ***जी0एस0टी0 के बैक–टू–बैक लोन को छोड़कर***

इस प्रकार, राज्य की बजट से इतर उधारी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2022 के अंत तक कुल बकाया ऋण ₹ 2,57,510.21 करोड़ के मुकाबले ₹ 2,58,992.71 करोड़ रहा। नतीजतन, वर्ष के अंत में जी0एस0डी0पी0 की प्रतिशतता के रूप में समग्र ऋण 0.22 प्रतिशत से कम हो गया।

अध्याय–II
राज्य का वित्त

अध्याय II

राज्य का वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, यह राज्य के वित्त लेखे और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर विगत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, 2017–18 से 2021–22 तक के पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के वित्त की समग्र प्रवृत्ति, राज्य की ऋण स्थिरता एवं प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण करता है।

2.1 2020–21 की तुलना में राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन

यह खंड विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय संग्रह में बड़े बदलावों का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

तालिका 2.1: 2020–21 की तुलना में 2021–22 में प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 23.90 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ राज्य की स्व कर प्राप्तियों में 14.87 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ स्व करेत्तर प्राप्तियों में 35.75 प्रतिशत की कमी। ✓ संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 52.61 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 9.94 प्रतिशत की कमी।
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 14.14 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.84 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 19.29 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 16.03 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 83.67 प्रतिशत की कमी।
पूँजीगत व्यय	✓ पूँजीगत व्यय में 30.03 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 152.97 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 18.60 प्रतिशत की कमी। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 43.15 प्रतिशत की वृद्धि।
ऋण और अग्रिम	✓ ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 32.72 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 96.60 प्रतिशत की कमी।
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 12.61 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक ऋण की अदायगी में 27.12 प्रतिशत की वृद्धि।
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 15.71 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक लेखे के संवितरण में 16.88 प्रतिशत की वृद्धि।
नकद शेष	✓ विगत वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान नकद शेष में ₹ 369.45 करोड़ (122.42 प्रतिशत) की वृद्धि।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

यह खंड विगत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की निधि के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना करता है। विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में शामिल हैं।

तालिका 2.2: 2020–21 और 2021–22 के दौरान निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

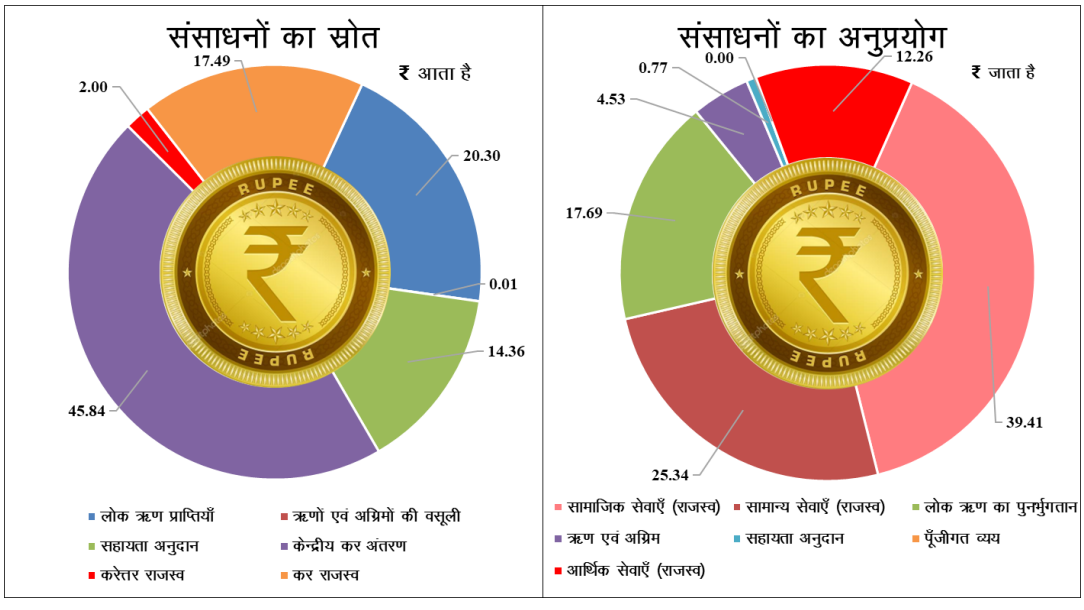
	विवरण	2020–21	2021–22	वृद्धि / कमी	वृद्धि / कमी प्रतिशतता में
स्रोत	आरंभिक नकद शेष	24,913	24,865	(-) 48	(-) 0.19
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,28,168	1,58,798	30,630	23.90
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	820	28	(-) 792	(-) 96.59
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	29,035	31,698	2,663	9.17
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	745	(-) 1,533	(-) 2,278	(-) 305.77
	कुल	**1,83,681**	**2,13,856**	**30,175**	**16.43**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,39,493	1,59,220	19,727	14.14
	पूँजीगत व्यय	18,209	23,678	5,469	30.03
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,114	1,479	365	32.76
	अंतिम नकद शेष	24,865	29,479	4,614	18.56
	कुल	**1,83,681**	**2,13,856**	**30,175**	**16.43**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे)

वर्ष 2021–22 के दौरान, निधियों का अनुप्रयोग[6] (₹ 1,84,377 करोड़) निधियों के स्रोतों[7] (₹ 1,58,826 करोड़) से अधिक था, जो यह इंगित करता है कि सरकार उपलब्ध निधि से अपने खर्च को पूरा करने में असमर्थ है। इस अंतर को कम करने के लिए, राज्य को 2021–22 के दौरान लोक ऋण के माध्यम से अपनी प्राप्ति में विगत वर्ष की तुलना में 12.61 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 35,915 करोड़ से ₹ 40,445 करोड़) करनी पड़ी।

चार्ट 2.1 में वर्ष 2021–22 के दौरान समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत के रूप में दिया गया है।

चार्ट 2.1: संसाधनों की स्रोत / अनुप्रयोग *(प्रतिशत में)*



(स्रोत: वर्ष 2021–22 के लिए वित्त लेखे)

[6] राजस्व व्यय +पूँजीगत व्यय +ऋण एवं अग्रिम का वितरण

[7] राजस्व प्राप्ति + ऋण एवं अग्रिम की वसूली

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ, जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

 राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ, दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ**: कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती हैं।

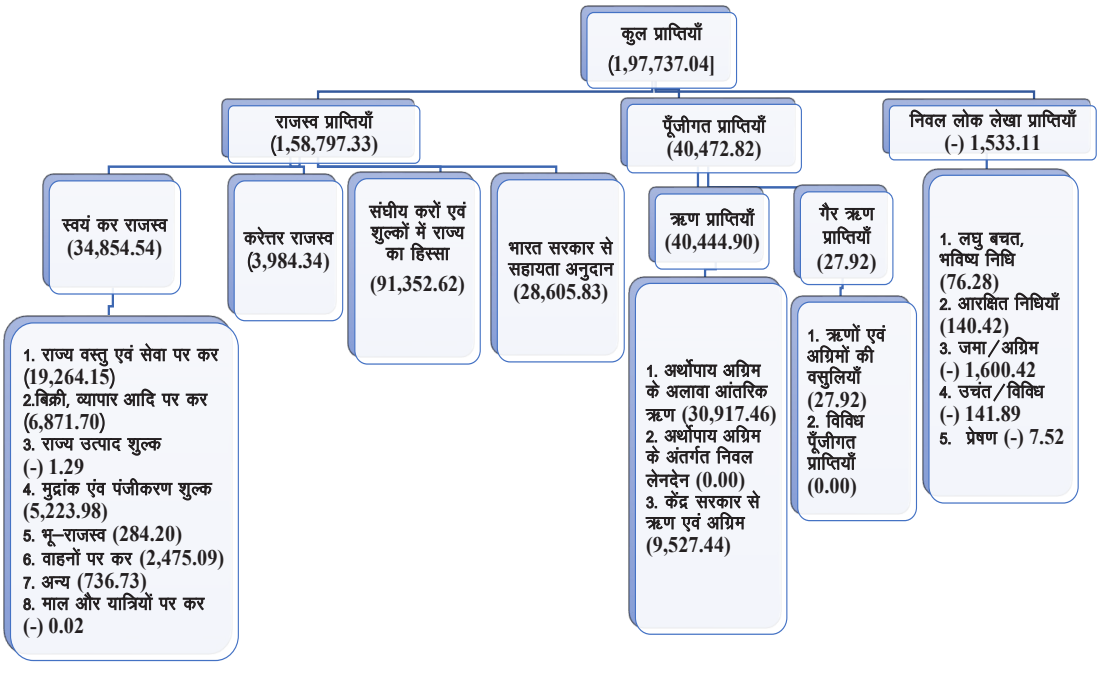
 इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास निधि के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, पूँजीगत और राजस्व प्राप्तियों, लोक लेखे में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) का उपयोग भी सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए करती है।

चार्ट 2.2: 2021–22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे)

वर्ष 2021–22 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों, पूँजीगत प्राप्तियों और निवल लोक लेखा प्राप्तियों का योगदान कुल प्राप्तियों का क्रमशः 80.31 प्रतिशत, 20.47 प्रतिशत और (–) 0.78 प्रतिशत था। इन प्राप्तियों पर विस्तृत चर्चा बाद की कंडिकाओं में की गई है।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ कुल राजस्व प्राप्तियों और उनके घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तदोपरान्त यह केन्द्र सरकार से प्राप्तियों एवं राज्य की स्व प्राप्तियों की द्विभाजित प्रवृत्ति उपलब्ध कराता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि एवं प्रवृत्ति

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और राजस्व प्राप्तियों की संरचना **तालिका 2.3** में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मापदंड	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
राजस्व प्राप्तियाँ (आर0आर0) (₹ करोड़ में)	1,17,447	1,31,794	1,24,233	1,28,168	1,58,798
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.23	12.22	(-) 5.74	3.17	23.90
स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	23,137	29,408	30,158	30,342	34,855
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	3,507	4,131	3,700	6,201	3,984
स्व राजस्व का वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.91	25.88	0.95	7.93	6.28
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011–12 श्रृंखला)	4,68,746	5,27,976	5,82,516	5,87,154	6,75,448
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.33	12.64	10.33	0.80	15.04
आर0आर0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	25.06	24.96	21.33	21.83	23.51
उत्प्लावकता[8] अनुपात[9]					
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.99	0.97	(-) 0.56	3.96	1.59
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राज्य की स्व राजस्व उत्प्लावकता	0.17	2.05	0.09	9.91	0.42

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त जी0एस0डी0पी0 आँकड़े)

- जैसा कि **तालिका 2.3** से देखा जा सकता है, वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य की स्व राजस्व उत्पलावकता, विगत वर्ष की तुलना में कम थी। जैसे–जैसे जी0एस0डी0पी0 बढ़ती है, राज्य सरकार को स्व राजस्व जुटाने की क्षमता भी बढ़ानी चाहिए। इससे यह भी पता लगता है कि राज्य जी0एस0डी0पी0 के साथ तालमेल रखते हुए 2021–22 के दौरान स्व राजस्व संसाधनों को बढ़ाने में सक्षम था। हालाँकि, 2021–22 के दौरान करेत्तर राजस्व का संग्रह में कमी, बजट अनुमानों में अनुमानित आँकड़े की तुलना में ₹ 1,521 करोड़ की कमी, ने राजस्व उत्पलावकता को 1.59 तक कम कर दिया।
- राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का कारण संघीय करों की हिस्सेदारी में ₹ 31,492 करोड़ की वृद्धि थी। विगत वर्ष की तरह चालू वर्ष के दौरान भी जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व उत्पलावकता सकारात्मक थी। राजस्व प्राप्तियों की जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता 23.51 प्रतिशत थी जो 2018–19 के पश्चात् सबसे अधिक थी।
- राज्य के स्व राजस्व प्राप्तियों का संग्रह ₹ 38,839 करोड़ था, जो पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ 34,748 करोड़) से ₹ 4,091 करोड़ अधिक था, लेकिन ₹ 40,555 करोड़ के बजट अनुमानों से बहुत पीछे था।
- राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 75.54 प्रतिशत, संघीय करों और सहायता अनुदान की निवल आय का योग है। यह इंगित करता है कि राज्य राजस्व प्राप्तियों के

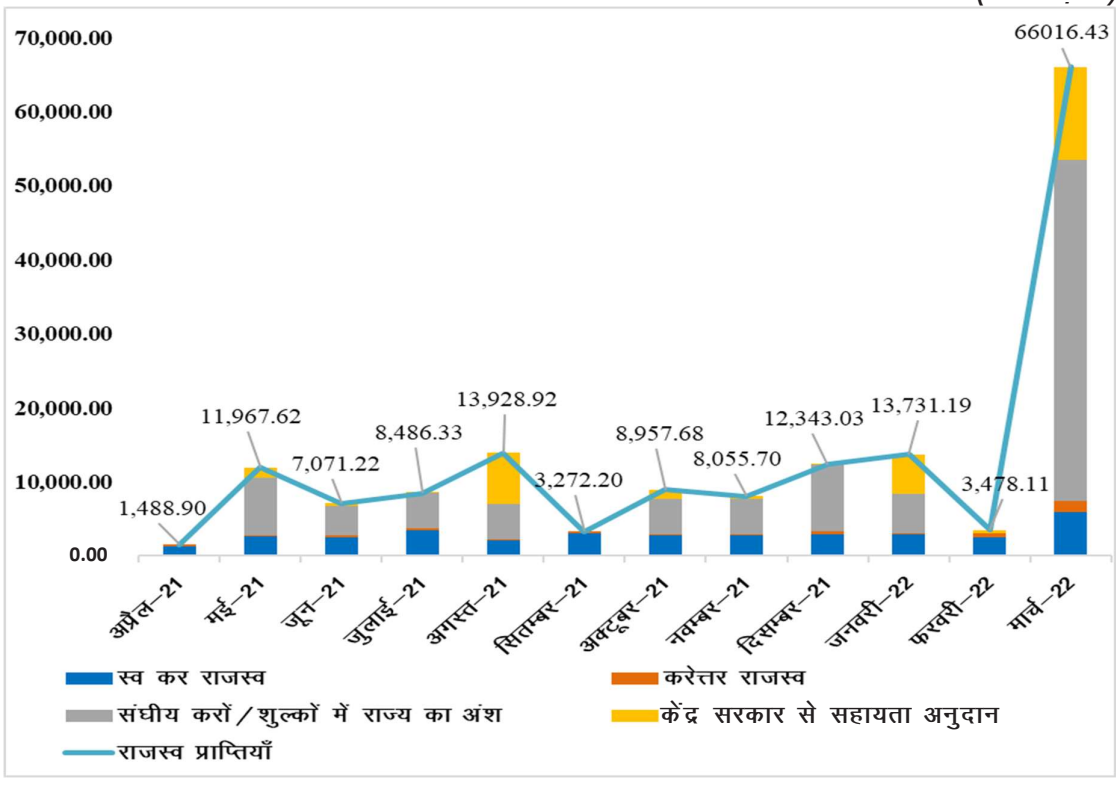
[8] उत्प्लावकता अनुपात, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की लोच में प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है।

[9] राजस्व उत्प्लावकता, जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के वृद्धि दर को इंगित करता है।

लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। राजस्व प्राप्तियों का मासिक प्रवाह (घटक–वार) **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों का मासिक प्रवाह (घटक–वार)

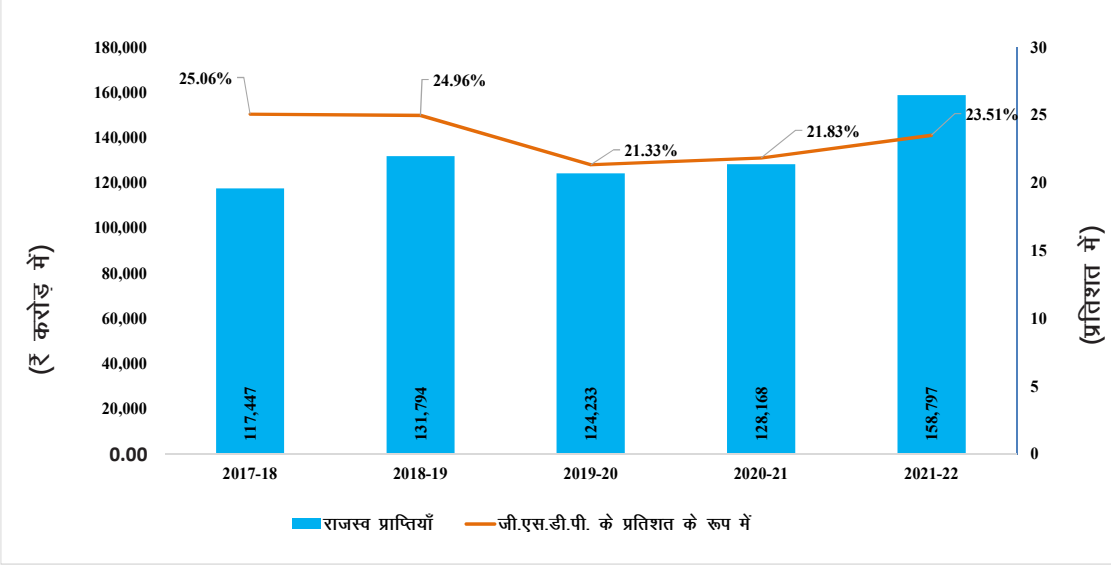
(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2021–22 के मासिक सिविल लेखे)

राज्य सरकार को मुख्य रूप से माह मई 2021 (8.63 प्रतिशत), दिसंबर 2021 (9.85 प्रतिशत) और मार्च 2022 (50.42 प्रतिशत) में संघीय करों की निवल आय प्राप्त हुई थी। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) का बड़ा हिस्सा भी अगस्त 2021 (24.06 प्रतिशत), जनवरी 2022 (18.56 प्रतिशत) और मार्च 2022 (43.78 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ था। इस कारण से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में उक्त अवधि में निधि प्रवाह अधिक हुआ था और शेष महीनों के दौरान निधि प्राप्तियाँ नाममात्र थीं। इसके अलावा, अप्रैल 2020 में राजस्व प्राप्तियाँ शून्य थीं, लेकिन चालू वर्ष के दौरान, माह अप्रैल 2021 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,488.90 करोड़ (कर राजस्व ₹ 1,281.53 करोड़ और करेत्तर राजस्व ₹ 207.37 करोड़) दर्ज की गई। चूँकि वर्ष 2021–22 के दौरान अप्रैल के महीने में राजस्व प्राप्तियाँ सबसे कम थीं, इसलिए राज्य ने व्यय को अप्रैल 2021 में नकद शेष निवेश खातों, राज्य के स्व कर राजस्व और करेत्तर राजस्व से पूरा किया। जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के साथ–साथ इसके हिस्सेदारी की प्रवृति को **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

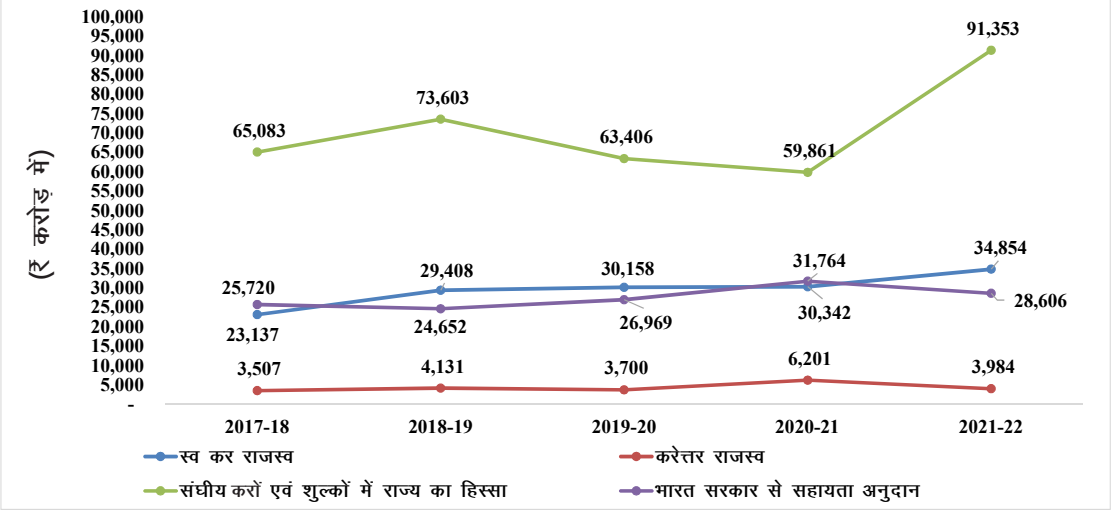
चार्ट 2.4: जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के साथ–साथ उसकी हिस्सेदारी की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण)

वर्ष 2021–22 के लिए जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि विगत वर्ष (₹ 59,861 करोड़) की तुलना में संघीय करों के राज्य हिस्से की प्राप्तियों में ₹ 31,492 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं:

- राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक संघीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा (57.53 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान (18.01 प्रतिशत) थे। राजस्व प्राप्तियों का केवल 24.46 प्रतिशत राज्य के स्व राजस्व का हिस्सा है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि राज्य की राजकोषीय स्थिति काफी हद तक भारत सरकार से कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान से प्रभावित है।
- विगत वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 30,630 करोड़ (23.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से तथा कर राजस्व के योगदान

में क्रमशः 52.61 प्रतिशत (₹ 31,492 करोड़) और 14.87 प्रतिशत (₹ 4,513 करोड़) की वृद्धि हुई, जबकि करेत्तर राजस्व और भारत सरकार से सहायता अनुदान में क्रमशः 35.75 प्रतिशत (₹ 2,217 करोड़) और 9.94 प्रतिशत (₹ 3,158 करोड़) की कमी हुई।

2.3.2.2 राज्य के स्व संसाधन

अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्व संसाधनों के संदर्भ में किया जा सकता है जिसमें उसके स्व कर और करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021–22 के लिए स्व कर राजस्व ₹ 30,232 करोड़ और करेत्तर राजस्व ₹ 4,516 करोड़ होने का अनुमान लगाया था, जो विगत वर्ष[10] की तुलना में क्रमशः 23.28 प्रतिशत और 5.15 प्रतिशत कम हो गया।

स्व कर राजस्व

राज्य के स्व कर राजस्व में राज्य जी0एस0टी0, मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, भू–राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं।

तालिका 2.4: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्क लाईन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,298	6,584	6,121	6,032	6,872	
एस0जी0एस0टी0	6,747	15,288	15,801	16,050	19,264	
राज्य उत्पाद शुल्क	(-) 3	(-) 10	(-) 4	(-) 4	(-) 1	
मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क	3,726	4,189	4,661	4,206	5,224	
वाहनों पर कर	1,599	2,086	2,713	2,268	2,475	
भू राजस्व	779	477	275	302	284	
माल और यात्रियों पर कर	1,645	399	23	6	0	
अन्य कर*	346	395	568	1,482	737	
	23,137	**29,408**	**30,158**	**30,342**	**34,855**	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
** अन्य करों में शामिल हैं*[11]

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

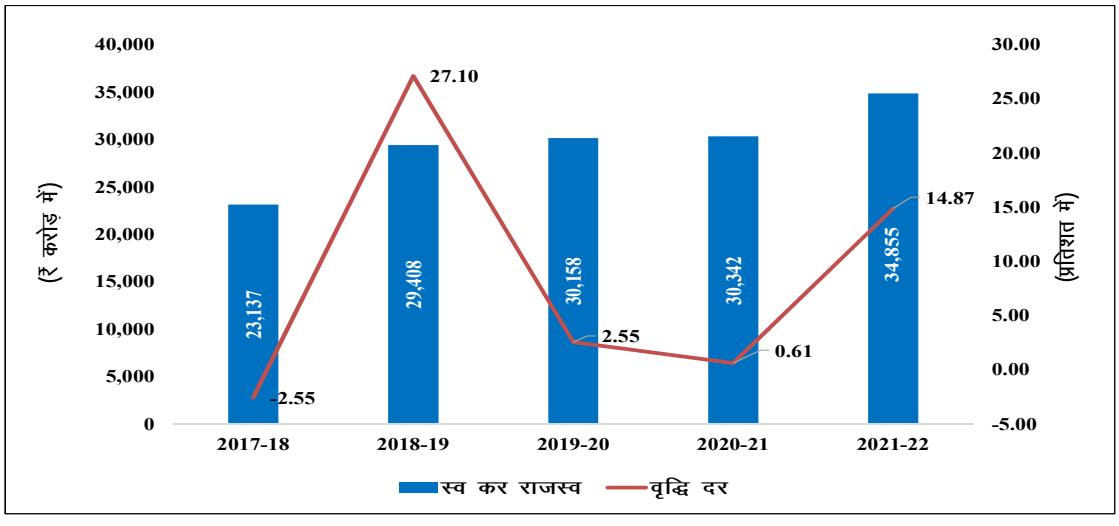
- वर्ष 2020–21 में बिक्री, व्यापार आदि पर कर घटती प्रवृत्ति में थे। हालाँकि, वर्ष 2021–22 में विगत वर्ष की तुलना में, वैट प्राप्तियों के बकाया संग्रह के कारण 13.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। माल और यात्रियों पर करों में घटती प्रवृति थी क्योंकि जुलाई 2017 से माल और यात्रियों पर कर और बिक्री, व्यापार आदि पर आंशिक रूप से करों को जी0एस0टी0 में शामिल कर लिया गया था। एस0जी0एस0टी0 में वृद्धि मुख्य रूप से कर और इनपुट एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई थी। राज्य उत्पाद शुल्क में कमी अप्रैल 2016 से राज्य में लगाई गई शराबबंदी के कारण हुई थी। राज्य उत्पाद शुल्क के तहत दिखाई देने वाली ऋणात्मक शेष राशि वापसी के कारण थी।

[10] 2020–21 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग का कर राजस्व अनुमान ₹ 39,406 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व अनुमान ₹ 4,761 करोड़ था।
[11] व्यवसायों, व्यापारों, पेशा और रोजगार पर कर, विद्युत पर शुल्क एवं कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क।

- विगत वर्ष की तुलना मे मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 24.20 प्रतिशत वृद्धि का मुख्य कारण दस्तावेजों को छापने पर शुल्क और दस्तावेजों के निबंधन शुल्क के संग्रह से थी। राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियमों के तहत प्राप्तियों के कारण वाहनों पर कर में ₹ 207.34 करोड़ की वृद्धि हुई।
- विगत वर्ष की तुलना मे 'भू–राजस्व' मे 5.96 प्रतिशत कम संग्रह देखा गया। 2017–18 से 2021–22 तक भू–राजस्व में (63.54 प्रतिशत) की घटती प्रवृत्ति, जिसका मुख्य कारण उप–शीर्ष 'बागानों पर कर' (53.37 प्रतिशत), 'जमींदारी रहित संपदाओं के प्रबंध से प्राप्तियाँ' (41.40 प्रतिशत) और 'अन्य प्राप्तियाँ' (21.60 प्रतिशत) के तहत राजस्व में कमी है।
- विद्युत पर करों एवं शुल्कों में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 759.38 करोड़ की कमी के कारण अन्य करों में ₹ 745 करोड़ (50.27 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी देखी गई है।
- मासिक सिविल लेखा के अनुसार, राज्य को अप्रैल 2021, सितंबर 2021 और फरवरी 2022 में कम राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि मार्च 2022 के महीने (40.18 प्रतिशत) में एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान राज्य के स्व कर राजस्व और उसमें वृद्धि दर को नीचे **चार्ट 2.6** में दर्शाया गया है। राज्य के स्व कर राजस्व की वृद्धि दर वर्ष 2018–19 में वृद्धि सबसे अधिक थी, विगत पाँच वर्षों एवं वर्ष 2021–22 के दौरान यह वृद्धि वर्ष 2018–19 के पश्चात सबसे अधिक थी।

चार्ट 2.6: 2017–22 के दौरान स्व–कर राजस्व में वृद्धि



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0)

राज्य सरकार ने 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) अधिनियम लागू किया। जी0एस0टी0 (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों को जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व नुकसान के लिए 2017–18 से शुरू होने वाले पाँच वर्ष की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करेगी। राज्य को देय मुआवजे की गणना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम राजस्व आँकड़े प्राप्त होने और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंकेक्षित किये जाने के बाद, की जाएगी। किसी राज्य के किसी भी वर्ष के लिए संरक्षित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष (2015–16) के राजस्व पर अनुमानित विकास दर

(14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू करके की जाएगी। बिहार ने 2015–16 के दौरान ₹ 12,620.56 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। आधार वर्ष के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2021–22 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 27,701.76 करोड़ (₹ 24,299.80 करोड़ (2020–21) का 114 प्रतिशत) था। अनुमानित राजस्व के मुकाबले, एस0जी0एस0टी0 के तहत राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 19,264.15 करोड़ (आई0जी0एस0टी0 के अग्रिम हिस्से के रूप में प्राप्त ₹ 987.28 करोड़ सहित) थीं। बिहार सरकार ने जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति ₹ 1,945.08 करोड़ की सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों के रूप में तथा ₹ 7,111.43 करोड़ बैक–टू–बैक ऋण, जिनका पुनर्भुगतान देयता नहीं थी, ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्त किया।

बकाया राजस्व एवं बकाया राशि के आकलन का विश्लेषण

राजस्व की बकाया राशि सरकार के देय राजस्व की विलंबित वसूली को दर्शाती है। इसी प्रकार, मूल्यांकन का बकाया संभावित राजस्व को इंगित करता है जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध हो जाता है। दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में, राजस्व अर्जित करने वाले पाँच विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार राजस्व के बकाया का विवरण **तालिका 2.5** में उल्लिखित है।

तालिका 2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2021 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2022 तक कुल बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वैट/बिक्री व्यापार आदि।	वाणिज्यिक कर	2,262.17	2,392.46	उपलब्ध नहीं
2.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	267.65	385.22	उपलब्ध नहीं
3.	मुद्रांक और पंजीकरण	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	168.26	212.88	उपलब्ध नहीं
4.	गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	खान एवं भूतत्व	452.58	1,084.66	उपलब्ध नहीं
5.	परिवहन	परिवहन विभाग	172.37	172.85	उपलब्ध नहीं
कुल			**3,323.03**	**4,248.07**	

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

राजस्व के बकाया के लिए देखे गए विभिन्न कारणों में भू–राजस्व के बकाया की वसूली, न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा रोकी गई वसूली, निर्धारिती/व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई वसूली आदि थे।

आकलनों का बकाया

राज्य कर विभागों द्वारा प्रस्तुत आकलनों का बकाया मामलों का विवरण **तालिका 2.6** में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.6: आकलनों का बकाया

विभाग का नाम	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान नए मामले	आंकलन के लिए कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष मामले	निपटान का प्रतिशत
वाणिज्यिक कर विभाग	24,813	4,633	29,446	3,040	26,406	10.32
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	1,952	942	2,894	1,039	1,855	35.90
खान एवं भूतत्व विभाग	39,187	1,129	40,316	93	40,223	0.23
परिवहन विभाग	30,835	915	31,750	988	30,762	3.11

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

यह भी देखा गया कि विभाग बकाया राशि के संग्रह की प्रगति की निगरानी करने में विफल रहे, क्योंकि उनके पास मुख्यालय स्तर पर शेष बकाया का डेटाबेस नहीं है। विभाग को समय–समय पर समीक्षा, मिलान और बकाया राशि के वसूली/समापन के लिए शेष बकाया का डेटाबेस बनाना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजस्व के बकाया, जो विवादित नहीं हैं, प्राथमिकता के आधार पर वसूल किए जाए।

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन, प्रतिदाय के मामलों आदि का विवरण

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, मामलों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग करना राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय मामलों के निस्तारण में तत्परता विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। धन प्रतिदाय के अत्यधिक मामलों के लंबित होने से लालफीताशाही, निहित स्वार्थ, आदि का संकेत मिलता है। विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन का विवरण नीचे **तालिका 2.7** दिया गया है।

तालिका 2.7: पता लगाए गए कर का अपवंचन

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 तक लंबित मामले	2021–22 के दौरान पहचान किए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या 31 मार्च 2022 तक
					मामलो की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्री, व्यापार पर कर/ जी0एस0टी0,	221.00	2,155.00	2,376.00	2,097.00	583.65	279.00
2	स्टाम्प और पंजीकरण	785.00	512.00	1,297.00	760.00	17.36	537.00

(स्रोतः बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, स्टाम्प और पंजीकरण विभाग में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या अधिक थी। अधिक लंबित मामलों से धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

प्रतिदाय के लंबित मामले

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित प्रतिदाय मामलों के लंबित मामलों का विवरण **तालिका 2.8** में दिया गया है।

तालिका 2.8: प्रतिदाय के लंबित मामले

क्रम सं0	विवरण	जी0एस0टी0		बिक्री कर/वैट	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	137	3.92	794	77.83
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,516	312.80	375	137.20
3.	वर्ष के दौरान दिया गया प्रतिदाय	1,148	222.77	383	143.35
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकार कर दिया गया	425	88.37	230	25.94
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि	80	5.58	556	45.74

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की जानकारी)

छ:[12] कर संग्रह विभागों में से पाँच ने बकाया राजस्व, आकलनों का बकाया, कर अपवंचन एवं प्रतिदाय मामलों पर आँकड़े उपलब्ध कराये हैं। पूर्ण आँकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा समग्र रूप से राज्य की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर सका।

करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। राज्य के करेत्तर राजस्व के घटकों को **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: राज्य के करेत्तर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्क लाइन
ब्याज प्राप्तियाँ	1,577.24	1,371.94	1,416.48	3,241.97	722.47	
लाभांश और लाभ	1.34	13.67	1.62	603.01	6.54	
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	1,928.16	2,744.95	2,281.50	2,356.40	3,255.33	
(ए) मुख्य और मध्यम सिंचाई	27.43	52.77	24.32	40.13	40.64	
(बी) सड़क परिवहन	0.17	0.19	0.20	0.11	0.18	
(सी) शहरी विकास	7.43	0.94	4.80	0.15	1.08	
(डी) शिक्षा	21.47	18.85	17.13	11.50	509.13	
(इ) गैर-लौह खनन	1,082.67	1,560.65	1,572.07	1,708.93	1,766.14	
(एफ) अन्य या विविध	788.99	1,111.55	662.98	595.58	938.16	
योग	**3,506.74**	**4,130.56**	**3,699.60**	**6,201.38**	**3,984.34**	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित देखा गया:

- 2021–22 मे करेत्तर राजस्व ₹ 3,984.34 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,217.04 करोड़ (35.75 प्रतिशत) से कम और राजस्व प्राप्तियों का 2.51 प्रतिशत था।
- करेत्तर राजस्व में कमी के मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियों में 77.72 प्रतिशत की कमी और लाभांश और मुनाफे की प्राप्ति में 98.92 प्रतिशत की कमी थी। यह देखा गया कि 2020–21 के दौरान ₹ 2,600 करोड़ की समेकित निक्षेप निधि के अर्जित ब्याज के मोचन और

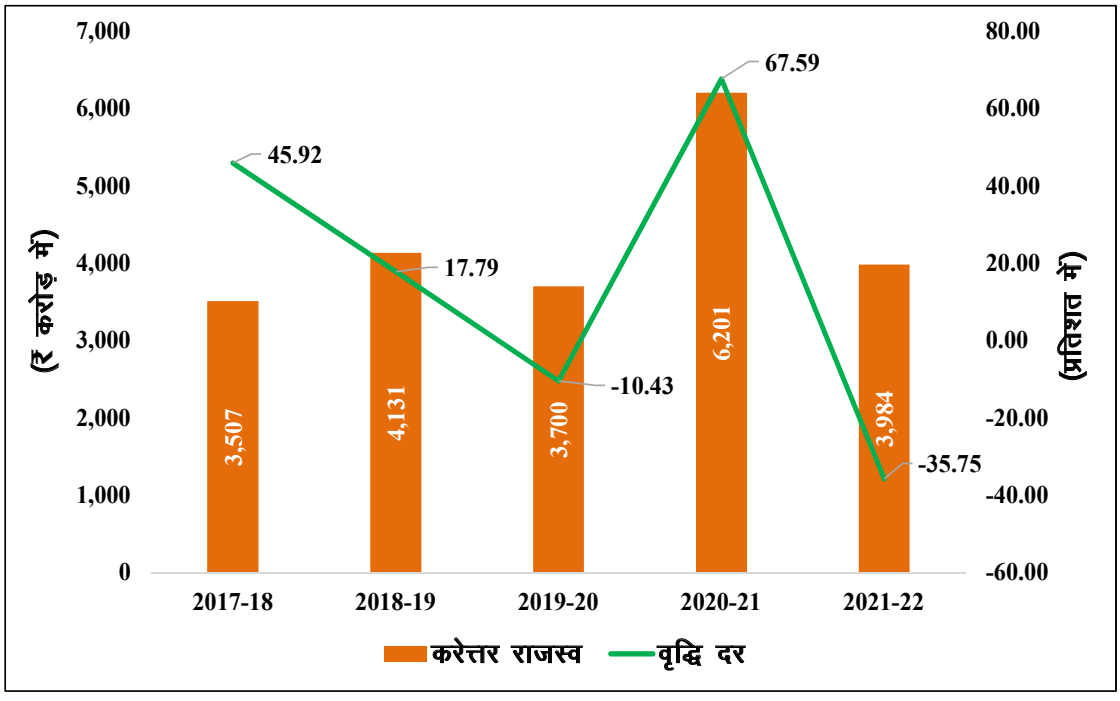
[12] वाणिज्यिक कर विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

एस0पी0एस0ई0 के संचित लाभ से ₹ 603.01 करोड़ का लाभांश जारी करने के कारण क्रमशः ब्याज प्राप्तियों और लाभांश और मुनाफे में वृद्धि हुई।

- हालाँकि, शिक्षा विभाग के तहत माध्यमिक शिक्षा से ₹ 500.16 करोड़ राजस्व की वृद्धि हुई।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान राज्य के करेत्तर राजस्व और इसमें वृद्धि दर को नीचे **चार्ट 2.7** में दर्शाया गया है। विगत पाँच वर्षों के दौरान, 2020–21 में वृद्धि दर सबसे अधिक थी।

चार्ट 2.7: करेत्तर राजस्व एवं वृद्धि दर



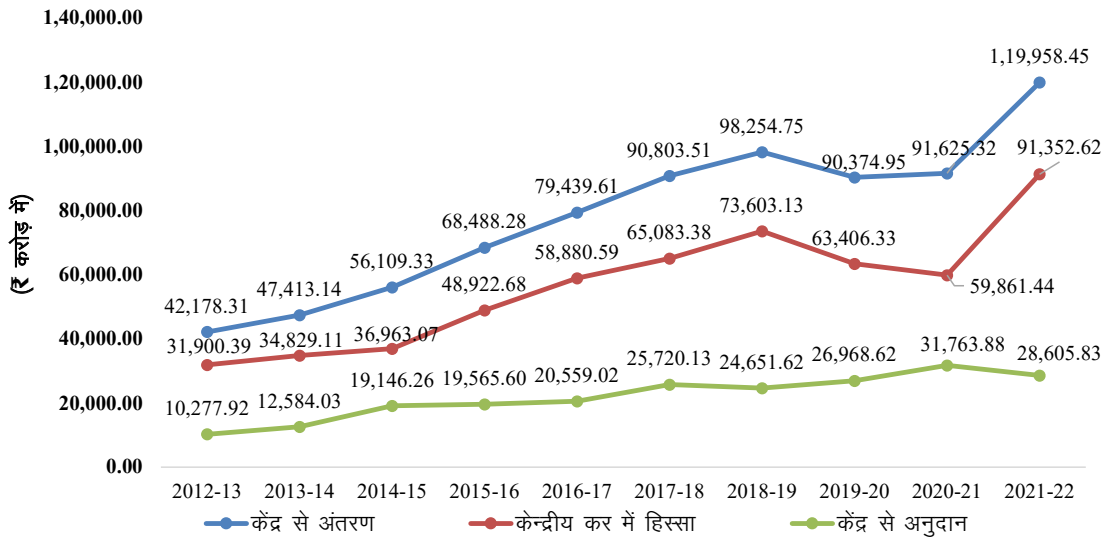
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2021–22 के दौरान उपरोक्त चार्ट से हम देख सकते हैं की करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर नकारात्मक थी और विगत पाँच वर्षों के दौरान उच्चतम नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई और 2019–20 के बाद दूसरी बार नकारात्मक वृद्धि भी दर्ज की गई। यह मुख्य रूप से 'ब्याज प्राप्तियों' एवं एस0पी0एस0ई0 से 'लाभांश एवं लाभ' की कम प्राप्तियों के कारण था। उच्च नकारात्मक वृद्धि राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्राप्तियों और व्यय के अंतर को पूरा करने के लिए राज्य को अधिक धन उधार लेना पड़ता है।

2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

केंद्र से निधियों का अंतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निर्भर करता है और विगत पाँच वर्षों से, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 75 प्रतिशत से अधिक था। केंद्र सरकार दो तरीकों से राज्यों को निधियों का अंतरण करती है (i) राज्यों को केंद्रीय करों का हस्तांतरण और (ii) सहायता अनुदान। केंद्र सरकार से राज्य को निधियों का अंतरण का विवरण नीचे **चार्ट 2.8** में दिया गया है।

चार्ट 2.8: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है:

- केंद्र से अंतरित निधियाँ वर्ष 2012–13 में ₹ 42,178.31 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 1,19,958.45 करोड़ हो गयी, जिससे विगत 10 वर्षों की अवधि के दौरान केंद्र द्वारा अंतरित निधियाँ में 284.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालाँकि, भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय करों के हिस्से में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 31,491.18 करोड़ (52.61 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में वृद्धि ने राज्य की राजस्व प्राप्ति को प्रमुख रूप से प्रभावित किया, क्योंकि यह राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का 57.53 प्रतिशत है।
- केंद्रीय कर अंतरण का बजट अनुमान ₹ 91,181 करोड़ था, जबकि वास्तविक प्राप्ति ₹ 91,353 करोड़ थी अर्थात् वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों से अधिक की प्राप्ति हुई। केंद्रीय कर अंतरण की प्राप्ति में वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत तक राजस्व घाटे में ₹ 10,903 करोड़ से कमी आई है।
- राजकोषीय घाटा बजट अनुमान (वर्ष 2021–22 में अतिरिक्त राजस्व व्यय के कारण) से अधिक था, हालाँकि यह विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,276 करोड़ (14.34 प्रतिशत) से कम हो गया।

केंद्रीय कर अंतरण

केन्द्र द्वारा किए गए वास्तविक अंतरण की तुलना में चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी की तुलना **तालिका 2.10** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.10: वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

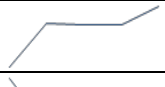
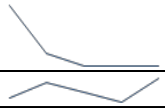
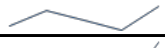
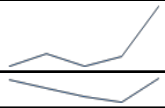
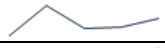
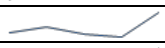
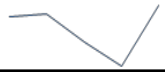
वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	राज्य को अनुमानित कर हिस्सा	वित्त आयोग के प्रतिवेदन में अनुमान	वास्तविक हस्तांतरण	अंतर	प्रतिशत अंतर
1	2	3	4	5	6= (5-4)	7
2017–18	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 9.665 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की निवल आय का 9.787 प्रतिशत (चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	7,72,304	75,585	65,083	10,502	(-) 13.89
2018–19		8,93,430	87,440	73,603	13,837	(-) 15.82
2019–20		10,34,745	1,01,270	63,406	37,864	(-) 37.39
2020–21	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.061 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	8,55,176	86,039	59,861	26,178	(-) 30.43
2021–22	सभी साझा करने योग्य करों की निवल आय का 10.058 प्रतिशत (पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	6,58,591	66,241	91,353	25,112	(+) 37.91

(स्रोत: वित्त आयोग की प्रतिवेदन और वित्त लेखे)

इस प्रकार, वर्ष 2021–22 के लिए वित्त आयोग की अनुमान की तुलना में वास्तविक कर हस्तांतरण 37.91 प्रतिशत अधिक था। 2017–18 से 2021–22 के दौरान विभिन्न घटकों के तहत संघीय करों में राज्य का हिस्सा **तालिका 2.11** में दिखाया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर का अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्क लाइन
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सी0जी0एस0टी0)	925.48	18,166.79	17,992.97	17,788.67	25,442.20	
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0)	6572	1449.8	0	0	0	
निगम कर	19,935.56	25,596.84	21,618.94	18,062.14	27,178.50	
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	16,834.16	18,850.99	16,939.90	18,517.49	26,661.32	
सीमा शुल्क	6,570.00	5217.4	4,019.07	3,179.93	6,775.97	
संघीय उत्पाद शुल्क	6,867.50	3,467.28	2,794.34	2,012.03	3,868.86	
सेवा कर	7,379.29	673.31	0.00	258.09	1,326.22	
अन्य कर#	-0.61	180.72	41.11	43.06	99.55	
केंद्रीय कर अंतरण	**65,083.38**	**73,603.13**	**63,406.33**	**59,861.41**	**91,352.62**	
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	10.53	13.09	-13.85	-5.59	52.61	
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	55.42	55.85	51.04	46.70	57.53	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अन्य करों में धन पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं के अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।

केंद्रीय कर अंतरण में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 31,491.21 करोड़ (52.61 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य को दी गई निवल आय के हिस्से के तहत अधिक प्राप्तियाँ, जो विगत पाँच वर्षों के दौरान उच्चतम थीं, के कारण हुई। 'आई0जी0एस0टी0 का विभाजन' और 'आई0जी0एस0टी0 से अग्रिम विभाजन' को मुख्य शीर्ष 0006 एस0जी0एस0टी0 के तहत लघु शीर्ष 106 और 110 के रूप में लेखांकित किया जा रहा है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) और केंद्रीय करों एवं शुल्कों का हिस्सा प्राप्त होता है। विगत पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार के सहायता अनुदानों का विवरण **तालिका 2.12** में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
गैर–योजना अनुदान	(-) 5.00	-	-	-	0.00
राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए अनुदान	(-) 2.20	(-) 2.82	(-) 40.27	(-) 33.57	0.00
केंद्रीय योजना कार्यक्रमों के लिए अनुदान*	-	-	-	-	-
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए अनुदान (सी0एस0एस0)	13,312.26	16,322.72	15,302.04	16,609.56	17,832.91
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	(-) 1.00	-	-	-	-
वित्त आयोग अनुदान	4,525.06	4,775.20	7,343.61	8,850.00	7,077.56
अन्य अंतरण/राज्यों को अनुदान /विधान सभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश	7,891.01	3,556.52	4,363.24	6,337.89	3,695.36
कुल	**25,720.13**	**24,651.62**	**26,968.62**	**31,763.88**	**28,605.83**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	25.10	(-) 4.15	9.40	17.78	(-) 9.94
राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की प्रतिशतता	21.90	18.70	21.71	24.78	18.01

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

**** वर्ष 2017–18 से योजना और गैर–योजना अनुदानों के शब्दावली को हटा दिया गया है और इसके स्थान पर सी0एस0एस0 वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को दिया गया अन्य अनुदान है।***

योजना और गैर–योजना के अंतर (2017–18) को हटाने के साथ, केंद्र से सहायता अनुदान में केवल (i) वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान (ii) आपदा प्रतिक्रिया के लिए अनुदान और (iii) केंद्रीय प्रक्षेत्र के केंद्रीय हिस्से एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान शामिल हैं। इसे ऊपर देखा जा सकता है,

- भारत सरकार से सहायता अनुदान में कमी मुख्य रूप से वित्त आयोग अनुदान (20.03 प्रतिशत), 'अन्य हस्तांतरण/अनुदान' (41.69 प्रतिशत) में कमी के कारण थी।
- 2021–22 में राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार से कुल अनुदान की प्रवृत्ति 18.01 प्रतिशत से 24.78 प्रतिशत के बीच थी। 2021–22 में राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का प्रतिशत, विगत पाँच वर्षों में सबसे कम थी।

पंद्रहवाँ वित्त आयोग अनुदान

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य को स्थानीय निकायों, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, क्षेत्र विशिष्ट अनुदान, राज्य विशिष्ट अनुदान और राजस्व घाटा अनुदान के लिए निधि प्रदान किया। वर्ष

2021–22 के दौरान, राज्य को तीन प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए, जैसे स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, क्षेत्र विशिष्ट अनुदान के तहत स्वास्थ्य के लिए अनुदान और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एस0डी0एम0एफ0) सहित एस0डी0आर0एफ0 के लिए अनुदान। वास्तविक प्राप्ति की तुलना में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **तालिका 2.13** में दिया गया है।

तालिका 2.13: सहायता अनुदान की अनुशंसित और वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

	पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित		भारत सरकार द्वारा हस्तांरित राज्य को वास्तविक सहायता अनुदान		राज्य द्वारा वास्तविक सहायता अनुदान हस्तांतरण	
	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
स्थानीय निकाय (पी0आर0आई0)	5,018	3,709	5,018	3,709	5,018	3,709
शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान	2,416	1,827	2,416	836.25	2416	836.25
स्वास्थ्य के लिए अनुदान	0	1,133	0	1,116.31	0	1,116.31
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि#	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416	1,416#

(स्रोतः पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और वित्त लेखा)
राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि सहित

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का अपना पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं हो सका, जिसका मुख्य कारण यू0एल0बी0 में पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य मानदंडों[13] को प्राप्त न करना था। वित्त लेखा 2021–22 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा ₹ 7,077.56 करोड़ जारी किए गए, जो विगत वर्ष के अनुदानों की तुलना में 20.03 प्रतिशत कम थे, जैसा कि पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित थी। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान की तुलना में वर्ष के दौरान, बिहार सरकार को केवल 45.77 प्रतिशत प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर 2021–22 के दौरान, बिहार सरकार को अनुशंसित अनुदान से 12.46 प्रतिशत कम अनुदान प्राप्त हुआ।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार), और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के लिए पूँजीगत प्राप्तियों और उनके घटको का विवरण **तालिका 2.14** में दिया गया है।

2021–22 के दौरान, पूँजीगत प्राप्तियाँ राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 1,99,270 करोड़) का 20.31 प्रतिशत थी। राज्य सरकार ने खुले बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ₹ 30,918 करोड़ और भारत सरकार से ₹ 9,527 करोड़ का ऋण लिया।

तालिका 2.14: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना और वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**13,191**	**20,493**	**29,175**	**36,735**	**40,473**
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	22	1,825	30	820	28
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**13,169**	**18,668**	**29,145**	**35,915**	**40,445**
आंतरिक ऋण	11,771	16,134	27,866	29,412	30,918
वृद्धि दर	(-) 41.34	37.07	72.72	5.55	5.12
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,398	2,534	1,279	6,503	9,527
वृद्धि दर	(-) 8	81	(-) 50	408.44	46.50

[13] राज्य को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कम से कम 25 प्रतिशत शहरी निकायों के पास विगत वर्ष के लिए उनके अंतिम लेखे और विगत वर्ष से पहले के लिए लेखापरीक्षित लेखे दोनो है जो वर्ष में पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्ध हों।

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ऋण पूँजी प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 39	42	56	23.23	12.61
गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 4	8,195	(-) 98	2,633.33	(-) 96.59
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर	11.33	12.64	10.33	0.80	15.04
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 39	55	42	25.91	10.18

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम एवं आंतरिक ऋण में वृद्धि के कारण हुई। पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्ति का हिस्सा 99.93 प्रतिशत था। वर्ष 2019–20 से ऋण पूँजी प्राप्तियों की वृद्धि दर में कमी की प्रवृत्ति थी।

चालू वर्ष में ₹ 30,918 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया गया और पूँजीगत प्राप्तियों में इसका योगदान 76.39 प्रतिशत था। भारत सरकार से ऋणों और अग्रिमों में 46.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति (₹ 7,111.43 करोड़), विशेष सहायता के तहत पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता (₹ 1,246.50 करोड़) और 1989–90 से ब्लॉक ऋण के तहत ब्लॉक ऋण (₹ 1,169.51 करोड़) प्रमुख घटक थे।

ऋणों और अग्रिमों की वसूली के रूप में गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ घटकर ₹ 27.92 करोड़ रह गई हैं और इसमें से 73.35 प्रतिशत (₹ 20.48 करोड़) सरकारी कर्मचारियों से वसूली से संबंधित थी।

हालाँकि पूँजीगत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 10.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में 30.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.3.4 संसाधन के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों का संग्रहण सरकारों को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने तथा लोक निवेश के लिए स्थायी वित्त पोषण सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। चूँकि राज्य सरकार का भारत सरकार से सहायता अनुदान और केंद्रीय करों के हिस्से पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को अपनी संस्थाओं और कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए अपने संसाधन (कर और करेत्तर राजस्व) आवश्यक हैं।

संसाधनों के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्व संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें स्व कर और करेत्तर राजस्व शामिल हैं, जिसे **तालिका 2.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: 2021–22 के दौरान अनुमानों की तुलना में कर और करेत्तर प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित राशि	छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुमानित राशि	वास्तविकी	वास्तविकी की प्रतिशत भिन्नता		
					बजट अनुमान	XVth वित्त आयोग अनुमान	VIth राज्य वित्त आयोग अनुमान
स्व कर राजस्व	35,050	30,232	27,226	34,855	(-) 0.56	15.29	28.02
करेत्तर राजस्व	5,505	4,516	4,633	3,984	(-) 27.63	(-) 11.78	(-) 14.01

(स्रोतः बिहार सरकार के बजट दस्तावेज, पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन)

जैसा कि देखा जा सकता है, राज्य बजट अनुमानों में निर्धारित स्व कर राजस्व (₹ 195 करोड़) और करेत्तर राजस्व (₹ 1,521 करोड़) के लक्ष्यों को प्राप्त करने से पीछे रह गया। तथापि, स्व कर राजस्व के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया और यह अनुमान से क्रमश ₹ 4,623 करोड़ और ₹ 7,629 करोड़ अधिक था। राजस्व की कमी से बचने के लिए, राज्य को बाजार उधारी लेनी पड़ी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय जिम्मेदारी कानून के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी निहित होती है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढ़ाँचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में निर्देशित व्यय की कीमत पर नहीं है।

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण जरूरी है क्योंकि उन्हें प्रमुख व्यय जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। व्यय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत होनी चाहिए। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए निर्देशित व्यय की कीमत पर नहीं है।

विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का उद्देश्य राजस्व व्यय से अधिक राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ाकर बचत करना होना चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक उपयोगों के लिए राजस्व देने वाली गतिविधियों के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग, कर या करेत्तर राजस्व के माध्यम से प्रतिफल बनाता है जिसका उपयोग ऋण सेवा और ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया जा सकता है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं घटक

समग्र व्यय और इसके घटकों का प्रवृत्ति विश्लेषण और जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष प्रतिशत को **तालिका 2.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16: कुल व्यय एवं इसके घटक

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (टी0ई0)	1,31,774	1,47,425	1,38,987	1,58,816	1,84,377
राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493	1,59,220
पूँजीगत व्यय (सी0ई0)	28,907	21,058	12,304	18,209	23,678
ऋण एवं अग्रिम	243	1,470	666	1,114	1,479
जी0एस0डी0पी0 की प्रतिशतता के रूप में					
टी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	28.11	27.92	23.86	27.05	27.30
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0	21.89	23.66	21.63	23.76	23.57
सी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	6.17	3.99	2.11	3.10	3.51
ऋण एवं अग्रिम / जी0एस0डी0पी0	0.05	0.28	0.11	0.19	0.22

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

समग्र राजस्व और पूँजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, विगत दो वर्षों की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय और राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। आर्थिक वर्गीकरण और गतिविधियों द्वारा व्यय के संदर्भ में व्यय की संरचना में परिवर्तन को **तालिका 2.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा

(₹ करोड़ में)

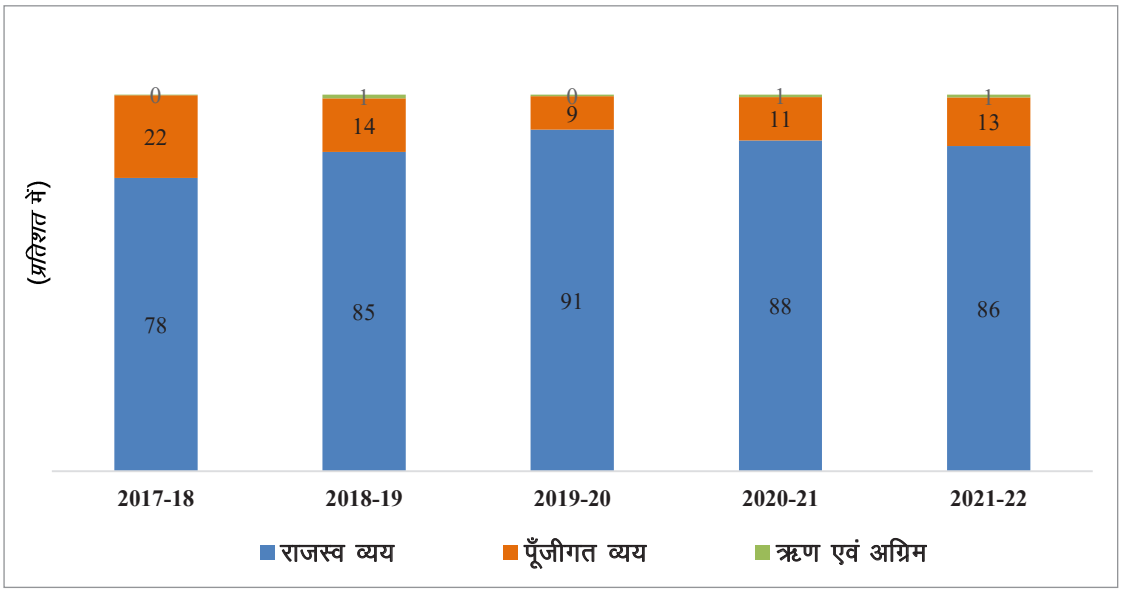
मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएँ	36,139 (27.43)	42,002 (28.49)	44,016 (31.67)	47,626 (29.99)	52,447 (28.45)
सामाजिक सेवाएँ	50,028 (37.97)	62,345 (42.29)	60,619 (43.61)	70,139 (44.16)	81,268 (44.08)
आर्थिक सेवाएँ	45,360 (34.42)	41,604 (28.22)	33,684 (24.24)	39,935 (25.15)	49,183 (26.68)
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण एवं अग्रिम)	247 (0.19)	1,474 (1)	668 (0.48)	1,116 (0.70)	1,479 (0.80)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
(कोष्ठक के आँकड़ें कुल व्यय से प्रतिशतता को इंगित करते हैं)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- राज्य ने 2021–22 के दौरान कुल व्यय के गतिविधि घटकों के संदर्भ में आर्थिक सेवाओं में अधिक राशि व्यय की है जबकि सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं में व्यय में कमी के साथ मामूली भिन्नताएं देखी गई हैं।
- राज्य ने सामान्य सेवाओं में, ब्याज भुगतान और ऋण की अदायगी के तहत वित्त वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए निक्षेप निधि में योगदान को स्थगित करने का निर्णय लेकर ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग पर अपने व्यय को कम कर दिया, जो उस हद तक राजकोषीय घाटे को प्रभावित करेगा।
- सामाजिक सेवाओं में जल आपूर्ति और स्वच्छता (45.87 प्रतिशत) के तहत 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना' में व्यय में भारी कमी देखी गई और 'आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता योजना के प्रबंधन' एवं 'प्राकृतिक आपदा के कारण राहत' के अंतर्गत निःशुल्क राहत में कम व्यय (42.69 प्रतिशत) देखा गया।
- इसके अलावा, आर्थिक सेवाओं में ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (162.21 प्रतिशत और 113.77 प्रतिशत), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और लघु उद्योगों के तहत अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और लघु उद्योगों के तहत जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायत सहायता (131.77 प्रतिशत) के तहत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (391.84 प्रतिशत) में बड़ी वृद्धि देखी गई। **चार्ट 2.9,** 2017–18 से 2021–22 के दौरान कुल व्यय के घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.9: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इसके अलावा, राज्य द्वारा लिए गए डिस्कॉम्स के ऋण का राज्य की ऋण संरचना पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि राज्य द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम नगण्य (केवल ₹ 1,478.51 करोड़) हैं अर्थात कुल व्यय का एक प्रतिशत।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत दायित्व का भुगतान करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है।

राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूँजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) और अन्य को सब्सिडी और हस्तांतरण शामिल हैं। इस व्यय को सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं जैसे विभिन्न कार्यात्मक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय भौतिक बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधन विकास के निर्माण के लिए किया जाता है और इसलिए, इसे उत्पादक माना जाता है, जबकि सामान्य सेवाओं और ऋण सेवा पर व्यय को अनुत्पादक माना जाता है।

राजस्व व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: राजस्व व्यय–मूलभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंडों	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (टी0ई0)	1,31,774	1,47,425	1,38,987	1,58,816	1,84,377
राजस्व व्यय (आर0ई0)	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493	1,59,220
आर0ई0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.29	21.70	0.90	10.69	14.14
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.33	12.64	10.33	0.80	15.04
राजस्व व्यय का टी0ई0 से प्रतिशत	77.88	84.72	90.67	87.83	86.36
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	21.89	23.66	21.63	23.76	23.57
आर0ई0 का आर0आर0 से प्रतिशत	87.38	94.77	101.44	108.84	100.27
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
जी0एस0डी0पी0 (अनुपात) के साथ	0.73	1.72	0.09	13.36	0.94
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात) के साथ	0.74	1.78	(-) 0.16	3.37	0.59

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

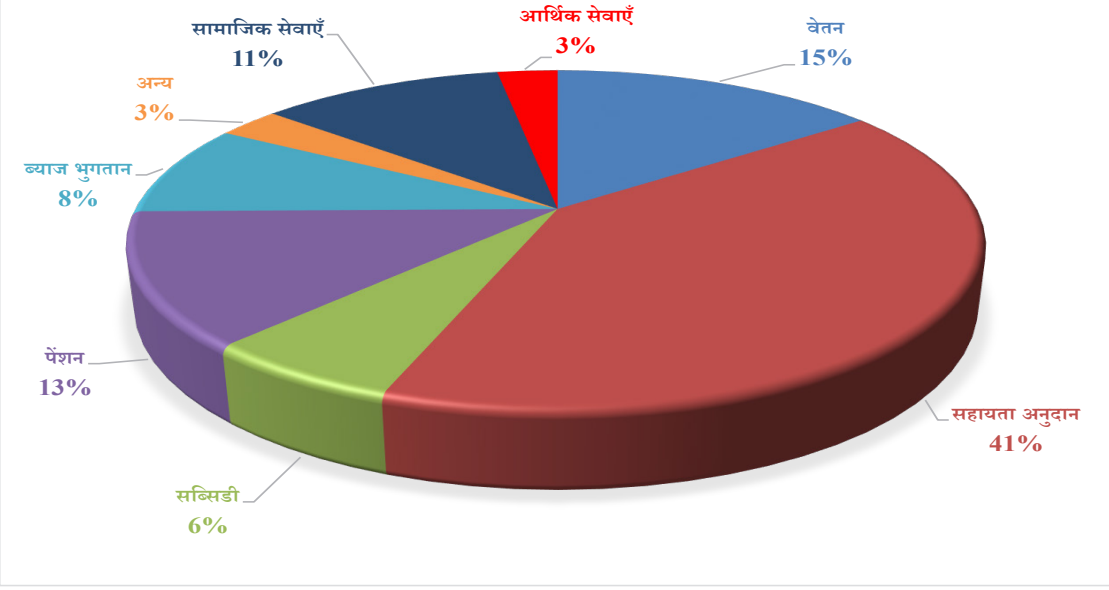
उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- राजस्व व्यय कुल व्यय का 86.36 प्रतिशत था और पूँजीगत व्यय के लिए केवल 13.64 प्रतिशत धन बचा था। राज्य में राजस्व घाटा (₹ 422 करोड़) है क्योंकि राजस्व व्यय (100.27 प्रतिशत) 2004–05 के बाद से तीसरी बार वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक था।
- राजस्व व्यय में 14.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व प्राप्तियों में 23.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालाँकि, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और इस अंतर को राज्य के लोक ऋण द्वारा पूरा किया गया है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में कमी आई है।
- 2021–22 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 के साथ राजस्व व्यय का उत्पलावन अनुपात विगत वर्ष की तुलना में कम था, क्योंकि जी0एस0डी0पी0 में वृद्धि दर 0.80 प्रतिशत से बढ़कर

15.04 प्रतिशत हो गई। हालाँकि, राजस्व प्राप्ति के साथ राजस्व व्यय का उत्पलावन अनुपात 0.59 प्रतिशत था जो राज्य के वित्त के लिए अच्छा संकेत नहीं था। हालाँकि, चालू वर्ष के दौरान, यह विगत वर्ष की तुलना में अच्छा संकेत दिखाता है।

✦ वर्ष 2021–22 के दौरान, राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्ति से उत्पलावकता एक से कम थी। इससे संकेत मिलता है कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय धीमी गति से बढ़ रहा है। हालाँकि, वर्ष 2020–21 में राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का उत्पलावन 3.37 था, जो विगत पाँच वर्षों के दौरान सबसे अधिक थी। वर्ष 2019–20 में, यह नकारात्मक हो गया, जो यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियों में नकारात्मक वृद्धि दिखाने के बावजूद राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। हालाँकि, वर्ष 2020–21 के दौरान, राजस्व उत्पलावन की अवधारणा वास्तविक राजकोषीय स्थिति को प्रतिविंबित नहीं कर सकती है। राजस्व प्राप्तियों में नकारात्मक वृद्धि ने राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के उत्पलावन अनुपात को नकारात्मक बना दिया। राजस्व व्यय का क्षेत्र–वार वितरण **चार्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



(स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय प्रमुख रूप से दो घटकों (प्रतिबद्ध व्यय 36 प्रतिशत और सहायता अनुदान 41 प्रतिशत) में किया गया था, जो वर्ष के दौरान कुल राजस्व व्यय का 77 प्रतिशत था।

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्त्तमान वर्ष और विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नताएँ **तालिका 2.19** में दी गई हैं।

तालिका 2.19: 2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशत वृद्धि / कमी
2029– भू राजस्व	636.45	756.52	120.07	18.87
2049– ब्याज भुगतान	12,484.03	13,821.93	1,337.90	10.72
2055– पुलिस	7,744.27	8,265.23	520.96	6.73
2059– लोक निर्माण	388.76	628.55	239.79	61.68
2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	1,231.24	1,338.45	107.21	8.71
2071– पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	19,635.15	20,257.58	622.43	3.17
2202– सामान्य शिक्षा	26,318.25	33,361.92	7,043.67	26.76
2203– तकनीकी शिक्षा	218.96	303.86	84.90	38.77
2215–जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,741.10	942.32	(-) 798.78	(-) 45.88
2245–प्राकृतिक आपदाओं के कारण दी गयी राहत	6,635.65	3,802.99	(-) 2,832.66	(-) 42.69
2406– वानिकी और वन्यजीवन	600.70	314.96	(-) 285.74	(-) 47.57
2415– कृषि अनुसंधान और शिक्षा	373.76	305.70	(-) 68.06	(-) 18.21
2702– लघु सिंचाई	841.16	188.92	(-) 652.24	(-) 77.54

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- विगत वर्ष की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत में कम व्यय किया गया क्योंकि मुख्य रूप से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता योजना के प्रबंधन और मुफ्त राहत, जल आपूर्ति और स्वच्छता (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत), वानिकी और वन्यजीव (मुख्य रूप से राज्य क्षतिपूर्ति, वन वृक्षारोपण और निर्देशन और प्रशासन के तहत), कृषि और अनुसंधान शिक्षा (मुख्य रूप से शिक्षा के तहत) और लघु सिंचाई (मुख्य रूप से ट्यूबवेल के तहत) के तहत कम व्यय किया गया।
- लोक कार्यों (मुख्य रूप से निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के तहत), तकनीकी शिक्षा (मुख्य रूप से अनुसंधान के तहत), सामान्य शिक्षा (मुख्य रूप से छात्रवृत्ति एवं निर्देशन और प्रशासन के तहत) और भूमि राजस्व (मुख्य रूप से प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य के तहत) में अधिक खर्च किया गया। इसके अलावा, ब्याज भुगतान, पुलिस, अन्य प्रशासनिक सेवा एवं पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी राज्य के राजस्व व्यय में वृद्धि के कुछ कारण थे।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय एवं पेंशन शामिल हैं। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन देती है। प्रतिबद्ध व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण **तालिका 2.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	17,731.41	19,922.57	20,375.92	21,802.11	23,524.52
पेंशन	14,293.48	16,027.75	17,110.38	19,635.15	20,257.58
ब्याज भुगतान	9,053.78	10,071.14	10,991.42	12,484.04	13,821.93
कुल	**41,078.67**	**46,021.46**	**48,477.72**	**53,921.30**	**57,604.03**
राजस्व प्राप्तियों (आर0आर0) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	15.10	15.12	16.40	17.01	14.81
पेंशन	12.17	12.16	13.77	15.32	12.76
ब्याज भुगतान	7.71	7.64	8.85	9.74	8.70
कुल	**34.98**	**34.92**	**39.02**	**42.07**	**36.28**
राजस्व व्यय (आर0ई0) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	17.28	15.95	16.17	15.63	14.77
पेंशन	13.93	12.83	13.58	14.08	12.72
ब्याज भुगतान	8.82	8.06	8.72	8.95	8.68
कुल	**40.03**	**36.85**	**38.47**	**38.66**	**36.18**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2017–18 में 40.03 प्रतिशत से 2021–22 में 36.18 प्रतिशत के बीच था, जो विगत पाँच वर्षों के दौरान सबसे कम था। राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात विगत वर्ष की तुलना में 2021–22 में घटकर 36.28 प्रतिशत रह गया।

वर्ष के दौरान, कुल प्रतिबद्ध व्यय विगत वर्ष की तुलना में ₹ 3,682.73 करोड़ (6.82 प्रतिशत) बढ़ गया। ब्याज भुगतान (8.70 प्रतिशत), बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2016, में निर्धारित राजस्व प्राप्ति के 7.79 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था, लेकिन ₹ 14,088 करोड़ के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान से कम था।

प्रतिबद्ध मदों पर व्यय 2017–18 में जी0एस0डी0पी0 का 8.76 प्रतिशत था और 2021–22 में घटकर 8.53 प्रतिशत हो गया। 2020–21 के दौरान, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय 9.18 प्रतिशत था जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान अधिक था।

बिहार सरकार के बजट दस्तावेज के अनुसार राज्य ने एक और घटक ''सार्वजनिक ऋण की अदायगी'' को प्रतिबद्ध व्यय के रूप में लिया है। सार्वजनिक ऋण की अदायगी पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत व्यय के घटकों में से एक है। लेकिन इस प्रतिवेदन में सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर कुल व्यय की गणना की गई है। इसलिए, प्रतिबद्ध व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

पूर्व में वेतन आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन से राज्य के पेंशन और वेतन भुगतान में वृद्धि हुई है, जिससे इसके राजस्व व्यय पर असर पड़ा। बी0एफ0आर0बी0एम0, 2021, में अनुमानित आगामी वर्षों के लिए नौ प्रतिशत की वृद्धि की आधार दर के साथ पेंशन भुगतान और पेंशन भुगतान देनदारियाँ 2029–30 तक ₹ 43,472.04 करोड़ तक बढ़ जाएगी। इसलिए पेंशन और वेतन का आकलन करते समय राज्य को राजस्व प्रवाह पर संभावित दबाव और सख्त राजकोषीय अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए।

राज्य ने एम0टी0एफ0पी0[14] के साथ प्रतिबद्ध व्यय को बनाए रखा है। प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए बजट के बड़े हिस्से का आवंटन, पूँजी परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं को तय करने के लिए राज्य के अवसर को सीमित करता है।

[14] एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्य– वेतन और मजदूरी– ₹ 27,236.51 करोड़, पेंशन– ₹ 21,817.15 करोड़ और ब्याज भुगतान– ₹ 14,517.41 करोड़।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की लंबित देयताएँ

1 सितंबर 2005 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अंतर्गत आते हैं, जो एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करता है और उतना ही योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार ने जुलाई 2019 से अपने योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। पूरी राशि (कर्मचारियों का योगदान और नियोक्ता का योगदान) को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित किया जाना है।

एन0पी0एस0 के लिए कुल योगदान 2021–22 की अवधि के लिए ₹ 2,245.59 करोड़ (कर्मचारियों का योगदानः ₹ 934.55 करोड़ और सरकार का योगदानः ₹ 1,311.04 करोड़) होना था, जिसके सापेक्ष ₹ 2,302.76 करोड़ की राशि एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित की गई थी। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹ 279.12 करोड़ (पिछली शेष राशि ₹ 338.96 करोड़ एवं ₹ 59.84 करोड़ का अंतर) का कम अंशदान किया गया।

31 मार्च 2022 तक, ₹ 279.12 करोड़ (₹ 338.96 करोड़ पिछला शेष एवं ₹ 59.84 करोड़ के अंतर का अधिक हस्तांतरण) अंतिम शेष राशि के रूप में लोक लेखे में पड़े थे, जिसे अभी तक एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक में जमा नहीं किया गया।

2.4.2.4 सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के वंचित वर्गों को सब्सिडी/सहायता प्रदान करना आम बात है। सब्सिडी न केवल स्पष्ट रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को सब्सिडी वाली सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करके दी जाती है। वित्तीय संस्थाओं को बजटीय सहायता, निवेश पर अपर्याप्त प्रतिफल और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से उपयोगकर्ता शुल्क की कम वसूली अंतर्निहित सब्सिडी की श्रेणी में आती है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 10,256.02 करोड़ रही, जो विगत वर्ष की तुलना में 25.57 प्रतिशत अधिक है और राजस्व प्राप्तियों का 6.46 प्रतिशत है। सब्सिडी पर व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण **तालिका 2.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.21: वर्ष 2017–22 के दौरान विभागवार सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

विभाग	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्क लाइन
कृषि	406.41	490.52	518.17	164.30	219.58	
ऊर्जा	3,491.66	5,737.03	5,193.00	6,759.96	8,180.82	
खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण	490.89	638.81	618.13	578.77	720.56	
उद्योग	401.59	322.00	316.78	234.47	787.07	
यातायात	0.00	962.77	177.17	122.57	89.01	
पशु और मत्स्य संसाधन	127.00	112.92	116.00	99.67	100.71	
अन्य	105.51	59.92	182.02	207.68	158.27	
सब्सिडी	**5,023.06**	**8,323.97**	**7,121.27**	**8,167.42**	**10,256.02**	
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.27	6.32	5.73	6.37	6.46	
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.89	6.66	5.65	5.85	6.44	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चला है कि 79.77 प्रतिशत सब्सिडी ऊर्जा क्षेत्र में दी गई और विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान सबसे अधिक थी। वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक ऊर्जा क्षेत्र के लिए सब्सिडी की राशि में 134.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रवृत्ति से यह भी पता चला है कि 2019–20 को छोड़कर विगत पाँच वर्षों के दौरान सब्सिडी की राशि में वृद्धि हुई। हालाँकि, ऊर्जा विभाग ने बिजली खरीद के लिए डिस्कॉम को सब्सिडी प्रदान की, लेकिन राज्य में डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति दयनीय थी **(कंडिका 2.4.3.5 एवं 5.6.1)**।

2.4.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा को **तालिका 2.22** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएँ	1,794.52	2,892.56	1,533.24	4,785.08	5,386.53
पंचायती राज संस्थान	7,572.94	7,517.61	9,971.64	12,899.38	13,268.40
कुल (अ)	9,367.46	10,410.17	11,504.88	17,684.46	18,654.93
(ब) अन्य					
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	4,683.27	1,905.37	3,925.89	3,716.00	3,684.25
विकास प्राधिकरण	1,786.76	5,860.77	5,839.49	999.15	1,693.64
अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य संस्थान	27,521.24	33,587.98	25,311.28	32,529.37	40,982.19
कुल (ब)	33,991.27	41,354.12	35,076.66	37,244.52	46,360.08
कुल (अ+ब)	43,358.73	51,764.29	46,581.54	54,928.98	65,015.01
राजस्व व्यय	1,02,623.73	1,24,896.81	1,26,016.66	1,39,493.45	1,59,219.71
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	42.25	41.45	36.96	39.38	40.83

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता में विगत वर्ष (₹ 54,928.98 करोड़) की तुलना में 18.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 'सात निश्चय' के कार्यान्वयन के कारण राजस्व व्यय में इसका प्रतिशत बढ़कर 40.83 प्रतिशत हो गया। स्थानीय निकायों को जारी वित्तीय सहायता समुचित उपयोग सुनिश्चित किये बिना सहायता जारी करना खराब वित्तीय प्रबंधन (**अध्याय–IV कंडिका संख्या 4.5 में विस्तृत**) का संकेत है।

छठे राज्य वित्त आयोग

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 I एवं 243 Y तथा बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 (बी0पी0आर0ए0 2006), की धारा 168 में राज्य में राज्य वित्त आयोग (एस0एफ0सी0) की परिकल्पना की गई है। छठे राज्य वित्त आयोग का गठन बिहार सरकार द्वारा फरवरी 2019 में किया गया था।

आयोग को संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार से राज्य के स्थानीय निकायों (एल0बी0) को राजकोषीय हस्तांतरण तैयार करना था। इसमें निम्नलिखित तीन व्यापक अभ्यास शामिल थे:

- राज्य के कर राजस्व के हस्तांतरण और राज्य की समेकित निधि से अनुदान के माध्यम से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि की सिफारिश करना।

- कुल राजकोषीय हस्तांतरण की राशि को पंचायती राज संस्थानों (पी0आर0आई0) और शहरी स्थानीय निकायों (यू0एल0बी0) के बीच विभाजित करना था।
- पंचायती राज संस्थाओं के हिस्से को इसके तीन स्तरों (जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों) के बीच विभाजित करना था और फिर प्रत्येक स्तर में अलग–अलग इकाइयों के बीच वितरित किया जाना था और यू0एल0बी0 का हिस्सा नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के बीच वितरित किया जाना था।

छठे वित्त आयोग (2020–25) ने 30.04.2021 को राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने आयोग की अनुशंसाओं को अगस्त 2021 में लागू किया। राज्य वित्त आयोग ने करों और अनुदानों के हस्तांतरण की न्यूनतम सीमा की सिफारिश की। यदि करों और अनुदानों के अंतरण का परिकलित मान न्यूनतम सीमा से कम हो जाता है, तो राज्य सरकार को कम से कम न्यूनतम सीमा राशि एल0बी0 को हस्तांतरित करनी होगी।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर, राज्य सरकार ने 2021–22 से 2024–25 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों के प्रावधान के लिए 65:35 का फार्मूला अपनाया। हालाँकि, 2021–22 के दौरान, कुल प्रावधान में से ₹ 3,751.74 करोड़ (हस्तांतरण– ₹ 1,898.69 करोड़ और अनुदान– ₹ 1,853.05 करोड़), ₹ 2,626.22 करोड़ (70 प्रतिशत) के प्रावधान में से पंचायती राज संस्थानों के लिए और ₹ 1,125.52 करोड़ (30 प्रतिशत) शहरी स्थानीय निकायों के लिए थे।

लेखापरीक्षा ने एल0बी0 को राजकोष का हस्तांतरण करने में निम्नलिखित पाया:

हस्तांतरण:

राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर 2021–22 से 2024–25 की अवधि के लिए विभाज्य पूल (विगत वर्ष का राज्य का निवल स्व कर राजस्व) के 10 प्रतिशत की दर से हस्तांतरण करना था। निधियों का हस्तांतरण नीचे दी गई **तालिका 2.23** में देखा जा सकता है।

तालिका 2.23: 2021–22 के लिए करों का विभाज्य पूल

(₹ करोड़ में)

	अनुमानित	वास्तविक (टी–1)
विगत वर्ष का राज्य का स्व कर राजस्व (अ)	22,540	30,341.67
संग्रह करने की लागत 2.52 प्रतिशत की दर से (ब)	568	764.61
निवल राज्य स्व कर राजस्व (अ–ब)	21,972	29,577.06
हस्तांतरण (एस0ओ0एन0टी0आर0 का 10 प्रतिशत)	2,197	2,957.70

(स्रोत: एस0एफ0सी0 प्रतिवेदन और संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुशंसित ₹ 2,957.70 करोड़ के मुकाबले केवल ₹ 1,898.69 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

अनुदान

आयोग ने 2021–25 की अवधि के दौरान वार्षिक अनुदान की राशि की गणना विगत वर्ष के निवल वास्तविक राजस्व (राज्य की संचित निधि) के 2.54 प्रतिशत की दर से करने की सिफारिश की। अनुदान का 50 प्रतिशत सीधे स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत उन योजनाओं में खर्च किया जाएगा जिनका उद्देश्य विभिन्न विभागों के तहत स्थानीय निकायों को

विकसित करना है। 2021–22 के दौरान, ₹ 3,255.47 करोड़ (₹ 1,28,168.34 करोड़ x 2.54 प्रतिशत) की अनुदान राशि का प्रावधान किया जाना था, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 2.24** में उल्लेखित है।

तालिका 2.24: 2021–22 के दौरान स्थानीय निकायों को अनुदान

(₹ करोड़ में)

अनुदान	एस0एफ0सी0 द्वारा अनुमानित राशि	राशि जिसका प्रावधान किया जाना था	प्रावधान
स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष (50 प्रतिशत)	1,906	1,627.74	926.52
विभागों द्वारा व्यय (50 प्रतिशत)	1,905	1,627.73	926.52
कुल	**3,811**	**3,255.47**	**1,853.04**

(स्रोत: एस0एफ0सी0 प्रतिवेदन और संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस0एफ0सी0 द्वारा अनुशंसित ₹ 3,255.47 करोड़ के मुकाबले केवल ₹ 1,853.04 करोड़ (56.92 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया था। हालाँकि, एस0एफ0सी0 ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 3,811 करोड़ का अनुमान लगाया था।

स्थानीय निकायों को निधियाँ जारी करने में विलंब: पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पंचायती राज/शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गई निधियाँ समय–सीमा के संदर्भ में अनियमित रही हैं। निधियाँ जारी करने में विलंब से स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का कार्यक्रम प्रभावित होता है और पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने विलंब की अवधि के लिए ब्याज भुगतान करना बताया है, यदि राज्य सरकार 10 कार्य दिवसों के भीतर एल0बी0 को वित्त आयोग अनुदान जारी करने में विफल रहती है। इसके अलावा, 2021–22 के दौरान, प्रत्येक मद के लिए भुगतान आदेश को 31 अगस्त 2021 तक एकल किस्त में जारी किए जाने चाहिए।

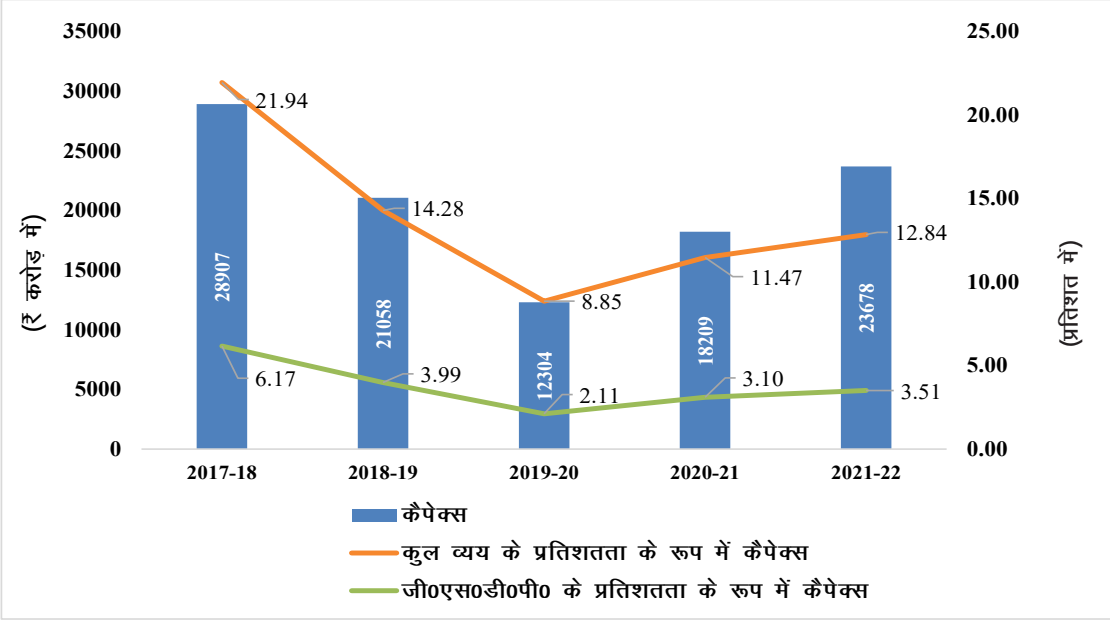
एल0बी0 को जारी मंजूरी आदेशों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि आयोग के दिशानिर्देशों के विरूद्ध, पारित आदेशों में 121 से 202 दिनों तक की देरी हुई।

वित्त विभाग से निधियों को कम और विलंबित रूप से जारी करने के कारण (नवंबर 2022) पूछे गए थे। हालाँकि, जवाब अभी तक अप्राप्त है।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी ढाँचे की परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय है। राज्य में पूँजीगत व्यय को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। कैपेक्स का प्रवृत्ति विश्लेषण **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: राज्य में पूँजीगत व्यय



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऊपर दिए गए चार्ट से, यह देखा जा सकता है कि:

- पूँजीगत व्यय बजट अनुमानों में राज्य सरकार द्वारा किए गए आकलन और एम0टी0एफ0पी0एस0 2021–22 में किए गए अनुमान (₹ 30,778 करोड़) की तुलना में 23.09 प्रतिशत कम था।
- विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि सामाजिक सेवाओं में पूँजीगत व्यय ₹ 6,331.52 करोड़ से घटकर ₹ 5,153.72 करोड़ हो गया। यह कमी मुख्य रूप से जल आपूर्ति और स्वच्छता में ₹ 2,669.77 करोड़ से थी। तथापि, सामान्य सेवाओं में यह ₹ 1,386.50 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,507.49 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण सार्वजनिक कार्यों में ₹ 951.10 करोड़, अन्य प्रशासनिक सेवाओं में ₹ 694.13 करोड़ और पुलिस में ₹ 466.41 करोड़ की वृद्धि से है। आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय ₹ 10,490.58 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,017.08 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में व्यय में ₹ 397.21 करोड़, विद्युत में ₹ 304.04 करोड़, सड़कों और पुलों में ₹ 848.84 करोड़ की वृद्धि थी, विगत वर्ष 2020–21 की तुलना में अन्य परिवहन सेवाओं में ₹ 1,007.58 करोड़ और वृहद सिंचाई में ₹ 1,012.58 करोड़ की वृद्धि हुई है।
- 2017–18 से 2019–20 के दौरान पूँजीगत व्यय और पूँजीगत प्राप्तियों के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति थी, जो समग्र आर्थिक मंदी का परिणाम था, लेकिन 2020–21 से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई और चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय और पूँजीगत प्राप्ति का अनुपात 58.50 प्रतिशत दर्ज किया गया।
- विगत पाँच वर्षों की अवधि के दौरान जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 6.17 प्रतिशत से घटकर 3.51 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, इसमें विगत वर्ष की तुलना में 0.81 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किए गए कुछ व्यय को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप पूँजीगत व्यय का उस सीमा तक अतिकथन हुआ **(कंडिका 2.4.3.6)**।

इसके अलावा, पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा राज्य के लोक लेखे में रखा गया है। विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के ***अध्याय IV के कंडिका 4.5*** में शामिल किया गया है।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के पूँजीगत व्यय के संबंध में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तनों को **तालिका 2.25** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: 2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/ कमी (-)	% वृद्धि (+)/ कमी (-)
4055– पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	143.34	609.75	466.41	325.39
4059– लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	576.96	1528.06	951.10	164.85
4070– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	655.36	1349.48	694.12	105.92
4202– शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	736.36	1,760.74	1,024.38	139.11
4210– चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	647.99	865.44	217.45	33.56
4700– वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,218.84	22,314.15	21,095.31	1,730.77
4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	736.96	1,108.97	372.01	50.48
4801– विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,125.96	1,430.00	304.04	27.00
5054– सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	3,203.58	4,052.42	848.84	26.50
5075– अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	50.00	1,057.59	1,007.59	2,015.17
4215– जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	4,645.73	1,975.96	(-) 2,669.77	(-) 57.47
4859– दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	115.50	63.00	(-) 52.50	(-) 45.45

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

भूमि अधिग्रहण, पुलिस भवनों के निर्माण और नवीकरण पर व्यय में वृद्धि के कारण पुलिस पर व्यय में वृद्धि हुई। लोक निर्माण पर व्यय में वृद्धि राज्य में प्रखंडों (ग्रामीण विकास विभाग) के भवन निर्माण, उप कोषागार भवनों के निर्माण, अनुसूचित जनजाति के भवनों, अनुसूचित जाति के भवनों पर किए गए व्यय के कारण हुई थी। भवन निर्माण और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए बिहार फायर ब्रिगेड सेवा में 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' पर खर्च में वृद्धि हुई। शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में वृद्धि मुख्य रूप से प्राथमिक विद्यालय भवनों और सरकारी हाई स्कूल के भवनों और मशीनों के आधुनिकीकरण सात–निश्चय –2 में की गई थी। वृहद सिंचाई में वृद्धि मुख्य रूप से सिंचाई सृजन परियोजनाओं (नाबार्ड सहायता प्राप्त कार्य) और सिंचाई सृजन परियोजनाओं (कार्यों) पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई थी। नागर विमानन व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से एयरोड्रम पर व्यय के कारण हुई थी। अन्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि मुख्य रूप से 'पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' में हुई।

विगत वर्ष की तुलना में 'जल आपूर्ति एवं स्वच्छता' के तहत कम व्यय किया गया जो मुख्य रूप से 'मुख्यमंत्री पेयजल निर्धारण योजना' और 'मुख्यमंत्री पेयजल नीति' पर था।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, वहाँ निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं होती है। इसी तरह, अनुभव से पता चलता है कि घाटे में चल रहे निगमों और अन्य निकायों जैसे चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते में डालने की अनिवार्यता है। ऐसे वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए। यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में पूँजीगत व्यय, जो घाटे में चल रहे हैं या जहाँ निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, धारणीय नहीं है।

निवेश पर प्रतिफल

एस0पी0एस0ई0 में निवेश की गई शेयर पूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। 2017–18 से 2021–22 तक के वर्षों के दौरान निवेश पर प्रतिफल का प्रवृत्ति विश्लेषण **तालिका 2.26** में दिया गया है।

तालिका 2.26: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	23,037.29	28,327.00	31,667.39	32,870.61	35,436.02
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	1.34	11.34	1.62	603.01	6.54
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.04	0.01	1.83	0.02
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.13	6.18	6.07	5.94	5.70
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	5.82	6.14	6.06	4.11	5.68
सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर (₹ करोड़ में)#	**1,340.77**	**1,739.28**	**1,919.04**	**1,350.98**	**2,012.77**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

*# वर्ष के अंत में निवेश * ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर*

- 31 मार्च 2022 तक, सरकार ने 46 सरकारी कंपनियों (₹ 33,309.57 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹ 105.63), एक ग्रामीण बैंक (₹ 30.19 करोड़), 12 संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹ 1,362.76 करोड़), और 17 सहकारी संस्थानों/समितियों (₹ 627.88 करोड़) में ₹ 35,436.02 करोड़ का निवेश किया था। इन 46 सरकारी कंपनियों में से 25 कंपनियाँ कायशील कंपनियाँ हैं जिनमें ₹ 33,165.84 करोड़ का निवेश किया गया और 21 अकार्यशील कंपनियाँ थीं, जिनमें बिहार सरकार द्वारा ₹ 143.73 करोड़ का निवेश किया गया।
- राज्य ने विद्युत क्षेत्र में ₹ 30,866.87 करोड़ (बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में ₹ 30,764.85 करोड़ और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 102.02 करोड़) का निवेश किया है, जो 2021–22 तक राज्य सरकार के कुल निवेश का 87.11 प्रतिशत और कार्यशील कंपनियों में किए गए निवेश का 93.07 प्रतिशत है।
- 2021–22 के दौरान बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 192.33 करोड़), बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (₹ 273 करोड़) द्वारा कम लाभांश जारी करने के कारण आर0ओ0आई0 में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 596.47 करोड़ की कमी आई।

- सरकार की उधारी लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण विभिन्न संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल (विगत पाँच वर्षों में सबसे अधिक) पर राज्य सरकार को ₹ 2,012.77 करोड़ की काल्पनिक हानि हुई।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2021–22 तक घाटे में चल रहे दो एस0पी0एस0ई0 को अंश पूँजी के रूप में ₹ 32,829.44 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी, जैसा कि **तालिका 2.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: घाटे में चल रही कंपनियों में किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	कंपनी/निगम	संचित हानि	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च 2021 को संचित निवेश	31 मार्च 2022 को संचित निवेश
1.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	9.73	70.20	564.39	634.59
2.	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	19,721.29	1,430.00	30,764.85	32,194.85
कुल		**19,731.02**	**1,500.20**	**31,329.24**	**32,829.44**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे)

इसके अलावा, ₹ 2,557.78 करोड़ जो वास्तव में तीन एस0पी0एस0ई0 में निवेश किये गये थे, को वर्ष 2021–22 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि **तालिका 2.28** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.28: पूँजीगत व्यय मे वर्गीकृत किए गए निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	कंपनी/निगम	पूँजीगत व्यय का मुख्य शीर्ष	राशि
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	5465	70.20
2	पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	5075	1,057.58
3	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	4801	1,430.00
कुल			**2,557.78**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे)

तदनुसार, इस वर्ष के दौरान प्रभावी पूँजीगत व्यय ₹ 21,120 करोड़ (₹ 23,678 करोड़ – ₹ 2,558 करोड़) था।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक एस0पी0एस0ई0 के लिए कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी। वित्त लेखे के अनुसार, पाँच[15] कंपनियों/सहकारी समितियों ने 2021–22 के दौरान ₹ 6.54 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया। इसके अलावा दो कंपनियों (बी0एम0एस0आई0सी0एल0 और अन्य सहकारी समितियों) के तहत ₹ 0.29 करोड़ को विनिवेश के रूप में दिखाया गया।

ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, सरकार ने इनमें से कई संस्थानों और संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किया है। विवरण **तालिका 2.29** में दिया गया है।

[15] बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0–₹ 1.05 करोड़, बिहार राज्य सड़क विकास निगम लि0–₹ 5.00 करोड़, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0–₹ 0.0011 करोड़, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि0–₹ 0.01 करोड़, तथा अन्य सहकारी समितियाँ ₹ 0.48 करोड़।

तालिका 2.29: पाँच वर्षों के दौरान वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
लंबित ऋणों का प्रारंभिक शेष	20,948.29	21,169.17	20,814.33	21,450.23	21,743.77
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	242.78	1,470.56	666.30	1,113.97	1,478.51
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	21.89	1825.40	30.40	820.43	27.92
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	21,169.18	20,814.33	21,450.23	21,743.77	23,194.36
निवल योग	220.89	(-) 354.84	635.90	293.54	1,450.59
प्राप्त ब्याज	777.41	462.86	599.74	3,067.38	532.78
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	पता नहीं लगाया जा सकता				
सरकार की बकाया उधारियों पर चुकाई गई ब्याज दर	5.77	5.96	5.68	5.49	5.37
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	पता नहीं लगाया जा सकता				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- वित्त लेखे के अनुसार, 2021–22 के दौरान, दिए गए ऋणों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज ₹ 532.78 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2,534.60 करोड़ कम था।
- राज्य सरकार द्वारा संवितरित कुल ऋण एवं अग्रिम (₹ 23,194.36 करोड़) में से ₹ 21,090.74 करोड़ की राशि सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों को दी गई थी।
- वर्ष के दौरान ऋणी समूह को ₹ 1,279.73 करोड़ (सरकारी कंपनियाँ: ₹ 759.28 करोड़ और सांविधिक निगम: ₹ 520.45 करोड़) के ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण के बावजूद, ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं किया गया और वे वर्ष के दौरान दिये गये अग्रिमों का 86.56 प्रतिशत हैं।
- प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम 2017–18 में ₹ 242.78 करोड़ से छह गुना बढ़कर 2021–22 में ₹ 1,478.51 करोड़ हो गया।

अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि कई मामलों में राज्य सरकार ने ऋणी को प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर को अंतिम रूप नहीं दिया था और कुछ मामलों में ऋण राशि के साथ ब्याज की दर का खुलासा नहीं किया गया। इसलिए, लेखापरीक्षा के लिए सरकार द्वारा ऋणी से वसूले जाने वाले ब्याज की दर का निर्धारण करना कठिन होता है। विगत पाँच वर्षों के दौरान ऋणी समूहवार कुल संवितरण और ऋण का पुनर्भुगतान को **तालिका 2.30** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30: विगत पाँच वर्षों (2017–18 से 2021–22) के दौरान ऋणी समूहवार कुल संवितरण और ऋण का पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

ऋण लेने वाला समूह	कुल	
	संवितरण	पुनर्भुगतान
विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान	0.00	0.00
नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम	0.00	0.00
आवास बोर्ड	0.00	0.00
सरकारी कंपनियाँ	3,122.11	330.26
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	1,111.17	1,416.38
पंचायती राज संस्थाएं	0.00	0.00
सांविधिक निगम	615.85	880.86
सरकारी कर्मचारी	116.99	92.92
विविध उद्देश्यों के लिए ऋण	0.00	0.00
अन्य	0.00	5.62
कुल	**4,972.12**	**2,726.02**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ऋण सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों/सहकारी निगमों बैंकों, सांविधिक निगमों और सरकारी कर्मचारियों को दिए गए थे। ऋण के पुनर्भुगतान की गति सांविधिक निगमों के अधीन संवितरण की गति से अधिक थी। तथापि, सरकारी कंपनियों के मामले में, विगत पाँच वर्षों के दौरान संवितरित 62.79 प्रतिशत ऋण में से विगत पाँच वर्षों के दौरान केवल 10.58 प्रतिशत ऋण का ही पुनर्भुगतान किया गया था। सरकार ने 2018–19 को छोड़कर पुराने कर्ज की वसूली सुनिश्चित किए बिना सरकारी कंपनियों को कर्ज दिया है। इस प्रकार, लाभार्थी से ऋण की वसूली नहीं होने से राज्य सरकार के धन की रुकावट होती है। 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान वितरित ₹ 4,972.12 करोड़ के ऋण की तुलना में केवल ₹ 2,726.04 करोड़ की वसूली की गई।

2.4.3.3 निष्क्रिय ऋण लेखा

निम्नलिखित प्रमुख मदों के तहत, विगत वर्षों के दौरान विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वितरित (₹ 50 करोड़ और उससे अधिक) ₹ 1,973.63 करोड़ की राशि के ऋणों की बकाया शेष राशि निष्क्रिय रही थी, यानी विगत सात वर्षों (2015–16 से 2021–22) के लिए न तो मूलधन और न ही कोई ब्याज का भुगतान किया गया था।

तालिका 2.31: निष्क्रिय ऋण लेखे

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लेखा शीर्ष	2015-22
6215	जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण	70.04
6216	आवास के लिए ऋण	136.73
6217	शहरी विकास के लिए ऋण	260.47
6408	खाद्य भंडारण और भंडारण के लिए ऋण	1,448.75
6515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण	57.64
कुल		**1,973.63**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इन बकाया ऋणों की उचित स्तर पर समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो वसूली अथवा बट्टे खाते में डाले जाने के लिए कदम उठाए जाएँ। उपर्युक्त के अलावा, चार मुख्य शीर्ष के तहत बकाया राशि में केवल मामूली परिवर्तन के साथ कुछ अन्य बकाया ऋण भी देखे गए और पर्याप्त राशि अभी भी निष्क्रिय थी। ऐसे मुख्य शीर्षों के साथ–साथ उनके तहत बकाया ऋण राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका: 2.32 बकाया राशि में मामूली परिवर्तन वाले ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष[16]	वित्तीय वर्ष						
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
6401	289.52	289.52	289.64	289.64	289.64	289.63	389.24
6801	15,445.86	15,520.91	15,745.26	15,571.40	15,622.97	15,865.97	15,943.10
6860	468.78	469.88	469.88	469.88	469.88	469.88	474.13
6885	314.08	314.08	314.07	314.06	314.05	314.05	334.05

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सात वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों में पर्याप्त राशि बरकरार रही।

इसके अलावा, विभिन्न ऋण शीर्षों के अंतर्गत ₹ 590.87 करोड़ की राशि को ऋणात्मक शेष के रूप में देखा गया, जिसके लिए मिलान की आवश्यकता है ***(परिशिष्ट–2.2)***। इन शेष राशियों को वर्ष 2001–02 से आगे बढ़ाया जा रहा था। ऋणों के इस नकारात्मक संतुलन की उचित स्तर पर समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो इस शेष राशि को बट्टे खाते में डालने/समाशोधन करने के लिए कदम उठाए जाएँ। वार्षिक लेखे 2021–22 (19.10.2022) को अंतिम रूप देने पर एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग के सचिव (संसाधन), बिहार सरकार, ने जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

2.4.3.4 अधूरी परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी

अधूरी पूँजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी के रुझानों का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अधूरी परियोजनाओं/कार्यों में निधियों को अवरुद्ध करना व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक परियोजनाओं के इच्छित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि, ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अधूरी परियोजनाओं का विवरण **तालिका 2.33** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.33: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

31 मार्च 2022 तक अपूर्ण परियोजनाओं की वर्षवार रूपरेखा (₹ करोड़ में)			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
2011-12	380	3,395.35	1,579.46
2012-13	298	3,829.75	1,487.57
2013-14	227	3,129.86	1,273.67
2014-15	211	3,404.88	1,300.78
2015-16	144	1,728.18	731.56
2016-17	130	2,269.08	1,521.31
2017-18	127	1,819.64	892.21
2018-19	68	790.99	315.11
2019-20	143	3,396.64	1,000.95
2020-21	157	3,670.54	1653.64
2021-22	146	5,004.48	889.57

31 मार्च 2022 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग–वार रूपरेखा (₹ करोड़ में)			
विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
जल संसाधन विभाग	27	692.94	76.69
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	17	797.64	136.87
भवन निर्माण विभाग	27	1,541.28	297.99
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	4	6.64	2.57
सड़क निर्माण विभाग	61	1,949.75	374.21
ग्रामीण कार्य	10	16.23	1.24
कुल	**146**	**5,004.48**	**889.57**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[16] 6401– कृषि कर्म के लिए ऋण, 6801–विद्युत परियोजना के लिए ऋण, 6860– उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण, 6885– उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य ऋण।

2021–22 तक, 146 चालू परियोजनाओं की ₹ 5,004.48 करोड़ की अनुमानित लागत में से केवल ₹ 889.57 करोड़ खर्च किए गए और एक परियोजना[17] के लिए लागत को संशोधित किया गया, चूँकि ₹ 5,003.07 करोड़ की अनुमानित लागत वाली शेष 145 परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए उनकी संशोधित लागत वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं की गई थी और इसलिए उनका पता नहीं लगाया जा सकता था।

कुछ अधूरी परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ से अधिक), जो 2021–22 के दौरान पूरी होने वाली थीं, का विवरण **तालिका 2.34** में विस्तृत है।

तालिका 2.34: 2021–22 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं (लागत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	योजना/परियोजना का नाम (जिसकी अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक है)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	अनुमानित लागत	2021–22 के दौरान व्यय	31 मार्च 2022 तक व्यय	लंबित भुगतान
1	पटना में गर्दनीबाग आवास विकास के तहत ऑफिसर एन्क्लेव में 752 इकाइयों का निर्माण	2022	443.62	84.57	143.57	*
2	(ख) पटना में विधायक आवास एम.एल.ए. परिसर	2022	258.91	15.67	103.28	*
3	बीएसईबी परीक्षा परिसर, कुम्हरार, पटना का निर्माण।	2022	227.31	25.00	25.00	*
4	बागमती विस्तार योजना बी.एल.ई. के 81.94 किमी से 88.72 किमी तक और बी.आर.ई के 79.00 किमी से 91.41 किमी तक और कांता पिरोछा रिंग बांध, सीतामढ़ी का निर्माण	2021-22	180.79	0.00	11.98	*
5	वर्ष 2018–19 गुलजारबाग, पटना के लिए 0.00 किमी से 16.30 में सादिकपुर–पाभेरा– मसौढ़ी रोड (एसएच–1) का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (चार लेन)	2022	166.21	31.77	120.58	*
6	पटना संग्रहालय का उन्नयन और विस्तार (सिविल+संरक्षण+एमईपी) पटना संग्रहालय का प्रदर्शनी डिजाइन कार्य	2022	158.00	9.30	24.30	*
7	वर्ष 2017–18 किशनगंज के लिए नाबार्ड के आरआईडीएफ XXXIII के तहत डीबी–50 रहमतपारा से सोंथा, चोपड़ा बुखारी बिशनपुर चौनपुर असुरा हल्दीखोरा, ह्वाछपुर, मजकुरी चरघरिया शीतलपुर, पुका रोड तक सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	2021-22	149.37	27.00	92.85	*

[17] आरा सदर प्रखंड में पूर्वी गंगा में बाएँ तटबंध के कठिन इलाके में कटाव रोधी कार्य के लागत को ₹ 1.41 करोड़ से ₹ 0.78 करोड़ किया गया।

क्रम सं0	योजना/परियोजना का नाम (जिसकी अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक है)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	अनुमानित लागत	2021–22 के दौरान व्यय	31 मार्च 2022 तक व्यय	लंबित भुगतान
8	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	2021-22	146.89	36.41	93.47	*
9	डुमरी से हरकतवा/रूपुआलिया तक सड़क प्रभाग बेतिया के अंतर्गत भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना का निर्माण सीएच – 26.50–54.90	2022	119.79	12.50	28.28	94.50
10	भंगाहा से धूताहा नदी तक सड़क प्रभाग बेतिया के अंतर्गत भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना का निर्माण सीएच–81.900–112.898 बेतिया	2022	116.09	11.63	28.11	87.98
11	रुपुआलिया से भंगहा तक सड़क डिवीजन बेतिया के तहत भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना का निर्माण–01 सीएच– 54.950–81.900 बेतिया	2022	111.20	8.89	34.05	77.15
12	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	2021-22	110.51	19.46	65.07	*
13	मदनपुर से शिवराह/डुमरी सीएच–0.00–26.50 बेतिया तक सड़क डिवीजन बेतिया के तहत भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना का निर्माण	2022	101.61	8.92	10.23	91.39
कुल			**2,290.30**	**291.12**	**780.77**	**351.02**

(स्रोतः वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे)

** वित्त लेखे में आँकड़ें उपलब्ध नहीं है।*

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, ₹ 2,290.30 करोड़ की अनुमानित लागत का केवल 34.09 प्रतिशत उन परियोजनाओं पर खर्च किया गया, जिन्हें 2021–22 तक पूरा किया जाना था। परियोजनाओं को ससमय पूरा न किए जाने के कारणों की सूचना संबंधित विभागों द्वारा नहीं दी गई थी। वित्त लेखा के परिशिष्ट–IX में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 91 परियोजनाओं के मामले में, जिन्हें 2021–22 तक पूरा किया जाना था, ₹ 554.26 करोड़ की राशि भुगतान के लिए देय थी ***(परिशिष्ट 2.3)***।

संवेदकों के विपत्रों का भुगतान को स्थगित करना अथवा रोकना, सरकार के लिए देनदारियाँ पैदा करता है और लेखा की अपूर्णता और अपारदर्शिता को दिखाता है। चूँकि परियोजनाएँ अधूरी रहीं, इसलिए ऐसी परियोजनाओं के इच्छित लाभ बड़े पैमाने पर जनता तक नहीं पहुँचाए जा सके। इसके अतिरिक्त, इससे परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होती है। इन सभी परियोजनाओं को बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि समय लंघन के कारण लागत बढ़ने से बचा जा सके।

2.4.3.5 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का कार्यान्वयन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) (नवंबर 2015) शुरू की।

राज्य डिस्कॉम की परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय (जी0ओ0आई0), राज्य सरकार और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के बीच (फरवरी, 2016) त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) निष्पादित किया गया। इस योजना ने राज्य सरकारों को दो वर्षों की अवधि में डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत अपने अधिकार में लेने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम के बकाया ऋण को अंश पूँजी, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के रूप में लिया गया था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिए गए ऋण को अगले तीन वर्षों में अनुदान और इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋण, अंश पूँजी और सब्सिडी में बदलना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को **तालिका 2.35** में उल्लिखित डिस्कॉम की हानियों, यदि कोई हों, को श्रेणीबद्ध तरीके से अपने अधिकार में करना होगा।

तालिका 2.35: राज्य द्वारा हानि का अधिग्रहण

वर्ष	2015-16	2016-17
राज्य द्वारा वहन की जाने वाली हानि	2015–16 के हानि का 50 प्रतिशत	2016–17 के हानि का 25 प्रतिशत

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इस योजना के तहत, राज्य को 30 सितंबर 2015 तक डिस्कॉम के ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) का 75 प्रतिशत गैर–सांविधिक तरलता अनुपात बॉंड जारी करके और अनुदान, ऋण और अंश पूँजी के रूप में डिस्कॉम को आय हस्तांतरित करना था। पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार की देयता ₹ 2,331.78 करोड़ थी, जैसा कि **तालिका 2.36** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.36: उदय के अंतर्गत अंश पूँजी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंश पूँजी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015–16	-	-	1,369.89	1,369.89
2016–17	-	-	961.89	961.89
कुल			**2,331.78**	**2,331.78**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2021–22 के लिए डिस्कॉम के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे और इसलिए नियोजित पूँजी की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के अंतिम लेखे के अनुसार, दोनों डिस्कॉम पर कुल ₹ 7,359.38 करोड़ का ऋण बकाया था (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0): ₹ 4,156.73 करोड़ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0): ₹ 3,202.65 करोड़)। राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बॉंड पर 2021–22 में ₹ 155.45 करोड़ का मूलधन चुकाया और ₹ 191.36 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

राज्य सरकार द्वारा सभी टैरिफ सब्सिडी और ऋण दायित्वों को पूरा करने के बावजूद, डिस्कॉम को अभी भी वर्ष 2020–21 के लिए ₹ 1,942.01 करोड़ (एस0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 1,140.50 करोड़ और एन0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 801.51 करोड़) का परिचालन घाटा हुआ है। चूँकि वर्ष 2021–22 के लिए लेखा की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए 2021–22 के परिचालन नुकसान को ध्यान में नहीं रखा गया। इस संदर्भ में, विगत पाँच वर्षों के लिए दोनों डिस्कॉम की परिचालन दक्षता और वित्तीय दक्षता की स्थिति को **तालिका 2.37** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: दोनों डिस्कॉम की परिचालन दक्षता और वित्तीय दक्षता

(प्रतिशत में)

वर्ष	परिचालन दक्षता		वित्तीय दक्षता	
	एस0बी0पी0डी0सी0एल0	एन0बी0पी0डी0 सी0एल0	एस0बी0पी0डी0 सी0एल0	एन0बी0पी0डी0 सी0एल0
2017-18	65.20	79.62	100	92.24
2018-19	67.71	76.08	99.53	99.38
2019-20	72.11	79.54	79.24	93.87
2020-21	73.81	77.97	85.33	94.65
2021-22	कंपनी द्वारा डेटा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है/उपलब्ध नहीं कराया गया है			

(स्रोत: डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

त्रिपक्षीय समझौते के खंड 1.3 (सी) में कहा गया है कि सभी डिस्कॉम को वित्त वर्ष 2019–20 तक सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए0 टी0 एंड सी0) नुकसान को 15 प्रतिशत तक कम करना होगा। नीचे दी गई **तालिका 2.38** में विगत पाँच वर्षों के दौरान डिस्कॉम के ए0 टी0 एंड सी0 घाटे की लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि को दिखाया गया है:

तालिका 2.38: डिस्कॉम के ए0 टी0 एंड सी0 नुकसान की उपलब्धि के साथ लक्ष्य

(प्रतिशत में)

वर्ष	एस0बी0पी0डी0सी0एल0		एन0बी0पी0डी0सी0एल0	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2017-18	30	34.80	28	26.56
2018-19	22	32.61	20	24.39
2019-20	15	42.86	15	25.33
2020-21	15	37.02	15	26.21
2021-22	15	प्रक्रियाधीन	15	प्रक्रियाधीन

(स्रोत: डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

यद्यपि एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ने केवल 2017–18 में लक्ष्य हासिल किया था, लेकिन ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के बावजूद, वर्ष 2018–19 से नुकसान बढ़ रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान, ए0 टी0 एंड सी0 नुकसान 15 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 26.21 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान औसत ए0 टी0 एंड सी0 नुकसान लगभग 25.62 प्रतिशत था। इसके अलावा, एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले में 2017–18 से 2020–21 की अवधि के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था और औसत ए0 टी0 एंड सी0 हानि लगभग 36.82 प्रतिशत थी, यानी ऊपर उल्लिखित किसी भी वर्ष में लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे।

2.4.3.6 राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में या इसके विपरीत गलत वर्गीकरण

पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से स्थायी प्रकृति की यथार्थपूर्ण संपत्तियों के निर्माण/ अर्जन/वृद्धि करने या स्थायी उत्तरदायित्व को कम करने के उद्देश्य से किया गया व्यय है। स्थापना एवं प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए और अपनी संपत्ति के रखरखाव के लिए किए गए अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2021–22 के दौरान, स्थापना एवं प्रशासनिक शीर्षों पर ₹ 3.65 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजस्व व्यय को कम बताया गया। वित्तीय विवरणों की सत्यता पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएँ

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न वित्तीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के तहत कुल व्यय के लिए व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण **तालिका 2.39** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.39: 2021–22 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	टी0ई0/ जी0एस0डी0पी0	सी0ई0/ टी0ई0	शिक्षा/टी0ई0	स्वास्थ्य/ टी0ई0
अखिल भारतीय औसत (2015–16)	17.43	18.72	15.18	4.31
राज्य	29.12	22.15	17.13	3.22
अखिल भारतीय औसत (2021–22)	16.51	14.70	14.36	5.64
राज्य	27.30	13.64	18.12	5.77

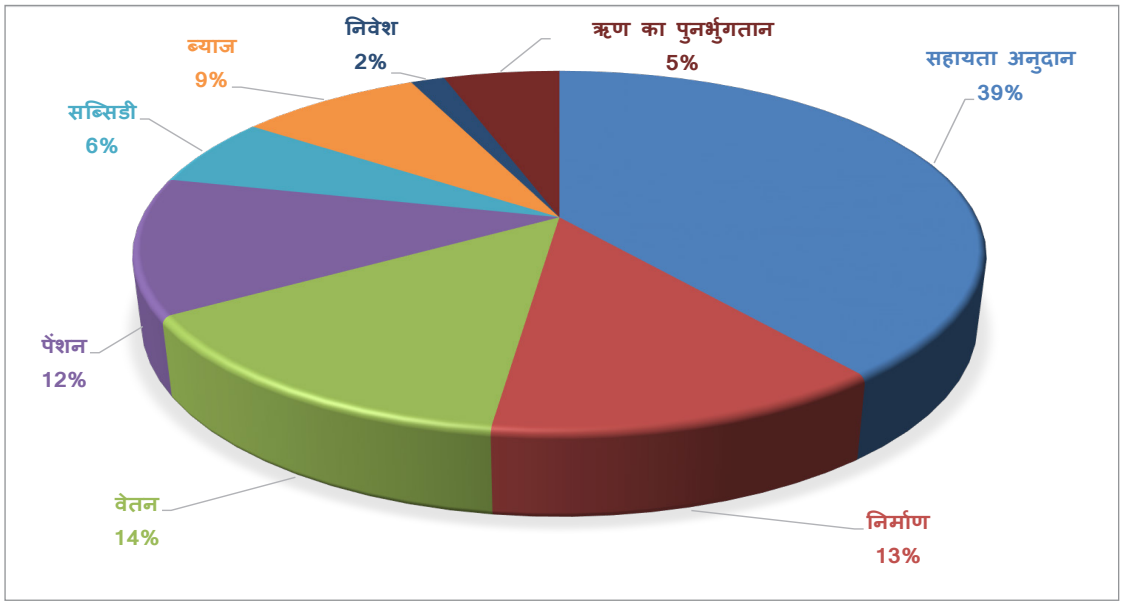
(स्रोत: आर्थिक सलाहकार एवं वित्त लेखे)

शिक्षा/स्वास्थ्य के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता 2021–22 के दौरान अखिल भारतीय औसत से अधिक थी, जो क्षमता निर्माण के लिए राज्य के लिए अच्छा संकेत है।

2.4.5 वस्तु शीर्षवार व्यय

वस्तु शीर्षवार व्यय को नीचे दिए गए **चार्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: वस्तु शीर्षवार व्यय



(स्रोत: 2021–22 के वित्त लेखे)

- प्रतिबद्ध व्यय[18] (राजस्व व्यय का 36.18 प्रतिशत) के लिए बजट का एक बड़ा अनुपात आवंटित किया गया है जो अन्य विकासात्मक व्यय प्राथमिकताओं जैसे कि निवेश, निर्माण आदि को बढ़ाने के लचीलेपन को सीमित करता है। हालाँकि, चालू वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध व्यय ने विगत वर्ष (38.66 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व व्यय का कम अनुपात दर्ज किया।
- इसके अतिरिक्त, विगत वर्ष की तुलना में वेतन पर व्यय 7.70 प्रतिशत अधिक था, जो जी0एस0डी0पी0 का 3.48 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 14.77 प्रतिशत था। पेंशन पर व्यय विगत वर्ष की तुलना में 3.17 प्रतिशत अधिक था, जी0एस0डी0पी0 का 3.00 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 12.72 प्रतिशत था। ब्याज भुगतान पर व्यय विगत वर्ष की तुलना में 10.72 प्रतिशत अधिक था, जी0एस0डी0पी0 का 2.05 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 8.68 प्रतिशत था।

इससे पता चलता है कि प्रतिबद्ध व्यय के प्रमुख घटक वर्ष–दर–वर्ष बढ़ रहे हैं। 2021–22 के दौरान, प्रतिबद्ध देनदारियों पर व्यय कुल व्यय का 31.24 प्रतिशत था, जबकि पूँजीगत व्यय कुल व्यय का केवल 12.84 प्रतिशत था, जो कि राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियों और संवितरण के संबंध में कुछ लेन–देन जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर की तरह काम करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद की शेष राशि सरकार के पास विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग के लिए उपलब्ध निधि होती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक–वार निवल शेष **तालिका 2.40** में दिया गया है।

तालिका 2.40: 31 मार्च 2022 तक लोक लेखे में घटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप–क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आई.– लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	(-) 80.24	277.79	190.40	166.29	76.28
जे.– आरक्षित निधि	(अ) ब्याज वाली आरक्षित निधि	(-) 696.39	0.01	522.95	378.12	140.42
	(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधि	0.00	0.00	0.00	(-) 26.32	0.00
के.– जमा और अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	(-) 1.62	60.25	202.65	(-) 75.05	(-) 57.17
	(ब) ब्याज रहित जमा	10,317.65	368.13	1509.34	4,336.01	(-)1,543.24
	(स) अग्रिम	(-) 1.72	(-) 96.85	0.00	0.00	0.00
एल.– उचंत और विविध	(अ) उचंत	579.80	(-) 345.13	(-) 5773.58	(-) 4,879.88	(-) 238.38
	(ब) अन्य लेखे	(-) 4,393.75	2,138.36	(-) 2735.55	(-) 191.23	(-) 4,148.08
	(स) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये लेखे	0	(-) 0.01	(-) 0.01	(-) 0.01	(-) 0.01
	(द) विविध	-	-	-	-	-

[18] 2021–22 के दौरान वेतन और मजदूरी– ₹ 23,524.52 करोड़, पेंशन– ₹ 20,257.58 करोड़ एवं ब्याज भुगतान– ₹ 13,821.93 करोड़।

क्षेत्र	उप–क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एम.– प्रेषण	(अ) धनादेश, और अन्य प्रेषण	(-) 2.76	76.05	(-) 2.44	4.37	(-) 7.53
	(ब) अंतर्सरकारी समायोजन लेखे	0	0	(-) 794.07	794.07	0.00
कुल		**(-) 892.70**	**5,720.97**	**2,478.60**	**506.37**	**(-) 5,777.71**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
नोट: (+ve) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है और (-ve) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है।

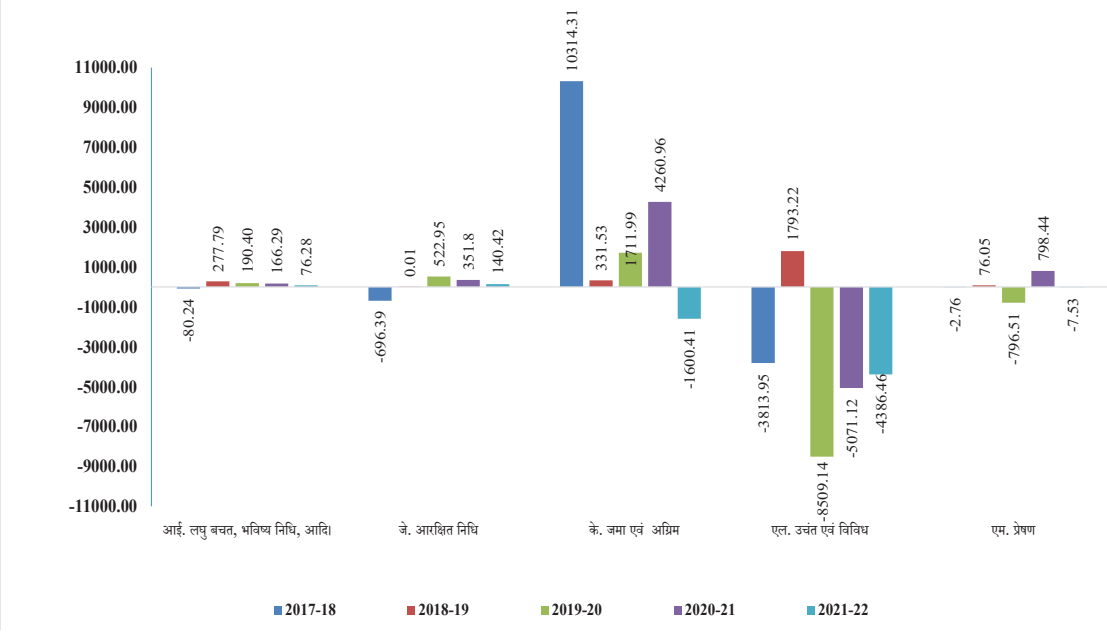
उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021–22 के दौरान, ₹ (–) 5,777.71 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियों ने राज्य के कुल संसाधनों में अंशदान दिया। निवल लोक लेखा भुगतान का प्रमुख स्रोत उचंत और विविध के तहत उचंत एवं अन्य लेखे (₹ (–) 4,386.47 करोड़) थे।

उचंत लेखे (सिविल) में विशेष रूप से दर्शाए गए उचंत और विविध निधियों के अंतर्गत ऋणात्मक शेषों के कारण लोक लेखे का बकाया रोकड़ शेष बढ़ गया है। अभिश्रवो की अनुपलब्धता के कारण नकारात्मक आँकड़ों को व्यय या प्राप्तियों के अंतिम शीर्ष में नहीं ले जाया जा सका।

2021–22 के दौरान, राज्य सरकार को ब्याज सहित आरक्षित निधियों के तहत सी0ए0एम0पी0ए0 निधि में क्रेडिट के लिए ₹ 523.07 करोड़ प्राप्त हुए। सरकार को वर्ष के दौरान राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से ₹ 43.64 करोड़ (विगत वर्ष में प्राप्त ₹ 0.12 करोड़ सहित) प्राप्त हुए। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में कुल शेष राशि ₹ 566.71 करोड़ थी। राज्य सरकार ने इस निधि में से कोई व्यय नहीं किया। लोक लेखा शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तनों को **चार्ट 2.13** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.13: लोक लेखा शेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति राज्य की संचित निधि से अंशदान या अनुदान से की जाती है।

वित्त लेखे के अनुसार, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य सरकार के पास नौ सक्रिय आरक्षित निधियाँ (तीन ब्याज वाली और छह गैर–ब्याज वाली) थीं। 31 मार्च 2022 के अंत तक ब्याज वाली आरक्षित निधि के तहत कुल संचित शेष राशि ₹ 1,041.49 करोड़ थी और गैर–ब्याज वाली आरक्षित निधि के तहत कोई शेष राशि नहीं देखी गई।

2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि (सी0एस0एफ0)

बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष आदि पर देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए, और इन निधियों का उपयोग सिवाय ऋणों के मोचन के किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक (आर0बी0आई0) के दिशा–निर्देश, जो निधि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं, इस निधि के लिए वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, संपूर्ण निधि का निवेश आर0बी0आई0 द्वारा किया जाता है और निवेश का विवरण वित्त लेखे की विवरणी–22 में दिया गया है।

राज्य सरकार ने 2008–09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की थी, जो केवल बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए थी और 2014–15 से इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए किया जाना था। हालाँकि, इसकी स्थापना के बाद से इसका उपयोग नहीं किया गया है। 31 मार्च 2022 को निधि का अंतिम शेष ₹ 6,483.43 करोड़ था, जिसमें 31 मार्च 2022 को अर्जित ब्याज ₹ 743.31 करोड़ था। कोविड–19 महामारी के कारण, राज्य सरकार (अधिसूचना संख्या डब्लू0एम0– 112/2016–845 दिनांक: 16.12.2020 के माध्यम से) ने 2021–22 के दौरान समेकित निक्षेप निधि में योगदान नहीं करने का निर्णय लिया। वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 1,135.97 करोड़ का गैर–योगदान जो उस सीमा तक राजस्व और राजकोषीय घाटे प्रभावित करता है।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार (जी0ओ0आई0) ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0) से बदल दिया। निधि के दिशा–निर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को एक निश्चित अनुपात में निधि में योगदान करना होता है। योगदान को लोक लेखा में मुख्य शीर्ष–8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान व्यय का संचालन मुख्य शीर्ष–2245 द्वारा किया जाता है।

आर0बी0आई0 के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशा–निर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एस0डी0आर0एफ0 को राज्य सरकारों द्वारा ब्याज भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एस0डी0आर0एफ0 के निवेश पर अर्जित आय के साथ एस0डी0आर0एफ0 में वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए ट्रेजरी बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जक जमा में निवेश किया जाना है।

एस0डी0आर0एफ0 का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में खर्च को पूरा करने के लिए किया जाना है और आपदा तैयारी, बहाली, पुनर्निर्माण और शमन के प्रावधान को एस0डी0आर0एफ0 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधियों आदि से किया जाना चाहिए।

वर्ष 2021–22 के दौरान, केंद्र सरकार ने एस0डी0आर0एफ0 में ₹ 1,132.80 करोड़ और राज्य सरकार ने ₹ 377.60 करोड़ का योगदान दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन0डी0आर0एफ0) से ₹ 1,255.27 करोड़ का अनुदान भी प्राप्त हुआ। एस0डी0आर0एफ0 में कुल धनराशि ₹ 2,765.67 करोड़ (शुरुआती शेष राशि केवल ₹ 378 करोड को छोड़कर) थी। इस निधि में से, राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 2,914.60 करोड़ (राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष में ₹ 378 करोड़ के हस्तांतरण सहित) का व्यय किया, जिसमें 31 मार्च 2022 तक ₹ 229.06 करोड़ शेष रह गए। राज्य को मार्च 2022 के दौरान एन0डी0आर0एफ0 के लिए केंद्र सरकार से ₹ 1,038.96 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को उस हद तक कम बताया गया है।

राज्य सरकार ने विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढाँचे की तत्काल मरम्मत और बहाली के लिए विभिन्न संस्थाओं के लिए ₹ 2,536.61 करोड़ (एम0एच0 2245–05 के तहत) का व्यय किया। व्यय को 2021–22 के लिए एस0डी0आर0एफ0 के तहत बुक किया गया था, जिसके बदले में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अभी बाकी है ताकि यह आश्वासन दिया जा सके कि धन का वास्तव में पूरी तरह से उपयोग किया गया था और व्यय अनुमत गतिविधियों पर था।

2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि (जी0आर0एफ0)

राज्य के लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए बॉंड और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 'गारंटी मोचन निधि' का गठन राज्य सरकार करती है और लाभार्थियों द्वारा उपयोग किया जाता है। निधि में जमा राशि का उपयोग सरकार द्वारा केवल जारी उन ऋणों की गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाना है जिनके लिए सरकार ने गारंटी जारी की थी और संस्थानों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया।

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार सरकार को गारंटी मोचन निधि बनानी थी और चालू वित्तीय वर्ष के पूर्व से दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक था, जैसा कि प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा रखे गए लेखे में दर्शाया गया है। तथापि, राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार न तो गारंटी मोचन निधि का सृजन किया और न ही गारंटी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई नियम बनाए।

इस प्रकार, राज्य सरकार ने उन अनुशंसाओं के संदर्भ में ₹ 82.04 करोड़ (वर्ष 2021–22 की शुरुआत में ₹ 16,407.71 करोड़ की बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत) का न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं किया। धन का निवेश आर0बी0आई0 द्वारा किया जाना है।

राज्य की बढ़ती ऋण आवश्यकता और बढ़ती आकस्मिक देनदारियों के कारण, मोचन दबाव और अप्रत्याशित देनदारियों से उत्पन्न राजकोषीय तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त निधि रखना वांछनीय है। राज्य को अपनी भावी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए रिजर्व बैंक के साथ गारंटी मोचन निधि को बफर के रूप में बनाए रखना चाहिए। राज्य सी0एस0एफ0 और जी0आर0एफ0 में निवेश की गई वृद्धिशील निधियों के आधार पर आर0बी0आई0 से रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा का भी लाभ उठा सकती है।

राज्य सरकार ने न तो बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार गारंटी मोचन निधि का सृजन किया है और न ही गारंटी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई नियम बनाए हैं। गारंटी मोचन निधि के सृजन में विफलता के कारण, राज्य ने रियायती दर पर विशेष आहरण सुविधा का अवसर खो दिया।

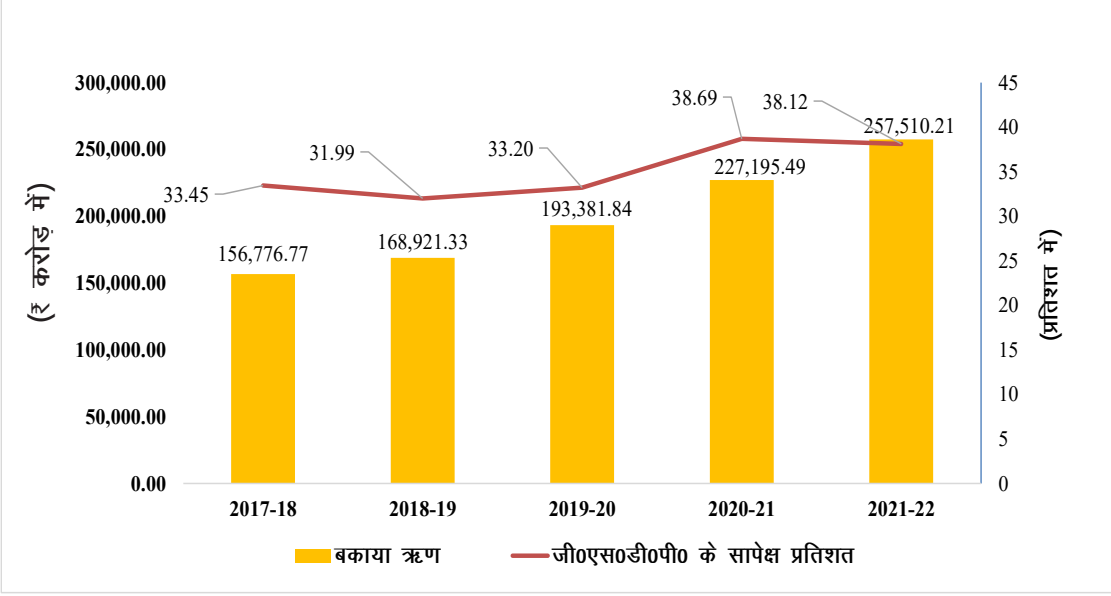
2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति को स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में धन जुटाया जा सके, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, जो सरकार ने अधिनियमन या कोई अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किया हो।

31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार का बकाया ऋण (आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा देनदारियाँ) ₹ 2,57,510.21 करोड़ था। सकल राजकोषीय घाटा (₹ 25,551 करोड़) 2021–22 में बजट अनुमान (₹ 22,511 करोड़) के मुकाबले ₹ 3,040 करोड़ से बढ़ गया। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक घाटा (₹ 11,729 करोड़) बजट अनुमान (₹ 7,993 करोड़) की तुलना में ₹ 3,736 करोड़ बढ़ गया। बढ़े हुए घाटे को उच्च उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया गया। नतीजतन, बकाया ऋण ₹ 2,27,195.50 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 2,57,510.21 करोड़ हो गया।

बकाया ऋण विगत वर्ष की तुलना में 13.34 प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन जी0एस0डी0पी0 (15.04 प्रतिशत) की वृद्धि से कम है। ₹ 2,57,510.21 करोड़ के बकाया ऋण में से ₹ 37,816.68 करोड़ का कोई ब्याज दायित्व नहीं था (ब्याज रहित जमा राशियाँ ₹ 37,816.68 करोड़ और आरक्षित निधि ब्याज रहित ₹ 0.00 करोड़) जिसमें से ₹ 29,478.66 करोड़ की नकद शेष राशि राज्य सरकार के पास उपलब्ध थी। विगत वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2022 तक देनदारियों और परिसंपत्तियों का सार **तालिका 1.4** में दिया गया है। राज्य के बकाया ऋण का प्रवृत्ति विश्लेषण **चार्ट 2.14** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: जी0एस0डी0पी0 की तुलना में बकाया ऋण



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0)

2.6.1 ऋण की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋण का गठन आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर0बी0आई0 से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय

संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा से होता है, जैसा कि **तालिका 2.41** में विस्तृत है।

तालिका 2.41: घटक वार ऋण प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया कुल ऋण		1,56,776.77	1,68,921.33	1,93,381.85	2,27,195.51	2,57,510.21
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	1,04,524.76	1,14,359.69	1,36,082.09	1,59,557.50	1,82,855.32
	भारत सरकार से ऋण	10,181.92	11,785.37	12,098.16	17,657.35	26,057.96
लोक लेखे पर देयताएँ		42,070.09	42,776.27	45,201.6	49,980.66	48,596.93
बजट से इतर उधारियाँ		-	-	-	-	1482.50 $
बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशतता)		13.02	7.75	14.48	17.49	13.34
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)		4,68,746	5,27,976	5,82,516	5,87,154	6,75,448
ऋण/जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशतता)		33.45	31.99	33.20	38.02	37.07#
कुल ऋण प्राप्तियाँ		59,412.45	73,806.02	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57
कुल ऋण पुनर्भगतान		41,357.18	61,661.46	69,732.59	74,618.65	87,212.86
कुल उपलब्ध ऋण		18,055.27	12,144.56	24,460.53	33,813.64	30,314.71
ऋण पुनर्भगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)		69.61	83.55	74.03	68.82	74.21

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम.ओ.एस.पी.आई. से प्राप्त आँकड़े)

$ बजट से इतर उधारियाँ समग्र ऋण में शामिल नहीं है।

वित्त लेखो के अनुसार ऋण और जी0एस0डी0पी0 का अनुपात 38.12 प्रतिशत है। हालाँकि, जी0एस0डी0पी0 अनुपात में प्रभावी ऋण की गणना बकाया समग्र ऋण से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक–टू–बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 7,111.43 करोड़ के जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति को छोड़कर की गई है।

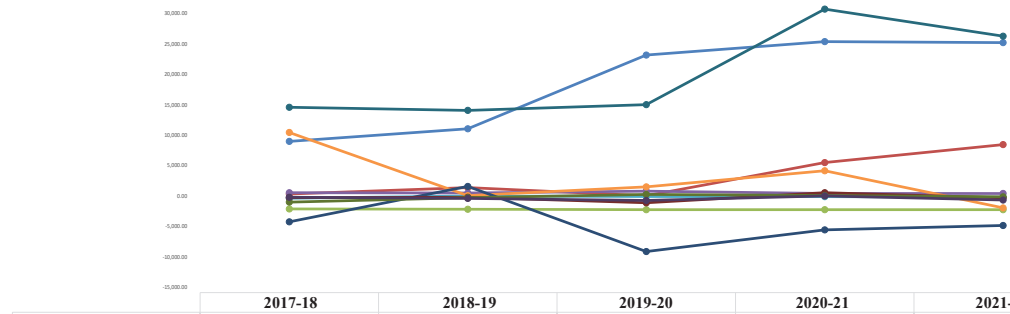
प्रभावी बकाया कुल ऋण ₹ 2,50,398.78 करोड़ होगा, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैक–टू–बैक ऋण के रूप में राज्य को दिए गए ₹ 7,111.43 करोड़ के जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- 2017–22 के दौरान बकाया ऋण और जी0एस0डी0पी0 अनुपात 31.99 प्रतिशत से 38.02 प्रतिशत के बीच रहा। राज्य का कुल ऋण विगत पाँच वर्ष से बढ़ रहा है। प्रमुख घटक आंतरिक ऋण (71.01 प्रतिशत) था जिसमें बाजार उधार शामिल था।
- बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2021 में निर्धारित ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात 26.61 प्रतिशत था, जबकि जी0एस0डी0पी0 के संबंध में राज्य के सांकेतिक ऋण पथ को पंद्रहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में 40.20 प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य का अनुपात (38.12) वित्त आयोग की सीमा के भीतर था, लेकिन बी0एफ0आर0बी0एम0 सीमा से बहुत पीछे था।
- लोक लेखे की बकाया देनदारियाँ विगत वर्ष से कम हो गई हैं, जो जी0एस0डी0पी0 का 7.19 प्रतिशत और बकाया समग्र ऋण का 18.87 प्रतिशत था।
- बकाया कुल ऋण 13.34 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था। विगत वर्ष की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर पर 2021–22 के दौरान, राज्य को 2004–05 के बाद से तीसरी बार राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा और इसकी क्षतिपूर्ति लोक ऋण से की गई है। घाटे का वित्तपोषण उच्च उधार के माध्यम से किया गया। नतीजतन, बकाया ऋण 2020–21 में ₹ 2,27,196 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 2,57,510 करोड़ हो गया।

चार्ट 2.15: घटक वार ऋण प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

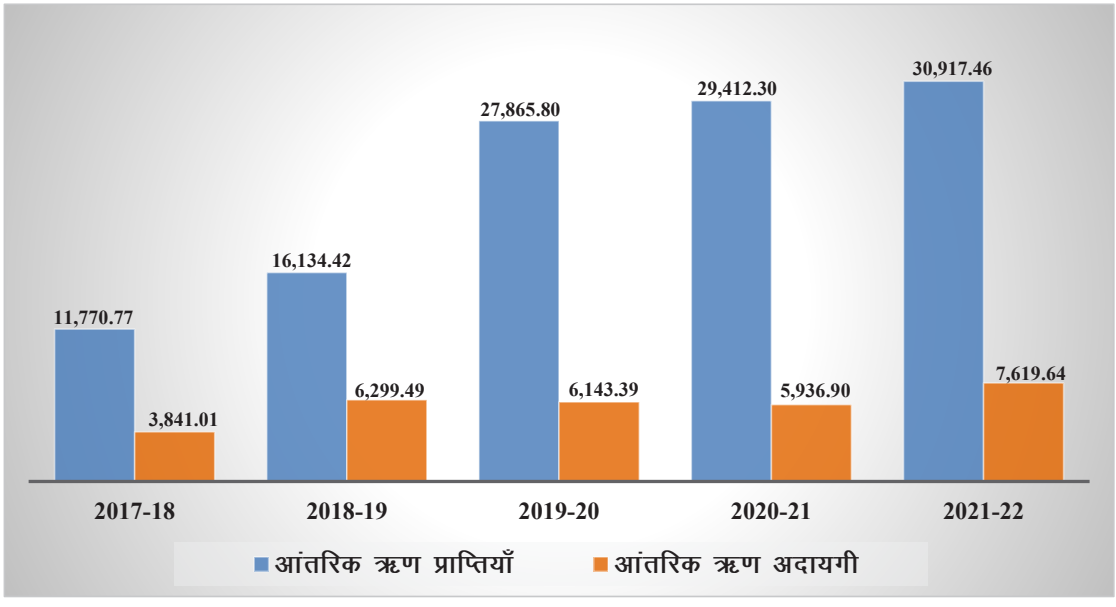


	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बाजार उधारी	8,908.00	10,903.07	22,572.54	24,684.91	24,517.46
भारत सरकार से ऋण	586.11	1,603.45	312.79	5,559.19	8,400.61
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-1,768.75	-1,819.02	-1,888.35	-1,888.35	-1,888.35
वित्तीय संस्थानो से ऋण	790.51	750.88	1,038.21	678.84	668.71
लघु बचत, पीएफ, आदि	-80.25	277.80	190.40	166.29	76.28
जमा एवं अग्रिम	10,314.32	331.52	1,711.99	4,260.96	-1,600.42
उचंत एवं विविध	-3,813.95	1,793.23	-8,509.14	-5,071.12	-4,386.46
प्रेषण	-2.76	76.05	-796.50	798.44	-7.53
आरक्षित निधि	-696.39	0.00	522.95	351.80	140.42
नकद शेष में वृद्धि/कमी	68.00	-110.22	-430.95	286.28	-369.45
सकल राजकोषीय घाटा	14,304.83	13,806.76	14,723.93	29,827.26	25,551.26

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.16: अदायगी की तुलना में लिया गया आंतरिक ऋण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.16 से पता चलता है कि 2017–22 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण में लगातार वृद्धि हुई है। 2021–22 के दौरान, चुकाए गए आंतरिक ऋण में 28.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2020–21 की तुलना में आंतरिक ऋण केवल 5.12 प्रतिशत ज्यादा था। इससे आंतरिक ऋण से उपयोग के लिए उधार ली गई निधियों की उपलब्धता में कमी आई।

उपरोक्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि हालाँकि चालू वर्ष में स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी यह 2017–18 में उधार ली गई धनराशि के 32.63 प्रतिशत के उपयोग की तुलना में कम है। चालू वर्ष की उधारी के केवल 24.65 प्रतिशत का उपयोग दर्ज किया गया। इसका मतलब यह है कि

चालू वर्ष में लिए गए आंतरिक ऋण का एक बड़ा हिस्सा, पहले के वर्षों में लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग किया गया। आंतरिक ऋण से अधिक पुनर्भुगतान के कारण उत्पादक व्यय में संकुचन हुआ।

राजकोषीय घाटा राजस्व एवं गैर–ऋण प्राप्तियों पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) की अधिकता को पूरा करने के लिए राज्य को आवश्यक कुल वित्तपोषण (मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपनी नकदी एवं निवेश शेष राशि को निकालकर और उधार लेकर) को दर्शाता है। 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए घटक एवं राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 2.42: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व अधिशेष(+) / घाटा(-)	14,823.01	6,896.65	(-) 1784.13	(-) 11,325.11	(-) 422.38
2	निवल पूँजीगत व्यय	28,906.95	21,058.25	12,303.90	18,208.60	23,678.29
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	220.90	(-) 354.84	635.90	293.54	1,450.59
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिरूप						
1	बाजार उधारी	8,908.00	10,903.07	22,572.54	24,684.91	24,517.46
2	भारत सरकार से ऋण	586.11	1,603.45	312.79	5,559.19	8,400.61
3	एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 1,768.75	(-) 1,819.02	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35	(-) 1,888.35
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	790.51	750.88	1,038.22	678.85	668.71
5	लघु बचत, पीएफ, आदि	(-) 80.25	277.8	190.40	166.29	76.28
6	जमा और अग्रिम	10,314.32	331.52	1,711.99	4,260.96	(-) 1,600.41
7	उचंत और विविध	(-) 3,813.95	1,793.23	(-) 8,509.14	(-) 5,071.12	(-) 4,386.46
8	प्रेषण	(-) 2.76	76.05	(-) 796.50	798.44	(-) 7.53
9	आरक्षित निधि	(-) 696.39	0	522.95	351.80	140.42
10	**समग्र घाटा**	**14,236.84**	**13,916.98**	**15,154.90**	**29,540.96**	**25,920.73**
11	नकद शेष में वृद्धि / कमी	68	(-) 110.22	(-) 430.95	286.28	(-) 369.45
12	**राजकोषीय घाटा**	**14,304.83**	**13,806.76**	**14,723.93**	**29,827.25**	**25,551.28**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2021–22 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और वार्षिक उधार सीमा को बिहार (असाधारण) राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 (संशोधन 2021), की धारा 9 की उपधारा 2 (बी)(1) मे निर्धारित सीमा के अतिरिक्त डेढ़ प्रतिशत बढ़ाया गया। राजकोषीय घाटा (एफ0डी0), मात्रात्मक और तुलनात्मक दोनों रूप में, जी0एस0डी0पी0 के मुकाबले 3.78 प्रतिशत था, जो पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 4.50 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। बजट अनुमान में एफ0डी0 का लक्ष्य 2.97 प्रतिशत रखा गया। 2021–22 के दौरान, पूँजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 30.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो दर्शाता है कि चालू वर्ष में एफ0डी0 से उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण अपेक्षाकृत अधिक था।

आदर्श रूप से, पूँजीगत व्यय के माध्यम से पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए बाजार उधारी का उपयोग किया जाना चाहिए। उधार ली गई धनराशि, जिसका उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, बिना किसी परिसंपत्तियों के भविष्य के वर्षों के लिए देयता बनाता है। यह स्पष्ट है कि, राजस्व लेखे पर घाटे के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजार उधारी

प्रतिबद्ध रही, जिससे राज्य में संपत्ति सृजन सीमित हो गया। राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष दर वर्ष उधार लेना लंबी अवधि में राज्य के वित्त के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ब्याज भुगतान दायित्व का एक बड़ा हिस्सा आगामी वर्षों में पूरा करना होगा।

2.6.2 ऋण की रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

(अ) ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा सरकार की ओर से ऋण पुनर्भुगतान या ऋण शोधन के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

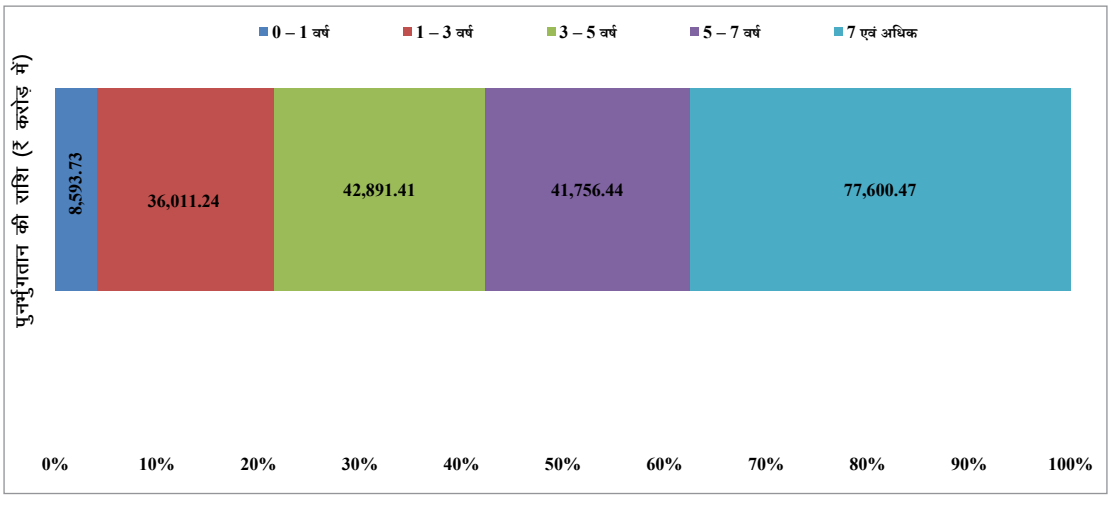
तालिका 2.43: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूप रेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0 – 1	8,593.73	4.15
1 – 3	36,011.24	17.41
3 – 5	42,891.41	20.74
5 – 7	41,756.44	20.19
7 और उससे ऊपर	77,600.47	37.51
योग	**2,06,853.29**	**100.00**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे)

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि राज्य का 57.70 प्रतिशत ऋण पाँच और उससे अधिक वर्षों के लिए बकाया है। राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इसके पुनर्भुगतान बोझ में वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि को दर्शाती है। ऋण परिपक्वता रूपरेखा को **चार्ट 2.17** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.17: ऋण परिपक्वता की रूपरेखा



(स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे)

ऊपर दर्शाए गए ऋण परिपक्वता की रूपरेखा से यह स्पष्ट है कि अगले पाँच वर्षों के दौरान ₹ 87,496.38 करोड़ की राशि बकाया हो रही है और सरकार को तदनुसार इसके पुनर्भुगतान के लिए प्रावधान करना होगा।

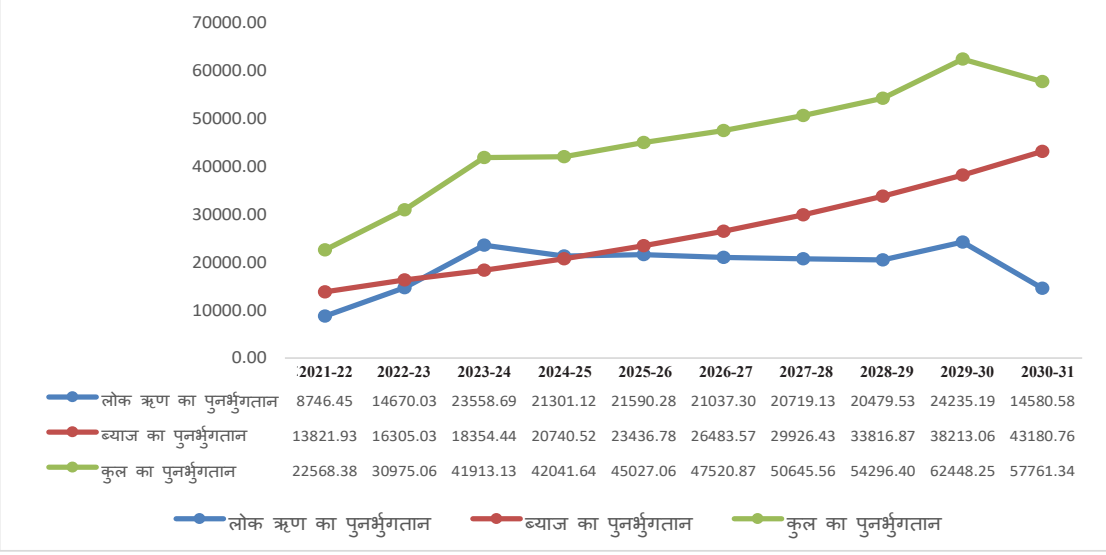
(ब) भविष्य के भुगतान दायित्वों की एक अनुसूची उचित रूप से उधार समझौतों से तैयार की जाती है। लोक ऋण अनुसूची में ऋण की परिपक्वता की निगरानी करने और उसके आधार पर निर्णय लेने की राज्य की क्षमता शामिल है, जैसा कि एक अलग स्रोत के माध्यम से ऋण को पुनर्वित्त करने की संभावना। यह वर्तमान ऋण देनदारियों पर, भविष्य के वर्षों में बकाया ऋण

स्टॉक पर लोक ऋण और उनके ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए सरकार की ओर से एक प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

अगले 10 वर्षों में ऋण एवं ब्याज की अदायगी की प्रवृत्ति को नीचे **चार्ट 2.18** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.18: ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)



	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	8746.45	14670.03	23558.69	21301.12	21590.28	21037.30	20719.13	20479.53	24235.19	14580.58
ब्याज का पुनर्भुगतान	13821.93	16305.03	18354.44	20740.52	23436.78	26483.57	29926.43	33816.87	38213.06	43180.76
कुल का पुनर्भुगतान	22568.38	30975.06	41913.13	42041.64	45027.06	47520.87	50645.56	54296.40	62448.25	57761.34

(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार)

राज्य के ब्याज प्रोफाइल की अदायगी अगले 10 वर्षों में साल–दर–साल वृद्धि का संकेत देती है, लेकिन कर्ज की अदायगी मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि इसी प्रवृत्ति में राज्यों की उधारी आवश्यकता बढ़ सकती है। राज्य को नियमित रूप से अपने ऋण प्रोफाइल का राजकोषीय जोखिम विश्लेषण और तनाव–परीक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि राजकोषीय जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए प्रावधानीकरण और अन्य विशिष्ट जोखिम शमन रणनीतियों को कुशलतापूर्वक लागू किया जा सके।

2.6.3 ऋण स्थिरता विश्लेषण (डी0एस0ए0)

ऋण स्थिरता भविष्य में अपने ऋणों को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को इंगित करती है। इसलिए ऋण की स्थिरता भी वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और इस तरह के उधारों की वापसी के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को संदर्भित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। **तालिका 2.44** में 2017–22 की अवधि के लिए ऋण स्थिरता के संकेतकों को प्रस्तुत किया गया हैं।

तालिका 2.44: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण*	1,14,706.68	1,26,145.06	1,48,180.25	1,77,214.85	2,08,913.28
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	8.02	9.97	17.47	19.59	17.89
जी0एस0डी0पी0	4,68,746	5,27,976	5,82,516	5,87,154	6,75,448
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर	11.33	12.64	10.33	0.80	15.04
ऋण / जी0एस0डी0पी0	24.47	23.89	25.44	30.18	30.93
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल – डिफॉल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो	4,653.55	7,229.82	7,109.83	6,880.47	8,746.47
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.73	7.68	7.58	7.67	7.16
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.27	7.02	8.37	9.74	8.70
ऋण प्राप्ति के लिए ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशतता	35.34	38.73	24.39	19.16	21.63
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण#	(-) 24.97	2,190.02	11,631.63	17,446.64	19,030.05
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	(-) 0.19	11.73	39.91	48.58	47.05
ब्याज स्प्रेड	3.60	4.96	2.75	(-) 6.87	7.88
क्वांटम स्प्रेड	4,129.44	6,256.79	4,074.96	(-)12,174.66	16,462.37
प्राथमिक घाटा	(-) 5,251	(-) 3,736	(-) 3,733	(-) 17,343	(-) 11,729.33
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा)	(-) 1,121.56	2,520.79	341.96	(-) 29,517.66	4,733.04

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

** बकाया लोक ऋण शीर्ष 6003– आंतरिक ऋण और 6004– केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है।*

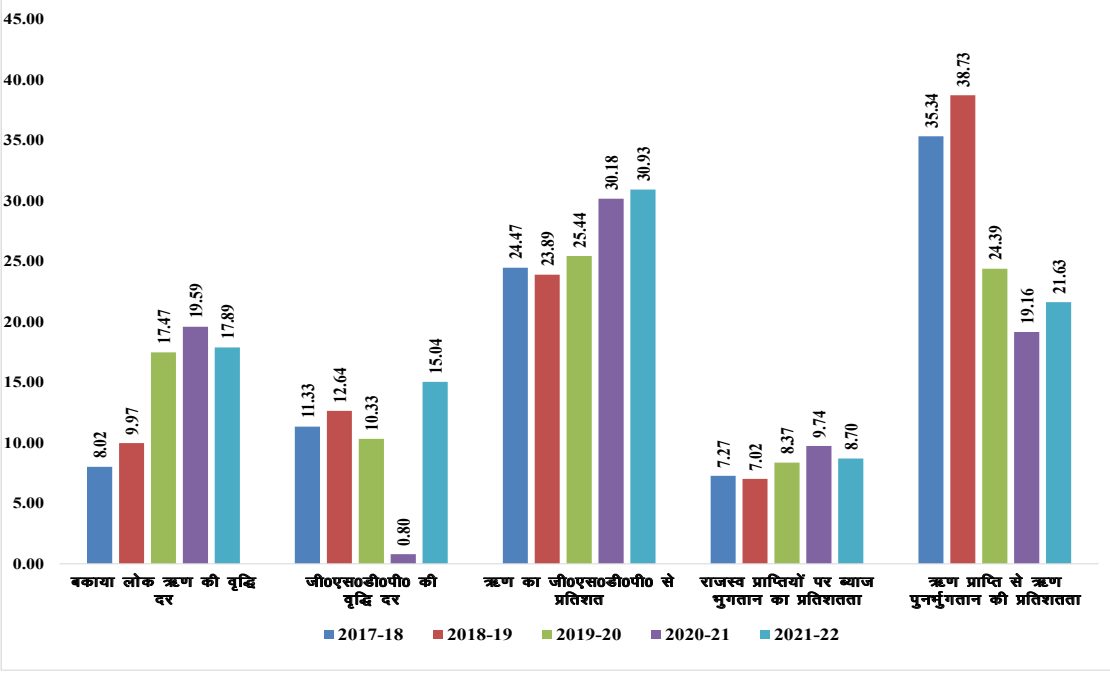
राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना, लोक ऋण भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर या सार्वजनिक उधार की लागत से अधिक हो जाती है, तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक हो या मध्यम नकारात्मक हो। ब्याज स्प्रेड (जी0एस0डी0पी0 वृद्धि – ब्याज दर) और क्वांटम स्प्रेड (ऋण x ब्याज स्प्रेड) को देखते हुए, ऋण स्थिरता अवस्था में कहा गया है कि अगर प्राथमिक घाटे के साथ–साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात बढ़ रहा होगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात अंततः गिर जाएगा। इसके अलावा, यदि क्वांटम स्प्रेड सकारात्मक है और प्राथमिक घाटा नकारात्मक है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऋण स्थिरता सकारात्मक पथ पर रहने वाली है।

तालिका 2.44 से देखा जा सकता है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान, 2020–21 को छोड़कर, सभी चार वर्षों में अर्थव्यवस्था की विकास दर (जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर) ब्याज दर या सार्वजनिक उधार की लागत से अधिक थी। यद्यपि प्राथमिक घाटा नकारात्मक रहा, जिसके परिणामस्वरूप ऋण स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई, लेकिन महामारी के बाद इसमें सुधार हुआ। जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर के कारण क्वांटम स्प्रेड सकारात्मक है, जो बकाया सार्वजनिक ऋण की औसत ब्याज दर से बहुत अधिक था। यदि प्राथमिक घाटे की तुलना में मात्रा में विस्तार

सकारात्मक बना रहता है, तो इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में ऋण स्थिरीकरण हो सकता है। ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियों का विवरण **चार्ट 2.19** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.19: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि ऋण प्राप्ति के लिए ऋण भुगतान का प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में मामूली रूप से बढ़ा है, जो इंगित करता है कि राज्य के पास ऋण निधि थोड़ी कम है और निधि की इस तरलता का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। लोक ऋण की वृद्धि दर वर्ष के दौरान जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक है।

2.6.4 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग स्वीकार्य नहीं है। उधार ली गई निधियों का उपयोग नीचे **तालिका 2.45** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.45: उधार ली गई धनराशि का उपयोग

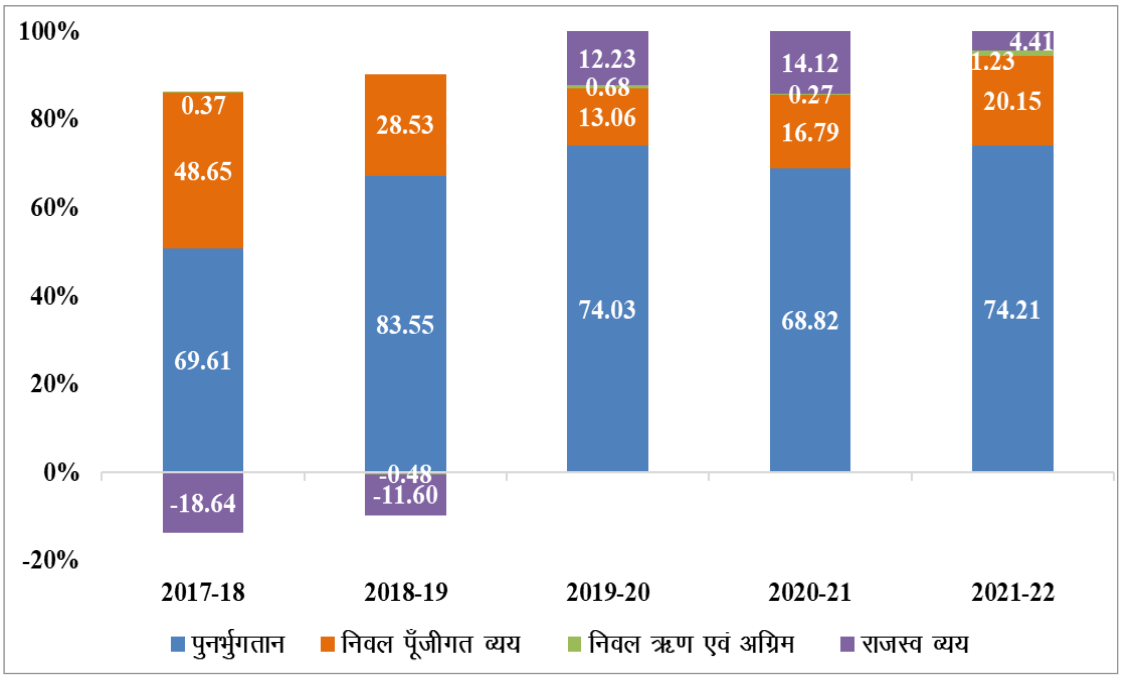
(₹ करोड़ में)

विवरण		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल उधारी	2	59,412.45	73,806.02	94,193.12	1,08,432.31	1,17,527.57
पहले के उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	3	41,357.18	61,661.46	69,732.59	74,618.65	87,212.86
निवल पूँजीगत व्यय	4	28,906.95	21,058.25	12,303.90	18,208.60	23,678.29
निवल ऋण एवं अग्रिम	5	220.90	(-) 354.84	635.90	293.54	1,450.59
निवल उपलब्ध उधारों में से राजस्व व्यय का एक भाग पूरा किया गया	6 = 2–3–4–5	(-) 11,072.58	(-) 8,558.85	11,520.73	15,311.52	5,185.83

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि राज्य की कुल उधारियों का प्रमुख हिस्सा (94 प्रतिशत से अधिक) पहले की उधारियों के पुनर्भुगतान और पूँजीगत व्यय पर खर्च किया गया है। लेकिन, 2021–22 के दौरान, ₹ 5,185.83 करोड़ (वर्ष के दौरान कुल उधार का 4.41 प्रतिशत) की राशि निवल उपलब्ध उधारी से प्राप्त राजस्व व्यय पर खर्च की गई है। उधार ली गई निधियों के उपयोग के प्रवृत्ति को **चार्ट 2.20** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.20: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य के 68 प्रतिशत से अधिक ऋण विगत पाँच वर्षों से पूर्व के ऋणों की अदायगी के लिए खर्च किये जा रहे हैं जो **चार्ट 2.20** से स्पष्ट है और चालू वर्ष के दौरान यह विगत वर्ष की तुलना में ₹ 12,594.21 करोड़ बढ़ गया है। इससे पूँजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि के उपयोग के लिए बहुत कम जगह बची है। यह एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006, की कंडिका 7 (2) (ii) का भी उल्लंघन है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उधार ली गई निधि का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य ने उत्पादक परिसंपत्तियों के लिए उधार ली गई निधि का केवल 20 प्रतिशत उपयोग किया है। ग्राफ वर्ष 2019–20 से पूँजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन पूँजी निर्माण पर 2017–18 में किए गए व्यय की तुलना में अभी भी बहुत कम है। वर्ष 2021–22 के लिए, उधार ली गई धनराशि का 4.41 प्रतिशत राज्य के राजस्व घाटे के आलोक में राजस्व व्यय के रूप में उपयोग किया गया है।

2.6.5 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

ऐसे उधारकर्ता जिनके लिए गारंटी का विस्तार किया गया हो, चूक के मामलों में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएँ हैं।

एस0पी0एस0ई0 को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन गारंटी देती है। इस प्रकार की गारंटी देने के लिए गारंटी शुल्क लिया जाता है। एस0पी0एस0ई0 ₹ 10 लाख

से अधिक की गारंटी राशि पर वार्षिक 1/8 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। विगत पाँच वर्षों के दौरान बिहार सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ **तालिका 2.46** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.46: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	20,581.52	21,181.52	21,181.52	25,113.74	37,631.92
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि	5,271.70	5,501.86	5,484.56	16,407.71	25,069.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2021–22 में गारंटीकृत बकाया राशि में विद्युत (₹ 12,840.67 करोड़), सहकारी समितियाँ (₹ 4,146.19 करोड़), बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम (₹ 7,900.55 करोड़), बिहार राज्य भंडारण निगम (₹ 119.28 करोड़), बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (₹ 32.52 करोड़) और बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम (₹ 30.00 करोड़) शामिल हैं।

यह देखा गया कि गारंटी शुल्क की वसूली के लिए गारंटी विलेख में कोई खंड नहीं था और बिहार सरकार ने भी एस0पी0एस0ई0 से गारंटी शुल्क का दावा नहीं किया था। 2021–22 में केवल एक कंपनी (बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम) से ₹ 8.69 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त होने वाला था। विगत पाँच वर्षों के दौरान एस0पी0एस0ई0एस0 को दी गई गारंटी की आगे की जाँच से पता चला कि अधिकांश गारंटी ऊर्जा क्षेत्र को प्रदान की गई थी, लेकिन बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति को छोड़कर ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 या गैर – ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 से कोई शुल्क प्राप्त नहीं हुआ था। विगत पाँच वर्षों के दौरान लोक क्षेत्र के उपक्रमों से केवल ₹ 8.19 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ था, जबकि दी गई गारंटी के लिए ₹ 46.60 करोड़ (1/8 प्रतिशत) देय था। इसलिए, लोक क्षेत्र के उपक्रमों से गारंटी शुल्क की प्राप्ति ₹ 38.41 करोड़ से कम रही। गारंटी शुल्क प्राप्त न होने से राज्य सरकार का उस हद तक कम राजस्व संग्रह हुआ।

राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थाओं से डिस्कॉम के उधार लेने के लिए पर्याप्त गारंटी प्रदान की। यह देखते हुए कि राज्य सरकार गारंटर है, ये परिणामी आकस्मिक देयताएँ राज्य के वित्त के लिए एक जोखिम हैं, जो कि बड़े बकाया ऋण और डिस्कॉम के बढ़ते/निरंतर घाटे के कारण है।

2.7 नकद शेष राशि का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹ 1.73 करोड़ बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय–समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू0एम0ए0)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस0डब्ल्यू0एम0ए0)/ओवरड्राफ्ट (ओ0डी0) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है। 1 अप्रैल 2006 से, सीमा ₹ 425.00 करोड़ तक सीमित थी।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद शेष को लघु और दीर्घकालिक भारत सरकार प्रतिभूति और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभों को मुख्य शीर्ष "0049–ब्याज प्राप्तियाँ" के तहत प्राप्तियाँ के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष राशि को समेकित निक्षेप निधि और गारंटी मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकारें बड़ी नकदी शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा लें, जिससे इसे उत्पादक उपयोग किए बिना नकद शेष राशि में और वृद्धि होती है। नकद शेष राशि और उनके निवेश और नकद शेष निवेश लेखों का विवरण क्रमशः **तालिका 2.47** और **2.48** में दिखाया गया है।

तालिका 2.47: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2021 को अंत शेष	31 मार्च 2022 को अंत शेष
अ. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	301.79	671.24
अन्य बैंकों में जमा	-	-
पारगमन में प्रेषण – स्थानीय	-	-
नकद शेष निवेश लेखे में धारित निवेश	17,826.65	22,070.25
कुल (अ)	**18,128.44**	**22,741.49**
ब. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	234.65	234.65
विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	761.43	762.40
निर्धारित निधि में निवेश	5,740.12	5,740.12
कुल (ब)	**6,736.20**	**6,737.17**
कुल (अ+ब)	**24,864.64**	**29,478.66**
ब्याज प्राप्तियाँ	**174.57**	**189.70**

(स्रोतः वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे)

यह दर्शाता है कि राज्य ने एक ही समय में राजकोषीय घाटे वाला राज्य होने के साथ–साथ नियमित आधार पर एक बड़ा नकद शेष बनाए रखा।

- शीर्ष "आर0बी0आई0 के पास जमा" के अन्तर्गत शेष राशि की गणना वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अन्तर–सरकारी मौद्रिक लेनदेन के निपटान के बाद अप्रैल 2022 तक की गई है जैसा कि आर0बी0आई0 को निर्देशित है।
- सरकार ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों में ₹ 22,065.60 करोड़ और अन्य राज्यों की प्रतिभूतियों में ₹ 4.65 करोड़ की नकद शेष राशि का निवेश किया। वर्ष के दौरान इन निवेशों पर सरकार ने ₹ 189.70 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।
- सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2021–22 में बिना कोई अग्रिम लिए नकद शेष राशि को बनाए रखा है और इसमें विगत वर्ष से ₹ 369.45 करोड़ की वृद्धि हुई है।

2017–18 से 2021–22 तक नकद शेष निवेश खाते का विवरण **तालिका 2.48** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.48: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

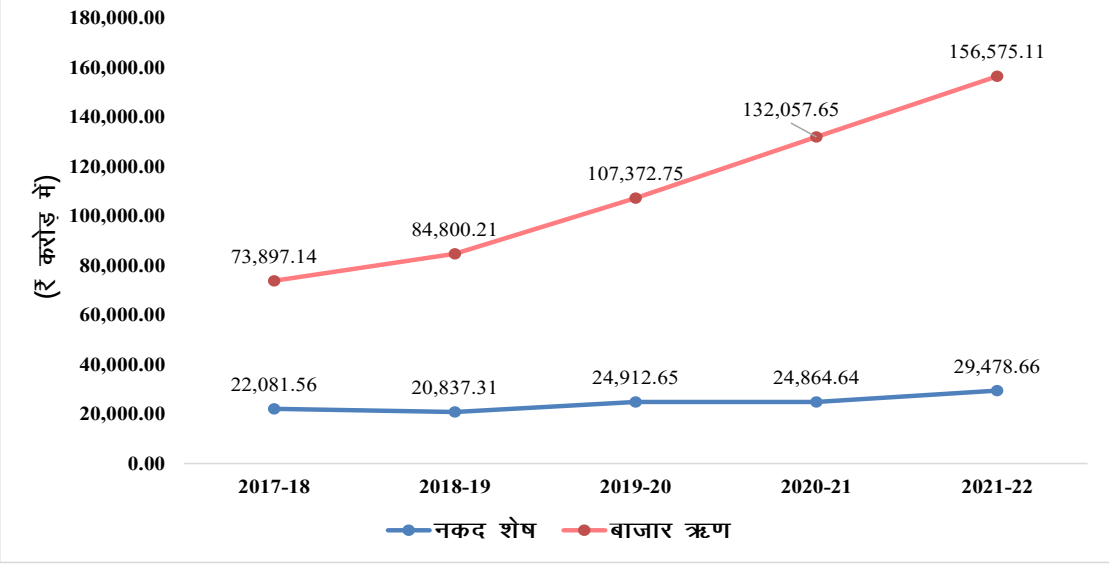
वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि(+) / कमी(-)	अर्जित ब्याज
2017-18	13,001.71	17,395.63	4,393.92	799.82
2018-19	17,395.63	14,791.80	(-) 2,603.83	909.08
2019-20	14,791.80	17,588.74	2,796.94	938.84
2020-21	17,588.74	17,826.65	237.91	174.57
2021-22	17,826.65	22,070.25	4,243.60	189.70

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- 2017–22 के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश के प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चला है कि 2021–22 में निवेश में काफी वृद्धि हुई और यह बजट अनुमानों (प्राप्ति) का 9.57 प्रतिशत था।
- बाजार ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि ट्रेजरी बिलों में निवेश से ब्याज कम दरों पर प्राप्त हुआ। प्रतिभूतियों में निवेश को परिपक्वता से पहले प्राप्त करना, वर्ष के दौरान अर्जित कम ब्याज का कारण था।

2017–18 से 2021–22 तक के वर्षों के लिए नकद शेष निवेश लेखे में उपलब्ध नकद शेष के साथ जुटाए गए बाजार ऋण की तुलना **चार्ट 2.21** में की गई है।

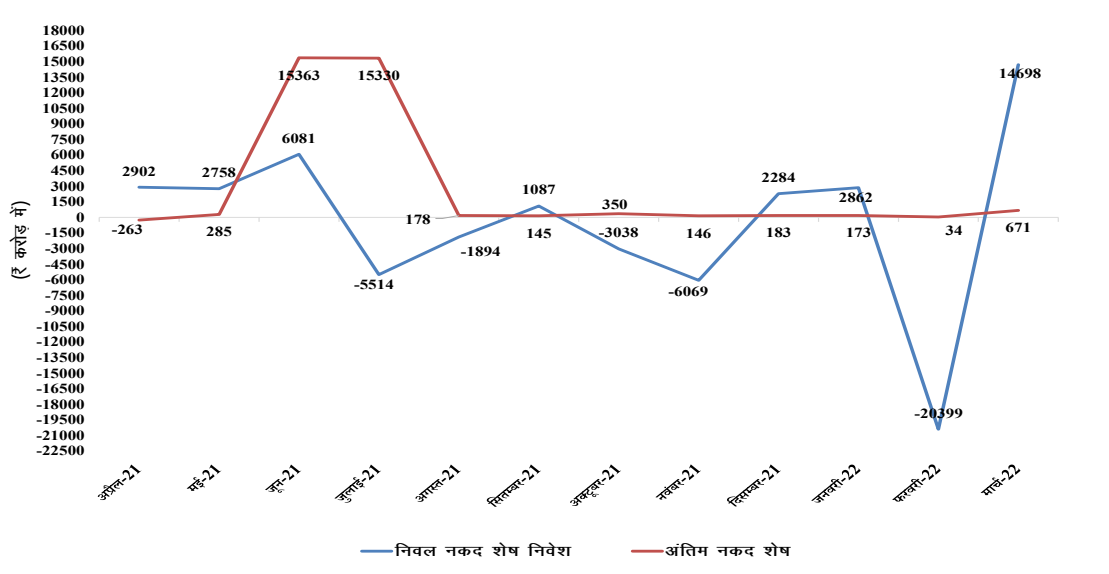
चार्ट 2.21: नकद शेष की तुलना में बाजार ऋण



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

सरकार ने नकद शेष निवेश खाते में ₹ 22,070.25 करोड़ की अंतिम शेष राशि होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा लिया। इस वर्ष के लिए बाजार ऋण ₹ 24,517.46 करोड़ था। यह उल्लेखनीय है कि नकद शेष निवेश खाते में राशि संचित होती है। नकद शेष निवेश खाते में निवेश की गई नकद शेष राशि की तुलना में उपलब्ध माहवार नकद शेष **चार्ट 2.22** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.22: वर्ष के दौरान नकद शेष राशि और निवल नकद शेष निवेश का माहवार संचालन



(स्रोत: वर्ष 2021–22 के मासिक सिविल लेखे)

- ✦ उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि जून 2021 और जुलाई 2021 के महीने में अधिकांश निधियाँ नकद शेष राशि में अवरुद्ध हो गयी थी, जिसका अर्थ है कि न तो बिहार सरकार ने राशि का उपयोग किया और न ही नकद शेष निवेश खाते में स्थानांतरित किया। इसके अलावा, यदि इन निधियों को नकद शेष निवेश खाते में स्थानांतरित किया जाता है, तो बिहार सरकार को निश्चित रूप से अप्रयुक्त राशि पर ब्याज अर्जित करने के माध्यम से लाभ होता।
- ✦ फरवरी 2022 के महीने के दौरान, नकद शेष निवेश खाते में एक बड़ी निकासी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप खाते में नकारात्मक शेष राशि ₹ (–) 20,399 करोड़) थी।
- ✦ चूँकि मार्च 2022 के महीने में भारत सरकार से केंद्रीय कर/शुल्क के हिस्से के रूप में धन का बड़ा हिस्सा (₹ 46,060.53 करोड़) प्राप्त हुआ था (मार्च 2022 के महीने में दर्ज कुल राजस्व का 72.19 प्रतिशत)। इसके परिणामस्वरूप सकारात्मक नकद शेष निवेश खाता देखा गया।

2.8 निष्कर्ष

घाटे के संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय निष्पादन को आँकने के प्रमुख पैमाने हैं।

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
राजकोषीय घाटा पंद्रहवे वित्त आयोग के अनुमान के भीतर था।	बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम की सीमा से परे ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात का बढ़ना
राज्य के अपने संसाधनों (कर और करेत्तर राजस्व) में थोड़ी वृद्धि हुई है।	बिगड़ते ऋण स्थिरता संकेतक
भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में वृद्धि	समेकित निक्षेप निधि में निधि का अंशदान न करना
नकद शेष निवेश खाते में वृद्धि	गारंटी मोचन निधि का निर्माण न करना।
	प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि
	नकद शेष का संधारण

2.9 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को चाहिए कि:

- ➢ बजट तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा करे, ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक के बीच के अंतर को पाटा जा सके।
- ➢ यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करे कि राजस्व की बकाया राशि शीघ्रता से एकत्र की जा सके ताकि राजकोषीय घाटे के कारण राज्य के बोझ को कम किया जा सके।
- ➢ सुनिश्चित करें कि कर्मचारी अंशदान की पूरी कटौती की जाती है, पूरी तरह से सरकारी योगदान से मेल खाती है और समय पर एन0एस0डी0एल0 को पूरी तरह से स्थानांतरित की जाए।
- ➢ परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें। सभी अधूरी परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार और अनुमोदित किया जाना चाहिए, ताकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियों का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके।
- ➢ एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएँ।
- ➢ ऋणों का पुनर्गठन करे ताकि ब्याज भुगतान बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर आ जाए।

अध्याय–III
वित्तीय प्रबंधन

अध्याय III

वित्तीय प्रबंधन

यह अध्याय, निधियों का विचलन किए बिना नीतिगत निर्णयों के प्रशासनिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की प्रामाणिकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता तथा आनुषंगिक वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं विनियोग के अनुदान–वार विवरणी एवं सेवा प्रदायी विभागों द्वारा इन आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है। इसमें उपलब्धि प्रतिवेदन के साथ अन्य विशिष्ट बजटों का विस्तृत विश्लेषण भी शामिल है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी किये जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसमें शामिल निर्देशों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तैयारी हेतु सभी विभागों द्वारा अनुपालन करना होता है। यह सामान्य रूप से हर साल अगस्त–सितंबर में होता है जैसा कि बिहार बजट मैनुअल में निर्धारित है।

राज्य ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध एकीकरण हेतु व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) के रूप में एक परियोजना शुरू की थी जिसने वर्तमान व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी0टी0एम0आई0एस0) को प्रतिस्थापित किया है। बजट की तैयारी सी0एफ0एम0एस0 के तहत बजट प्रबंधन के उप–अनुखंडों में से एक है। हालांकि, राज्य ने सी0एफ0एम0एस0 युग के लेखांकन के साथ तालमेल रखने के लिये बिहार कोषागार संहिता को संशोधित नहीं किया था और वित्त विभाग को परिपत्रों के माध्यम से इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए तब तक के लिए अधिकृत किया गया था जब तक कि बिहार कोषागार संहिता का एक व्यापक संशोधन अधिसूचित नहीं किया जाता है।

विधायी प्राधिकार, राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यय हेतु अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार ने वित्तीय नियमों का निर्माण करते हुए प्रतिबंधित सीमा के अधीन व्यय के विनियोग/पुनर्विनियोग की स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार के निर्धारण के क्रम में वित्तीय शक्तियां को प्रत्यायोजित किया है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के अन्दर राशि का पुनः आवंटन करने के लिए भी किया जा सकता है। दो विभागों में बजट प्रक्रिया की समीक्षा पर चर्चा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गयी है।

राज्यों द्वारा बजट तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है:

चार्ट 3.1: बजटीय प्रक्रिया



3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम द्वारा बजट के दोनों मदों, भारित एवं दत्तमत के रूप में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण, बचत तथा पुनर्विनियोगों को अलग–अलग दर्शाता है और विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय को इंगित करता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधि के उपयोग, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझना सुगम करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है अथवा नहीं एवं ऐसे व्यय जिसे संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारित किये जाने की आवश्यकता है, उसे निर्दिष्ट प्रकार से प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत की सारभूत स्थिति को दत्तमत और भारित के रूप में विभाजित करते हुए नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 2021–22 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत

(₹ करोड़ में)

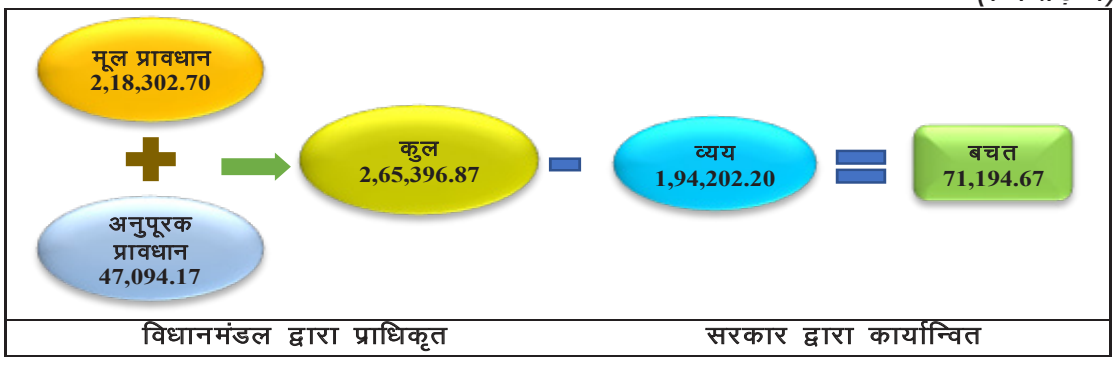
	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	भारित	भारित
राजस्व	1,99,249.30	14,823.31	1,46,154.88	14,059.86	53,094.42	763.45
पूँजीगत	42,229.83	9,094.43	25,240.99	8,746.47	16,988.84	347.96
कुल	**2,41,479.13**	**23,917.74**	**1,71,395.87**	**22,806.33**	**70,083.26**	**1,111.41**
	2,65,396.87		**1,94,202.20**		**71,194.67**	

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

बजट के विभिन्न घटकों को नीचे दिए गए **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: बजट के घटक

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

कुल व्यय ₹ 1,94,202.20 करोड़ को ₹ 321.42 करोड की शुद्ध राशि (विगत वर्षों में उचंत की आपत्ति पुस्तिका में रखी गई राशि के समाशोधन के कारण ₹ 2,063.14 करोड़ तक अधिक एवं ₹ 2,384.56 करोड़ से कम, जो कि वित्त वर्ष 2021–22 में उचंत की आपत्ति पुस्तिका में रखी गयी) तक कम बताया गया है।

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है, राज्य सरकार ने कुल प्रावधान के विरूद्ध 73.17 प्रतिशत (वर्ष 2020–21 की तुलना मे 4.78 प्रतिशत अधिक) का व्यय किया था परिणामतः 26.83 प्रतिशत की बचत हुई जो त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को इंगित करता है। अनुपूरक प्रावधान (₹ 47,094.17 करोड़) पूर्णतः अनावश्यक थे क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था। वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा मंतव्य को स्वीकार करते हुए इस बात की पुष्टि की कि यह बचत, वास्तविक धन/नकद की बचत न होकर केवल बजट प्रावधान की बचत है।

इसके अलावा, वर्ष 2021–22 के लिए मुख्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया में, राज्य सरकार ने कुछ विशिष्ट बजट जैसे कि जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किये थे।

इन बजटों का एक–दूसरे के साथ तथा विनियोग लेखे के साथ विश्लेषण किया गया एवं उसके परिणामों पर चर्चा इस प्रतिवेदन के अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गई है।

3.2.2 भारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पांच वर्षों (2017–18 से 2021–22 तक) के दौरान भारित और दत्तमत में किये गये कुल संवितरण का विवरण **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2017–18 से 2021–22 के दौरान भारित और दत्तमत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य		कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध बचत	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2017–18	1,72,021.43	15,322.52	1,26,263.69	14,683.63	45,757.76	638.90	26.60	4.17
2018–19	1,90,375.36	19,114.48	1,42,022.79	18,294.88	48,352.56	819.60	25.40	4.29
2019–20	2,08,629.14	19,858.04	1,30,506.24	19,135.68	78,122.90	722.36	37.45	3.64
2020–21	2,24,274.43	21,248.16	1,48,348.42	19,566.98	75,926.04	1,681.18	33.85	7.91
2021–22	2,41,479.13	23,917.74	1,71,395.87	22,806.33	70,083.26	1,111.41	29.02	4.65

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 71,194.67 करोड़ की कुल बचत वर्ष के दौरान किए गए ₹ 47,094.17 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान से 1.51 गुना अधिक थी।

आवंटित निधियों में बचत की बड़ी मात्रा, आवश्यकता के गलत आकलन के साथ–साथ अभीष्ट उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग करने की अपर्याप्त क्षमता, दोनों को दर्शाती है।

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

बजटीय सम्पूर्णता का अर्थ "लोक निधि को जनहित के अनुसार उपयुक्त रूप से व्यय किया जाना" है। बजट विश्वसनीय होना चाहिए एवं राजकोषीय और वित्तीय प्रतिवेदन में निहित सूचनाएँ भरोसेमंद होनी चाहिए। बजट की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता अंततः व्यय को वास्तविक रूप से नियोजित करने, अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को ससमय और कुशलतापूर्वक लागू करने की विभाग की क्षमता पर निर्भर करती है।

3.3.1 विनियोग अधिनियम/विस्तृत अनुदानों की मांग द्वारा अधिदिष्टी के बिना (लोक लेखे/बैंक खातों में) अंतरण

यह देखा गया कि निधियों को बजट में प्रावधान के पश्चात व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग को भेजा जाता है। तत्पश्चात् विभाग द्वारा समग्र प्रावधानित राशि का आहरण कर आगे के भुगतान/निष्पादन के लिए इसे लोक लेखे में जमा करा दिया जाता है भले ही तत्काल उपयोग के लिए इनकी आवश्यकता न हो।

यह पाया गया की वर्ष के दौरान 22 अनुदानों/विभागों के अंतर्गत 152 योजनाओं में आहरित ₹ 13,802.79 करोड़ (100 करोड़ एवं अधिक के आहरण का विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में) लोक निधि खाते में हस्तांतरित/जमा किया गया। यह भी देखा गया कि कुल व्यय में से पूंजीगत व्यय का 50 प्रतिशत, ऋण और अग्रिम के अंतर्गत होने वाले व्यय का सात प्रतिशत और राजस्व व्यय का आठ प्रतिशत सिविल जमा और स्थानीय निधियों के खातों में जमा किया गया। जिन शीर्षों द्वारा जमा लेखे (मुख्य शीर्ष–8448 और 8443) में निधियों का अंतरण हुआ उनका विवरण **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: मुख्य शीर्ष 8443 एवं 8448 में अंतरित निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मुख्य शीर्ष–8448 में अंतरित			मुख्य शीर्ष –8443 में अंतरित		
	2019–20	2020–21	2021–22	2019–20	2020–21	2021–22
प्राप्तियाँ	76.67	276.69	325.57	0	0	0.05
राजस्व व्यय	8,456.84	11,876.36	12,454.01	248.79	538.88	435.82
पूँजीगत व्यय	11,485.31	9,166.60	10,564.51	893.12	1,330.20	1,394.31
ऋण एवं अग्रिम	609.38	605.79	731.48	0	0	0
योग	**20,628.20**	**21,925.44**	**24,075.57**	**1,141.91**	**1,869.08**	**1,830.18**

(स्रोतः वी0एल0सी0 डाटा)

उपरोक्त के अलावा, सभी अनुदान नियंत्री अधिकारियों से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी0डी0ओ0) के बैंक खातों में स्थानांतरित धन, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी मांगी गई थी। बिहार सरकार के 51 अनुदानों में से केवल 15[19] अनुदान नियंत्री अधिकारियों द्वारा वस्तुस्थिति/

[19] (अनुदान संख्या) अनुदान/विभागों का नामः 1. (05) राज्यपाल का सचिवालय, 2. (10) ऊर्जा, 3. (12) वित्त, 4. (13) ब्याज भुगतान, 5. (14)) ऋणों की अदायगी, 6. (15) पेंशन, 7. (24) सूचना एवं जनसंपर्क, 8. (28) बिहार उच्च न्यायालय, 9. (30) अल्पसंख्यक कल्याण, 10. (31) संसदीय कार्य, 11. (32) विधायिका, 12. (34) बिहार लोक सेवा आयोग, 13. (38) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, 14. (39) आपदा प्रबंधन, और 15. (48) नगर विकास एवं आवास

प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई थी और यह पाया गया कि पांच अनुदान नियंत्री अधिकारियों द्वारा डी0डी0ओ0 के बैंक खातों में ₹ 630.29 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे और 10[20] अन्य अनुदानों में "शून्य" शेष राशि की सूचना दी गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि केवल ऊर्जा विभाग (अनुदान संख्या 10) के पास बचत/चालू खातों में ₹ 543.70 करोड़ थे। 31 मार्च 2022 को अंतिम शेष का विवरण नीचे दी गई **तालिका 3.4** में दिखाया गया है।

तालिका 3.4: निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के बैंक खाते में हस्तांतरित धन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	विभाग का नाम	31 मार्च 2022 को शेष राशि
1	10	ऊर्जा विभाग	543.70
2	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	76.02
3	31	संसदीय कार्य विभाग	3.08
4	34	बिहार लोक सेवा आयोग	2.76
5	39	आपदा प्रबंधन विभाग	4.73
कुल			**630.29**

(स्रोत: संबंधित विभाग, बिहार सरकार)

विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत न होने के बावजूद भी राज्य की संचित निधि से लोक निधि खातों/शीर्षों में निधियों का अंतरण, निधियों को जमा करके रखने की ओर ले जाता है। साथ ही यह वित्तीय वर्ष में किये गये व्यय को बढ़ा चढ़ा कर एवं राज्य सरकार की प्राप्तियों के आँकड़ों को घटा कर प्रस्तुत करता है।

3.3.2 अनावश्यक या अधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, विनियोग अधिनियम द्वारा वर्ष के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जा सकता है।

जब ऐसे अतिरिक्त व्यय जो कि अपरिहार्य हो, और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस अनुदान में अतिरिक्त राशि के बचत होने की कोई संभावना न हो जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जा सके, तब संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन के लिए प्रस्ताव रखते हैं जिसे बाद में अनुपूरक बजट के माध्यम से विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, 45 मामलों (38 अनुदानों/विनियोगों) में, ₹ 28,674.33 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और पूर्णतः अप्रयुक्त रहे क्योंकि व्यय (₹ 1,17,957.57 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,45,097.60 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में वर्णित है।

तथापि, पांच महत्वपूर्ण मामलों में जहाँ ₹ 23,033 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, नीचे **तालिका 3.5** में दिखाया गया है।

[20] (अनुदान संख्या) अनुदान/विभागों का नाम: 1. (05) राज्यपाल का सचिवालय, 2. (12) वित्त, 3. (13) ब्याज भुगतान, 4. (14) ऋणों की अदायगी, 5. (15) पेंशन, 6. (24) सूचना और जनसंपर्क, 7. (28) बिहार उच्च न्यायालय, 8. (32) विधानमंडल, 9. (38) मद्य–निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, 10. (48) नगर विकास एवं आवास

तालिका 3.5: मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए
(₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक के मामले)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में हुई बचत
1	2	3	4	5	6 (3–5)
राजस्व (दत्तमत)					
1	16– पंचायती राज विभाग	9,223.93	4,000.94	8,057.26	1,166.67
2	21– शिक्षा विभाग	36,971.29	8,943.67	33,373.28	3,598.01
3	42– ग्रामीण विकास विभाग	16,784.66	6,386.12	13,994.68	2,789.98
4	48– नगर विकास एवं आवास विभाग	7,617.13	2,414.49	5,883.84	1,733.29
पूंजीगत (दत्तमत)					
1	37– ग्रामीण विकास विभाग	7,188.00	1,287.78	3,755.69	3,432.31
	कुल	**77,785.00**	**23,033.00**	**65,064.75**	**12,720.26**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

लेखापरीक्षा ने अनुपूरक प्रावधानों की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया एवं पाया कि संबंधित अनुदानों में प्रावधान की तुलना में व्यय प्रथम अनुपूरक प्रावधान (जुलाई 2021) तक 6.85 से 33.65 प्रतिशत, द्वितीय अनुपूरक प्रावधान (नवम्बर 2021) तक 10.61 से 43.83 प्रतिशत एवं तृतीय अनुपूरक (मार्च 2022) तक 45.61 से 71.26 प्रतिशत तक था जैसा कि निम्नलिखित **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है–

तालिका 3.6: अनुपूरक प्रावधान जो अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	जून 2021 तक व्यय	मूल प्रावधान के विरूद्ध व्यय प्रतिशत	प्रथम अनुपूरक (जुलाई 2021)	अक्टुबर 2021 तक व्यय	मूल प्रावधान का प्रतिशत व्यय	द्वितीय अनुपूरक (नवंबर 2021)	फरवरी 2022 तक कुल व्यय	मूल प्रावधान का प्रतिशत व्यय	तृतीय अनुपूरक (मार्च 2022)
16	9,544.93	917.16	9.61	182.00	2,366.16	24.79	3,174.72	4,353.35	45.61	644.22
21	38,035.93	5,819.84	15.30	1,144.89	14,199.52	37.33	7,744.02	27,104.72	71.26	54.77
37	9,424.13	1,626.22	17.26	120.00	2,244.08	23.81	887.78	4,826.31	51.21	400.06
42	16,835.67	5,665.67	33.65	2,780.59	7,379.91	43.83	54.54	8,579.24	50.96	3,551.00
48	7,767.13	531.72	6.85	641.28	824.05	10.61	2,853.17	4,719.20	60.76	320.04
	81,607.79	**14,560.60**		**4,868.76**	**27,013.72**		**14,714.23**	**49,582.83**		**4,970.09**

(स्रोत: वी0एल0सी0 डाटा)

मूल प्रावधान के विरुद्ध बचत होने के बावजूद, कई अनुदानों में इस प्रकार के अविवेकपूर्ण अनुपूरक बजट प्रावधान से अन्य विभागों को निधि की कमी हुई, जैसा कि वित्तीय वर्ष के अंत में देयताओं के संचय और अपूर्ण योजनाओं की बड़ी संख्या से स्पष्ट है।

3.3.3 अनावश्यक और अधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन का अर्थ, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विनियोग की एक इकाई से बचत का उसी अनुदान अथवा भारित विनियोग के अंतर्गत किसी अन्य इकाई में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया गया अंतरण है। इस प्रकार सरकार को निर्धारित सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन, एक उद्देश्य के लिए मूल प्रावधान को एक ही अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में पुनर्विनियोजन की अनुमति है।

वर्ष 2021–22 के विस्तृत विनियोग लेखे की जांच से पता चला कि:

- 27 अनुदानों/विनियोगों के तहत 74 मामलों में ₹ 326.25 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक (पुनर्विनियोजन की आवश्यकता नहीं) साबित हुआ क्योंकि अंतिम बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक) ₹ 1,135.18 करोड़ ***(परिशिष्ट 3.3)*** थी।
- 14 अनुदानों/विनियोगों के तहत 23 मामलों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान किए गए ₹ 2,416.41 करोड़, ₹ 395.32 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक) की बचत को देखते हुए अधिक (पुनर्विनियोजित राशि वास्तविक आवश्यकता से अधिक) साबित हुए ***(परिशिष्ट 3.4)***। यह वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन को दर्शाता है।
- तीन अनुदानों/विनियोगों के तहत 10 मामलों में ₹ 26.09 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजित की गई थी, जिसके लिए पुनर्विनियोजन आदेश 31 मार्च, 2022 को जारी किए गए थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5*** में दर्शाया गया है। बिना किसी विशिष्ट कारण के पुनर्विनियोजन अपर्याप्त व्यय नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है।

पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से प्रावधान को बढ़ाना अनावश्यक/अधिक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

3.3.4 अव्ययित राशि, अभ्यर्पित विनियोग और/या वृहत् बचत/अभ्यर्पण

प्रशासनिक और वित्त विभागों को अनुमानों की गणना में, गणना को प्रभावित कर सकने वाले, ज्ञात या यथोचित पूर्वानुमानित तथ्यों के साथ पिछले वास्तविक के औसत से साबित और अच्छी तरह से परखे जा चुके नियंत्रण को सख्ती से लागू करना चाहिए।

वर्ष 2021–22 के दौरान, 35 अनुदानों से संबंधित दत्तमत और भारित व्यय के अधीन ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के बचत के 50 मामले थे, जिसकी कुल राशि ₹ 69,862.87 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 2,50,102.40 करोड़ का 27.93 प्रतिशत) थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.6*** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, 40 अनुदानों में कुल अनुदान और व्यय के बीच 20 प्रतिशत या उससे अधिक की महत्वपूर्ण भिन्नता थी, जिससे ₹ 65,333.62 करोड़ (₹ 1,91,426.32 करोड़ के कुल प्रावधान का 34 प्रतिशत) की भारी बचत हुई। विनियोग लेखे में इन भिन्नताओं के कारणों को उचित रूप से वर्णित नहीं किया गया है ***(परिशिष्ट 3.7)***।

विगत पाँच वर्षों के दौरान ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के बचतों वाले प्रत्येक अनुदानों/विनियोगों की जाँच से पता चला की 27 अनुदानों से संबंधित 34 मामलों में कुल ₹ 42,260.60 करोड़ और अधिक की सतत् बचत हुई जैसा कि ***परिशिष्ट 3.8*** में दर्शाया गया है।

सतत बचत यह संकेत करती है कि बजट प्रावधान पिछले वर्षों के व्यय पर विचार किए बिना किये गये थे। वर्ष 2021–22 में बजट अनुदान के 50 प्रतिशत से कम उपयोग को **तालिका 3.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग (2017–18 से 2021–22)

(उपयोगिता प्रतिशत और कुल प्रावधान ₹ करोड़ में कोष्ठक में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	वर्षों की सं0*
1	1	56.02 (1,692.14)	56.53 (1,869.48)	59.48 (2,152.49)	43.63 (1,498.54)	47.30 (1,927.93)	2
2	2	80.10 (598.68)	73.38 (693.77)	70.12 (789.36)	51.28 (639.99)	39.41 (640.21)	1
3	5	70.42 (14.14)	84.69 (19.03)	4.31 (1.33)	0.71 (0.21)	12.95 (4.29)	3
4	19	76.10 (269.13)	82.70 (350.00)	71.78 (683.74)	90.69 (661.98)	46.71 (397.60)	1
5	25	50.25 (200.92)	43.58 (172.75)	75.61 (263.55)	62.04 (212.62)	45.73 (135.96)	2
6	30	50.68 (329.94)	57.59 (264.73)	48.98 (249.93)	44.94 (281.79)	48.53 (273.07)	3
7	31	86.07 (1.91)	95.96 (1.90)	89.62 (1.90)	96.22 (6.87)	33.85 (5.26)	1
8	45	41.96 (92.39)	67.48 (169.45)	65.53 (143.01)	39.20 (46.95)	31.93 (37.39)	3
9	46	83.84 (145.04)	43.72 (73.79)	16.23 (51.08)	18.22 (56.41)	31.75 (92.19)	4
10	47	77.35 (70.35)	86.32 (1,162.20)	57.26 (267.64)	52.67 (218.62)	46.72 (196.73)	1
11	50	61.01 (430.04)	81.10 (604.45)	31.30 (510.11)	61.34 (1,129.70)	46.17 (466.41)	2

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

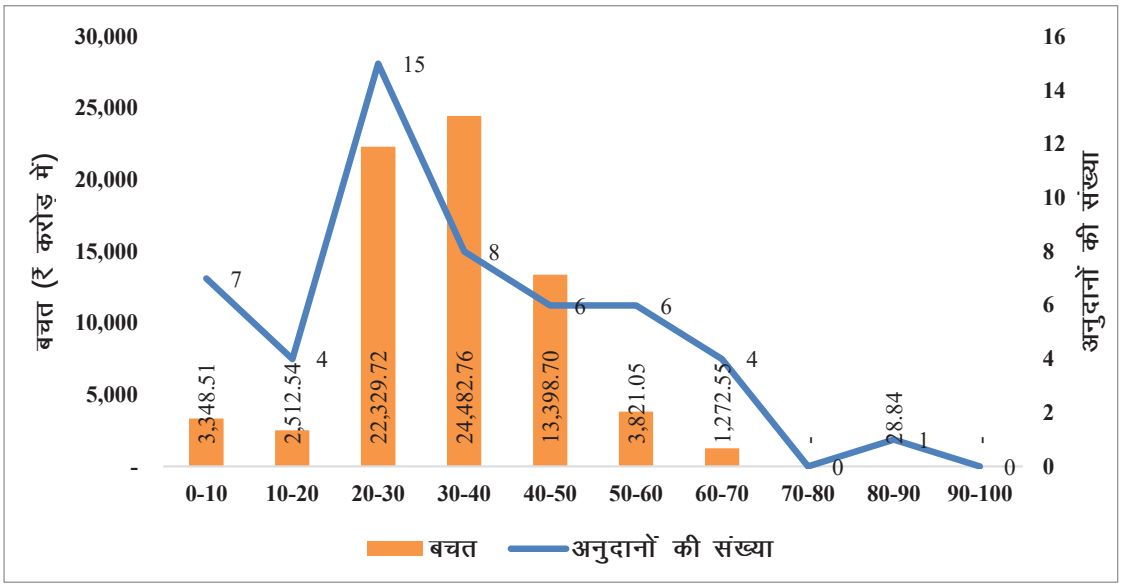
** 50 प्रतिशत से कम उपयोग वाले वर्षों की संख्या*

इन 11 अनुदानों में से चार अनुदान ऐसे थे जिनमें बजट का उपयोग विगत पांच वर्षों में तीन या उससे अधिक बार 50 प्रतिशत से कम था। बिहार सरकार ने पिछले वर्षों में विभागों द्वारा व्यय की गई बजटीय राशि के प्रतिशत का संज्ञान नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप बजट अनुमान अतिकथित और अवास्तविक था।

वर्ष 2021–22 में अभ्यर्पित राशि की जांच (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ और अधिक) से स्पष्ट हुआ है कि 13 अनुदानों के तहत ₹ 9,419.93 करोड़ का अभ्यर्पण था। नौ अनुदानों के तहत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था, जो निधियों के गलत आकलन को दर्शाता है। अनुदानवार विवरण ***परिशिष्ट 3.9*** में प्रदर्शित है।

यह स्पष्ट है कि विभाग अपने मूल बजट प्रावधानों का उपयोग करने में विफल रहे, जिससे अनुपूरक प्रावधान निरर्थक रहें। एक अनुदान में तो अभ्यर्पित राशि अनुपूरक प्रावधानों से भी अधिक थी। **चार्ट 3.3** में वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी कुल बचत के साथ–साथ बचत के प्रतिशत द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या को दर्शाया गया है।

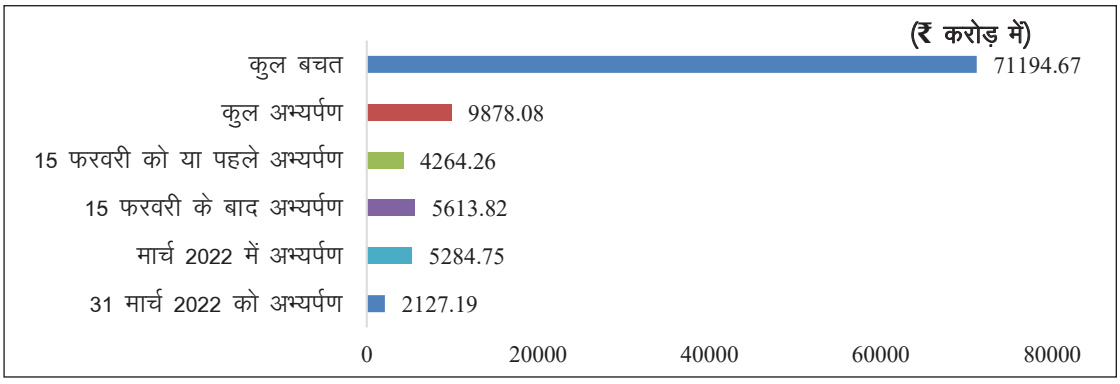
चार्ट 3.3: कुल बचत के साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों / विनियोगों की संख्या



(स्रोत: वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि 51 में से 11 अनुदानों में बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी, जिसमें एक अनुदान में बचत उसके बजट प्रावधान का 80 प्रतिशत से भी अधिक था। अतः, राज्य को अपनी बजटीय प्रणाली की जांच करनी चाहिए, क्योंकि 22 प्रतिशत अनुदान उनके बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से अधिक बचत को दर्शाते हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण को **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण



(स्रोत: वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

बिहार बजट नियमावली की कंडिका 104 के अनुसार, अतिरिक्त व्यय, जो निश्चित रूप से पूर्वानुमानित नहीं थे अथवा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदित नहीं थे, को पूरा करने के लिए बचत में से कोई राशि आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। बचत का अभ्यर्पण चालू वर्ष की 15 फरवरी तक कर दिया जाना चाहिए। असाधारण मामलों में अभ्यर्पण वर्तमान वर्ष की 31 मार्च तक समर्पित किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित प्रावधानों का व्यापक उल्लंघन करते हुए 15 फरवरी के बाद ₹ 5,613.82 करोड़ का वृहद् अभ्यर्पण किया गया, जिसने अन्य विभागों को निधि से वंचित किया, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

3.3.5 पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान, एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यक्तियों को दिये गये भुगतान हैं जो सहायता, दान अथवा अंशदान की प्रकृति के होते हैं। सहायता अनुदान किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य के लिए सहायता के प्रयोजनार्थ दिया जाता है, जिसमें परिसंपत्तियों का निर्माण भी शामिल है। आई0जी0ए0ए0एस0–2 के अनुसार, उन मामलों को छोड़कर, जहां भारत के नि0म0ले0प0 की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, किसी ग्रान्टर द्वारा ग्रांटी को संवितरित सहायता अनुदान को सहायता अनुदान की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाना है।

वित्त लेखे 2021–22 (खण्ड I) की विवरण–X के अनुसार, 2021–22 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल धनराशि ₹ 65,015.01 करोड़ थी, जिनमें से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आवंटित धनराशि ₹ 6,177.94 करोड़ (9.50 प्रतिशत) थी।

तालिका 3.8: पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल सहायता अनुदान	वृद्धि प्रतिशत में	पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण के लिए सहायता अनुदान	पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण के लिए उपयोग किए गए सहायता अनुदान का प्रतिशत	वृद्धि प्रतिशत में
2017–18	43,358.73	19.74	4,222.31	9.74	64.36
2018–19	51,764.29	19.39	14,023.84	27.09	232.14
2019–20	46,581.54	(–) 10.01	5,569.37	11.96	(–) 60.29
2020–21	54,928.98	17.92	27,340.81	49.77	390.91
2021–22	65,015.01	18.36	6,177.94	9.50	(–) 77.40
औसत	**52,329.71**	**13.08**	**11,466.85**	**21.61**	**109.94**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे का विवरण–X)

चूंकि सहायता अनुदान के अंतर्गत किए गए व्यय की अधिकांश राशि को उपयोगिता प्रमाण–पत्र के माध्यम से सूचित नहीं किया जा रहा था, फलतः पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण और अभिष्ट उद्देश्यों पर वास्तव में व्यय की गई धनराशि का पता नहीं लगाया जा सका।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

विभागों में बजटीय और लेखांकन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रबंधन को बजटीय नियंत्रण प्रणाली की समस्याओं को हल करने के उपाय करने चाहिए। साथ ही, सरकार को अपने बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रत्येक कार्यनिष्पादन संकेतक के लिए वार्षिक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए, ताकि विभागों को प्रत्येक संकेतक के लिए निर्धारित वार्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े।

3.4.1 बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविकी के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति को संतुलित रखता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति **तालिका 3.9** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.9: वर्ष 2021–22 के दौरान बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	मार्च 2022 में अभ्यर्पित की गई राशि	मार्च 2022 में अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशत (कॉलम 8/कॉलम 6x100)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
दत्तमत	I- राजस्व	1,62,260.72	36,988.58	1,99,249.30	1,46,154.88	53,094.42	7,649.64	3,868.39	7.29
	II- पूँजीगत	30,788.02	9,821.66	40,609.68	23,762.48	16,847.20	2,189.34	1,404.77	8.34
	III- ऋण और अग्रिम	1,348.86	271.29	1,620.15	1,478.51	141.64	37.74	11.23	7.93
	कुल दत्तमत	**1,94,397.60**	**47,081.53**	**2,41,479.13**	**1,71,395.87**	**70,083.26**	**9,876.72**	**5,284.39**	**7.54**
भारित	IV- राजस्व	14,810.67	12.64	14,823.31	14,059.86	763.45	1.36	0.36	0.05
	V- पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VI- सार्वजनिक ऋण अदायगी	9,094.43	0.00	9,094.43	8,746.47	347.96	0.00	0.00	0.00
कुल भारित		**23,905.10**	**12.64**	**23,917.74**	**22,806.33**	**1,111.41**	**1.36**	**0.36**	**0.03**
कुल योग		**2,18,302.70**	**47,094.17**	**2,65,396.87**	**1,94,202.20**	**71,194.67**	**9,878.08**	**5,284.75**	**7.42**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

टिप्पणी: व्यय में ₹ 995.03 करोड़ की राशि के राजस्व व्यय की वसूली /वापसी और ₹ 84.19 करोड़ के पूंजीगत व्यय की वसूली को व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया गया है।

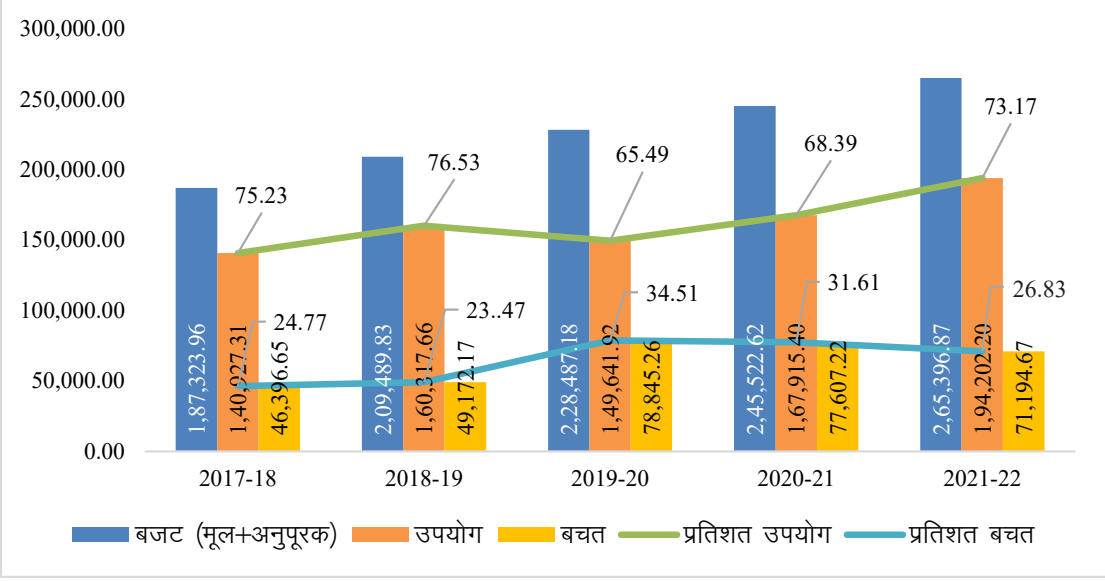
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान ₹ 2,65,396.87 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1,94,202.20 करोड़ (73.17 प्रतिशत) का व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि ₹ 47,094.17 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान परिहार्य था क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (₹ 2,18,302.70 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था।

समग्र बचत ₹ 71,194.67 करोड़ (26.83 प्रतिशत), राजस्व खंड के अन्तर्गत 46 अनुदानों तथा आठ विनियोगों में ₹ 53,857.87 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत खंड के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम भाग के सात अनुदानों तथा सार्वजनिक ऋण अदायगी के एक अनुदान सहित 35 अनुदानों में ₹ 17,336.80 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई।

कुल बचत ₹ 71,194.67 करोड़ में से केवल 13.87 प्रतिशत (₹ 9,878.08 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61,316.59 करोड़ की बचत (कुल बचत के 86.13 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। कुल बचत अनुपूरक प्रावधान का 151.18 प्रतिशत थी। बजट में समग्र प्रावधान के सापेक्ष समग्र बचत और आधिक्य के प्रतिशत की प्रवृत्ति **चार्ट 3.5** में दिखायी गयी है।

चार्ट 3.5: 2017–18 से 2021–22 के दौरान बजट का उपयोग

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि विनियोग के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों के दौरान कुल बचत 23.47 प्रतिशत से 34.51 प्रतिशत तक थी, जो महत्वपूर्ण है। यह गलत अनुमान तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है।

इसके अलावा, 45 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 520 विस्तृत लेखा शीर्षों में ₹ 6,756.73 करोड़ के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के मामले थे। इन मामलों में से 21 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 54 मामलों में ₹ 5,653.04 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 25 करोड़ और अधिक) के कुल प्रावधान अप्रयुक्त थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.10*** में वर्णित है। निधियों का उपयोग न होने से पता चलता है कि बजट को या तो उचित दूरदर्शिता के बिना तैयार किया गया था या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई थी।

3.4.2 योजनाओं की उद्घोषणाएं और उनके सापेक्ष बजटीय सहायता का प्रावधान न होना

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत समाज कल्याण एवं अन्य योजनाओं से संबंधित, प्रमुख नीतियों की उद्घोषणा बजट में की गयी। इस विषय पर वित्त विभाग के माध्यम से सभी 44 विभागों से जानकारी मांगी गई थी, परंतु केवल 15 विभागों ने ही जानकारी उपलब्ध करायी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागों द्वारा कुछ प्रमुख नीतिगत पहल की गई थी परन्तु उन पर कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी जैसा की नीचे **तालिका 3.10** में वर्णित है।

तालिका 3.10: योजनाएँ जिनके लिए प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय
1	सहकारिता विभाग	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.01	0.00	0.00
2		मौसम आधारित फसल बीमा के प्रीमियम	0.01	0.00	0.00
3		संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	0.01	0.00	0.00
4		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	0.01	0.00	0.00
5		सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण/अनुरक्षण	0.01	0.00	0.00
6		गोदाम निर्माण के लिए बिहार राज्य भंडारण निगम को अनुदान	0.01	0.00	0.00
7		न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीद के लिए कार्यशील पूंजी	0.01	0.00	0.00
8		केंद्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान	0.01	0.00	0.00
9		केंद्रीय सहकारी बैंकों में निवेश	0.01	0.00	0.00
10		पैक्स का कम्प्यूटरीकरण	5.00	5.00	0.00
11		मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना	0.01	0.00	0.00
12		सहकारिता विभाग के कार्यालय का निर्माण	10.00	11.90	0.00
13		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य और सी0एस0एस0)	15.40	0.00	0.00
14	पंचायती राज विभाग	सात निश्चय–2 (सौर स्ट्रीट लाइट)	150.00	150.00	0.00
15	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	वक्फ संपत्तियों का रखरखाव और संरक्षण	6.00	0.00	0.00
16		अल्पसंख्यक कारीगर और साक्षर युवा कर्मकार का प्रशिक्षण (मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना)	5.00	0.00	0.00
17	अ0जा0 और अ0ज0जा0 कल्याण विभाग	कानूनी सहायता	0.01	0.01	0.01
18		अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति	0.10	0.10	0.00
19		अंबेडकर फाउंडेशन	0.50	0.50	0.00
20		आय सृजन योजना	0.50	0.50	0.00
21		प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (राज्य और सी0एस0एस0)	40.05	0.05	0.00
22		एससीडीसी की शेयर पूंजी	4.00	4.00	0.00
23		एसटी छात्रों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला योजना	0.10	0.10	0.00
24		थारुहट क्षेत्र का विकास	35.62	35.62	0.00
25		अ0 जा0 के विकास की योजना	5.70	5.70	0.00
26		वनबन्धु कल्याण योजना	0.10	0.10	0.00
27	लघु सिंचाई विभाग	सर्वेक्षण और जांच	1.00	1.00	0.00

(स्रोत: विभागों से प्राप्त आंकड़े)

विभागों द्वारा प्राक्कलनों में संशोधन का कारण सूचित नहीं किया गया है। यह लाभार्थियों को उद्दिष्ट लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को निधि से वंचित करता है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

3.4.3 पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का उल्लंघन

किसी वर्ष के अनुदान या विनियोगों के भीतर अनुज्ञेय पुनर्विनियोगों को वर्ष के भीतर ही किसी समय स्वीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं। लेखापरीक्षा

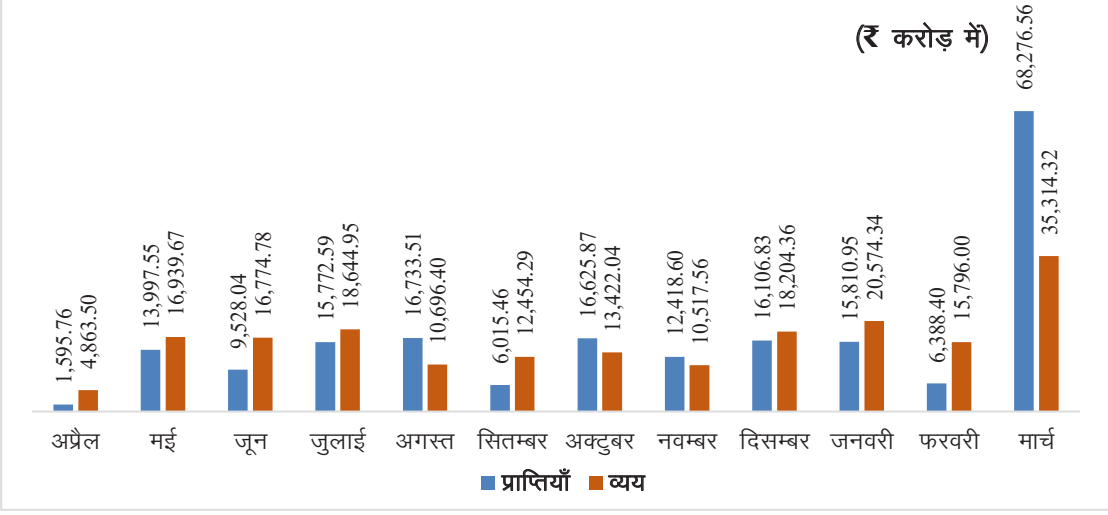
में देखा गया कि एक मामले में परिवहन विभाग ने 4 जुलाई 2022 को ₹ 15.00 करोड़ की राशि के पुनर्विनियोग के लिए अनुरोध किया और वित्त विभाग ने (11.07.2022) अपनी स्वीकृति प्रदान की।

3.4.4 सघन व्यय

बिहार बजट नियमावली (बी0बी0एम0), 2016, का नियम 215 यह निर्धारित करता है कि जब तक कि अपरिहार्य न हो विलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज किया जाय। वर्ष के अंत में किसी संवितरण अधिकारी के व्ययाधीन राशि अक्सर फिजूलखर्ची और सघन व्यय को आमंत्रित करती है। बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए व्यय का एक समान प्रवाह आवश्यक है।

लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि 16 विभागों में, अंतिम तिमाही के दौरान व्यय (₹ 24,347.61 करोड़) तथा मार्च 2022 में व्यय (₹ 14,070.20 करोड़), वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ 42,045.20 करोड़) का क्रमशः 57.91 प्रतिशत और 33.46 प्रतिशत थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.11*** में विस्तृत है। मार्च 2022 में 26 अनुदानों के 90 विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत कुल प्रावधान ₹ 5,864.84 करोड़ के शत–प्रतिशत व्यय (प्रत्येक ₹ 1 करोड़ एवं अधिक के मामले) के प्रकरण थे जैसा की ***परिशिष्ट 3.12*** में वर्णित है। हालांकि, समग्र विनियोग के संदर्भ में, मार्च 2022 में व्यय कुल व्यय का 18 प्रतिशत था जबकि मार्च 2022 में प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों की 34 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय की मासिक प्रवृत्ति **चार्ट 3.6** में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ और व्यय

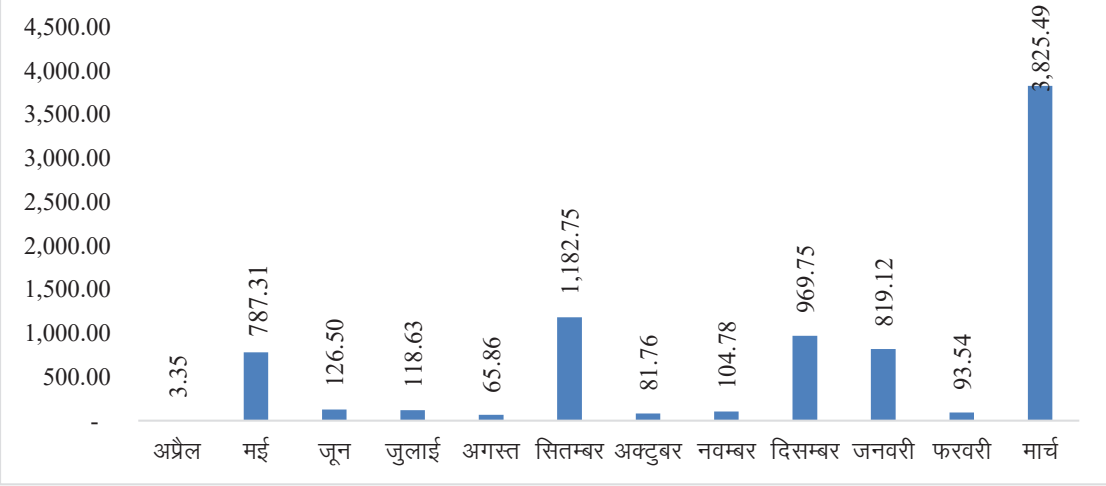


(स्रोतः वर्ष 2021–22 के मासिक व्यय प्रतिवेदन तथा मासिक सिविल लेखे)

परिशिष्ट 3.11 से यह भी पता चलता है कि मार्च 2022 के दौरान प्रतिशतवार (71.65 प्रतिशत) उच्चतम व्यय (₹ 536.35 करोड़) अनुदान संख्या 26 – श्रम संसाधन विभाग मे किया गया, परंतु अनुदान संख्या 16 – पंचायती राज विभाग के अंतर्गत समग्र सर्वाधिक व्यय ₹ 4,150.85 करोड़ किया गया। पंचायती राज विभाग का कुल बजट प्रावधान ₹ 13,545.87 करोड़ (मूल ₹ 9,544.93 करोड़ एवं अनुपूरक ₹ 4,000.94 करोड़–फरवरी 2022) एवं वर्ष के दौरान विभाग का वास्तविक व्यय ₹ 8,178.85 करोड़ था। मासिक व्यय नीचे **चार्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: मार्च में अधिकतम व्यय को इंगित करता पंचायती राज विभाग का मासिक व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2021–22 का मासिक व्यय प्रतिवेदन)

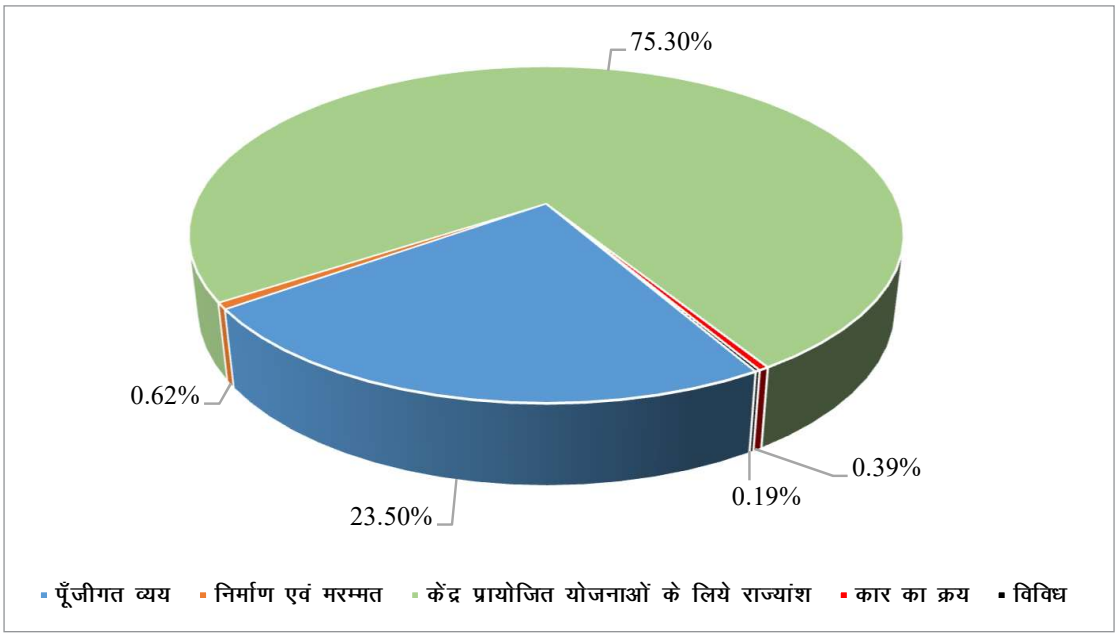
इस प्रकार वर्ष के अंतिम भाग/ अंतिम माह में विभागों द्वारा वृहत राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं प्रभावी व्यय नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय ने, व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण को इंगित किया।

3.4.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950, के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई थी।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015, के द्वारा बिहार सरकार ने 01 अप्रैल 2021 से 30 मार्च 2022 की अवधि के लिए निधि के कोष को अस्थायी रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 8,732.10 करोड़ कर दिया। यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा एवं भूकम्प तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वैसी परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए, जिसके लिए बजट प्रावधान न किया गया हो एवं व्यय को तत्काल किया जाना हो, के लिए था। बढ़ाई गई कुल राशि के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जाना था। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 3,981.79 करोड़ की राशि के 88 आहरण किये गये थे, जिसमें से कुल ₹ 1,559.01 करोड़ (39.15 प्रतिशत) के 21 आहरण गैर–आकस्मिक व्यय के लिए किये गये थे जैसा कि ***परिशिष्ट 3.13*** में वर्णित है।

चार्ट 3.8: आकस्मिक निधि से गैर आकस्मिक व्यय



(स्रोत: महालेखाकार (ले0 एवं हक0) से प्राप्त अभिलेख)

इस प्रकार, एक नियमित बजट में धनराशि का प्रावधान करने के बजाय, इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक निधि से स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, आकस्मिकता निधि के विश्लेषण से पता चला कि विगत पाँच वर्षों के दौरान न केवल प्राकृतिक आपदाओं पर राहत और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए परंतु गैर–आकस्मिक प्रवृति के व्यय के लिए भी अस्थायी आधार पर इसे नियमित रूप से बढ़ाया जाता रहा है। तथापि, विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय आकस्मिकता निधि से आहरित निधि का 28.25 से 78.77 प्रतिशत था, जैसा कि **तालिका 3.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	वर्ष	आकस्मिकता निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2017–18	4,949.21	3,898.33	78.77
2	2018–19	4,353.49	1,725.00	39.62
3	2019–20	3,529.76	2,332.00	66.07
4	2020–21	5,825.42	2,925.53	50.22
5	2021–22	3,981.79	1,125.00	28.25

(स्रोत: वित्त विभाग के अभिलेख)

वित्त विभाग पर उपरोक्त नियमित व्यय के लिए बजटीय प्रावधान करने और इसे वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में अपेक्षित पूर्व विधायी अनुमोदन प्राप्त करने का दायित्व था। हालांकि, आकस्मिकता निधि का उपयोग, संवैधानिक उपबंधों के विरूद्ध, एक अग्रदाय खाते के रूप में किया जा रहा है।

3.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी

बजट की पारदर्शिता से तात्पर्य समय पर और व्यवस्थित तरीके से सभी प्रासंगिक राजकोषीय जानकारी का पूर्ण प्रकटीकरण और सरकारी राजस्व, आवंटन और व्यय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना

है। इस संदर्भ में, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, बिहार सरकार ने (1 अप्रैल 2019) व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) लागू की।

बजट को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, राज्य सरकार ने वर्ष 2021–22 के लिए मुख्य बजट के साथ परिणाम बजट, जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किया, ताकि उनके लिए निर्धारित धन आवंटित किया जा सके और लेखांकन एवं उपलब्धि को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके।

वर्ष 2021–22 के बजट अभिलेखों के तुलनात्मक अध्ययन/विश्लेषण से पता चला कि मुख्य बजट में शामिल कुल 2551 योजनाओं के मुकाबले केवल 1342 योजनाओं को "परिणाम बजट" में लिया गया था, जैसा कि **तालिका 3.12** में विस्तृत है।

तालिका 3.12: विशिष्ट बजट के साथ मुख्य बजट का तुलनात्मक विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विशिष्ट बजट का नाम	योजनाओं की संख्या	बजट राशि	मूल बजट का प्रतिशत	व्ययित राशि (विनियोग लेखों)	बजट अनुमान के मुकाबले प्रतिशत व्यय
1	विनियोग लेखे	2551	2,65,396.87	100.00	1,94,202.20	100.00
2	परिणाम बजट (बजट अनुमान)	1342	1,32,527.12	49.94	1,13,184.33	58.28
3	जेन्डर बजट (बजट अनुमान)	621	34,490.57	13.00	64,648.57	33.29
4	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	214	38,708.99	14.59	39,308.12	20.24
5	हरित बजट (बजट अनुमान)	306	7,682.91	2.89	21,964.88	11.31
6	उपलब्धि प्रतिवेदन (पुनरीक्षित अनुमान)	न ही तैयार किया गया है, न ही विधानमंडल में पेश किया गया है और न ही लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया गया है।				

(स्रोतः परिणाम, जेंडर, बाल कल्याण और हरित बजट 2021–22 के साथ विनियोग लेखे)

विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य ने हर साल विधायिका के समक्ष एक प्रथा के रूप में विशिष्ट बजट प्रस्तुत किए थे, हालांकि विभाग अभी भी योजनाओं के लेखांकन के लिए गुणवत्ता प्रदान करने में पीछे थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बजट परिव्यय का आकार बढ़ गया था, लेकिन राज्य में अंतर–विभागीय समन्वय और प्रशासन के जेंडर संवेदीकरण के संस्थान कमजोर थे।

3.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2021–22 के दौरान बचत/आधिक्य एवं बजट प्रावधानों तथा अनुपूरक मांगों के परिमाण के आधार पर अनुदान संख्या–39 (आपदा प्रबंधन विभाग), एवं अनुदान संख्या–41 (पथ निर्माण विभाग) की बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। समीक्षा के परिणाम नीचे वर्णित हैं –

3.6.1 अनुदान संख्या –39 "आपदा प्रबंधन विभाग"

बिहार बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवाती तूफान, आग, ओलावृष्टि और उच्च तीव्रता के वज्रपात जैसी कई आपदाओं से ग्रस्त है। राज्य के दो जिले (मधुबनी और सुपौल) पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र V में हैं और 30 जिले आंशिक रूप से भूकंपीय क्षेत्र IV और III में आते हैं। राज्य को चरम गर्मी

और सर्दियों की स्थिति में क्रमशः अत्यधिक गर्मी और शीत–लहर की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कुछ हिस्सों में बिजली गिरने और तेज गति की हवाएं भी राज्य में कष्ट को और अधिक बढ़ा देती हैं।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, राज्य में प्राकृतिक और मानव जनित दोनों आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए नोडल विभाग है। यह आपदा प्रबंधन के लिए समग्र, सक्रिय, बहु–आपदा और प्रौद्योगिकी–संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित एवं आपदा–प्रतिरोधी बिहार का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है।

आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बी0एस0डी0एम0ए0)" बनाया गया था। बी0एस0डी0एम0ए0 आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी0आर0आर0) और शमन पर केंद्रित कई उपाय करता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस अनुदान में पाँच मुख्य शीर्ष (2235, 2245, 2251, 2070 और 4250) संचालित किए जा रहे थे। संक्षेप में वित्तीय प्रावधान नीचे **तालिका 3.13** में दिए गए हैं:

तालिका 3.13: 2021–22 के लिए विनियोग की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	बजट अनुमान	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	कुल व्यय	बचत (5–6)	कुल प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूँजीगत	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	100.00
2	राजस्व	3,321.58	2,473.67	5,795.25	3,895.42	1,899.82	32.78
	कुल	**3,322.08**	**2,473.67**	**5,795.75**	**3,895.42**	**1,900.32**	**32.79**

(स्रोतः आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट/परिलक्षित हुए:

3.6.1.1 बजटीय प्रक्रिया

बजट अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभाग की बजट प्रक्रिया वास्तविकता से परे थी क्योंकि:

- वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि में, ₹ 300.23 करोड़ के अधिक भुगतान की वसूली कर, सरकार को वापस किया गया। प्रावधानों के विपरीत इस धनराशि एक साल से अधिक समय तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के बैंक खातों में रखी गई।

 उत्तर में, यह कहा गया कि निकासी की गई राशि पिछले वर्षों से संबंधित है और इसका व्यय नहीं किया जा सका। इसे जिलों/विभाग द्वारा शीर्ष 911 के अंतर्गत जमा किया गया था। इसलिए, यह राशि अधिक भुगतान नहीं थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष राशियाँ सरकार को लौटायी गई थीं। परिणामस्वरूप, संबंधित वर्षों के व्यय हालांकि उस सीमा तक कम रहें तथापि ये संबंधित विगत वर्षों के लेखों में परिलक्षित नहीं हुए।

- आपदा प्रबंधन विभाग में, 2017–18 से 2021–22 के दौरान ₹ 31,302.20 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन के मुकाबले, केवल ₹ 18,500.70 करोड़ (59.10 प्रतिशत) का व्यय हुआ। कम व्यय इंगित करता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक था। इसके अलावा, आवंटित प्रावधानों के मुकाबले 2018–19 में केवल 34.07 प्रतिशत और 2019–20 में 49.22 प्रतिशत व्यय दर्शाता है कि इन दो वर्षों में बजट आवंटन अत्यधिक अवास्तविक था।

उत्तर में, यह कहा गया कि आपदा प्रबंधन विभाग के बजट का अनुमान प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर लगाया गया था और सटीक अनुमान लगाना असंभव था। इसलिए, बजट अवास्तविक नहीं था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के पास आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक निधि से व्यय करने की सुविधा है और पूरक प्रावधानों के माध्यम से नियत समय में इसकी पूर्ति की जा सकती थी।

- वर्ष 2021–22 में 52 मदों में ₹ 38.15 करोड़ (ज्यादातर सांकेतिक निधि) के उपलब्ध बजटीय प्रावधान के विरुद्ध व्यय नहीं किया गया था और वित्तीय वर्ष के अंत में कुल निधियां व्यपगत हो गईं। वर्ष के दौरान इन मदों के अंतर्गत विभाग द्वारा निधियों की आवश्यकता के लिए कोई मांग नहीं की गई थी।
- राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0), बिहार सरकार ने 2017–18 से 2021–22 के दौरान ₹ 21.80 करोड़ की कुल राशि का अभ्यर्पण किया।
- तीन मुख्य शीर्षो 2070, 2245 और 2251 के तहत, ₹ 3,060.82 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान व्यय की राशि ₹ 1,118.47 करोड़ के मूल प्रावधानों की तुलना में बहुत कम थी ।

3.6.1.2 योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन

विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की जांच की गई है और यह पाया गया कि–

- वर्ष के दौरान विभाग द्वारा बारह वार्षिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी0आर0आर0) योजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन विभाग उन्हें कार्यान्वित करने में विफल रहा, क्योंकि 12 योजनाओं में से केवल तीन में ₹ 80.00 लाख व्यय किए गए थे, जबकि कुल प्रावधान ₹ 11.31 करोड़ था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.14*** में बताया गया है।
- भूकंप प्रतिरोधी भवनों के निर्माण या पुरानी इमारतों को भूकंप प्रतिरोधी भवनों में बदलने के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए, भूकंप की आशंका वाले जिलों में भूकंप सुरक्षा क्लीनिक स्थापित किए जाने थे। बिहार राज्य में भूकंपीय क्षेत्र V में 11 जिले हैं। बी0एस0डी0एम0ए0 ने भूकंप की आशंका वाले चार[21] जिलों को ₹ 19.89 लाख रुपये आवंटित किए, जिसमें दो जिले (मुजफ्फरपुर और भागलपुर) भूकंपीय क्षेत्र IV में वर्गीकृत थे। इस प्रकार, बी0एस0डी0एम0ए0 ने धन के आवंटन के लिए भूकंपीय क्षेत्र V में वर्गीकृत जिलों को प्राथमिकता नहीं दी।

3.6.1.3 वित्तीय प्रबंधन

- **लंबित डी0सी0 विपत्र**–: 2002–03 से 2021–22 की अवधि में एसी विपत्रों के माध्यम से ₹ 11,122.09 करोड़ के आहरण के विरुद्ध ₹ 1,374.83 करोड़ के डीसी विपत्र लंबित थे। चयनित डी0डी0ओ0 के सापेक्ष लंबित मामलों की विवरणी **तालिका 3.14** में है।

तालिका 3.14: डी0सी0 विपत्रों के लंबित होने का विवरण

(₹ करोड़ में)

कार्यालय का नाम	आहरित एसी विपत्रों की राशि	एसी विपत्र समायोजित/ डीसी विपत्र जमा	एसी विपत्रों की बकाया/ असमायोजित राशि
बी0एस0डी0एम0ए0 पटना	1.56	0.00	1.56
डी0डी0एम0ए0 नालंदा	9.34	5.30	4.04
डी0डी0एम0ए0 पटना	2.37	0.00	2.37

[21] दरभंगा (₹ 4.90 लाख), सीतामढ़ी (₹ 4.92 लाख), मुजफ्फरपुर (₹ 4.52 लाख), भागलपुर (₹ 5.15 लाख)

लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रः 2003–04 से 2018–19 की अवधि के दौरान सहायक अनुदान के रूप में ₹ 2,764.27 करोड़ के आहरण/प्राप्ति के सापेक्ष केवल ₹ 728.97 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण– पत्र (अगस्त 2022) प्रस्तुत किए गए थे। चयनित डी0डी0ओ0 में लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विवरण नीचे दी गई **तालिका 3.15** में दिया गया है।

तालिका 3.15: उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के लंबित होने का विवरण

(₹ करोड़ में)

कार्यालय का नाम	आहरित सहायता अनुदान की राशि	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की राशि	सहायता अनुदान की बकाया राशि
बी0एस0डी0एम0ए0 पटना	17.33	5.17	12.16
डी0डी0एम0ए0 नालंदा	28.00	9.00	19.00
डी0डी0एम0ए0 पटना	80.00	18.00	62.00
एस0डी0आर0एफ0 बिहटा, पटना	1.07	0.30	0.77

- अगस्त 2017 में आई बाढ़ में 200 मृतकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए ₹ 4.01 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले 68 मृतकों और एक घायल व्यक्ति के परिजनों को ₹ 1.37 करोड़ की अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए जिला दंडाधिकारी (डी0एम0) को हस्तांतरित (अप्रैल 2018) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (अप्रैल 2022) प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- यह पाया गया कि 2017–18 से 2021–22 के दौरान, डी0एम0डी0 की पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कोई पूंजीगत व्यय नहीं किया गया था, हालांकि वर्ष 2010 से राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0) मुख्यालय और जिलों में एस0डी0आर0एफ0 दलों के लिए स्थायी भवनों की आवश्यकता थी। यह डी0एम0डी0 की कमजोर आयोजना को इंगित करता है।
- डी0एम0डी0 ने राज्य में संभावित आपदाओं का पूर्वानुमान करते हुए 31 योजना शीर्षों में सांकेतिक निधि का प्रावधान किया, जो आपदाओं के लिए इसकी तैयारियों को दर्शाता है। वर्ष के दौरान, केवल एक योजना मद के तहत रखी गयी राशि का उपयोग किया गया था।
- सी0एफ0एम0एस0 के 01 अप्रैल 2019 से कार्यान्वित हो जाने के बाद, प्रत्येक लेनदेन केवल सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किये जाने की आवश्यकता थी। बी0एस0डी0एम0ए0 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि काफी हद तक लेन–देन गैर–सी0एफ0एम0एस0 माध्यम से किए जा रहे थे। यह भी पाया गया कि सी0एफ0एम0एस0 के अलावा, 11 बैंक खाते परिचालित थे और 31 मार्च 2022 को इनमें ₹ 38.38 करोड़ की राशि शेष थी।
- डी0डी0एम0ए0 नालंदा में, वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान कोविड–19 के प्रबंधन और शमन के लिए क्रमशः ₹ 65.18 करोड़ और ₹ 61.57 करोड़ की राशि की प्राप्ति और वितरण सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से नहीं किया गया था।
- जिलों में महामारी आपदा राहत केंद्र स्थापित करने के लिए, सभी 38 जिलों (मार्च से मई 2020) को बिहार सरकार द्वारा ₹ 80.74 करोड़ का आवंटन किया गया था। 12 जिलों से ₹ 27.00 करोड़ की धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

3.6.1.4 अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

- ग्रामीण कार्य विभाग के तहत आने वाली बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (बी0आर0आर0डी0ए0) ने उसके व्यक्तिगत बही (पी0एल0) खाते में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार कार्य के लिए प्राप्त ₹ 119.93 करोड़ (2019–20 में ₹100.50 करोड़ और 2021–22 में ₹ 19.43 करोड़) की राशि में से ₹ 98.98 करोड़ का अंत शेष प्रतिवेदित किया था (मार्च 2022)। सड़कों

और पुलों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार के लिए प्राप्त राशि को पी0एल0 खाते में रखने के परिणामस्वरूप ₹ 98.98 करोड़ की राशि अवरोधित रही। आपदा प्रबंधन विभाग, बी0आर0आर0डी0ए0 (ग्रा0का0वि0) को हस्तांतरित निधि की निगरानी करने में विफल रहा और पूर्व की हस्तांतरित निधि का उपयोग सुनिश्चित किए बिना और निधि को पुनः विमुक्त किया।

3.6.2 अनुदान संख्या 41 "पथ निर्माण विभाग"

बिहार में सड़क नेटवर्क 24963.04 किलोमीटर (कि0मी0) का है, जिसमें 5976.84 कि0मी0 लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0), 3713.97 कि0मी0 लंबे राज्य राजमार्ग (एस0एच0) और 15272.60 कि0मी0 की कुल लंबाई की प्रमुख जिला सड़कें (एम0डी0आर0) शामिल हैं।

पथ निर्माण विभाग (प0नि0वि0), बिहार सरकार फ्लाईओवर, आर0ओ0बी0 और एलिवेटेड कॉरिडोर सहित सड़कों और पुलों की योजना, डिजाइनिंग, निर्माण सुधार सुदृढ़ीकरण और रख–रखाव, स्वयं एवं अपनी दो एजेंसियों/निगमों नामतः बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आर0डी0सी0एल0) और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बी0आर0पी0एन0एन0एल0) के माध्यम से करता है।

वर्ष 2006–07 से 2021–22 (दिसंबर 2021 तक) की अवधि के दौरान, ₹ 11,300.97 करोड़ (केंद्रीय निधि ₹ 10,257.75 करोड़ और राज्य निधि ₹ 1,043.22 करोड़) के व्यय के साथ कुल 7726.94 कि0मी0 एन0एच0 (राष्ट्रीय राजमार्ग मूल (एन0एच0ओ0) निधि द्वारा 5495.42 कि0मी0 और शेष 2231.52 कि0 मी0 राज्य निधि द्वारा) का अनुरक्षण पथ निर्माण विभाग एवं इसकी एजेंसियों द्वारा किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस अनुदान में तीन प्रमुख शीर्ष (3054, 3451 और 5054) संचालित थे। संक्षिप्त वित्तीय प्रावधान नीचे **तालिका 3.16** में वर्णित है:

तालिका 3.16: 2021–22 के लिए संक्षिप्त विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	बजट अनुमान	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	कुल व्यय	बचत (5–6)	कुल प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूँजीगत	3,809.90	1,320.48	5,130.38	4,057.05	1,073.33	20.92
2	राजस्व	1,993.71	0.00	1,993.71	1,568.82	424.88	21.31
	कुल	**5,803.61**	**1,320.48**	**7,124.09**	**5,625.87**	**1,498.21**	**21.03**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हुए:

3.6.2.1 बजट प्रक्रिया

विभाग की बजटीय प्रक्रिया अवास्तविक और अनुपयुक्त थी। कुल बजटीय प्रावधानों और व्यय के बीच एक बड़ा अंतर था और बड़ी मात्रा में बचत से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2021–22 के लिए, बजट अनुमान बिना किसी उचित योजना के तैयार किये गये थे। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- कुल प्रावधान ₹ 7,124.09 करोड़ (मूल प्रावधान ₹ 5,803.61 करोड़ और अनुपूरक प्रावधान ₹ 1,320.48 करोड़) के विरूद्ध केवल ₹ 5,625.87 करोड़ व्यय किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,498.21 करोड़ (21 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण बचत हुई जिसमें से विभाग द्वारा केवल ₹ 410.60 करोड़ (27 प्रतिशत) अभ्यर्पित किया गया।
- राजस्व खण्ड में ₹ 424.88 करोड़ की अंतिम बचत, विगत वर्षों से संबंधित उचन्त लेखे की आपत्ति पुस्तिका से ₹ 68.52 करोड़ का समाशोधन एवं चालू वर्ष से संबंधित ₹ 123.90 करोड़

उचन्त लेखे की आपत्ति पुस्तिका में रखे जाने के कारण ₹ 55.38 करोड से अतिकथित था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं थे।

- पूंजीगत खण्ड में ₹ 1,073.33 करोड़ की अंतिम बचत विगत वर्षों से संबंधित उचन्त लेखे की आपत्ति पुस्तिका से ₹ 91.17 करोड़ के समाशोधन के कारण और चालू वर्ष से संबंधित ₹ 189.65 करोड़ उचन्त लेखे की आपत्ति पुस्तिका में रखे जाने के कारण ₹ 98.48 करोड़ से अतिकथित था।
- विभाग ने वर्ष 2021–22 के दौरान के तीन[22] लेखाशीर्षों के लिए ₹ 200.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया था। हालांकि, विभाग कोई भी व्यय करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप शत–प्रतिशत राशि अभ्यर्पित हुई। अभ्यर्पण का कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया था।
- विशेष सहायता (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान सड़क) में मूल बजट प्रावधान में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से 110 प्रतिशत (₹ 186 करोड़ से ₹ 391.48 करोड़) की वृद्धि की गई थी। हालांकि, उपर्युक्त योजना में विभाग द्वारा किया गया वास्तविक व्यय केवल ₹ 195.00 करोड़ (50 प्रतिशत) था, जिससे ₹ 196.48 करोड़ की बचत हुई। इस प्रकार, व्यय मूल प्रावधान से केवल पांच प्रतिशत अधिक था।
- विभाग द्वारा तीन[23] योजनाओं में ₹ 358.12 करोड़ के मूल प्रस्ताव को घटाकर मात्र ₹ 50.00 करोड़ कर दिया गया। तथापि, ₹ 200.00 करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया, जिसमें से केवल ₹ 147.47 करोड़ का ही व्यय किया गया था, जो विभागीय स्तर पर गलत आयोजना को दर्शाता है।
- विभाग को 'वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र' योजना के तहत बजट का केन्द्रीय हिस्सा (₹ 400.00 करोड़) और राज्य का हिस्सा (₹ 400.00 करोड़) प्राप्त हुआ। लेकिन, विभाग बजटीय प्रावधानों का पूरा उपयोग करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय हिस्से के ₹ 100.00 करोड़ (25 प्रतिशत) और राज्य के हिस्से के ₹ 90.93 करोड़ (22.73 प्रतिशत) की बचत हुई।
- तीन[24] योजनाओं के लिए ₹ 407.12 करोड़ के मूल प्रावधान के मुकाबले, विभाग ने 60 प्रतिशत से कम (₹ 243.70 करोड़) राशि का व्यय किया, जिससे ₹ 163.42 करोड़ (40 प्रतिशत) की बचत हुई। अनावश्यक और अत्यधिक प्रावधान के कारण बचत 34.67 प्रतिशत से 57.82 प्रतिशत के बीच थी।
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि सभी प्रतिबद्ध और विकासात्मक व्यय, किसी भी व्यय के लिए गैर–बजट या वित्तपोषण के किसी भी गैर–पारदर्शी साधन का सहारा लिए बिना, संवर्धित ऋण प्रक्षेत्रों/संसाधनों से पूरा किए जाने चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि उक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2021–22 के दौरान गंगा पथ के लिए हुडको से ₹ 520.00 करोड़ का ऋण लिया गया था। राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेज/वार्षिक वित्तीय विवरणी में बजटीय ऋण उधारी का उल्लेख नहीं किया था। **अध्याय–IV** में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है।

[22] सात निश्चय–2 के अधीन तीन शीर्ष योजनाओं के लिए कुल बजट प्रावधान: (1) 5054–03–337–0123 (₹ 100.90 करोड़), (2) 5054–03–789–0102 (₹ 55.00 करोड़) एवं (3) 5054–03–796–0104 (₹ 44.10 करोड़) है।

[23] तीन योजनाओं का नाम और उनके तहत बजट प्रस्ताव– (1) ₹ 0.50 करोड़ प्रशिक्षण में (3054–80–003–0101), (2) ₹ 05.00 करोड़ भारत नेपाल सीमा सड़क (5054–02–337–0101), (3) ₹ 352.62 करोड़ पुल राज्य योजना में (5054–03–101–0101)

[24] तीन शीर्षमदों में बजट प्रावधान के सापेक्ष 60 प्रतिशत से कम व्यय– (1) शीर्ष 3054030520001 के तहत ₹ 3.00 करोड़ में से ₹ 1.96 करोड़ (65.33 प्रतिशत) का व्यय (2) शीर्ष 3054800010002 के तहत ₹ 402.65 करोड़ में से ₹ 241.2 करोड़ (59.88 प्रतिशत) का व्यय (3) शीर्ष 3054800010010 के तहत ₹ 1.47 करोड़ में से ₹ 0.62 करोड़ (42.8 प्रतिशत) का व्यय

3.6.2.2 वित्तीय प्रबंधन

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पर्याप्त बचत और बैंक खातों में निधियों की पार्किंग थी, जो वितीय प्रबंधन में कमियों को दर्शा रही थी। कुछ प्रमुख अवलोकन नीचे वर्णित हैं:

- वर्ष 2019–20 के दौरान, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0आर0डी0सी0एल0) ने सड़कों के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ₹ 500.00 करोड़ की राशि बिना उपयोग किए वापस कर दी। निधियों का उपयोग न करने से न केवल निधि के लक्षित उद्देश्य में बाधा उत्पन्न हुई, बल्कि निधियों का अवरोधन भी हुआ जिसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा सकता था।
- यह पाया गया कि 31.03.2022 को विभाग के कार्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रखे गए पी0एल0 खातों में ₹ 845.54[25] करोड़ (₹ 252.93 करोड़ + ₹ 592.61 करोड़) की राशि अव्यवहृत पड़ी थी। पी0एल0 खातों में अव्यवहृत भारी अंतशेष विभाग द्वारा अनुचित निधि प्रबंधन को दर्शाता है।
- वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक के वर्षों के दौरान ''अधिक भुगतान की वसूली'' (लघुशीर्ष 911) के तहत राशि ₹ 1,278.19 करोड़ थी। यह अवास्तविक बजट आवंटन और विभाग के कमजोर बजटीय नियंत्रण को दर्शाती है।

3.6.2.3 योजना कार्यान्वयन

पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन स्वयं विभाग और उसकी दो एजेंसियों/निगमों के माध्यम से किया जा रहा था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आर0डी0सी0एल0)

कंपनी अधिनियम, 1956, के तहत निगमित (2009) कंपनी बी0एस0आर0डी0सी0एल0 की स्थापना बिहार या अन्य जगहों पर विभिन्न सड़क परियोजनाओं को विकसित करने, निर्माण करने और अनुरक्षण के उद्देश्य से की गई थी।

बी0एस0आर0डी0सी0एल0 द्वारा ₹ 9,900.00 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका था और ₹ 17,000.00 करोड़ की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा था जिसमें दीघा–दीदारगंज (जेपी गंगा पथ), मीठापुर– महुली परियोजना, अटल पथ, 6–लेन बिहार नया गंगा पुल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं, जो प्रगति के विभिन्न स्तरों (जुलाई 2022) पर थीं।

बी0एस0आर0डी0सी0एल0 द्वारा अनुमोदित और अवार्ड की गई प्रमुख परियोजनाओं की संवीक्षा, जो वर्ष 2021–22 के दौरान अधूरी थी, **तालिका 3.17** में दर्शायी गई है।

तालिका 3.17: लंबित परियोजनाओं की भौतिक और वितीय प्रगति

परियोजना/पैकेज का नाम	परियोजना/पैकेज की लागत (₹ करोड में)	अवार्ड की तारीख/पूरा होने की निर्धारित तिथि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)
दीघा–दीदारगंज (जेपी गंगा पथ)	3,831.00	अनुपलब्ध/2023–24	..	..
एसएच–88 बरूणा पुल– दलसिंहसराय– रोसरा– सिंघिया– बहेरी– आशापुर–रशियारी सड़क	683.26	14.11.2013/ 31.08.2022	68.78	63.51
एसएच–82 कादिरगंज–दीवानगढ़ खंड पैकेज 5	126.99	26.12.2018/ 30.06.2022	68.07	52.60

[25] बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पास ₹ 252.93 करोड़ और बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड के पास ₹ 592.61 करोड़ अव्ययित पड़े थे।

परियोजना/पैकेज का नाम	परियोजना/पैकेज की लागत (₹ करोड़ में)	अवार्ड की तारीख/पूरा होने की निर्धारित तिथि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)
एसएच–82 दीवानगढ़–बादलडीह खंड पैकेज 6	151.27	26.12.2018/ 30.06.2022	65.51	45.22
एसएच–82 बादलडीह– खैरा खंड पैकेज 7	125.70	26.12.2018/ 30.06.2022	15.00	7.88
एसएच–84 (घोघा बाजार खंड)	135.19	21.12.2018/ 21.12.2021	83.13	75.55

(स्रोत : प0नि0वि0 द्वारा प्रदान किया गये आंकड़ें)

प्रगति की गति को देखते हुए यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं की जा सकेगी और इस प्रकार सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। उपरोक्त मुद्दे को विभाग के समक्ष उठाया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बी0आर0पी0एन0एन0एल0)

बी0आर0पी0एन0एन0एल0, कंपनी अधिनियम, 1956, के तहत निगमित (1975) एक कंपनी है, जिसे मुख्य रूप से पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। पिछले 5 वर्षों की उपलब्धि प्रतिवेदन की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बी0आर0पी0एन0एन0एल0 ने ₹ 4,571.07 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के साथ राज्य योजना के अंतर्गत कुल 112 परियोजनाएं और नाबार्ड योजना के अंतर्गत 91 परियोजनाएं प्रारंभ की थी, जिन्हें नीचे **तालिका 3.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि का उपलब्धि प्रतिवेदन

क्रम सं0	शीर्ष	2017–18		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		कुल	
		संख्या	₹ करोड़ में	संख्या	₹ करोड़ में	संख्या	₹ करोड़ में	संख्या	₹ करोड़ में	संख्या	₹ करोड़ में	संख्या	₹ करोड़ में
1	राज्य योजना	12	156.45	16	219.43	39	1205.01	40	527.09	5	145.91	112	2253.89
2	नाबार्ड ऋण	26	145.16	44	1132.53	13	80.57	6	929.44	2	29.48	91	2317.18

(स्रोत : प0नि0वि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें)

लेखापरीक्षा ने राज्य योजना और नाबार्ड ऋण के तहत पिछले पाँच वर्षों (2017–22) की चल रही परियोजनाओं के आंकड़ों की जांच की। यह देखा गया कि 40 चालू परियोजनाओं ***(परिशिष्ट–3.15)*** में से 30 को 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था, हालांकि ₹ 598.47 करोड़ के व्यय के बावजूद परियोजनाएं अभी भी अधूरी थीं। इन 40 परियोजनाओं में से 12 ने पहले ही संशोधित पूर्णता समय सीमा का लाभ उठाया था जो समाप्त (31 मार्च 2022) हो गई है। इसके अलावा, चार परियोजनाएं विभिन्न चरणों में बाधित हुई, जिसने उन परियोजनाओं पर किये गये ₹ 31.88 करोड़ के व्यय को अलाभकारी कर दिया।

पथ निर्माण विभाग (प0नि0वि0)

दोनों निगमों द्वारा प्रारंभ किए गए या निष्पादित किए जा रहे कार्यों के अलावा, प0नि0वि0 कुछ परियोजनाओं को स्वयं निष्पादित करता है। विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि:

- प0नि0वि0 द्वारा शुरू की गई कुल 268 परियोजनाओं में से छः अधूरी परियोजनाओं पर ₹ 19.01 करोड़ का व्यय (मार्च 2022) अनुपयोगी रहा क्योंकि इन परियोजनाओं पर काम बिना किसी कारण के बीच में ही रूक गया या बंद कर दिया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.16*** में बताया गया है। परियोजनाओं को बीच में बंद किया जाना विभाग की ओर से आयोजना और कार्यान्वयन में कमी को दर्शाता है और यह व्यर्थ व्यय के समान है। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2022)।

✦ विभागीय स्तर पर अनुपयुक्त आयोजना के कारण, 19 परियोजनाएं विभिन्न कारणों से अपूर्ण रह गई, जैसा कि नीचे **तालिका 3.19** में विस्तार से बताया गया है। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 489.59 करोड़ का व्यय पहले ही किया जा चुका था। ₹ 489.59 करोड़ के व्यय के बाद भी परियोजनाओं का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका जिससे राज्य के राजकोष पर उस सीमा तक भार पड़ा।

तालिका 3.19: अपूर्ण परियोजनाएँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	परियोजनाओं के प्रभावित होने का कारण	परियोजनाओं की कुल संख्या	प्रभावित परियोजनाओं पर किया गया व्यय	परियोजनाओं का विवरण
1	कार्यस्थल पर अतिक्रमण	4	15.82	*परिशिष्ट–3.17*
2	भूमि अधिग्रहण के मुद्दे	7	383.42	
3	वन मंजूरी और अन्य वन संबंधी मुद्दे	8	90.34	
	कुल	**19**	**489.58**	

(स्रोत : प0नि0वि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ें)

3.6.2.4 अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

वर्ष 2002–03 से 2019–20[26] के दौरान ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से ₹ 146.75 करोड़ की राशि आहरित की गई थी, जिसमें से ₹ 69.34[27] करोड़ की राशि के डी0सी0 विपत्र (अक्टूबर 2022) प्रतीक्षित थे। वर्ष 2020–21 (सितंबर 2021 तक) के दौरान ए0सी0 विपत्र आहरित नहीं किये गये थे। इस प्रकार, इस अवधि के लिए कोई डी0सी0 विपत्र समर्पित किया जाना अपेक्षित नहीं था।

3.7 विशिष्ट बजट की समीक्षा

महिलाएं, बच्चे, पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन समाज के सबसे संवेदनशील हिस्सों में एक है और उनके लिए निर्धारित सार्वजनिक निधियों पर अधिक ध्यान देने, पारदर्शिता और तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बिहार राज्य एक "कल्याणकारी राज्य" होने के नाते, जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किया है। लेखापरीक्षा द्वारा इन बजटों की समीक्षा की गई एवं प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों पर अग्रवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.7.1 जेंडर बजट की समीक्षा

जब तक महिलाओं को समान रूप से लाभान्वित नहीं किया जाता, तब तक व्यापक विकास प्राप्त नहीं किया जा सकता। महिलाओं का सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन्हें जीवन के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपने अधिकारों का दावा करने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, जिसमें चुनाव की स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता के साथ होनी चाहिए, प्रेरित करती है।

महिला सशक्तिकरण को आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) के दौरान पहली बार मान्यता दी गई थी और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के माध्यम से लैंगिक समानता के लिए प्रमुख संकेतकों की पहचान करने में लगभग 20 वर्ष[28] (12वीं पंचवर्षीय योजना) लग गए। इस बीच भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम0एच0आर0डी0) ने जेंडर बजटिंग के तौर–तरीकों और निष्पादन के पर्यवेक्षण के लिए चेकलिस्ट के साथ–साथ अनुदेश और मार्गदर्शन जारी किए (अक्टूबर 2004) जो कि नीति निर्माण और निर्णय लेने में जवाबदेही और पारदर्शिता स्थापित करने का उद्देश्य रखता है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 के बजट में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। बिहार सरकार ने 2008–09 में इस प्रथा को अपनाया। योजनाओं के समन्वय और निगरानी के लिए समाज

[26] 2002–03 से 2018–19 की अवधि के ₹ 143.97 करोड़ तथा वर्ष 2019–20 के ₹ 2.78 करोड़

[27] 2002–03 से 2018–19 की अवधि के ₹ 66.55 करोड़ तथा वर्ष 2019–20 के ₹ 2.78 करोड़

[28] आर्थिक सर्वेक्षण बिहार, 2021–22

कल्याण विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। अप्रैल 2016 में, महिला विकास निगम (डब्ल्यूडीसी) की राज्य–आधारित एक एजेंसी, जेंडर रिसोर्स सेंटर[29] को समाज कल्याण विभाग द्वारा जेंडर बजटिंग के लिए नामित किया गया था। पांच वर्षों (2017–18 से 2021–22) के लिए जेंडर बजट का विहंगावलोकन नीचे **तालिका 3.20** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.20: जेंडर बजट के तहत आवंटित कुल संसाधन

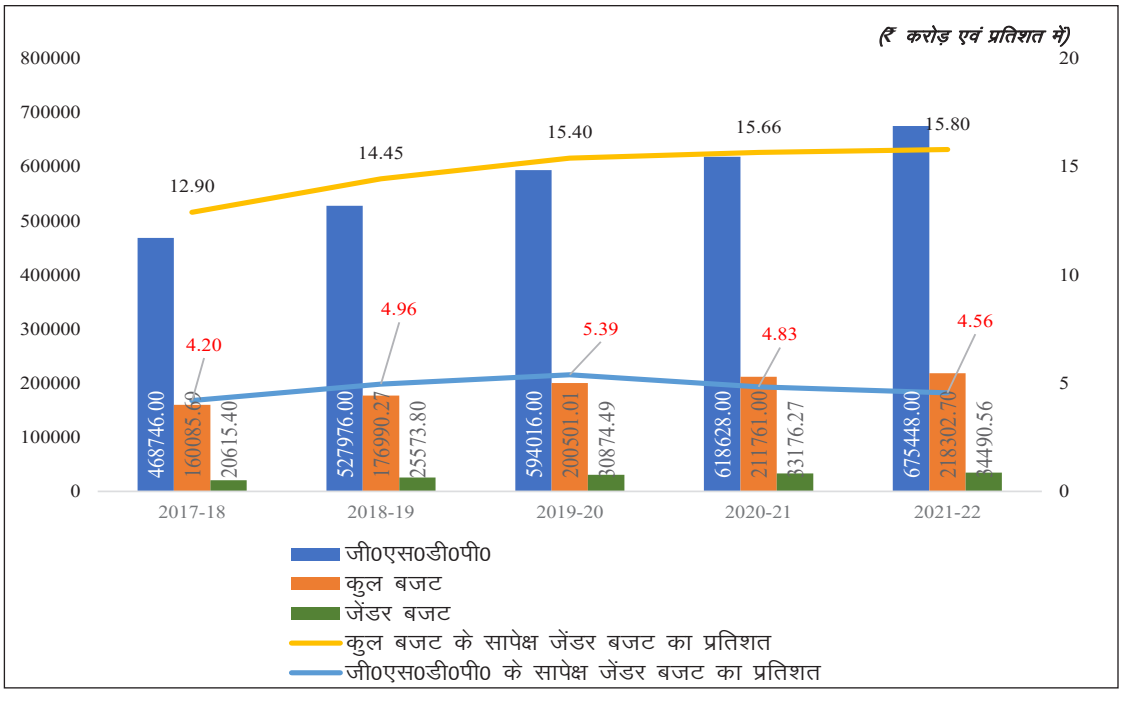
(₹ करोड़ में)

विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
महिलाओं के लिए परिव्यय (बजट अनुमान)	20,615.40	25,573.80	30,874.49	33,176.27	34,490.56
राज्य बजट का कुल आकार (बजट अनुमान)	1,60,085.69	1,76,990.27	2,00,501.01	2,11,761.00	2,18,302.70
राज्य बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	12.90	14.45	15.04	15.66	15.80
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के लिए परिव्यय	4.20	4.96	5.39	4.83	5.11

(स्रोत : वर्ष 2021–22 का जेंडर बजट वित्त विभाग, बिहार सरकार)

वर्ष 2021–22 के दौरान, 20 विभागों (44 विभागों में से) के तहत 621 योजनाओं[30] जेंडर बजट के लिए ₹ 34,490.56 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। तथापि, 10 विभागों के अंतर्गत केवल 86 योजनाएं[31], जो विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं, चलाई जा रही थीं। समग्र बजट के अंतर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई योजनाओं पर श्रेणी ''ए'' (100 प्रतिशत 86 योजनाओं के लिए (–) ₹ 12,084.29 करोड़) और श्रेणी ''बी'' (कम से कम 30 प्रतिशत 535 योजनाओं के लिए (–) ₹ 22,406.27 करोड़) के तहत व्यय करने का प्रस्ताव किया गया था। **चार्ट 3.9** में 2017–18 से 2021–22 के दौरान जीएसडीपी और कुल बजट के सापेक्ष जेंडर बजट के प्रतिशत पर प्रकाश डाला गया है।

चार्ट 3.9: बजट और जीएसडीपी की तुलना में जेंडर बजट



(स्रोत: बजट और जेंडर बजट 2021–22)

[29] जेंडर बजट 2021–22 पेज–7

[30] बजट, जेंडर बजट, या विस्तृत विनियोग लेखे में उल्लिखित विपत्र कोड की संख्या।

[31] 100 प्रतिशत आवंटन के साथ महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई योजनाएँ और श्रेणी – "ए" के रूप में वर्गीकृत।

- 2021–22 (बजट अनुमान) में कुल राज्य बजट के प्रतिशत के रूप में जेंडर बजट का हिस्सा 15.80 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.14 प्रतिशत की अत्यल्प वृद्धि को दर्शाता है।
- कुल जेंडर बजट 2020–21 (बजट अनुमान) के ₹ 33,176.27 करोड़ से बढ़कर 2021–22 (बजट अनुमान) में ₹ 34,490.57 करोड़ हो गया, सकल वृद्धि 3.96 प्रतिशत (श्रेणी ''ए'' में 1.53 प्रतिशत और श्रेणी ''बी'' योजनाओं में 5.32 प्रतिशत) की है।
- जेंडर बजट के अंतर्गत श्रेणी 'बी' (कृषि विभाग) की एक योजना में ₹ 0.02 करोड़ के प्रावधान विनियोग लेखे में नहीं पाए गए। अतएव, लेखापरीक्षा वास्तविक व्यय को सुनिश्चित नहीं कर सकी।
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की एक योजना अर्थात राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम जेंडर बजट में शामिल नहीं था। यद्यपि, इस योजना की मार्गदर्शिका में यह वर्णित है कि महिलाएं आय को वास्तविक रूप से प्राप्त किये बिना भी आवश्यक श्रम का बड़ा हिस्सा, लगभग 70 प्रतिशत[32], तक प्रदान करती हैं।
- इसी प्रकार, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना, 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के लिए योजना की मार्गदर्शिका में परियोजना के कार्यान्वयन में महिलाओं की प्राथमिकता का वर्णन किया गया है और पुष्टि की गई है कि उच्च मूल्य वाले उत्पाद जैसे बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन और मछली उत्पाद श्रम–सघन हैं, त्वरित प्रतिफल प्रदान करते हैं और महिलाओं के उच्च अनुपात को शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस योजना को 2021–22 के जेंडर बजट में शामिल नहीं किया गया था।
- महिलाओं के लिये लक्षित संसाधनों के संदर्भण और उन संसाधनों के उपयोग के लिए प्रभावी, कुशल और जवाबदेह योजना तथा बजट प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार नहीं किया गया था।

जेंडर बजट 2021–22 की वित्तीय उपलब्धि नीचे **तालिका 3.21** में वर्णित है :

तालिका 3.21: जेंडर बजट का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

योजना श्रेणी	समूह (प्रतिशत व्यय के आधार पर)	योजनाओं की संख्या	जेंडर बजट (बजट अनुमान)	विनियोग लेखे के अनुसार उपलब्ध निवल बजट/निधि	किया गया व्यय
ए (100 प्रतिशत)	शून्य	17	73.22	103.25	–
	01 से 25	9	319.71	321.21	31.20
	26 से 50	0	–	–	–
	51 से 75	12	394.45	645.05	404.91
	75 से अधिक	45	11,296.91	17,387.52	10,804.63
	कुल ए	**83**	**12,084.29**	**18,457.03**	**11,240.74**
बी (कम से कम 30 प्रतिशत)	शून्य	82	677.48	2,030.45	–
	01 से 30	94	2,038.92	5,816.66	761.08
	30 से अधिक	347	19,689.85	68,799.83	52,646.51
	कुल बी	**523**	**22,406.25**	**76,646.94**	**53,407.59**
कुल योग		**606**[33]	**34,490.54**	**95,103.97**	**64,648.33**

(स्रोत: 2021–22 के विनियोग लेखे के साथ जेंडर बजट)

वित्त वर्ष 2021–22 के अंत में, कुल व्यय ₹ 64,648.33 करोड़ (श्रेणी 'ए' के लिए ₹ 11,240.74 करोड़ और श्रेणी 'बी' के लिए ₹ 53,407.59 करोड़) था, जो ज्यादातर श्रेणी 'बी' योजनाओं (82.61 प्रतिशत)

[32] बिहार पशुधन मास्टर प्लान 2018–19 से 2022–23 कंडिका "3.12 जेंडर और सामाजिक समावेश" में वर्णित।

[33] जेंडर बजट में 621 योजनाएं (विपत्र कोड) शामिल हैं लेकिन 15 के मुकाबले कोई बजट प्रावधान नहीं था, हालांकि दो योजनाओं ने विस्तृत विनियोग लेखे में व्यय की सूचना दी।

में किया गया था। यह गैर–विशिष्ट प्रावधानों में व्यय के संकेन्द्रण को प्रमुखता से दर्शाता है और इस प्रकार जेंडर बजट के माध्यम से महिलाओं को सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य वांछित स्तर तक प्राप्त नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विगत पांच वर्षों के दौरान, मंत्रालयों/विभागों ने जेंडर बजट में समान रूप से पारंपरिक आवंटनों की सूचना दी और इसके दायरे एवं तरीके में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे यह काफी हद तक एक पूर्व–लेखा अभ्यास बना रहा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और सहकारिता विभाग जैसे कुछ विभाग जो लैंगिक समानता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जेंडर बजट में भाग नहीं ले रहे थे। हालांकि, ग्रामीण विकास विभाग ने जेंडर बजट में भाग लिया था, तथापि "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" जैसी प्रमुख योजनाओं की सूचना नहीं दी जा रही थी। एक अन्य विभाग, "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण" प्रत्येक वर्ष जेंडर बजट में शामिल रहा, परंतु इसने महिलाओं के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान कोई प्रावधान नहीं दर्शाया था।

जेंडर बजट बनाम विनियोग लेखे

जेंडर बजट (श्रेणी 'ए') के वित्तीय आंकड़ों की संवीक्षा की गयी और पांच प्रमुख विभागों के संबंध में जहां प्रमुख योजनाएं चल रही थीं, अर्थात् ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०वि०वि०), स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग (स०क०वि०), शिक्षा विभाग और विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की विनियोग लेखे के साथ योजनाओं की संख्या और बजट प्रावधान, के साथ तुलना की गयी है। इन विभागों की कुल 77 योजनाओं में से 20 ग्रा०वि०वि०, 31 स०क०वि० और नौ, 14 और तीन योजनाएं क्रमशः स्वास्थ्य, शिक्षा और विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागों से संबंधित हैं। इन विभागों के अंतर्गत 2021–22 के दौरान बजट और व्यय के संवीक्षा किए गए आंकड़े **तालिका 3.22** में वर्णित हैं।

तालिका 3.22: पांच प्रमुख विभागों के तहत बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं0	विभाग का नाम	विनियोग लेखे के अनुसार विभागीय बजट	जेंडर बजट	श्रेणी 'ए'	योजनाओं की संख्या	व्यय (योजनाओं की संख्या)			
						शून्य	50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत से अधिक	बिना बजट प्रावधान वाली योजनाऐं
42	ग्रामीण विकास	23,221.79	12,945.40	8,948.00	20	10	1	9	.
20	स्वास्थ्य	17,797.77	2,427.63	1,248.36	9	.	2	7	.
51	समाज कल्याण	11,240.24	4,540.09	916.91	31	6	4	21	.
21	शिक्षा	46,979.60	9,392.57	731.54	14	1	.	11	2
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	483.51	132.46	132.46	3	.	.	3	.
	कुल	**99,722.91**	**29,438.15**	**11,977.27**	**77**	**17**	**7**	**51**	**2**

(स्रोतः 2021–22 के विनियोग लेखे के साथ जेंडर बजट)

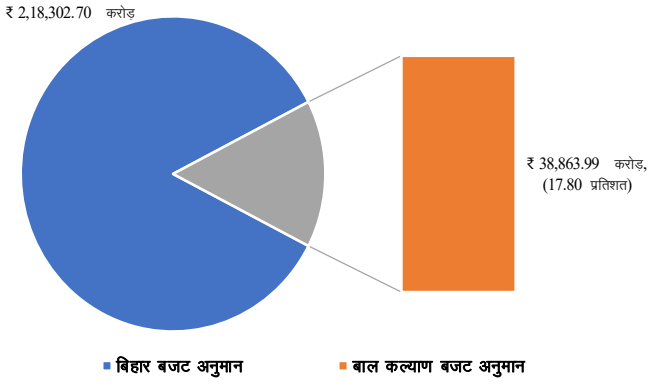
विभागों ने 10, 06 और 01 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया, जबकि क्रमशः ग्रा०वि०वि०, स०क०वि० और शिक्षा विभाग के पास निधियाँ उपलब्ध थीं।

राज्य सरकार ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले योजनाओं के लक्ष्यों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 2021–22 के जेंडर बजट में विगत वर्षों के जेंडर बजट के प्रदर्शन को प्रतिवेदित नहीं किया था। इस प्रकार, वास्तविक व्यय सहित किसी निष्पादन प्रतिवेदन/अभिलेख के अभाव में जेंडर बजटिंग के अंतर्गत महिलाओं को लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं के लक्ष्यों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.7.2 बाल कल्याण बजट की समीक्षा

बिहार में, कुल आबादी का 48 प्रतिशत (4.48 करोड़ बच्चे (2.35 करोड़ बालिकायें (52 प्रतिशत))) 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत आता है। यह समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों में से एक है और

राज्य सरकार को उनके सर्वांगीण विकास के लिए सार्वजनिक वित्त आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (एन0सी0टी0) और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुरूप, बिहार सरकार ने वर्ष 2013–14 से बाल कल्याण बजट तैयार करना/संसाधित करना प्रारंभ कर दिया था और बाल कल्याण बजट 2021–22 के लिए ₹ 38,863.99 करोड़ (बजट अनुमान) की राशि निर्धारित की गई थी, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 17.80 प्रतिशत था। राज्य द्वारा बाल उत्तरदायी लोक वित्त के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से मानक संचालन प्रक्रिया, तथा बाल बजट नियमावली तैयार की गई थी।



वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक के राज्य बाल कल्याण बजट का विभागवार विवरण नीचे **तालिका 3.23** में वर्णित है:

तालिका 3.23 : विभागवार राज्य बाल कल्याण बजट

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	विभाग का नाम	2019–20 (वास्तविकी)	2020–21 (बजट अनुमान)	2021–22 (बजट अनुमान)	विचलन (प्रतिशत में)
8	कला, संस्कृति एवं युवा	8.23	15.20	15.20	.
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,119.40	1,331.20	1,487.51	11.74
19	पर्यावरण एवं वन	.	0.12	.	(–) 100.00
20	स्वास्थ्य	397.64	386.18	257.04	(–) 33.44
21	शिक्षा	21,885.65	29,836.07	31,939.99	7.05
22	गृह	0.41	3.07	12.52	308.25
26	श्रम संसाधन	1.58	7.61	3.00	(–) 60.59
30	अल्पसंख्यक कल्याण	42.75	106.00	131.00	23.58
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	241.48	694.65	252.48	(–) 63.65
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1,027.51	1,335.29	1,376.03	3.05
51	समाज कल्याण	2,915.51	3,542.19	3,389.22	(–) 4.32
	कुल	**27,640.16**	**37,257.58**	**38,863.99**	**4.31**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 का बाल कल्याण बजट)

- बच्चों के लिए कुल बजट आवंटन में यद्यपि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 4.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, स्वास्थ्य, श्रम संसाधन और लो0स्वा0 अभियंत्रण विभागों के आवंटन में क्रमशः 33.44 प्रतिशत (₹ 129.14 करोड़), 60.59 प्रतिशत (₹ 4.61 करोड़) और 63.65 प्रतिशत (₹ 442.17 करोड़) की कमी आई है। गृह, अल्पसंख्यक कल्याण विभागों के लिए आवंटन में क्रमशः 308.25 प्रतिशत (₹ 9.45 करोड़) और 23.58 प्रतिशत (₹ 25.00 करोड़) की वृद्धि की गई थी।

- बच्चों की 4.48 करोड़ आबादी के लिए, स्वास्थ्य विभाग ने अपने मूल बजट ₹ 13,264.87 करोड़ से बाल कल्याण बजट के लिए ₹ 257.04 करोड़ (1.94 प्रतिशत) का प्रावधान किया, और गृह विभाग ने केवल ₹ 12.52 करोड़ का प्रावधान किया और यह आवंटन एक केन्द्र प्रायोजित

योजना के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध से निपटना था।

- बाल संरक्षण के अन्य मुद्दों के अनुरूप कोई अन्य बजटीय प्रावधान नहीं थे। राज्य में 4.48 करोड़ बच्चों (कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत) की आबादी को देखते हुए गृह एवं स्वास्थ्य विभागों में बाल कल्याण बजट नगण्य प्रतीत होता है।
- समाज कल्याण विभाग (बच्चों से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल विभाग) को 2021–22 (बजट अनुमान) के लिए राज्य बजट में ₹ 3,389.22 करोड़ (4.32 प्रतिशत कम आवंटन) प्राप्त हुए, जबकि 2020–21 में यह राशि ₹ 3,542.19 करोड़ थी।
- मुख्य बजट में बाल कल्याण योजनाओं को अलग से संदर्भित/चिन्हित नहीं किया गया था।

बाल कल्याण बजट 2021–22 (बजट अनुमान) का बजटीय आवंटन नीचे **तालिका 3.24** में दिखाया गया है:

तालिका 3.24: 2019–20 से 2021–22 तक बाल बजट का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	स्थापना एवं प्रतिबद्ध		राज्य योजना		केंद्र प्रायोजित योजना	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2019–20 (वास्तविक)	27,640.16	7,594.39	27.48	4,440.62	16.06	15,605.16	56.46
2020–21 (बजट अनुमान)	37,257.58	9,951.78	26.71	6,425.75	17.25	20,880.04	56.04
2021–22 (बजट अनुमान)	38,863.99	11,281.25	29.03	6,262.63	16.11	21,320.11	54.86

(स्रोत: वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का बाल कल्याण बजट)

अनुमोदित विनियोग लेखे (2021–22) के आधार पर, यह पाया गया कि 96 योजनाओं (46 प्रतिशत) में किया गया व्यय 80 प्रतिशत से कम था। बाल कल्याण बजट के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों की तुलना में वित्तीय उपलब्धियां नीचे **तालिका 3.25** में दर्शाई गई हैं :

तालिका 3.25: बाल कल्याण बजट (2021–22) का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	समूह (प्रतिशत व्यय के आधार पर)	योजनाओं की संख्या	शुद्ध बजट (विस्तृत विनियोग लेखे)	व्यय (विस्तृत विनियोग लेखे)
1	81–100	85	34,831.29	32,316.90
2	61–80	30	4,568.42	3,214.57
3	41–60	23	11,010.83	5,214.11
4	21–40	17	1,148.15	378.77
5	00–20	23	1,475.44	83.02
6	शून्य	33	942.87	–
7	त्रुटि	3	–	0.03
	कुल	**214**	**53,976.98**	**41,207.41**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 का बाल कल्याण बजट एवं विनियोग लेखे)

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ₹ 942.87 करोड़ की निधियाँ उपलब्ध होने के बावजूद 33 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया था। 23 योजनाओं में ₹ 83.02 करोड़ (5.62 प्रतिशत) व्यय किया गया था, जबकि ₹ 1,475.44 करोड़ उपलब्ध थे। यह भी देखा गया है कि तीन योजनाओं में बिना किसी बजटीय प्रावधान के ₹ 0.03 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया था।

राष्ट्रीय बाल नीति (2013)

भारतीय संविधान के तहत महत्वपूर्ण बाल अधिकार

भारतीय संविधान में 0 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए कुछ अधिकारों की गारंटी की गई है, जिनमें शामिल हैं :

- 6 से 14 वर्ष आयु समूह में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 (क)।
- 14 वर्ष की उम्र तक जोखिम वाले किसी रोजगार से संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 24)।
- दुर्व्यवहार से और आर्थिक जरूरतों से मजबूर होकर अपनी उम्र और ताकत के अनुपयुक्त पेशा अपनाने के लिए बाध्य होने से संरक्षण पाने का अधिकार (अनुच्छेद 39(च))।
- बच्चों और किशोर–किशोरियों को स्वस्थ ढंग से और स्वतंत्र तथा सम्मानजनक स्थिति में समान अवसर और सुविधाएं पाने तथा शोषण और नैतिक एवं भौतिक परित्याग के विरुद्ध सुनिश्चित संरक्षण पाने का अधिकार (अनुच्छेद 39(छ))।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल नीति (2013) और अन्य मार्गदर्शक अभिलेखों में निर्धारित किया गया है कि बाल विकास का कोई भी एजेंडा या कार्यक्रम चार स्तंभों पर आधारित होना चाहिए – **उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण** – शैशवावस्था में देखभाल और पोषण तथा बाल एवं किशोर स्वास्थ्य के लिए योजनाएं, **शिक्षा और विकास** – प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों के समग्र विकास में सहायक योजनाएं, **बाल संरक्षण** – कठिन परिस्थितियों जैसे, बाल श्रम, विकलांग बच्चों, आपदाओं से प्रभावित बच्चों, झगड़ों से प्रभावित बच्चों, बाल वेश्यावृति, वेश्याओं के बच्चों, सड़क पर रहने वाले (लावारिस) बच्चों, संभावित बाल–तस्करी के जोखिम में आने वाले बच्चों, किशोर अपराधियों, के लिए योजनाएं, **बाल सहभागिता** – खेल या पाठ्येतर गतिविधियों पर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए मंचों के साथ योजनाएं. बच्चों के लिए बनाई गई नीतियों और/या कार्यक्रमों से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।

ऊपर वर्णित प्रावधानों के आधार पर वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक के बिहार के बाल कल्याण बजट (केंद्रीय और राज्य योजनाओं सहित) की संवीक्षा की गई, जैसा कि नीचे **तालिका 3.26** में वर्णित है:

तालिका 3.26: राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार बाल कल्याण बजट 2019–22 का अवलोकन

(₹ करोड़ में)

खंड	2019–20			2020–21			2021–22		
	योजनाओं की संख्या	राशि	प्रतिशत	योजनाओं की संख्या	राशि	प्रतिशत	योजनाओं की संख्या	राशि	प्रतिशत
उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण	37	3,288.52	11.90	44	4,246.90	11.40	40	3,590.32	9.28
शिक्षा और विकास	111	24,209.77	87.59	140	32,701.34	87.77	140	34,819.06	89.95
संरक्षण	17	125.09	0.45	18	208.66	0.56	18	198.93	0.51
सहभागिता	5	16.78	0.06	7	100.68	0.27	7	100.67	0.26
	170	**27,640.16**	**100**	**209**	**37,257.58**	**100**	**205**	**38,708.98**	**100**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के बाल कल्याण बजट और विनियोग लेखे)

जैसा कि ऊपर **तालिका 3.26** से देखा जा सकता है, बाल संरक्षण खंड के लिए आवंटित संसाधन वर्ष 2021–22 के कुल बाल कल्याण बजट का केवल 0.51 प्रतिशत (₹ 198.93 करोड़) और वर्ष 2021–22 के बिहार के मुख्य बजट का 0.09 प्रतिशत था।

हालांकि, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण तथा शिक्षा एवं विकास को 2019–22 के दौरान कुल बाल कल्याण बजट का औसतन 09 प्रतिशत और 90 प्रतिशत प्राप्त हुआ। इसे इस तथ्य के आलोक

में देखा जा सकता है कि बिहार, मानव विकास सूचकांक–2019 में, स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में दूसरे स्थान पर और शैक्षिक सूचकांक के संबंध में सबसे नीचे है, साथ ही पड़ोसी राज्यों के मुकाबले समग्र रूप से अंतिम स्थान पर है।

3.7.3 हरित बजट की समीक्षा

हरित बजट का अर्थ है पर्यावरणीय एवं जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने हेतु बजटीय नीति–निर्माण के माध्यम से साधनों का उपयोग करना।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि–वानिकी इसकी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। राज्य में वर्तमान में 6845 वर्ग कि0मी0 (अक्टूबर 2022) अधिसूचित प्राकृतिक वन क्षेत्र है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.27 प्रतिशत[34] है।

बिहार, भारत सरकार के अनुरूप हरित बजट तैयार करने और लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य ने मार्च 2020 (वित्त वर्ष 2020–21 के लिए) में अपना पहला हरित बजट तैयार किया। चूंकि हरित बजट तैयार करने के लिए कोई निश्चित नियम या मानदंड नहीं है, राज्य ने विभिन्न विभागों में इन घटकों पर होने वाले व्यय को संकलित कर हरित बजट तैयार किया है। इसके अलावा, हरित बजट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार नहीं की गई थी, जो पर्यावरण स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन, प्रदूषण में कमी, जैव विविधता और हरित बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दों को हल करने हेतु संसाधनों के संदर्भन और उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से तैयार प्रभावी, कुशल और जवाबदेह आयोजना और बजट प्रणाली के लिए मदद कर सकती है। संक्षिप्त हरित बजट प्रावधान नीचे **तालिका 3.27** में दिए गए हैं।

तालिका 3.27: 2021–22 के दौरान हरित बजट प्रावधान[35]

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2020–21 (बजट अनुमान)	2021–22 (बजट अनुमान)
1	वर्ष के लिए राज्य का बजट अनुमान	2,11,761.49	2,18,302.70
2	हरित बजट से संबंधित 19 विभागों का कुल प्रावधान	81,176.46	79,359.73
3	19 विभागों के हरित बजट से संबंधित प्रमुख शीर्षों में कुल प्रावधान	27,162.85	29,337.33
4	हरित बजट	5,693.88	7,682.91
5	विभागों के कुल प्रावधान जिनमें हरित बजट शामिल है (प्रतिशत में) (क्रम संख्या 4/क्रम संख्या 2 x 100)	7.01	9.68
6	हरित बजट से संबंधित शीर्षों में से हरित प्रावधान (प्रतिशत में) (क्रम संख्या 4/ क्रम संख्या 3 x 100)	20.96	26.19

(स्रोत: वर्ष 2021–22 का हरित बजट)

संवीक्षा में यह पाया गया कि 19 विभागों की ₹ 7,682.91 करोड़ की कुल 275 योजनाओं को हरित बजट 2021–22 में शामिल किया गया था।

परिलक्षित हुआ कि 100 प्रतिशत आवंटन के साथ समूह 'ए' के रूप में वर्गीकृत 74 योजनाओं में से केवल नौ[36] योजनाओं में 80 से 100 प्रतिशत आवंटन का उपयोग किया गया था, आठ योजनाओं में 50 से 80 प्रतिशत, और 57 योजनाओं में 50 प्रतिशत तक आवंटन का उपयोग किया गया था। हालांकि, 16 योजनाओं में वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

[34] पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट

[35] वर्ष 2021–22 के लिए हरित बजट

[36] कृषि विभाग, भवन निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में एक–एक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के दो और लघु जल संसाधन विभाग की तीन योजनाएँ

वर्ष 2021–22 के हरित बजट में कम से कम छः[37] समान योजनाओं को समूह ''डी'' और ''ई'' में अलग–अलग प्रावधानित राशि के साथ वर्गीकृत किया गया था।

इसके अलावा समूहवार योजनाओं की उपलब्धि **तालिका 3.28** में वर्णित है:

तालिका 3.28: हरित बजट में शामिल योजनाओं की उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

समूह	अंश (प्रतिशत में)	योजनाओं की संख्या		शुद्ध बजट	व्यय	उपलब्धि प्रतिशत में
		हरित बजट	विनियोग लेखे			
ए	100	74	74	2,283.87	797.07	34.90
बी	75–90	19	19	441.04	यह पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि, बजट तथा व्यय सहित निर्धारित प्रतिशत के अंतर्गत विशिष्ट मदें उपलब्ध नहीं थी।	
सी	50–75	35	35	5,747.21		
डी	25–50	40	40	2,996.69		
ई	05–25	58	58	8,568.25		
एफ	01–05	49	49	16,332.12		
		275	**275**	**36,368.58**	**797.07**	**लागू नहीं**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे के साथ हरित बजट)

इस प्रकार, किये गए वास्तविक व्यय सहित किसी विशिष्ट प्रदर्शन प्रतिवेदन/अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा योजनाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अलावा, हरित बजट और विनियोग लेखे एक–दूसरे के अनुरूप नहीं थे, और बिहार सरकार ने हरित बजट 2021–22 में एक अस्वीकरण रखा था कि केवल कुछ चुनिंदा विभागों की चुनिंदा योजनाओं को बजट में शामिल किया गया था।

3.7.4 अल्पसंख्यकों के लिए बजट प्रावधानों की समीक्षा

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार 10,40,99,452 की कुल आबादी के साथ भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। यह भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य भी था, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति थे। बिहार की 82.7 प्रतिशत आबादी हिंदूत्व का पालन कर रही थी, जबकि 16.9 प्रतिशत आबादी इस्लाम का पालन कर रही थी, जैसा कि नीचे **तालिका 3.29** में बताया गया है:

तालिका 3.29: बिहार की धार्मिक जनसांख्यिकी

धर्म	जनसंख्या (2001)	प्रतिशत	जनसंख्या (2011)	प्रतिशत	दशकीय वृद्धि #
हिंदू धर्म	6,90,76,919	83.2	8,60,78,686	82.7	24.61
इस्लाम	1,37,22,048	16.5	1,75,57,809	16.9	27.95
ईसाई धर्म	53,137	0.06	1,29,247	0.12	143.23
बौद्ध धर्म	18,818	0.02	25,453	0.02	35.26
सिख धर्म	20,780	0.03	23,779	0.02	14.43
जैन धर्म	16,085	0.02	18,914	0.02	17.59
अन्य	52,905	0.06	13,437	0.01	(–)74.60
अज्ञात	उपलब्ध नहीं	0	2,52,127	0.24	–
कुल	**8,29,98,509**	**99.9**	**10,40,99,452**	**100**	

(स्रोत: भारत की जनगणना के आंकड़े)

एक विशेष दशक (2001 और 2011 के बीच) में कुल जनसंख्या वृद्धि

अल्पसंख्यक समुदायों[38] के सर्वांगीण विकास (वित्तीय, सामाजिक और शैक्षणिक विकास) के लिए, बिहार सरकार ने 1991 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की। विभाग विभागीय स्थापना

[37] 01–2401001030218, 01–2401007890349, 01–2401007960356, 01–2401001090218, 01–2401007960261, 01–2401001090318

[38] भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय।

के अधीन एक निदेशालय और एक निगम[39] के माध्यम से अपनी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन/कार्यान्वयन करता है। विभाग का लक्ष्य, अल्पसंख्यकों के त्वरित सामाजिक–आर्थिक विकास, छात्रों के लिए शैक्षिक रियायतों, अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं और बच्चों के विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना, उद्यमशील उपक्रम स्थापित करने के इच्छुक अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करना है।

तालिका 3.30: अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित पांच वर्षों का वित्तीय विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान के तहत योजनाओं की संख्या[40]					मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	प्रत्यर्पण	उपयोग (प्रतिशत में)
	3	11	21	30	कुल						
2017–18	8	0	4	31	43	954.93	91.00	1,045.93	444.65	560.76	42.51
2018–19	9	0	1	32	42	578.76	21.94	600.70	354.67	241.46	59.04
2019–20	8	0	1	26	35	607.10	51.12	658.22	314.27	95.00	47.75
2020–21	8	1	1	33	43	706.25	98.76	805.01	341.67	118.94	42.44
2021–22	0	0	0	29	29	562.63	0.00	562.63	272.11	50.00	48.36
कुल						**3,409.66**	**262.82**	**3,672.48**	**1,727.37**	**1,066.15**	**47.04**

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विनियोग लेखे)

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल प्रावधानों का केवल 47 प्रतिशत हीं व्यय किया गया था। इससे ₹ 1,945.11 करोड़ की बचत हुई। हालांकि, वित्त वर्ष के अंत में इन बचतों में से केवल ₹ 1,066.15 करोड़ (55 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित किये गए। यह भी पाया गया कि विभाग अपने मूल बजटीय प्रावधानों का उपयोग करने में विफल रहा, इसके बावजूद अनुपूरक प्रावधान के माध्यम से अधिक निधि उपलब्ध कराई गई। बजटीय प्रावधानों का उपयोग न करना, अप्रयुक्त निधियों के अभ्यर्पण में विफलता और निरंतर एवं महत्वपूर्ण बचत विभाग की कमजोर वित्तीय प्रबंधन क्षमता को दर्शाती है।

वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि के दौरान प्रमुख योजनाओं की वित्तीय प्रगति/उपलब्धि को नीचे **तालिका 3.31** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.31: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (एम0डब्ल्यू0डी0) की योजनाएं

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2017–18 से 2021–22		
	बजट	किया गया व्यय	व्यय प्रतिशत में
30–2202021070109 मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना	405.08	279.37	68.97
30–2202031070106 बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग की व्यवस्था	43.00	11.86	27.58
30–2225042770101 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	115.00	96.86	84.23
30–2250008000108 वक्फ संपत्ति के विकास के लिए रिवॉल्विंग फंड के रूप में वक्फ बोर्ड को अनुदान	306.00	71.77	23.45
30–4250000510207 अल्पसंख्यकों के लिए बहुमुखी विकास कार्यक्रम	541.00	171.48	31.70

[39] बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम (बीएसएमएफसी)

[40] अनुदान जिसके तहत राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को लागू किया जाता है। अनुदान 03– भवन निर्माण, अनुदान 11– पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण, अनुदान 21– शिक्षा एवं अनुदान 30– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

योजना का नाम	2017–18 से 2021–22		
	बजट	किया गया व्यय	व्यय प्रतिशत में
30–5465011900104 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की शेयर पूँजी के रूप में अंश पूंजी	540.00	413.64	76.60
30–4225040510102 बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना	130.00	30.16	23.20
	2,080.08	**1,075.14**	**51.69**

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सात में से चार योजनाओं में किया गया व्यय 33 प्रतिशत से कम था। यह सभी योजनाएं छात्रवृत्ति, और शैक्षणिक उद्देश्य के साथ–साथ लाभार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए थीं। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम व्यय के परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन अप्रभावी हो सकता है और लाभार्थी इसके लक्षित लाभों से वंचित हो सकते हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया और इसके कुछ निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

योजनाओं का उद्देश्य

प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूली शिक्षा पर उनके वित्तीय बोझ को कम करना और स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए अपने बच्चों का सहयोग करने के उनके प्रयासों को बनाए रखना है। कक्षा I से कक्षा X में अध्ययन करने वाले मेधावी छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने, उच्च शिक्षा में उनकी सहभागिता की दर में वृद्धि करने और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ये दोनों योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से वित्तीय लाभ दिए जाते हैं।

वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान बिहार में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति नीचे **तालिका 3.32** में वर्णित है:

तालिका 3.32: भौतिक और वित्तीय प्रगति

विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना				
लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	1.23	2.22	2.46	1.34
व्यय (₹ करोड़ में)	30.78	97.45	82.43	32.97
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना				
लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	0.51	0.49	0.48	0.44
व्यय (₹ करोड़ में)	33.55	32.40	30.53	18.12

स्रोत: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और एमडब्ल्यूडी से प्राप्त जानकारी। लाभार्थियों की संख्या और व्यय में नए और नवीनीकृत दोनों मामले शामिल हैं।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ 2017–18 से 2020–21 के दौरान ₹ 243.63 करोड़ के व्यय के साथ 7,24,723 छात्रों को प्रदान किया गया था।
- वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान ₹ 114.60 करोड़ के व्यय से 1,91,812 छात्रों को पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ उपलब्ध कराया गया।

इसके आगे, लेखा परीक्षा ने पाया कि:

- प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,27,778 लाभार्थियों की राज्य सीमा के मुकाबले प्राप्त कुल 6,03,819 आवेदनों के विरूद्ध केवल 1,34,270 (60 प्रतिशत) लाभार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित किया गया था।
- वित्त वर्ष 2019–20 में पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 48,456 लाभार्थियों के लिए ₹ 30.53 करोड़ का व्यय किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2020–21 में 43,512 लाभार्थियों (पिछले वर्ष से 10.20 प्रतिशत कम) के लिए ₹ 18.12 करोड़ (पिछले वर्ष से 40.65 प्रतिशत कम) का व्यय किया गया।

3.7.5 परिणाम बजट और उस पर उपलब्धि प्रतिवेदन की समीक्षा

परिणाम बजट का उद्देश्य वित्तीय बजट और प्रदर्शन बजट के बीच एक सह–संबंध स्थापित करना और सिर्फ मध्यवर्ती भौतिक परिणाम के बजाय परिणामों पर भी नजर रखना था। बिहार में सरकार द्वारा वित्तीय अनुरोध के माध्यम से महत्वपूर्ण संभावित वास्तविक परिणाम दर्शाने वाले परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार करना 2006–07 में प्रारंभ किया गया था। इस माध्यम से व्यय की उपयोगिता का आकलन उसकी समीक्षा करके किया जा सकता है। यह जनता को संभावित परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और सरकार की अपने वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है। परिणाम बजट सरकार द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में भौतिक उपलब्धि निर्धारित करता है, उपलब्धि प्रतिवेदन लक्ष्यों के मुकाबले उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा ने यह आकलन करने का प्रयास किया कि क्या परिणाम बजट तैयार करने से संबंधित विभिन्न आदेशों और निर्देशों का पालन किया गया था ताकि यह अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर सके और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिणाम बजट की समीक्षा की गई:

- कि इसके लिए निर्धारित कानूनों, नियमों एवं विनियमों और परिणाम बजट तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया गया था; तथा
- कि क्या भौतिक लक्ष्यों की रिपोर्टिंग में विसंगतियां थीं और आंकड़े विश्वसनीय थे।

वर्ष 2021–22 के परिणाम बजट की समीक्षा हेतु लेखापरीक्षा की जांच के लिए दो विभागों, आपदा प्रबंधन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग का चयन किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.7.5.1 सरकारी निर्देशों से विचलन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, परिणाम बजट को इस तरीके से तैयार किया जाना है कि इसमें कार्यकारी सारांश, परिचय, बजट अनुमानों का विवरण,

सुधारात्मक उपाय और नीतिगत पहल, पिछले प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय समीक्षा शामिल हों।

वित्त विभाग, बिहार, प्रत्येक वर्ष विभागों द्वारा परिणाम बजट तैयार करने के लिए परिशिष्ट–XII युक्त एक परिपत्र जारी करता है। इस परिपत्र में बजट अनुमान के विवरण को छोड़कर अन्य विवरणों का अभाव था। फलतः, परिणाम बजट में संसाधनों के मितव्ययी उपयोग से होने वाली सामान्य बचत, योजनाओं के निष्पादन के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र और योजनाओं/कार्यक्रमों के अप्रचलित/निष्क्रिय हो जाने के कारण अभ्यर्पण तथा अन्य योजनाओं, जहां निधियों की आवश्यकता नहीं थी, के बारे में जानकारी का अभाव था।

3.7.5.2 परिणाम बजट की तुलना में वित्तीय परिव्यय

ए. अनुदान संख्या 39: आपदा प्रबंधन विभाग

विभाग की कुल 91 योजनाओं में से 81 योजनाओं को वर्ष 2021–22 के लिए परिणाम बजट में शामिल किया गया था। वर्ष के लिए किसी उपलब्धि प्रतिवेदन के अभाव (अक्टूबर 2022) में वास्तविक उपलब्धि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। योजनाओं के प्रत्येक समूह के लिए योजना समूहवार वित्तीय उपलब्धि (विपत्र कोड के निरपेक्ष) नीचे **तालिका 3.33** में वर्णित है

तालिका 3.33: बजट प्रावधान के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

योजना समूह	योजनाओं की संख्या	परिणाम बजट में योजनाएं	कुल बजट	किया गया खर्च	उपलब्धि (प्रतिशत)	8443 – 8448 में जमा	वास्तविक व्यय	धन की पार्किंग (प्रतिशत में)
शमन	1	1	3.00	1.94	64.67	0.01	1.93	0.52
तैयारी	21	13	3,303.85	2,843.67	86.07	.	2,843.67	.
पुनर्वास और पुनर्निमाण	14	13	919.75	421.03	45.78	225.64	195.39	53.59
मदद	51	50	3,720.60	2,727.17	73.30	895.07	1,832.10	32.82
प्रतिक्रिया	4	4	1,007.50	570.51	56.63	450.01	120.50	78.88
	91	**81**	**8,954.70**	**6,564.32**	**73.31**	**1,570.73**	**4,993.59**	**23.93**

(स्रोतः वर्ष 2021–22 के लिए विनियोग लेखे एवं वीएलसी आंकड़ें)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है:

- वर्ष के दौरान ₹ 8,954.70 करोड़ के कुल प्रावधान के मुकाबले, केवल 73.31 प्रतिशत (₹ 6,564.32 करोड़) राशि का व्यय किया गया था।
- कुल व्यय ₹ 6,564.32 करोड़ में से ₹ 1,570.73 करोड़ (23.93 प्रतिशत) की राशि मुख्य शीर्षों 8443 और 8448 में रखी गई थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जमा शीर्षों में रखी गई कुल निधियों में से किए गए वास्तविक व्यय को सुनिश्चित नहीं कर सकी।
- यह देखा गया कि राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण तथा प्रतिक्रिया कार्यों से संबंधित योजनाओं में कुल व्यय का 32.82 प्रतिशत, 53.39 प्रतिशत और 78.88 प्रतिशत मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 में पार्क किया गया था।

बी. अनुदान संख्या 41: पथ निर्माण विभाग

विभाग की कुल 31 योजनाओं में से केवल 17 योजनाओं को वर्ष 2021–22 के परिणाम बजट में शामिल किया गया था। योजनाओं के प्रत्येक समूह के लिए योजना समूहवार वित्तीय उपलब्धि

(विपत्र कोड के निरपेक्ष) नीचे **तालिका 3.34** में विस्तृत है :

तालिका 3.34: बजट प्रावधान के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

योजना समूह	योजनाओं की संख्या	परिणाम बजट में योजनाओं की संख्या	कुल बजट	किया गया व्यय	उपलब्धि (प्रतिशत में)	8443 – 8448 में जमा	वास्तविक व्यय	धन की पार्किंग (प्रतिशत में)
प्रशासनिक और प्रतिबद्ध व्यय	13	3	1,348.71	1,016.74	75.39	67.36	949.38	6.63
सीमा सड़क अनुदान निधि (बीआरजीएफ)	2	2	392.48	195.00	49.68	-	195.00	-
पुल	3	3	848.90	862.66	101.62	63.75	798.91	7.39
केंद्रीय सड़क निधि	4	1	600.00	465.48	77.58	29.58	435.90	6.35
प्रमुख सड़कें	3	3	2,889.00	2,448.56	84.75	90.50	2,358.06	3.70
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना	2	2	800.00	609.07	76.13	-	609.07	-
सात निश्चय–2 सुलभ संपर्कता	3	3	200.00	-	-	-	-	-
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	1	0	45.00	28.35	63.00	2.07	26.28	7.30
	31	**17**	**7,124.09**	**5,625.86**	**78.97**	**253.26**	**5,372.60**	**4.50**

(स्रोत: वर्ष 2021–22 के लिए विनियोग लेखे, परिणाम बजट)

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

- कुल प्रावधान ₹ 7,124.09 करोड़ के मुकाबले केवल ₹ 5,625.86 करोड़ (78.97 प्रतिशत) व्यय प्रतिवेदित किए गए थे।
- बीआरजीएफ के तहत, ₹ 392.48 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था, लेकिन प्रावधानित राशि का केवल 49.68 प्रतिशत (₹ 195.00 करोड़) का उपयोग किया गया था और लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।
- सात निश्चय–2 में सुलभ संपर्कता योजना के लिए ₹ 200.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया।

3.7.5.3 सी0एफ0एम0एस0 से लाभ/कमी

सी0एफ0एम0एस0 का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शिता प्रदान करना और अंतिम स्तर तक निधियों पर नजर रखना है। इस प्रकार, मध्यवर्ती विलम्ब को कम करना और लाभार्थियों को सीधे लाभ प्रदान करना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यान्वयन के तीन वर्षों के बाद भी सी0एफ0एम0एस0 इसके लागू किये जाने के पूर्व के समय के मामले जैसे अवास्तविक बजट तैयार करने (कंडिका 3.3.4), राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय और अन्य (कंडिका 2.4.3.6) में गलत वर्गीकरण का निराकरण/समाधान नहीं कर सका है । इसके अलावा, सी0एफ0एम0एस0 परिवेश में लेखे पर कंडिका 4.25 में चर्चा की गई है।

3.7.5.4 निष्कर्ष

बिहार सरकार ने परिणाम बजट में संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरूप सामान्य बचत, बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र की वर्तमान स्थिति और विभागों के पास अव्ययित शेष राशि के बारे में जानकारी नहीं दी। भौतिक उत्पादन लक्ष्य यथार्थवादी तरीके से तय नहीं किए गए थे। आंकड़ों

में विसंगतियां थीं, जिन्होंने वित्तीय परिव्यय से अपेक्षित परिणामों को मापने के लिए एक साधन के रूप में परिणाम बजट की उपयोगिता को कमजोर किया।

हालांकि, परिणाम बजट तैयार करने के दिशा–निर्देशों से विचलन ने इस मौलिक उद्देश्य को कमजोर किया। वित्तीय परिव्यय और भौतिक परिणामों के बीच कोई प्रत्यक्ष सह–संबंध नहीं था; एक ही बजटीय आवंटन के भीतर उपलब्धियां लक्ष्यों की तुलना में कम थीं; परिणाम बजट और वेब–आधारित ऑनलाइन प्रणाली के बीच कार्यक्रमों के लक्ष्यों के आँकड़ों के चित्रण में विसंगति थी; और वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी आँकड़ों की अविश्वसनीयता से प्रभावित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह प्रयास बिना उचित सावधानी के किया गया था और इस प्रकार लक्षित लाभार्थियों को परिणाम बजट प्रस्तुत करके आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचाया जा सका।

3.8 संकेतक

बजट और विनियोग लेखे के विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित कुछ निष्कर्ष सामने आये हैं:

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
➢ लोक वित्त को बच्चों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से बाल बजट बनाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना ➢ बाल बजट नियमावली तैयार करना।	➢ जेंडर बजट और हरित बजट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार नहीं किया जाना। ➢ सीएफएमएस युग के लेखांकन के साथ तालमेल रखने के लिये बिहार कोषागार संहिता को संशोधित/अद्यतन नहीं किया जाना। ➢ मुख्य बजट में बाल कल्याण योजनाओं के प्रावधानों का अलग से उल्लेख नहीं किया जाना। ➢ चूंकि निधियों को सार्वजनिक बैंक खातों में रखा जा रहा है, इसलिए किसी भी वित्तीय वर्ष का व्यय प्रतिवेदन राज्य की समेकित निधि की वित्तीय स्थिति की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती है।

3.9 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग:

- ✦ सुनिश्चित करे कि सभी प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित कर दी गई हैं ताकि निधियों का उपयोग अन्य विकास उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- ✦ लगातार बचत के कारणों की समीक्षा करे और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि आवंटित राशि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- ✦ अनुदान नियंत्री अधिकारियों के पुनर्विनियोग प्रस्तावों पर तभी सहमत हों जब व्यय की प्रवृत्ति इनके लिए आवश्यक हो।
- ✦ समय पर राशि का अभ्यर्पण सुनिश्चित करें और अभ्यर्पण को कम करने के लिए विभागों को समय पर बजटीय प्रावधान जारी किए जाने की एक प्रणाली विकसित करे।
- ✦ वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग के दौरान व्यय की सघनता को नियंत्रित एवं उनकी निगरानी करे।

- एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) तैयार करे जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर पर आहरित सभी एसी विपत्रों की अव्ययित राशि को प्रकाश में लाने में मदद करे, जिन्हें वे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले समेकित निधि में अंतरित करने में विफल रहते हैं।
- वित्त विभाग को इस बात पर जोर देना चाहिए कि संबंधित विभाग जेंडर बजट/बाल कल्याण बजट/हरित बजट और परिणाम बजट के लिए निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ताकि लोक व्यय में पारदर्शिता आ सके।

अध्याय–IV
लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

अध्याय IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय, वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के संबंध में निर्देशों का अनुपालन तथा लेखों की गुणवत्ता का अवलोकन करता है।'

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना पर आधारित एक बेहतर आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ ऐसे अनुपालनों की स्थिति प्रतिवेदन की समयपरता एवं गुणवत्ता, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो यह राज्य सरकार को उनके आधारभूत उत्तरदायित्व के निर्वहन, रणनीतिक योजना का निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायक होता है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

4.1 राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखे के बाहर की निधि

संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन, अनुच्छेद 266 (1) उपबंध करता है कि राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज हुंडियों के निर्गमन से उगाही किए गए सभी ऋणों, अर्थोपाय अग्रिमों और उस सरकार को ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धनराशि एक समेकित निधि का निर्माण करेगी, जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जाएगा।

बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 5(1) के अनुसार, राज्य द्वारा नियुक्त किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार अथवा उगाही किए गए सरकारी लोक निधि राजस्व के अलावा, प्राप्त या जमा किए गए सभी धन, लोक लेखे में जमा किए जाएंगे।

उपकर संग्रहण

लेखापरीक्षा के क्रम में राज्य में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (श्रम उपकर) संग्रहण की जाँच की गई और अवलोकन निम्नवत थे:

भवन एवं अन्य श्रमिक सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बी0ओ0सी0डब्ल्यू0) का गठन राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2008 में किया गया था। बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराना है। बोर्ड वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्द्ध–सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों पर किए गए कुल व्यय की एक प्रतिशत की दर से निधि एकत्र करता है।

विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा–108–लोक कार्य जमा के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था जिसमें श्रम उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियाँ भी होती हैं। परिणामतः, विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। सरकार द्वारा जून 2019 में एक अलग उप–शीर्ष (8443–00–108–0004), श्रम से संबंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर के लेखांकन के लिए प्रारंभ किया गया था।

2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 कल्याण बोर्ड द्वारा संग्रहित राशि और वास्तविक व्यय का विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1: 2019–20 से 2021–22 के दौरान उपकर के संग्रहण और व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ		उपलब्ध निधियां	व्यय		कुल व्यय	अंत शेष
		उपकर के माध्यम से	पंजीकरण के माध्यम से		योजना	प्रशासन		
2019-20	1,388.25	289.75	2.72	292.47	295.70 (योजनाओं पर वापस ₹ 1.11 करोड़)	2.49	298.19	1,383.64
2020-21	1,383.64	329.97	2.05	332.02	537.76	2.26	540.02	1,175.64
2021-22	1,175.64	372.97	0.75	373.72	338.00	2.50	340.50	1,208.86

(स्रोत: बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना)

बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 कल्याण कोष से निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं/क्रियाकलापों को अधिसूचित किया है, जैसे पेंशन, आवासीय विद्यालय, मकानों के क्रय/निर्माण के लिए अग्रिम राशि, अंतिम संस्कार सहायता, चिकित्सा सहायता और मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह के लिए वित्तीय सहायता, गंभीर बीमारी, सौर ऊर्जा, कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण आदि। वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 आच्छादित श्रमिकों और योजनाओं पर बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 कल्याण बोर्ड द्वारा किया गया व्यय

वर्ष	संचालित योजना		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	आच्छादित श्रमिक
	संख्या	बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 द्वारा आवंटन (₹ करोड़ में)		
2019-20	9	289.75	295.70	6,72,974
2020-21	12	329.97	537.76	11,00,351
2021-22	11	372.97	338.00	9,96,233

(स्रोत: बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना)

वित्त लेखे के अनुसार, 2019–20 से 2021–22 के दौरान उपकर का संग्रह और उपकर का हस्तांतरण **तालिका 4.3** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान श्रम उपकर का संग्रहण और हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	हस्तांतरण	अहस्तांतरित राशि
2019-20	89.90	0.14	89.76
2020-21	116.97	31.44	85.53
2021-22	122.23	51.41	70.82
कुल	**329.10**	**82.99**	**246.11**

(स्रोत: बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपर्युक्त राशि वित्त लेखे में परिलक्षित होती है। मार्च 2022 तक अहस्तांतरित शेष राशि, राज्य की देयता को दर्शाता है। तथापि, बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 कल्याण बोर्ड ने **तालिका 4.1** में उल्लेखित अलग–अलग आँकड़े दर्शाए हैं। चूंकि, बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है, बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में राशि जमा की, जिससे वास्तविक संग्रह और व्यय का पता नहीं लगाया जा सका जो वित्त लेखे में प्रतिबिंबित नहीं हो पाया।

सड़क सुरक्षा उपकर

बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा–6ए के अनुसार, सड़क सुरक्षा उपकर लगाया और एकत्र किया जाएगा (क) अनुज्ञप्तिधारी से इस अधिनियम की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों पर (ख) प्रावधानों के अनुसार एक–मुश्त कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहन से ''वाहन मूल्य'' का एक प्रतिशत (ग) प्रावधानों के अनुसार एक–मुश्त कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहन के ''वार्षिक कर'' का एक प्रतिशत के अलावे भी अन्य वाहनों को कर भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत उद्गृहीत और संग्रहित उपकर के आगमों में से संग्रहण और वसूली के खर्चों को सरकार द्वारा विनिश्चित रीति से घटाने के पश्चात् उसे "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" में विनियोजित किया जायेगा।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सड़क सुरक्षा उपकर की प्राप्ति के लिए एक शीर्ष 0041–00–102–0002 खोला गया और इसे शीर्ष 2041–00–101–0005 के माध्यम से बिहार सड़क सुरक्षा निधि में स्थानांतरित किया जाना है। अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि 2020–21 और 2021–22 के दौरान क्रमशः ₹ 115.04 करोड़ और ₹ 132.29 करोड़ संग्रहित किए गए, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित नहीं किया गया था, जिसके कारण राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा उस सीमा तक हुआ।

4.2 राज्य सरकार के ऋण (गैर–बजट उधारी) को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) के अनुसार, राज्य सरकार भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर, यदि कोई हो, ऐसी सीमाओं के भीतर उधार ले सकती है, जो समय–समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाए और सरकार संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, यदि कोई हो, जैसा निर्धारित किया गया हो।

राज्य सरकार को प्रतिभूति के रूप में सृजित आकस्मिक देयताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और एस0पी0वी0 द्वारा उधारों से उत्पन्न वास्तविक देयता और अन्य समकक्ष लिखतों, जहां पुनर्भुगतान की देयता राज्य सरकार के आवंटनों की है, का खुलासा करके जनहित में अपने राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने दो राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी0एस0यू0)/प्राधिकरणों के माध्यम से गैर–बजट उधारी ली। विवरण नीचे **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: 2021–22 की अवधि के दौरान गैर–बजट उधारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थानों/संगठनों के नाम	राशि	टिप्पणियां
1.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आर0डी0सी0एल0) (पथ निर्माण विभाग)	520.00	आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा बी0एस0आर0डी0सी0एल0 को वितरित
2.	बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (बी0आर0आर0डी0ए0), (ग्रामीण कार्य विभाग)	962.50	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बी0आर0आर0डी0ए0 को संवितरित किया गया। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना (जी0टी0एस0एन0वाई0) के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण कार्य विभाग की एजेंसी बी0आर0आर0डी0ए0 द्वारा गैर–बजट उधारी ली गई।
	कुल	**1,482.50**	

(स्रोतः वित्त लेखे, 2021–22)

राज्य सरकार ने (अगस्त 2021) निर्णय लिया कि बी0एस0आर0डी0सी0एल0 दीघा से दीदारगंज (गंगा पथ परियोजना) के लिए हुडको से ₹ 2,000 करोड़ उधार इस शर्त पर लेगी कि राज्य सरकार ब्याज के साथ ऋण की वसूली के लिए गारंटी देगी। तदनुसार, 01-11-2021 को बी0एस0आर0डी0सी0एल0 और हुडको के बीच ₹ 2,000 करोड़ का ऋण करार हुआ। हुडको ने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान छह किस्तों में ₹ 520 करोड़ जारी किया। ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के पूरा होने के 16 वर्ष के उपरांत किया जाना है।

बी0आर0आर0डी0ए0 के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग को जी0टी0एस0एन0वाई0 योजना के अंतर्गत ₹ 3,826.53 करोड़ की लागत से 4,643 बस्तियों को जोड़ने के लिए 3,977.30 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना था। वित्त विभाग की अनुशंसा (मार्च 2017) के बाद नाबार्ड से ₹ 3,114.37 करोड़ (परियोजना लागत का 80 प्रतिशत) की मांग की गई। नाबार्ड ₹ 2,820.41 करोड़ (कुल आवश्यक राशि का 73.70 प्रतिशत) अर्द्धवार्षिक शेष के आधार पर 10 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान करने पर सहमत हुआ। जिसमें से, नाबार्ड ने दिनांक 28-03-2018 को ₹ 500 करोड़, दिनांक 06-02-2019 को ₹ 100 करोड़ और 17-10-2019 को ₹ 500 करोड़ का भुगतान किया। ग्रामीण कार्य विभाग ने 2018–19 से 2021–22 के दौरान ₹ 1,100 करोड़ की कुल गैर–बजट उधारी के बदले नाबार्ड को ब्याज के रूप में ₹ 332.99 करोड़ और मूलधन के रूप में ₹ 137.50 करोड़ का भुगतान किया। वित्त विभाग ने 2021–22 के दौरान जी0टी0एस0एन0वाई0 योजना के अंतर्गत बी0आर0आर0डी0ए0 द्वारा केवल ₹ 962.50 करोड़ की गैर–बजट उधारी की सूचना दी थी।

हालांकि, राज्य सरकार ने संबंधित वित्तीय वर्ष में अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में गैर–बजट उधारी प्रर्दशित नहीं किया, वित्त लेखे 2021–22 के अनुसार, बी0आर0आर0डी0ए0 के विरूद्ध ₹ 962.50 करोड़ को गैर–बजट उधारी के रूप में दर्शाया गया था।

इससे पता चलता है कि गैर–बजट उधारी को ध्यान में रखते हुए 2021–22 में कुल ऋण ₹ 1,482.50 करोड़ अधिक होगा। तदनुसार, 31 मार्च 2022 को गैर–बजट उधारियों सहित ऋण का जी0एस0डी0पी0 अनुपात 37.29 प्रतिशत के विरूद्ध गैर–बजट उधारियों रहित जी0एस0डी0पी0 का अनुपात 37.07 प्रतिशत उस सीमा तक राजकोषीय घाटा के संबंध में था।

बिहार सरकार के संबंधित विभाग से (अगस्त 2022) कारण पृच्छा की गई थी। हालांकि, जवाब प्रतीक्षित था (नवंबर 2022)।

4.3 ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

तालिका 4.5 में दर्शायी गई ब्याज सहित जमाराशियों पर सरकार ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

तालिका 4.5: ब्याज सहित जमा के संबंध में ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं करना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्याज सहित जमा का नाम	01 अप्रैल 2021 को शेष राशि	देय ब्याज		ब्याज भुगतान
			बकाया	दर (प्रतिशत)	
1.	8342–अन्य जमा–117–सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना	315.92	22.43	7.1	शून्य
2.	8121–129– राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एस0सी0ए0एफ0)	523.07	17.52	3.35	शून्य
3.	8009–101– सामान्य भविष्य निधि	10,262.62	728.65	7.1	698.00
4.	8009–104– अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	256.03	18.18	7.1	17.50
कुल			**786.78**		**715.50**

(स्रोत: वित्त लेखे, 2021–22)

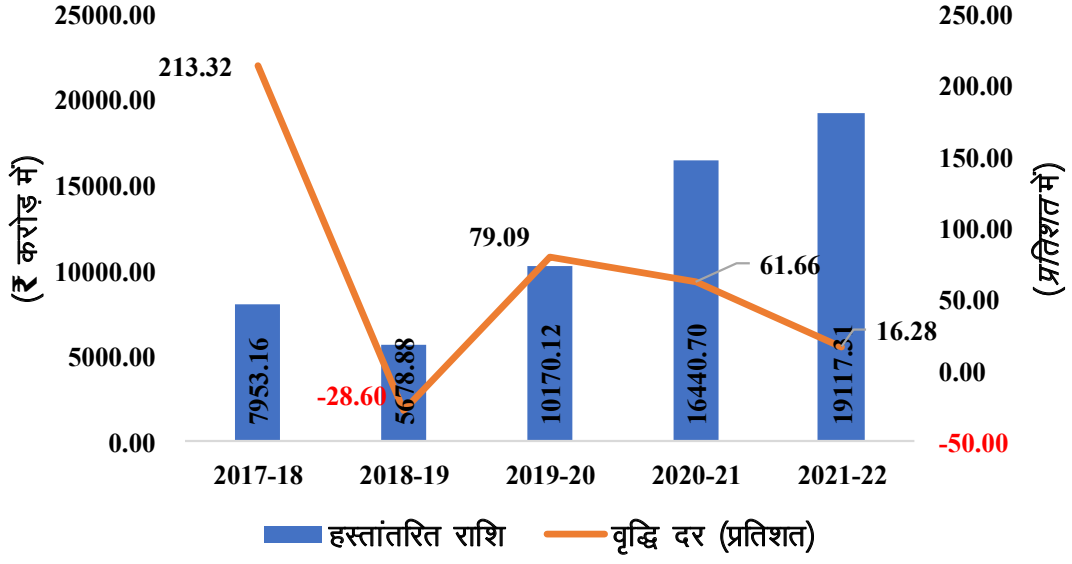
सरकार द्वारा ₹ 71.28 करोड़ (₹ 786.78 – ₹ 715.50) की राशि का प्रावधान ब्याज सहित जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान के लिए नहीं किया गया था। इस प्रकार, सरकार की ब्याज देयता के कम प्रावधान के कारण राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ₹ 71.28 करोड़ तक कम प्रदर्शित थे।

4.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा हस्तांतरण

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यन्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों को पर्याप्त धनराशि सीधे हस्तांतरित करती है। चूँकि, इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से नहीं दिया जाता है, अतः ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। ऐसे हस्तांतरण, संबंधित वर्षों के वित्त लेखे के खंड–II, की परिशिष्ट–VI में प्रदर्शित होते हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 19,117.31 करोड़ हस्तांतरित किये गये, जो विगत वर्ष (₹ 16,440.70 करोड़) की तुलना में 16.28 प्रतिशत अधिक था। विगत पाँच वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधा हस्तांतरण की प्रवृत्ति को **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधा हस्तांतरण



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार[41] कार्यान्वयन एजेंसियों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि की उपयोगिता से संबंधित सूचना माँगी गई थी, जिनमें से केवल बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी (बी0आर0डी0एस0) ने निधियों के उपयोग से संबंधित सूचना प्रदान की थी जिसे निम्न **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.6: हस्तांतरित निधियाँ एवं उनके उपयोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हस्तांतरित निधि	अस्वीकृत एनईएफएमएस* मजदूरी निधि हस्तांतरण आदेश	निधियों का उपयोग
2019-20	2,416.93	20.63	2,396.30
2020-21	4,905.33	133.67	4,771.66
2021-22	3,560.53	40.10	3,520.43

(स्रोतः बी0आर0डी0एस0 द्वारा प्रदत्त सूचना)
**राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली*

[41] *पथ निर्माण विभाग, बिहार ग्रामीण विकास सोसाइटी, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना।*

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के अंतर्गत ₹ 19,117.31 करोड़ का केंद्रांश, राज्य की समेकित निधि को दरकिनार करते हुए सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित किया गया। राज्य सरकार के बजट और व्यय को ₹ 19,117.31 करोड़ तक संकुचित करने के अलावा, इससे सृजित परिसंपत्तियां राज्य लेखे में परिलक्षित नहीं हो पाई, जिससे वे अधूरी रह गई। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए एक लेखा तंत्र की आवश्यकता है, जिससे कि राज्य के लेखे में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए सी0एस0एस0 व्यय का पूर्ण विवरण उपलब्ध हो सके।

4.5 स्थानीय जमा निधि

राज्य पंचायती राज अधिनियम प्रावधान करता है कि जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत (मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय जमा निधि–109–पंचायत निकाय कोष अंतर्गत), क्रमशः जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कोष का संधारण कर सकेंगे। जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन तथा पंचायती राज्य संस्थानों (पी0आर0आई0) द्वारा प्राप्त सभी धन जैसे कि राज्य वित्त आयोग से हिस्से के रूप में केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ–साथ अपने स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर प्राप्तियों सहित) शामिल होंगे। नगरपालिका अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गयी है कि नगरपालिका निधि, नगर निकाय द्वारा धारित होगा। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन के साथ–साथ नगर निकाय द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय जमा निधि–102–नगर निकाय कोष में रखा जाता है। स्थानीय निधि के अंतर्गत नगर निकाय कोष एवं पंचायत निकाय कोष के अन्तर्गत जमा करने का विवरण **तालिका 4.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.7: स्थानीय जमा निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष				2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
नगर निकाय कोष	(8448–102)	प्रारंभिक शेष	1	2,330.64	2,742.77	3,307.66	3,743.56	5,033.79
		प्राप्तियाँ	2	1,968.32	2,712.09	2,469.66	3,913.13	4,066.75
		व्यय	3	1,556.19	2,147.20	2,033.77	2,622.90	2,875.51
		अंत शेष	**4**	**2,742.77**	**3,307.66**	**3,743.56**	**5,033.79**	**6,225.03**
पंचायत निकाय कोष*	(8448–109)	प्रारंभिक शेष	5	434.93	631.61	650.49	754.98	852.58
		प्राप्तियाँ	6	695.52	735.54	374.78	556.49	228.82
		व्यय	7	498.84	716.67	270.29	458.89	325.11
		अंत शेष	**8**	**631.61**	**650.49**	**754.98**	**852.58**	**756.29**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
**जिला परिषद और पंचायत समिति निधि शामिल*

जैसा कि उपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि बिहार सरकार विगत कई वर्षों से राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्ष खातों को डेबिट करके समेकित निधि से राशि को लोक निधि (विशेष रूप से जमा खातों) में हस्तांतरित कर रही है। हस्तांतरित राशि को उस वर्ष के लिए व्यय के रूप में लेखे में लिया जाता है, यद्यपि कि वास्तविक व्यय संबंधित वर्ष के दौरान हुआ हो अथवा नहीं। वित्त वर्ष 2021–22 के अंत तक जमा खाता (मुख्य शीर्ष 8448) में संग्रहित ₹ 26,561.64 करोड़ (**तालिका 4.8** में वर्णित) है, जिसे संबंधित वर्षों में राजस्व या पूँजीगत व्यय के रूप में पहले ही दर्शाया जा चुका है, लेकिन जमा शीर्ष में अव्ययित पड़ा है। राजस्व और पूँजीगत मदों से धन हस्तांतरित करने के अलावा, यह भी देखा गया कि "ऋण और अग्रिम" से ₹ 731.48 करोड़

और "प्राप्ति" मदों से ₹ 325.57 करोड़ भी जमा मदों में स्थानांतरित किए गए थे। वित्त विभाग (दिसंबर 2022) से जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण ऋण एवं अग्रिम शीर्ष तथा प्राप्ति शीर्षों से हस्तांतरण के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

तालिका 4.8: स्थानीय जमा निधि की हस्तांतरित राशि का प्रवृति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			योग	8448 का अवशेष राशि
	वित्त लेखे के अनुसार राजस्व व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में हस्तांतरित राशि	राशि की प्रतिशतता	वित्त लेखे के अनुसार पूँजीगत व्यय	8448 में हस्तांतरित राशि	राशि की प्रतिशतता		
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+6)	
2017-18	1,02,624	7,135	6.95	28,907	15,069	52.13	22,204	21,728.33
2018-19	1,24,897	9,306	7.45	21,058	13,606	64.61	22,912	23,181.78
2019-20	1,26,017	14,531	11.53	12,304	11,314	91.95	25,845	24,942.26
2020-21	1,39,493	11,876	8.51	18,209	9,167	50.34	21,043	28,573.60
2021-22	1,59,220	12,454	7.82	23,678	10,565	44.62	23,019	26,561.64

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और वी0एल0सी0 आँकड़े)

2017–18 से 2021–22 तक की अवधि के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चला है कि स्थानीय निधियों के राजस्व व्यय में 74.55 प्रतिशत की वृद्धि, जबकि पूँजीगत व्यय में 29.89 प्रतिशत की कमी आई थी। यह राज्य स्तर पर व्यय के अनुरूप है, जहां राजस्व व्यय 78.02 प्रतिशत से बढ़कर 87.05 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि में पूँजीगत व्यय 21.98 प्रतिशत से घटकर 12.95 प्रतिशत हो गया था।

यह भी देखा गया कि विगत पाँच वर्षों के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में दर्ज और मुख्य शीर्ष–8448 में हस्तांतरित राशि 44 प्रतिशत से 91 प्रतिशत थी, जबकि राजस्व व्यय के रूप में दर्ज राशि सात प्रतिशत से 12 प्रतिशत थी, जिससे निधि का अवरोधन हुआ। लोक लेखे की अव्यवहृत राशि, वास्तविक पूँजीगत व्यय के अतिकथन को इंगित करता है।

31 मार्च 2022 तक 268 व्यक्तिगत बही (पी0एल0) खाते (₹ 94.34 करोड़ राशि के आठ नए पी0एल0 खातों सहित) में ₹ 26,252.02 करोड़ की शेष राशि थी।

नौ पी0एल0 खातों में 2020–21 का अंत शेष और 2021–22 की प्रारंभिक शेष में ₹ 190.19 करोड़ का अंतर था। इसके अलावा, ₹ 5.87 करोड़ की शेष राशि वाले 18 पी0एल0 खाते थे, जिन्हें सी0एफ0एम0एस0 के कार्यान्वयन के तीन साल से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित नहीं किया गया था। उपर्युक्त 18 पी0एल0 खातों में से, नौ पी0एल0 खातों (शेष ₹ 5.61 करोड़) में विगत पाँच वर्षों के दौरान कोई लेनदेन नहीं पाया गया तथा चार पी0एल0 खातों में शेष राशि शून्य थी।

समय–समय पर पी0एल0 खातों का समाशोधन नहीं किया जाना एवं पी0एल0 खातों की अवशेष राशि का वित्त वर्ष समाप्ति के पूर्व समेकित निधि में हस्तांतरण नहीं किया जाना लोक धन के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.6 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली (बी0एफ0आर0), 2005, के नियम 341 (2) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए, जितना कि वर्ष के दौरान व्यय होने कि संभावना हो। बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011, के नियम 431 के तहत सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पूर्व अग्रिम धन का आहरण न हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए। आगे, वित्त विभाग के शासकीय आदेश (19 अक्टूबर 2011) द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय सीमा संस्वीकृति की तिथि से 18 माह तक निर्धारित की गई है।

लंबित उपयोगिता प्रमाण– पत्रों की वर्षवार विवरणी **तालिका 4.9** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.9: लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की वर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)

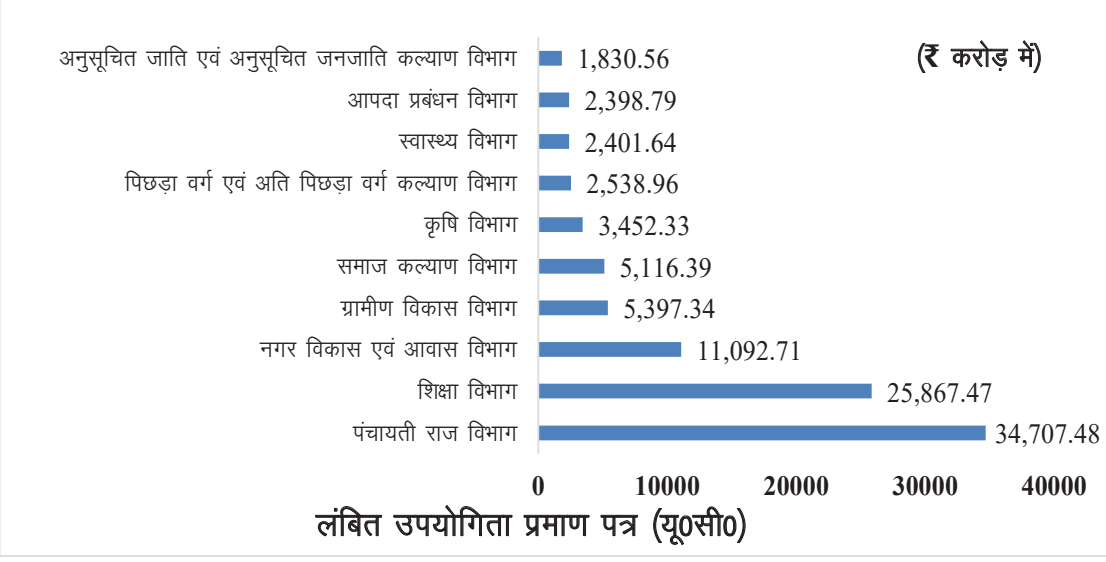
वर्ष*	उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
2018-19 तक	3,641	54,102.75
01.04.2019 से 31.08.2020 तक	19,547	45,076.14
कुल	**23,188**	**99,178.89**

(स्रोत: वित्त लेखे, 2021–22)

उल्लेखित वर्ष "लंबित वर्ष" से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह बाद।

मुख्य चूककर्ता विभाग पंचायती राज विभाग (₹ 34,707.48 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 25,867.47 करोड़), शहरी विकास विभाग (₹ 11,092.71 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹ 5,397.34 करोड़), समाज कल्याण विभाग (₹ 5,116.39 करोड़) आदि थे, जैसा कि **चार्ट 4.2** में दर्शाया गया है

चार्ट 4.2: लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र वाले 10 मुख्य विभाग



(स्रोत: ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना)

इसके अलावा, श्रेणीवार सहायता–अनुदान के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों (2019–20 से 2020–21 की अवधि में) को नीचे **तालिका 4.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.10: श्रेणीवार सहायता अनुदान के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति (2019–20 से 2020–21)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन			परिसंपत्ति			वेतन और संपत्ति के अलावा		
	आहरित	समायोजित	शेष	आहरित	समायोजित	शेष	आहरित	समायोजित	शेष
2019-20	19,666	11,484	8,182	11,356	5,679	5,677	22,369	4,228	18,141
2020-21	6,020	4,218	1,802	3,272	1,447	1,825	10,249	4,523	5,726
कुल	25,686	15,702	9,984	14,628	7,126	7,502	32,618	8,751	23,867

(स्रोत: ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

जांच के दौरान, यह पाया गया कि ₹ 9,947.39 करोड़ की राशि वर्ष 2013–14 तक की अवधि का था, यह अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा लापरवाही को दर्शाता है। यह चिंता का विषय है कि विभागीय अधिकारियों ने लगभग नौ वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की थी। उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं है कि वितरित निधि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया था। इसके अलावा, भारी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण–पत्र का लंबित रहना गबन, दुर्विनियोजन और निधियों के विचलन के जोखिम को बढ़ाता है। राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में हो रहे अत्यधिक विलंब के लिए उतरदायित्व सुनिश्चित करनी चाहिए। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान, वित्त विभाग ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, बैठकों के माध्यम से नियमित अंतराल पर मामले का पर्यवेक्षण किया जा रहा था तथा संबंधित विभागों को बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के शीघ्र समायोजन हेतु निर्देशित किया गया था।

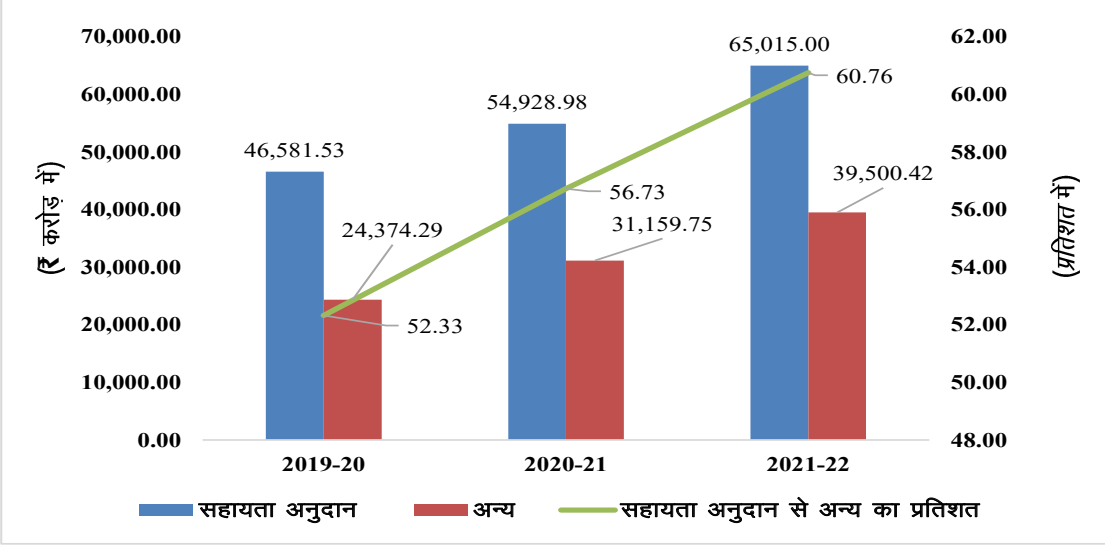
यद्यपि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने जैसे मामले प्रकाशित किए जाते रहे हैं, तथापि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कई मामलों में, प्राप्तकर्ताओं को संबंधित विभागों से आगे भी अनुदान प्राप्त होना जारी रहता है, भले ही पहले के अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हों।

4.6.1 अनुदेयी संस्थाओं को "अन्य" अभिलेखित किया जाना

राज्य सरकार द्वारा निकायों और प्राधिकारियों को दिए गए अनुदानों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय में वाउचर लेवल कम्प्यूटरीकरण (वी0एल0सी0) प्रणाली में भी दर्ज किया जाता है और प्रत्येक संस्थान की लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि की निगरानी की जाती है। लंबित सहायता अनुदान राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो तो लेखाओं की पारदर्शिता के हित में यह आवश्यक है कि सरकार अनुदेयी संस्थान जिन्हें निधि प्रदान की जा रही है, का विवरण तथा स्वरूप बताए।

वी0एल0सी0 प्रणाली के माध्यम से संस्वीकृत सहायता अनुदान एवं उनके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र दर्ज किये गये थे और विभागवार अनुश्रवण किया गया था। यह देखा गया कि 2021–22 के दौरान कुल सहायता अनुदान ₹ 65,015.00 करोड़ में से ₹ 39,500.42 करोड़ (60.76 प्रतिशत) 'अन्य' के रूप में दर्ज किया गया (परिशिष्ट–III, वित्त लेखे, 2021–22)। विगत तीन वर्षों में "अन्य" के रूप में दर्शाये गये सहायता अनुदान का कुल सहायता अनुदान की प्रतिशत प्रवृत्ति **चार्ट 4.3** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 4.3: अनुदेयी संस्थानों का "अन्य" के रूप में अभिलेखन



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों/निकायों/प्राधिकरणों को समुचित कोड निर्धारित नहीं किए जाने के कारण सभी संस्थाओं के विरुद्ध लंबित राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका, जिससे लेखे की पारदर्शिता प्रभावित हुई।

4.7 सार आकस्मिक (ए0 सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011, के नियम 177 में यह प्रावधान है कि आहरण और संवितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित निधि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और अव्ययित राशि को उसी वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार में जमा करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बी0टी0सी0, 2011, के नियम 194 के अनुसार, जिस महीने में ए0सी0 विपत्र आहरित किया गया हो उसके अगले छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी0सी0) प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी सार आकस्मिक विपत्र का आहरण छः माह के बाद तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित नहीं कर दिया जाता। ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के समर्पित किए जाने की वर्षवार प्रगति **तालिका 4.11** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.11: ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्रों के प्रस्तुत किए जाने की वर्षवार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		जोड़े गये		समाशोधन		अवशेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2019-20 तक	13289	3,349.73	5689	4,231.06	122	2,409.65	18,856	5,171.14
2020-21	18856	5,171.14	6308	4,834.28	63	3,145.74	25,101	6,859.68
2021-22#	25101	6,859.68	835	1,155.95	8	385.90	25,928	7,629.73

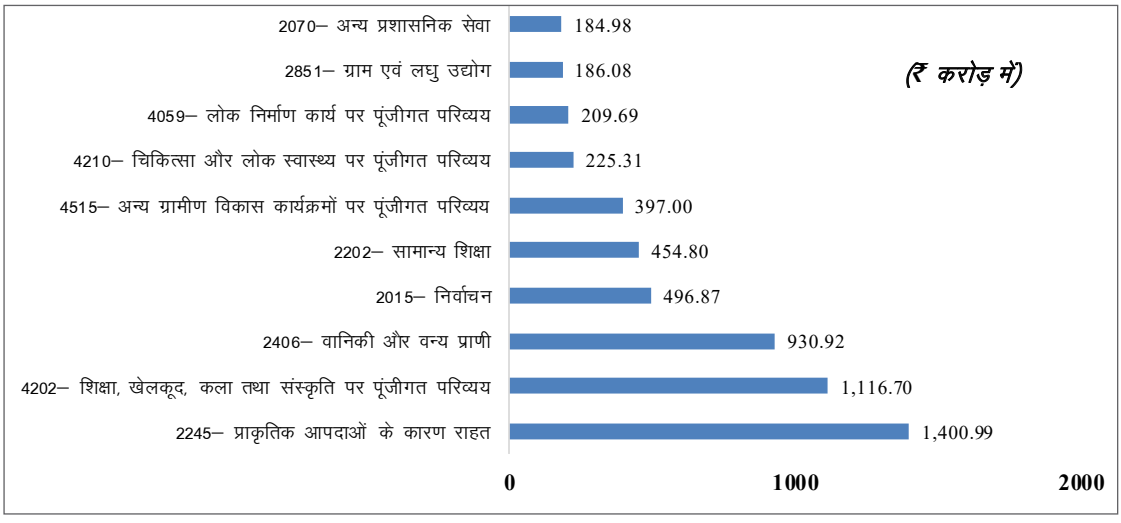
(स्रोत: ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

सितंबर 2021 तक आहरित ए0सी0 विपत्रों पर आधारित।

माह मार्च 2022 में ₹ 572.76 करोड़ (कुल आहरित 3,605 ए0सी0 विपत्रों ₹ 2,460.86 करोड़ का 23.27 प्रतिशत) के 954 ए0सी0 विपत्र आहरित किए गए। वर्ष 2021–22 के दौरान पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कतिपय पूंजीगत शीर्षों से ₹ 12.20 करोड़ (कुल ₹ 2,460.86 करोड़ के आहरित ए0सी0 विपत्रों का 0.50 प्रतिशत) के 34 ए0सी0 विपत्रों का आहरण किया गया था।

मुख्य शीर्ष वार लंबित डी0सी0 विपत्रों को **चार्ट 4.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्र



(स्रोतः ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

ऊपर दिए गए चार्ट में उल्लिखित मुख्य शीर्षवार आँकड़ों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि कुछ लंबित डी0सी0 विपत्र मुख्य शीर्ष– 4202, 4210, 4059 और 4515 के अंतर्गत पूँजीगत परिव्यय से संबंधित थे। ले0 एवं हक0 कार्यालय में विभाग–वार लंबित मामलों की विवरणी संधारित नहीं की गयी थी।

इसके अलावा, यह देखा गया कि कई डी0सी0 विपत्र 2002–03 से ही लंबित थे। वित्त वर्ष के अंत में ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर व्यय, लोक व्यय के कमजोर प्रबंधन को इंगित करता है। इससे यह भी इंगित होता है कि आहरण मुख्यतः बजटीय प्रावधानों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए किया जा रहा था। अग्रिमों का लंबी अवधि तक असमायोजित रहना दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है। जवाब में, वित्त विभाग ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, विभागों के साथ बैठकों के माध्यम से नियमित अंतराल पर इस मामले की निगरानी की जा रही थी।

निर्धारित समय के भीतर डी0सी0 विपत्र जमा न करना वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है और सार्वजनिक धन के दुरूपयोग के जोखिम को बढ़ाता है।

4.8 व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता

बी0टी0सी0, 2011, के नियम 339 में वर्णित है कि महालेखाकार को सूचना देते हुए, वित्त विभाग के लिखित प्राधिकार के बिना, कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता कोषागार में नहीं खोला जाएगा। नियम 340(बी) में कहा गया है कि इस खाते का उपयोग केवल उन विशेष मामलों के लिए किया जाएगा, जहां सार्वजनिक हित में व्यय का प्रवाह सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव नहीं होता है या बड़ी संख्या में छोटे लाभार्थी होते हैं जो कि दूर–दराज बिखरे हुए हों जिन्हें कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष संवितरण व्यावहारिक नहीं हो। पी0डी0 खातों में समेकित निधि से किया गया हस्तांतरण संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। पी0डी0 प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करने और लगातार पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष, जिसमें धन आहरण किया गया था को मिलाकर)[42] तक अव्ययित राशि को सेवा शीर्ष के व्यय में कमी कर समेकित निधि को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

[42] बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 6679 दिनांक 23.08.2016।

वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना[43] के अनुसार, दिनांक 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी पी0डी0/व्यक्तिगत बही (पी0एल0) खाता, दिनांक 01.04.2019 को सी0एफ0एम0एस0 में खोला हुआ माना जाएगा और पी0डी0/पी0एल0 खातों में अप्रयुक्त राशि बाद के पाँच वर्षों में व्यपगत हो जाएगा। वर्तमान में, निष्क्रिय पी0डी0 खातों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2022 के अंत में 212 पी0डी0 खातों में प्रशासकों के पास ₹ 4,040.21 करोड़ की राशि पड़ी थी, जैसा कि **तालिका 4.12** में दर्शाया गया है। इसके अलावा, पी0डी0 खातों और वित्त लेखे (विवरणी–21, मुख्य शीर्ष 8443–106) के अंतशेष के बीच ₹ 7.62 करोड़ का अंतर पाया गया।

उपर्युक्त के अलावा, ₹ 1.54 करोड़ की शेष राशि वाले पांच पी0डी0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 के कार्यान्वयन के तीन वर्षों से अधिक समय के बाद भी सी0टी0एम0आई0एस0 से सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित नहीं किया गया था। इसके अलावा, 35 पी0डी0 खाते ऐसे थे, जहां वर्ष के दौरान निधियां प्राप्त होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया था।

तालिका 4.12: सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार वर्ष 2021–22 के दौरान पी0डी0 खातों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

01.04.2021 को आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़		वर्ष के दौरान समापन		31.03.2022 को अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
252*	3,811.52 #	42	1,250.60 @	82	1,021.91 @	212 $	4,040.21 #

(स्रोत: वित्त लेखे, 2021–22)

टिप्पणी–

* *दो पी0डी0 खातों के कारण 2020–21 की अंत शेष और 2021–22 की प्रारंभिक शेष में ₹ 0.19 करोड़ का अंतर।*

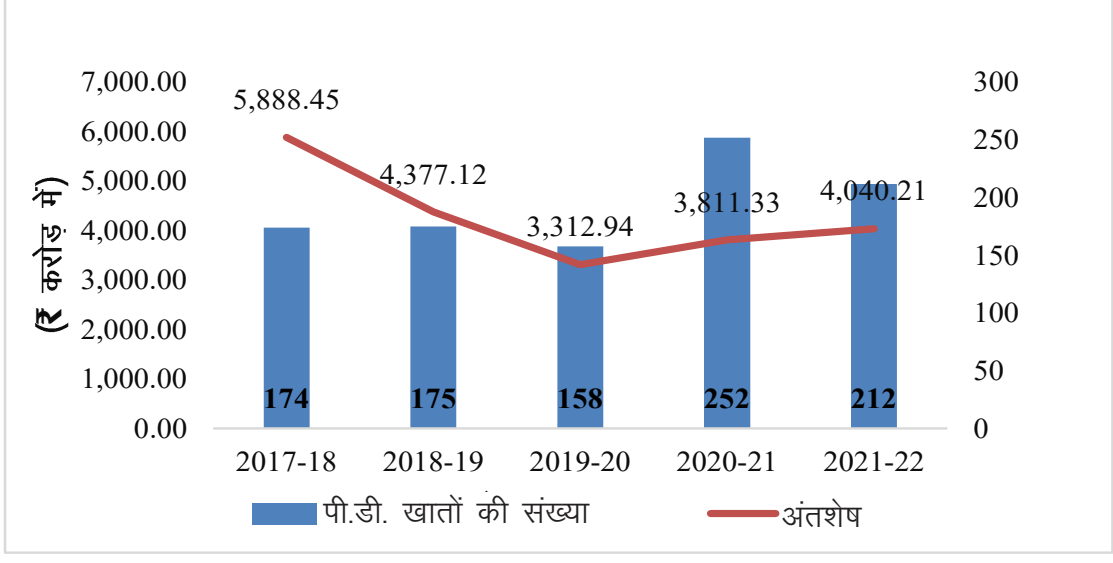
@ *सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार वर्ष के दौरान ₹ 1,250.60 करोड़ की प्राप्ति और ₹ 1,021.91 करोड़ का भुगतान प्लस माइनस मेमो में दर्शाया गया था।*

\# *मुख्य शीर्ष–8443–106 के अंतर्गत विवरण संख्या 21 में दर्शाए गए ₹ 7.62 करोड़ के अंतर का समाशोधन प्रक्रियाधीन।*

$ *₹ 1.54 करोड़ की शेष राशि वाले पांच पी0डी0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित किया जाना बाकी था जो 212 पी0डी0 खातों के अतिरिक्त हैं।*

विगत पाँच वर्षों के अंत में पी0डी0 खातों में अंतशेष की राशि की प्रवृत्ति **चार्ट 4.5** में विस्तृत है।

चार्ट 4.5: 2017–18 से 2021–22 के दौरान पी0डी0 खातों में अंत शेष



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[43] अधिसूचना सं0. एम0–4–02/2020–2916/एफ0 दिनांक: 03.06.2020।

42 नए जोड़े गए पी0डी0 खातों में से, केवल 10 पी0डी0 खातों में ₹ 40.71 करोड़ की राशि शेष थी, हालांकि इन खातों में कोई लेनदेन नहीं किया गया था। 2018–19 से 2021–22 की अवधि के दौरान पी0डी0 खातों का विवरण निम्नानुसार है –

तालिका 4.13: 2018–19 से 2021–22 के दौरान सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार पी0डी0 खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़		वर्ष के दौरान कमी		अंत शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19	174	5,888.45	1	1,417.50	0	2,928.83	175	4,377.12
2019-20	166	4,361.12	0	552.13	08	1,600.32	158	3,312.94
2020-21	158	3,312.94	90	1,061.65	0	563.26	252	3,811.33
2021-22	252	3,811.52	42	1,250.60	82	1,021.91	212	4,040.21

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पी0डी0 खातों की शेष राशि का आवधिक समाशोधन नहीं किया जाना एंव वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पी0डी0 खातों में अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं किया जाना लोक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है। राज्य को चाहिए कि (i) पी0डी0 खातों में राशि को अवरूद्ध रखने को निरूत्साहित करें जिससे कि विधायिका का नियंत्रण कम हो जाता है और (ii) मौजूदा प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

4.9 लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह शीर्ष, संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को नहीं दर्शाता है, फलतः लेखे की पारदर्शिता को प्रभावित करता है। वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 1,82,898 करोड़ के कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय में से लघु शीर्ष "800" के माध्यम से ₹ 153.81 करोड़ (0.08 प्रतिशत) का व्यय किया गया। कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 1,58,797.33 करोड़ में से ₹ 825.08 करोड़ (0.52 प्रतिशत) की प्राप्ति लघु शीर्ष "800" में नामित की गई थी। लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यय और प्राप्तियां (50 प्रतिशत एवं अधिक) क्रमशः **तालिका 4.14** और **तालिका 4.15** में उल्लिखित हैं।

तालिका 4.14: वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान लघु शीर्ष 800– "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय (50 प्रतिशत एवं अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में व्यय का प्रतिशत
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	49.55	49.26	99.41
2	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	71.45	50.00	69.98

(स्रोत: वित्त लेखे, 2021–22)

तालिका 4.15: वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान लघु शीर्ष 800 – "अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ (50 प्रतिशत एवं अधिक)

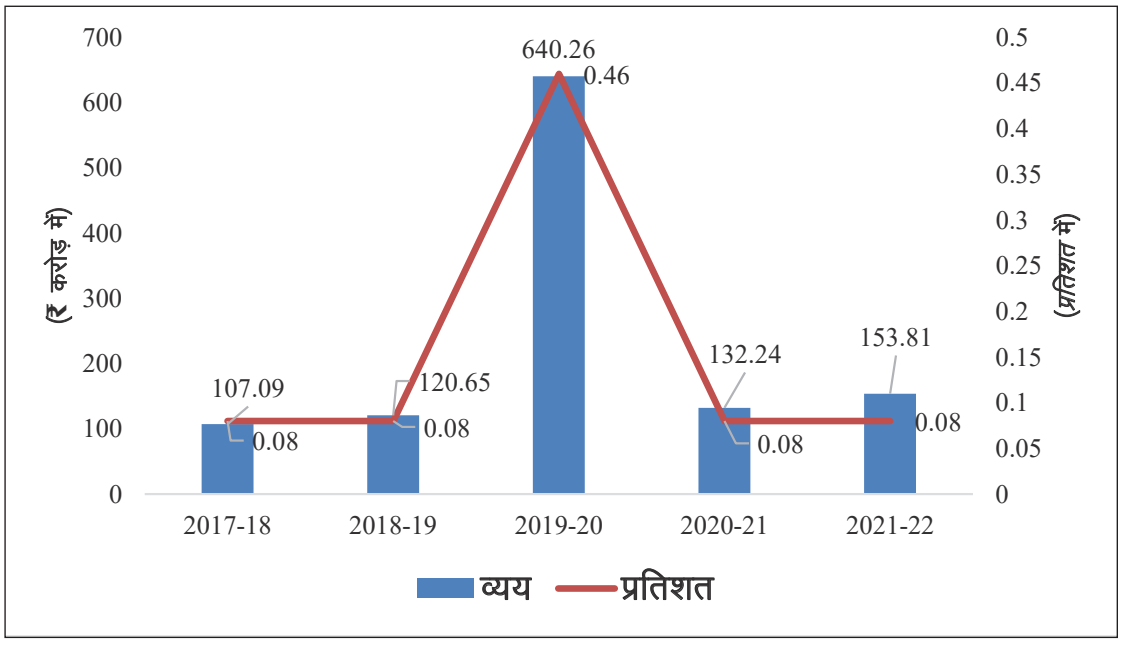
(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	722.47	531.27	73.54
2	0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4.87	2.47	50.72
3	0230	श्रम और रोजगार	12.49	10.14	81.18
4	0401	फसल कृषि कर्म	5.97	4.42	74.04
5	0506	भूमि सुधार	0.03	0.05	166.67
6	0851	ग्राम और लघु उद्योग	0.12	0.12	100.00
7	0852	उद्योग	0.23	0.23	100.00
8	1053	नागरिक उड्डयन	2.24	2.24	100.00
9	1056	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.01	0.01	100.00
10	1456	सिविल आपूर्ति	0.45	0.45	100.00

(स्रोत: वित्त लेखे, 2021–22)

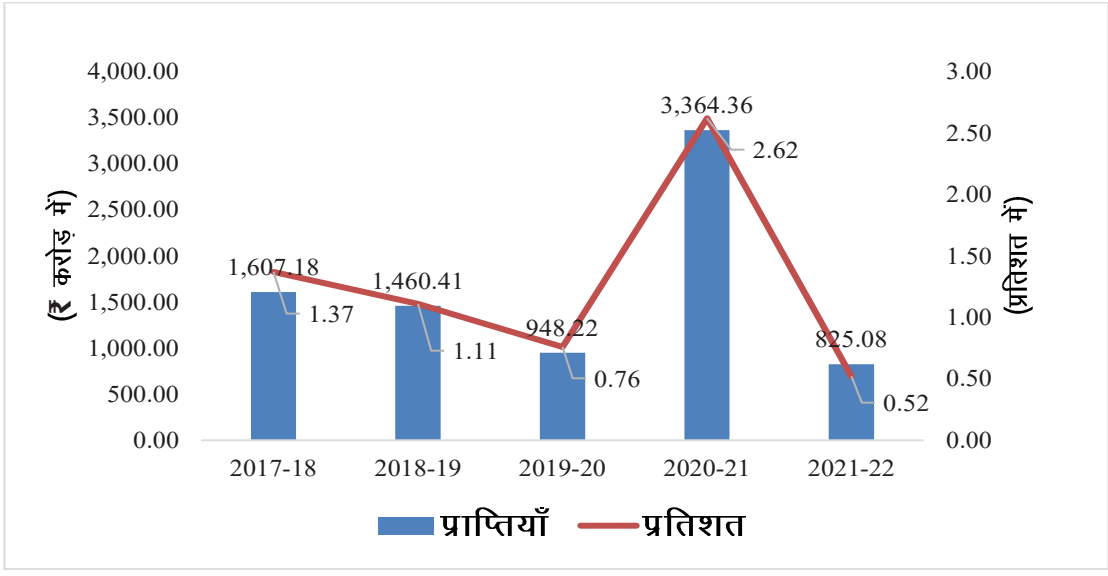
इसके अलावा, वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत व्यय ₹ 107.09 करोड़ से बढ़कर ₹ 153.81 करोड़ तथा प्राप्तियाँ ₹ 1,607.18 करोड़ से घटकर ₹ 825.08 करोड़ हो गई थी, जैसा कि **चार्ट 4.6** और **चार्ट 4.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.6: वित्त वर्ष 2017–22 के दौरान लघु शीर्ष 800–''अन्य व्यय'' का संचालन



(स्रोत: वित्त लेखे, 2017–18 से 2021–22)

चार्ट 4.7: वित्त वर्ष 2017–22 के दौरान लघु शीर्ष 800–''अन्य प्राप्तियाँ'' का संचालन



(स्रोत: वित्त लेखे, 2017–18 से 2021–22)

वर्ष 2021–22 के दौरान, लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत वृहत व्यय मुख्य शीर्ष 5475– अन्य सामाजिक आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 50 करोड़) और 2250– अन्य सामाजिक सेवाएँ (₹ 49.26 करोड़) तथा वृहत् प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 0049–ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 531.27 करोड़) के अंतर्गत नामित की गयी थी।

राजकोषीय प्रबंधन के अनुसार, लघु शीर्ष '800' का उपयोग केवल उन्हीं प्राप्तियों और व्यय के लिए किया जाना है जो अनावर्ती हों और तत्काल लेखा शीर्ष, जिसके तहत इसे नामित किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध नहीं हों।

लघु शीर्ष 800–"अन्य प्राप्तियाँ" एवं "अन्य व्यय" के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियों तथा व्यय का कालक्रम आँकड़े **तालिका 4.16** और **तालिका 4.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.16: कालक्रम आँकड़े जहां लघु शीर्ष '800' ''अन्य प्राप्तियाँ'' के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ नामित की गई थीं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	776.94	261.57	478.10	3,063.65	531.27
2	0230	श्रम और रोजगार	14.00	12.41	7.76	7.98	10.14
3	0401	फसल कृषि कर्म	7.57	6.89	5.97	4.71	4.42
4	1053	नागरिक उड्डयन	3.82	6.50	1.58	3.13	2.24

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 4.17: कालक्रम आँकड़े जहां महत्वपूर्ण व्यय लघु शीर्ष 800–''अन्य व्यय'' के अंतर्गत नामित किए गए थे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.40	5.04	21.25	17.01	49.26

(स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त मुख्य शीर्ष लेखांकन के लिए लघु शीर्ष '800' "अन्य प्राप्तियों" एवं "अन्य व्यय" का अनवरत प्रयोग कर रहे थे।

वर्ष 2021–22 के दौरान, यह पाया गया कि कुछ मुख्य शीर्षों की महत्वपूर्ण राशि लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत नामित की गई थी, जो कुल व्यय/प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम थी, जो निम्नानुसार है:

तालिका 4.18: लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में व्यय का प्रतिशत
1	2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	3,802.99	10.00	0.26
2	2406	वानिकी और वन्य प्राणी	314.96	31.50	10.00

(स्रोत: वित्त लेखे, 2021.22)

तालिका 4.19: लघु शीर्ष ''800'' के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में प्राप्तियों का प्रतिशत
1.	0029	भूमि राजस्व	284.20	105.09	36.98
2.	0030	मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	5,223.98	21.95	0.42
3.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	578.12	87.76	15.18

(स्रोत: वित्त लेखे, 2021–22)

सर्वग्राही लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण, वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

परिमाणात्मक मामले

4.10 मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

कतिपय मध्यवर्गी/समायोजन लेखा शीर्ष जो 8658–उचंत शीर्ष के नाम से जाना जाता है, सरकारी लेखे में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होता है जिसे उसकी प्रकृति की जानकारी न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में अंकित नहीं किया जा सकता है। वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल राशि **तालिका 4.20** में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.20: उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2019–20		2020–21		2021–22	
मुख्य शीर्ष 8658–उचंत	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101–पी0ए0ओ0 उचंत	289.23	0	313.90	0	365.08	0.00
निवल	नामे 289.23		नामे 313.90		नामे 365.08	
102– उचंत लेखा सिविल	10,495.81	638.35	15,598.70	1,070.92	16,195.57	1,409.66
निवल	नामे 9,857.46		नामे 14,527.78		नामे 14,785.91	
107–नकदी सामंजन उचंत लेखा	0	32.29	0	32.29	0	32.29
निवल	जमा 32.29		जमा 32.29		जमा 32.29	

लघु शीर्ष	2019–20		2020–21		2021–22	
मुख्य शीर्ष 8658–उचंत	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**	**नामे**	**जमा**
109–रिजर्व बैंक उचंत मुख्यालय	249.56	2.56	262.64	0	261.71	(-) 0.01
निवल	नामे 247.00		नामे 262.64		नामे 261.72	
110–रिजर्व बैंक उचंत सी0ए0ओ0	1,194.19	894.61	1,501.24	895.64	1,249.60	894.62
निवल	नामे 299.58		नामे 605.60		नामे 354.98	
112–स्रोत पर कर कटौती उचंत(टी0डी0एस0)	953.83	1,281.53	994.38	1,459.04	1,572.73	1,857.17
निवल	जमा 327.70		जमा 464.66		जमा 284.44	
123–अ0भा0से0 ऑफिसर्स समूह बीमा योजना	0.35	6.53	0.27	6.24	0.44	6.04
निवल	जमा 6.18		जमा 5.97		जमा 5.60	
मुख्य शीर्ष 8782–नकद प्रेषण						
102–पी0 डब्ल्यू0 प्रेषण	16,748.75	15,837.56	16,749.16	15,837.54	16,754.96	15,835.85
निवल	नामे 911.19		नामे 911.62		नामे 919.11	
103–वन प्रेषण	3,146.65	2,938.38	3,147.35	2,943.86	3,147.44	2,943.90
निवल	नामे 208.27		नामे 203.49		नामे 203.54	

(स्रोतः वित्त लेखे 2019–20 से 2021–22)

क. वेतन और लेखा कार्यालय उचंत (पी0ए0ओ0 उचंत) – यह शीर्ष महालेखाकार (ले0 एवं हक0) और भारत सरकार के विभिन्न पी0ए0ओ0 कार्यालयों के बीच लेनदेन के निपटान के लिए है। महालेखाकार की पुस्तकों में इस मद के अंतर्गत शुरू में दर्ज लेनदेन को पी0ए0ओ0 से चेक/डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त होने और पी0ए0ओ0 की ओर से राज्य कोषागारों में प्राप्त राशि के संबंध में चेक/डिमांड ड्राफ्ट जारी करने पर मंजूरी दी जाती है। इस मद के अंतर्गत बकाया नामे शेष राशि का मतलब होगा कि पी0ए0ओ0 की ओर से महालेखाकार द्वारा किए गए भुगतान अभी तक वसूल नहीं किए गए थे। बकाया जमा शेष का मतलब होगा कि पी0ए0ओ0 की ओर से महालेखाकार द्वारा प्राप्त राशि का भुगतान किया जाना बाकी था। इस मद के अंतर्गत निवल नामे शेष एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसकी मंजूरी/निपटान पर राज्य सरकार की नकदी शेष राशि में वृद्धि होगी। यह लेनदेन मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, दिल्ली के साथ दावों से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के अंत में इस मद में ₹ 365.08 करोड़ का नामे शेष था।

ख. उचंत लेखा (सिविल) – इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया आँकड़ों का एक बड़ा भाग ऐसे लेन–देन जहां वर्गीकरण का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है या जहां उसके समर्थन में प्रासंगिक अभिश्रव/अनुसूचियां उपलब्ध नहीं हैं या जहां भुगतान/नकद खातों की कोषागार अनुसूची में रिपोर्ट किए गए आँकड़ों और सहायक अभिश्रव, अनुसूची आदि में दिखाई देने वाले आँकड़ों के बीच कुछ विसंगति हैं। रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार विभागों इन प्राधिकरणों द्वारा दावों का निपटान निलंबित रहने के कारण होने वाले लेनदेन को भी शुरू में इस मद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान ₹ 14,082.36 करोड़ के व्यय को संबंधित व्यय मदों में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि अभिश्रव, सहायक–अभिश्रव, मंजूरी आदेश/चलंत विपत्र और अन्य सहायक दस्तावेजों को महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार को व्यय के समर्थन में उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण 8658–102–उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत रखा गया था। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, ₹ 2,384.56 करोड़ (राजस्व व्ययः ₹ 812.74 करोड़ और पूँजीगत व्ययः ₹ 1,571.82 करोड़) ओ0बी0 उचंत में रखे और विगत वर्षों से संबंधित ₹ 2,063.14 करोड़ (राजस्व व्ययः ₹ 894.86 करोड़ और पूँजीगत व्ययः ₹ 1,168.28 करोड़) का समाशोधन किया गया, फलतः वास्तविक व्यय ₹ 321.42 करोड़ से कम प्रदर्शित हुआ। मार्च 2022 के अंत में 8658–102–उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत प्रगामी शेष राशि ₹ 14,785.91 करोड़ थी।

इस मद के अंतर्गत बकाया नामे शेष राशि का मतलब वैसे भुगतान से है जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम व्यय मद में नामे नहीं किया जा सकता था। बकाया जमा शेष का मतलब वैसी प्राप्तियों से है, जिन्हें विवरण के अभाव में अंतिम रूप से प्राप्ति मद में जमा नहीं किया जा सकता था।

ग. **नकदी सामंजन उचंत लेखे** – एक ही वेतन और लेखा अधिकारी को लेखा समर्पित करने वाले लोक निर्माण प्रमंडलों के बीच लेन–देनों के निपटान के लिए लघु शीर्षों का उपयोग किया जाता है एवं इनका संचालन/संधारण संकलित लेखा प्राप्त करने वाले वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष को प्रारंभ में एक कार्य प्रभाग द्वारा अस्थायी शीर्ष के रूप में संचालित किया जाता है जो शीर्ष को जमा करके किसी अन्य कार्य प्रभाग को सेवाएं प्रदान/आपूर्ति करता है। शीर्ष को तब जमा किया जाता है जब एक प्रमंडल दूसरे प्रमंडल की ओर से कुछ प्राप्तियों/राजस्व को स्वीकार करता है। बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होने या चेक/बैंक ड्राफ्ट जारी होने पर शीर्ष को नामे/जमा किया जाता है या चेक/बैंक ड्राफ्ट किसी अन्य प्रमंडल को/से जारी किया जाता है, जैसा भी मामला हो। 31 मार्च 2022 तक इस मद में जमा शेष ₹ 32.29 करोड़ काफी लंबी अवधि से पड़े थे।

घ. **रिजर्व बैंक उचंत, केंद्रीय लेखा कार्यालय** – जहां दो सरकारों के बीच नकद शेषों का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) के केंद्रीय लेखा अनुभाग को एडवाइस प्रेषित किया जाता है, वहाँ इस शीर्ष का उपयोग इस प्रकार के लेन देनों को लेखांकित करने के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनके मौद्रिक निपटान कर दिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित शीर्ष में राशि का अंतरण कर इस शीर्ष का समाशोधन/सामंजन किया जाता है। भारत सरकार के प्राप्त अनुदान/ऋण एवं उनके पुनर्भुगतान, आर0बी0आई0 के सार्वजनिक ऋण कार्यालयों द्वारा भुगतान की गई प्रतिभूतियों एवं उन पर देय ब्याज तथा आपूर्ति और निपटान महानिदेशक द्वारा सरकारी कार्यालयों को की गई आपूर्तियों के विरूद्ध किए गए भुगतान इस उचंत शीर्ष के माध्यम से निपटाए जाने वाले मुख्य लेनदेन हैं।

2021–22 के दौरान, इस मद के अंतर्गत नामे शेष पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 250.62 करोड़ कम होने के बाद ₹ 354.98 करोड़ था।

ड़. **लोक निर्माण प्रेषण** – यह शीर्ष सार्वजनिक कार्यों के संभागीय अधिकारियों द्वारा कोषागार को प्रेषित राशि को स्वीकार किया जाता है या नहीं इसकी निगरानी के लिए संचालित किया जाता है। वर्ष 2021–22 के अंत में प्रमंडल कार्यालयों और कोषागारों के बीच समाशोधन नहीं होने के कारण ₹ 919.11 करोड़ का नामे शेष था और इन अंतरों के कारण गबन के मामलों का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को नुकसान हो सकता है।

च. **वन प्रेषण** – वन प्रमंडलों द्वारा वन राजस्व के संग्रहण और राजकोष में उनका प्रेषण प्रारंभ में इस शीर्ष के अंतर्गत होता है। इस शीर्ष के अंतर्गत नामे शेष राशि का कोषागार खातों में दिखाई देने वाले जमा द्वारा निपटान किया जाता है, जब प्रेषण को कोषागार अधिकारियों द्वारा स्वीकृत एवं लेखांकित किए जाते हैं। राजस्व की वास्तविक प्राप्ति और राजकोष में इसके प्रेषण के बीच समय अंतराल के कारण, इस शीर्ष के अंतर्गत प्रमंडलीय लेखे में दिखाई देने

वाले जमा तब तक दिखाई देते रहेंगे, जब तक कि किए गए प्रेषण का अंतिम रूप से कोषागार खातों में निपटान नहीं हो जाता है। 31 मार्च 2022 तक, इस शीर्ष में ₹ 203.54 करोड़ का नामे शेष था।

उचंत और प्रेषण मदों का सामंजन/निपटान राज्य कोषागारों (कार्य और वन प्रभागों आदि सहित) द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरे पर निर्भर करता है। यदि ये असामंजित रह जाता है, तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत राशि का संचयन हो जाएगा और यह राजकीय व्यय की सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रतिबिंबित नहीं कर पाएगी।

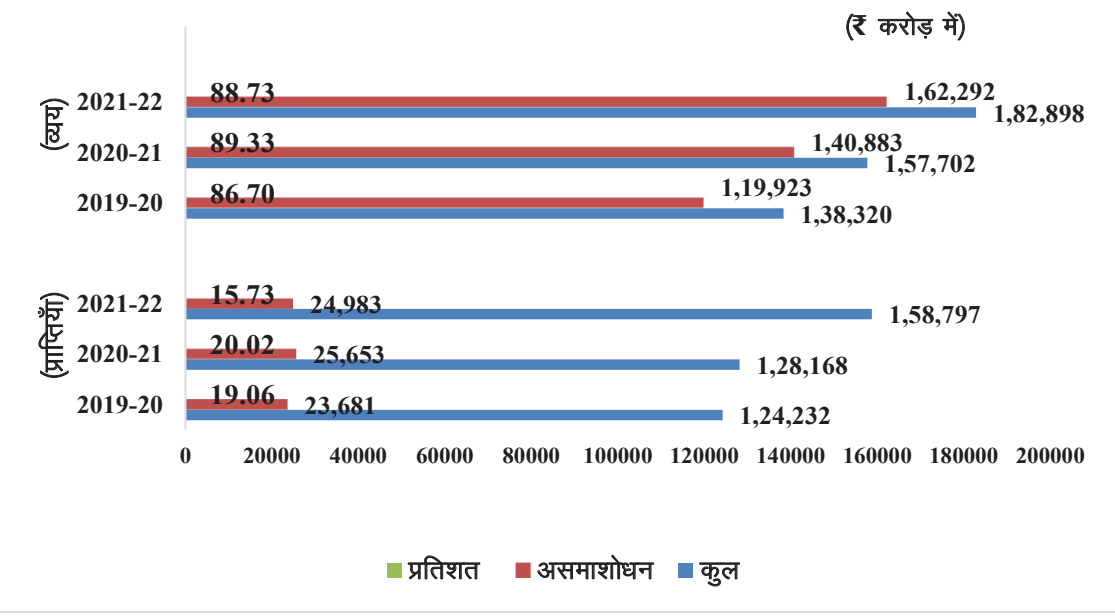
4.11 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

विभागों के नियंत्री अधिकारियों को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने, लेखे की शुद्धता सुनिश्चित करने तथा व्यय को बजट अनुदान के अंतर्गत रखने के लिए राज्य के वित्तीय नियम यह निर्धारित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज प्राप्तियों और व्यय का समाशोधन प्रत्येक महीने महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय के लेखा अभिलेखों के साथ किये जाए।

हालाँकि, यह पाया गया कि सी0एफ0एम0एस0 में अभी तक समाशोधन मॉड्यूल कार्यशील नहीं किया गया था और इस प्रकार 2019–20 से 2021–22 की अवधि में एक बहुत बड़ी राशि व्यय के समाशोधन नहीं किये जाने की प्रवृति देखी गयी है।

इसके अलावा, विगत तीन वर्षों के दौरान असमाशोधन की स्थिति को **चार्ट 4.8** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.8: विगत तीन वर्षों के दौरान असमाशोधन की स्थिति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

लेखे का समाशोधन न करने से लेखे में दर्शाए गए प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों की पूर्णता और सत्यता के आश्वासन पर प्रभाव पड़ता है। सांहित्तिक प्रावधानों तथा कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल गलत वर्गीकरण हुआ बल्कि बजटीय प्रक्रिया का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ।

4.12 नकद शेष का समाशोधन

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) द्वारा प्रतिवेदित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

हालांकि, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के अभिलेख के अनुसार, 31 मार्च 2022 को नकद शेष ₹ 671.24 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 14.20 करोड़ (जमा) था। इस प्रकार, ₹ 657.04 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर था, जिसका मुख्य कारण लेन–देनों का गलत प्रतिवेदन तथा एजेंसी बैंकों द्वारा समाशोधन नहीं किया जाना था। यह अंतर समाशोधन के अधीन था।

4.13 लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष तब उत्पन्न होता है जब लेन–देन को नामे करने के बजाय गलती से जमा अथवा इसके विपरीत कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी भी ऋण या अग्रिम शीर्ष के लेखांकन में एक नकारात्मक शेष, अग्रिम की मूल राशि की तुलना में अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा। 2021–22 के वित्त लेखे में सम्मिलित लोक लेखा शीर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिकूल शेष को नीचे **तालिका 4.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.21: 2021–22 के दौरान लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋणात्मक शेष
8011	बीमा और पेंशन निधि	(-) 278.92
8336	सिविल जमा	(-) 0.55

(स्रोत: वित्त लेखे, 2021–22)

यह ऋणात्मक शेष बिहार के महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय और राज्य सरकार के बीच समाशोधन के अधीन थी।

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

4.14 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखे का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त भारत के नि0म0ले0प0 ने जवाबदेही तंत्र को सुदृढ करने एवं सरकारी लेखा और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी0ए0एस0ए0बी0) की स्थापना की थी। नि0म0ले0प0 की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) अधिसूचित किए हैं। लेखांकन मानको का अनुपालन **तालिका 4.22** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.22: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रम सं0	लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	**आई0जी0ए0एस0– 1: सरकार द्वारा दी गयी प्रतिभूति–प्रकटीकरण आवश्यकता**	• गारंटियों का एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना • वर्गवार एवं प्रक्षेत्रवार प्रकटीकरण	वित लेखे में विवरणी 9 एवं 20 तैयार की गयी हैं। चूँकि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण वर्गवार एवं क्षेत्रवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, फलतः प्रकटीकरण अपूर्ण रहा।	सभी गारंटी दाता, राज्य सरकार के विभागों और वर्ष के दौरान दी गयी गारंटी की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।
2.	**आई0जी0ए0एस0–2: सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण**	• प्रदाता अथवा अनुदेयी दोनों के रूप में सहायता अनुदान का वर्गीकरण और लेखांकन	वित्त लेखे में विवरणी 10 तैयार की गयी हैं। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान की विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।	वस्तु के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व घाटा कम तथा पूंजीगत व्यय को अधिक बताया गया।
3.	**आई0जी0ए0एस0– 3: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम**	• ऋण एवं अग्रिम के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग • पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, • ऋणों एवं अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए	• वित्त लेखे में विवरणी 7 और 18 तैयार की गयी हैं। हालांकि, उपरोक्त विवरणी में दर्शाए गए अंतशेष का समाशोधन ऋण इकाई/ राज्य सरकार के साथ नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने कई/कुछ ऋण एवं अग्रिम के आँकड़े भी उपलब्ध नहीं कराये हैं।	राज्य सरकार द्वारा संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना" और "ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई" को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

क्रम सं0	लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
	आई0जी0ए0एस0– 3: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम		• संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना" और "ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई" का प्रकटीकरण नहीं किया जा सका।	

(स्रोतः वित्त लेखे 2021–22)

लेखा मानकों का गैर–अनुपालन वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता को बाधित करने के अलावा वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह के एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण, को प्रस्तुत करने के उद्देश्य को प्रभावित करेगा।

बिना सलाह के नए उप–शीर्षों का खोला जाना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, राज्य के लेखा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सम्मति के अनुरूप उचित रूप में रखा जाना है। वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह लिए बिना बजट में नौ नए उप–शीर्ष (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत चार और पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत पाँच) प्रारंभ कर दिए। राज्य सरकार ने इन शीर्षों में बजटीय प्रावधान प्रदान किए और केवल राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,192.17 करोड़ का व्यय किया। विवरण नीचे दी गई **तालिका 4.23** में दर्शाये गये हैं:

तालिकाः 4.23 नए खोले गए उप–शीर्षों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	विपत्र कोड	बजट प्रावधान	व्यय
1.	21	राजस्व	2202-02-107-0110	1,035.27	1,031.17
2.	21		2202-03-107-0110	633.50	161.00
3.	20		2210-01-110-0128	5.00	-
4.	20		2210-03-103-0103	100.00	-
5.	03	पूँजीगत	4202-02-104-0111	117.00	-
6.	03		4202-02-789-0102	35.00	-
7.	03		4202-02-796-0102	3.00	-
8.	20		4210-01-110-0119	5.00	-
9.	20		4210-02-103-0102	190.00	-
कुल				**2,123.77**	**1,192.17**

(स्रोतः वित्त लेखे, 2021–22)

4.15 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नि0म0ले0प0 (कर्तव्य, शक्तियॉ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसमें विधान सभा हो, का प्रशासक, जब उसकी यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तब नि0म0ले0प0 से अनुरोध करगा कि वह यथास्थिति, राज्य के या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करे और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो तब, नि0म0ले0प0 ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम के लेखे और बहियों तक पहुंच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा नि0म0ले0प0 को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहां यदि, उससे, यथास्थिति राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जिसमें विधान सभा हो, के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया हो तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों के अधीन करेगा जिस पर उसके और संबद्ध सरकार के बीच सहमति हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखे तक उसे पहुंच का अधिकार होगा (धारा 20)।

बिहार राज्य के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आने वाले 51 निकायों/प्राधिकरणों में से 45 निकायों/प्राधिकरणों (***परिशिष्ट 4.1***) ने कभी भी लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकृत नहीं किया था। शेष छः निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखे की विवरणी नीचे **तालिका 4.24** में दर्शायी गयी हैं :

तालिका 4.24: प्राधिकरणों और निगमों के बकाया लेखे

क्रम सं.	निकाय अथवा प्राधिकरण का नाम	प्राधिकार प्राप्त	लंबित लेखे का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2021–22 तक लंबित लेखे की सं0	अभियुक्ति
1.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	वर्ष 2012–13 से 05 वर्षों के लिए	शून्य	शून्य	वर्तमान में प्राधिकार प्राप्त नहीं था। 2015–16 तक के लेखें की लेखापरीक्षा किया जा चुका है।
2.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2014–15 के बाद प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ था।	2020-21 से 2021-22	02	2014–15 तक के लेखों की लेखापरीक्षा की जा चुकी है।
3.	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009–10 के बाद प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ था।	2010-11 से 2021-22	12	वर्ष 2010–11 से प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ था।
4.	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2015–16 के बाद प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ था।	2016-17 से 2021-22	06	2016–17 से प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ था।
5.	बिहार विद्युत विनियामक आयोग	–	2021-22	01	2020–21 तक के लेखे प्राप्त हुए थे और 2019–20 तक लेखापरीक्षा की गयी थी और 2020–21 के लेखे की लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी।

क्रम सं.	निकाय अथवा प्राधिकरण का नाम	प्राधिकार प्राप्त	लंबित लेखे का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2021–22 तक लंबित लेखे की सं0	अभियुक्ति
6.	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बी0 एस0 एल0 एस0 ए0)	अधिनियम के अनुसार, वार्षिक लेखे/वित्तीय लेखे का नि0म0ले0प0 द्वारा अनिवार्य रूप से लेखा परीक्षण किया जाना है।	2021-22	01	2020–21 तक के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए थे और इनकी लेखापरीक्षा की जानी बाकी है।

(स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि चार निकायों/प्राधिकरणों ने अल्प अवधि के लिए प्राधिकार दिया था और बार–बार अनुरोध किये जाने के बावजूद इन निकायों/प्राधिकरणों द्वारा आगे प्राधिकार प्रदान नहीं किया गया। लेखे को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हितधारक इन निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा, लेखे को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण संबंधित विधायी प्रावधान, जिनके अंतर्गत इन निकायों का गठन किया गया था, के उल्लंघन के अलावा वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं चलने का खतरा रहता है।

4.16 लेखे की गुणवत्ता और समयबद्धता

बिहार सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखे को 43 कोषागारों एवं अन्य लेखा प्रतिपादक इकाइयों (ए0आर0यू0) द्वारा प्रस्तुत आरंभिक लेखे के आधार पर संकलित किया गया था। लोक निर्माण विभाग और वन विभाग द्वारा सीधे महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने वाले लेखे को बिहार सरकार ने सी0एफ0एम0एस0 के लागू किए जाने की तिथि 01.04.2019 से बंद कर दिया था और उनके लेन–देन अब कोषागारों के माध्यम से किए जा रहे थे।

ये लेखे 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए बिहार सरकार के लेनदेन को प्रस्तुत करते हैं। मासिक लेखे प्रस्तुत करने में 01 से 52 दिनों का विलंब था और इससे राज्य सरकार को मासिक सिविल लेखे की समयबद्ध प्रस्तुति प्रभावित हुई। हालांकि, वित्त वर्ष के अंत में किसी भी लेखे को छोड़ा नहीं गया था। मासिक सिविल लेखे की तैयारी के दौरान विलंबित लेखे का विवरण नीचे **तालिका 4.25** में दर्शाया गया है: –

तालिका: 4.25: वर्ष 2021–22 के दौरान विलंबित मासिक सिविल लेखे की स्थिति

क्रम सं.	माह	विलंब से अपना लेखे प्रस्तुत करने वाले कोषागारों की संख्या	लेखे को जमा करने की नियत तिथि	कोषागारों द्वारा मासिक लेखे प्रस्तुत करने में विलंब (अवधि दिनों में)	लेखे तैयार किये जाने की निर्धारित तिथि	लेखे तैयार किये जाने की तिथि
1.	अप्रैल 2021	43	05.05.2021	51-52	25.05.2021	06.07.2021
2.	मई 2021	43	05.06.2021	23-33	25.06.2021	12.08.2021
3.	जून 2021	43	05.07.2021	12-25	25.07.2021	02.09.2021

क्रम सं.	माह	विलंब से अपना लेखे प्रस्तुत करने वाले कोषागारों की संख्या	लेखे को जमा करने की नियत तिथि	कोषागारों द्वारा मासिक लेखे प्रस्तुत करने में विलंब (अवधि दिनों में)	लेखे तैयार किये जाने की निर्धारित तिथि	लेखे तैयार किये जाने की तिथि
4.	जुलाई 2021	43	05.08.2021	08-29	25.08.2021	21.09.2021
5.	अगस्त 2021	42	05.09.2021	09-22	25.09.2021	05.10.2021
6.	सितम्बर 2021	42	05.10.2021	02-20	25.10.2021	25.10.2021
7.	अक्टुबर 2021	43	05.11.2021	11-19	25.11.2021	25.11.2021
8.	नवम्बर 2021	40	05.12.2021	01-11	25.12.2021	21.12.2021
9.	दिसम्बर 2021	38	05.01.2022	01-10	25.01.2022	21.01.2022
10.	जनवरी 2022	38	05.02.2022	02-12	25.02.2022	23.02.2022
11.	फरवरी 2022	35	05.03.2022	01-33	25.03.2022	25.03.2022
12.	मार्च 2022	18	10.04.2022	01-12	10.05.2022	11.05.2022

(स्रोतः ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ें)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, अधिकांश कोषागारों ने अपने लेखे विलंब से जमा किए। हालांकि, किसी भी लेखे को मासिक सिविल लेखे में छोड़ा नहीं गया था। यह न केवल नियम के अनुचित कार्यान्वयन को दर्शाता है, अपितु कार्यान्वयन के अंतिम छोर तक निधि प्रवाह की निगरानी, विकास कार्यक्रमों पर व्यय की नियोजित गति, विभागों के कार्यकलाप आदि को भी प्रभावित करता है।

अन्य मुद्दे

4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि

बिहार वित्त नियमावली के नियम 31 में प्रावधान किया गया है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति का गबन या अन्य प्रकार से हानि से संबंधित मामले, संबंधित कार्यालय द्वारा उच्चाधिकारी एवं वित्त विभाग के साथ–साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी तत्काल सूचित किये जाने चाहिए, चाहे इस तरह हुई हानि की क्षतिपूर्ति संबंधित जिम्मेदार पक्ष के द्वारा क्यों न कर दी गई हो। इस तरह के मामलों को संदेह उत्पन्न होने के तुरंत बाद बिना जाँच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये प्रतिवेदित कर दिया जाना चाहिए। 44 विभागों में से, पाँच विभागों[44] ने 'शून्य' सूचना प्रस्तुत की थी और दो विभागों द्वारा दी गई सूचना निम्नानुसार हैः

[44] विधि विभाग, संसदीय कार्य विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग।

तालिका 4.26: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामले।

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के मामले		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जांच का इंतजार		विभागीय कार्रवाई शुरू की गई लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली लंबित है	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
योजना एवं विकास विभाग	01	2.40	01	2.40	-	-	-	-
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	01	0.06 (लगभग)	01	0.06 (लगभग)	-	-	-	-

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

हालांकि, विभागों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी था।

4.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) को यह अपेक्षित होता है कि राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा में वर्णित कंडिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर टिप्पणी उपस्थापित की जाए। संबद्ध विभागों से यह भी अपेक्षित होता है कि वे महालेखाकार को (उसकी पुष्टि के उपरांत लो0ले0स0 को अग्रेषण के लिए) की गई कारवाई का प्रतिवेदन (ए0टी0एन0) उपलब्ध कराएंगे।

लो0ले0स0 ने 2021–22 के दौरान राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए कोई बैठक आयोजित नहीं की थी। वर्ष 2008–09 से 2019–20 तक के वर्षों से संबंधित 330 कंडिकाओं में से मार्च 2022 तक केवल तीन कंडिकाओं पर ही चर्चा हुई थी। राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कुल 327 कंडिकाएं चर्चा के लिए लंबित हैं।

लो0ले0स0 की अनुशंसा पर वित्त विभाग को सभी विभागों को निर्देश जारी करने चाहिए थे कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वाले सभी कंडिकाओं एवं समीक्षा पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ कर दें, भले ही इन मामलों की जाँच लो0ले0स0 द्वारा प्रारंभ की गई हो अथवा नहीं।

4.19 राज्य के पुनर्गठन पर शेष राशि का विभाजन

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000, में राज्य के विभाजन की तारीख अर्थात् 15 नवंबर, 2000 को पूंजीगत (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋण एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) के तहत परिलक्षित शेष राशि तथा भाग–III लोक लेखे (रिजर्व बैंक के पास जमा को छोड़कर) के तहत शेष राशियों को विभाजित करने के तरीके का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत ₹ 11,148.69 करोड़ की राशि का विभाजन किया जाना था, जैसा कि वित्त लेखे (खंड II) के परिशिष्ट–XIII में वर्णित है।

4.20 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 177 के अनुसार, जब तक तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो, कोषागार से धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति में अग्रिम के रूप में धनराशि का आहरण किया जाता है, तो इस प्रकार आहरित राशि का अव्ययित शेष, अगले विपत्र में कम आहरण द्वारा अथवा अभिश्रव द्वारा यथाशीघ्र एवं किसी भी स्थिति में उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धनराशि का आहरण किया गया हो, की समाप्ति के पूर्व कोषागार में वापस जमा करा दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2022 तक ₹ 184.52 करोड़ की राशि, जिन्हें इन निर्देशों के संदर्भ में कोषागार को वापस किया जाना था, असमायोजित अग्रिम के रूप में लम्बित था। इसके अलावा लोक कार्य प्रमंडलों द्वारा ₹ 25.46 करोड़ की राशि भी अग्रदाय के रूप में रखी गयी थी। विवरण **तालिका 4.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.27: 31 मार्च 2022 को असमायोजित अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विभाग का नाम	असमायोजित अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3	राष्ट्रीय राजमार्ग	0.78	0.09	0.87
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63
5	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
6	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	59.48	5.33	64.81
8	नलकूप और लघु सिंचाई	12.02	0.23	12.25
	कुल	**184.52**	**25.46**	**209.98**

(स्रोतः वित्त लेखे, 2021–22)

4.21 चेक एवं विपत्र

यह शीर्ष संव्यवहार के प्रारंभिक अभिलेखन के लिए एक मध्यस्थ लेखा उपकरण है, जिन्हें अंततः समायोजन/वापस कर दिया जाना है। लेखे के विभागीयकरण करने की योजना के अंतर्गत सरकार के दावों का भुगतान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पी0ए0ओ0) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के शाखाओं अथवा मंत्रालय/विभाग से मान्यता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से चेक आहरण द्वारा किया जाता है। जब दावों को उपयुक्त विपत्र फॉर्म में पी0ए0ओ0/विभागीय अधिकारी को दी जाती है, तो पी0ए0ओ0/विभागीय अधिकारी द्वारा वेतन आदेश की अभिलेखण एंव निर्धारित जाँच के उपरांत चेक निर्गत कर भुगतान किया जाता है। शीर्ष "चेक एवं विपत्र" सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी किए गए भुगतान आदेशों (चेक आदि के माध्यम से) और इस तरह के भुगतान वास्तव में किए गए थे और सही ढंग से नामित किए गए थे, के बीच अंतर को दर्शाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत असमाशोधित शेष राशियों का निरंतर अस्तित्व सरकार के लेखें में दर्शाए गए नकद शेष को विकृत कर सकता है।

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखे में, मुख्य शीर्ष 8670 "चेक एवं विपत्र" के अंतर्गत नकद शेष दर्शाता है कि चेक निर्गत हुए लेकिन, उनका नकदीकरण नहीं हुआ। 01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष ₹ 110.99 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2021–22 के दौरान, ₹ 1,67,756.15 करोड़ के चेक निर्गत किए गए, जिसमें से ₹ 1,67,659.66 करोड़ का ही वर्ष के दौरान नकदीकरण किया गया, जिससे समापन शेष ₹ 207.48 करोड (जमा) 31 मार्च 2022 तक रहा। समापन शेष राशि मूल रूप से विभिन्न कार्यकारी मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में दर्ज किए गए व्यय को दर्शाती है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक बिहार सरकार को कोई नकदी बहिर्वाह नहीं हुआ है।

"चेक एवं विपत्र" शीर्ष के अंतर्गत निरंतर शेष राशि के अस्तित्व, प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983 का उल्लंघन था, जो यह निर्धारित करता है कि निर्गत होने के छह महीने से अधिक समय तक बकाया रहने वाले और नवीनीकृत नहीं किए गए चेक एवं विपत्र, को रद्द कर राशि को खातों में वापस कर दिया जाए।

मुख्य शीर्ष 8670 के अंतर्गत बकाया राशि दर्शाती है कि लेखा प्राधिकारी नियमों के अनुसार कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। "चेक एवं विपत्र" के अंतर्गत बकाया राशि, सरकार के नकद शेष को उस सीमा तक अतिकथित दर्शाता है।

4.22 सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)

संयुक्त राष्ट्र (यू0एन0) महासभा ने (सितंबर 2015) "वैश्विक परिवर्तनः सतत विकास एजेंडा 2030" नामक संकल्प को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) और 169 संबद्ध प्रयोजन शामिल थे। 2030 के एजेंडे का उद्देश्य सर्वत्र गरीबी और भूख को समाप्त करना, देश–देशांतर के बीच असमानताओं को समाप्त करना, शांति स्थापित करना, न्यायसंगत और समावेशी समाजों का निर्माण करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, लैंगिक समानता और महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा पृथ्वी और इसके प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह समावेशी और सतत आर्थिक विकास, साझा समृद्धि और सभी के लिए अच्छे काम के लिए परिस्थितियाँ बनाने का प्रयास करता है। एजेंडा 2030 को चार भागों में संरचित किया गया है:

अ. घोषणाः दृष्टि और सिद्धांत
ब. परिणाम फ्रेमवर्कः 17 लक्ष्य और 169 प्रयोजन
स. कार्यान्वयनः कार्यान्वयन और वैश्विक साझेदारी
द. अनुपालन और समीक्षा

भारत सरकार ने सितंबर 2015 में नीति आयोग को एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन के समन्वयन और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी।

नीति आयोग ने राज्य सरकारों को लक्ष्यों और प्रयोजनों को समावेशित कर देश के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार करने की दिशा में कार्य करने की सलाह दी। तदुपरांत, राज्यों को एस0डी0जी0 के लिए बजट तैयार करने और क्षमता निर्माण गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। इस संदर्भ में, राज्य सरकार ने सभी एस0डी0जी0 (1–17) के कार्यान्वयन के लिए 2017 में एक विजन दस्तावेज बनाया और विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजना अथवा राज्य योजनाओं को अधिसूचित किया। योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार ने एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान (ए0डी0आर0आई0) तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के तकनीकी सहयोग से लक्ष्य नोडल विभागों और योजनाओं का प्रयोजन/प्रयोजनवार समावेशन किया था और बिहार के लिए रणनीतिक और विजन दस्तावेज और रणनीतिक कार्ययोजना तैयार किया था।

यद्यपि, राज्य ने अभी तक अपने बजटीय आवंटन को एस0डी0जी0 ढांचे के साथ संरेखित नहीं किया था। तथापि, एस0डी0जी0 को राज्य के सुशासन कार्यक्रम और सात निश्चय योजना को बजट के अंतर्गत शामिल किया गया है। बिहार सरकार सभी सतत विकास लक्ष्यों को शामिल करते हुए कई योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही थी; यथा, *मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, अक्षर आंचल योजना, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आहार योजना*।

वर्ष 2020–21 में नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक रिपोर्ट 2020–21 के अनुसार, नीति आयोग एस0डी0जी0 इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड 2020–21 पर भारत का समग्र स्कोर 2018–19 में 57 और 2019–20 में 60 से बढ़कर 66 हो गया। हालांकि, बिहार ने सात[45] एस0डी0जी0 में 49 से नीचे प्रदर्शन किया और आकांक्षी राज्य के रूप में वर्गीकृत हुआ, तीन[46] एस0डी0जी0 में 50 से 64 के बीच (अच्छा प्रदान करने वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत), और पाँच[47] एस0डी0जी0 में 65 से 99 के बीच (अग्रणी के रूप में वर्गीकृत) रहा। कुल मिलाकर बिहार ने केवल 52 अंक प्राप्त किए और इसे परफॉर्मर राज्य के रूप में मान्यता दी गई।

एस0डी0जी0 के कार्यान्वयन के संबंध में बिहार सरकार से पृच्छा की गई, जवाब अप्राप्त था।

[45] एस0डी0जी0 1: गरीबी उनमूलन; एस0डी0जी0 2: भूखमरी से मुक्ति; एस0डी0जी0 4: गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा; एस0डी0जी0 5: लैगिंक समानता; एस0डी0जी0 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा; एस0डी0जी0 10: असमानताओं में कमी; एस0डी0जी0 13: पर्यावरण कार्यक्रम।

[46] एस0डी0जी0 8: उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास; एस0डी0जी0 12: प्रभावी उपभोग और उत्पादन; एस0डी0जी0 15: स्थल पर जीवन।

[47] एस0डी0जी0 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण; एस0डी0जी0 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता; एस0डी0जी0 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा; एस0डी0जी0 11: धारणीय शहर एवं समुदाय; एस0डी0जी0 16: शांति, न्याय और सशक्त संस्थान।

4.23 प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (एन0आर0ए0)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0) के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण के साथ सतत विकास की उपलब्धि में मदद के लिए राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन किया गया था। जी0ए0एस0ए0बी0 द्वारा जुलाई 2020 में जारी भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (एन0आर0ए0) पर एक कार्य योजना की परिकल्पना करने वाले अवधारणा पत्र ने राज्यों में खनिज और गैर–नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखे के लिए खाके प्रकाशित किए थे।

नि0म0ले0प0 ने खदानों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन प्रारंभ कर दिया है। प्राकृतिक संसाधन लेखांकन राज्य को कार्यपालिका की जवाबदेही में सुधार में मदद करेगा। खदानों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा, इसके निष्कर्षण के लिए किए गए व्यय और खदानें लाभदायक हैं या नहीं, इसकी लेखापरीक्षा की जाएगी। एन0आर0ए0 के अंतर्गत, परिसंपत्ति लेखे एक राज्य के कुल खनिज संसाधनों, इसके निष्कर्षण, अनुमानित बाजार मूल्य और अर्जित वास्तविक राजस्व के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा। राज्य सरकार के विभागों और लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा वार्षिक परिसंपत्ति लेखे के अंतिम रूप दिए जाने के बाद परंतु भौतिक और इलेक्ट्रॉनिकली प्रकाशित होने के पहले इन की जाँच के लिए द्विस्तरीय सत्यापन का समान तरीका अपना सकते है।

राज्य के खनिज और ऊर्जा संसाधनों के परिसंपत्ति लेखे की तैयारी से संसाधन निष्कर्षण, उपयोग, अवैध खनन को रोकने और राजस्व अनुकूलन की बेहतर निगरानी में मदद मिलेगी। राज्य के वर्ष 2020–21 के लिए पहले परिसंपत्ति लेखें को मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) का कार्यालय अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (मुख्य शीर्ष–0853) जैसे विभिन्न पूर्व–निर्धारित शीर्षों के अंतर्गत खनन और संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत राज्य के राजस्व का संकलन करता है और राज्य के वित्त लेखे तैयार किए जाते हैं। खनन और संबद्ध कार्यकलापों से प्राप्त राजस्व राज्य सरकारों की करेत्तर प्राप्तियां हैं। 2016–17 से 2020–21 के बीच की अवधि के दौरान, राज्य की कुल करेत्तर प्राप्तियों की तुलना में अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियों को नीचे **तालिका 4.28** में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.28: राज्य के राजस्व में खनिज संसाधनों का योगदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल करेत्तर राजस्व	खनिज संसाधनों से राजस्व	खनिज संसाधनों से राजस्व का प्रतिशत
2016-17	2,403.12	997.60	41.51
2017-18	3,506.74	1,082.67	30.87
2018-19	4,130.56	1,560.65	37.78
2019-20	3,699.60	1,572.07	42.49
2020-21	6,201.38	1,708.93	27.56

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार ने जिला खनिज फाउंडेशन पर अतिरिक्त सूचना के साथ, निर्दिष्ट प्रारूप में परिसंपत्ति लेखे 2020–21 तैयार किया है। महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के कार्यालय द्वारा इसकी जांच की गई है और बाद में सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को भेजा गया है।

भारत के नि0म0ले0प0 द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों और दिशानिर्देशों का उपयोग करके लेखापरीक्षा की गयी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 2020–21 के दौरान निष्कर्षण के आँकड़ों का उपयोग करके कुल छः जिलों (औरंगाबाद, गया, रोहतास, भोजपुर, शेखपुरा और पटना) का चयन नमूना के तौर पर किया गया था। उक्त अवधि के दौरान कुल खनिज निष्कर्षण के आँकड़ों में से संबंधित खनिजों के लिए चयनित जिलों में क्रमशः लगभग 77.41 प्रतिशत, 83.76 प्रतिशत और 100 प्रतिशत बालू, पत्थर और चूना पत्थर खनिजों की खुदाई शामिल थी। आँकड़ों का सत्यापन विभाग द्वारा पुष्टि कारक साक्ष्य के बिना उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए नमूना–जांच के निष्कर्ष निम्नवत हैं:

- चूंकि खनिज भंडारों के संबंध में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी0एस0आर0) तैयार नहीं की गई थी, इसलिए पर्यावरणीय परिसंपत्तियों का प्रारंभिक भंडार (01.04.2020 तक) और पर्यावरणीय परिसंपत्तियों का समापन भंडार (31.03.2021 तक) का लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका।
- गया जिले में 2020–21 के दौरान पत्थर निकालने की मात्रा का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि प्रेषण रजिस्टरों में निष्कर्षण की प्रविष्टियों को अद्यतन नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा को मासिक रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया था।
- नमूना जांच के दौरान विभाग और जिला खनन कार्यालयों के बीच उचित समन्वय/निगरानी तंत्र की कमी पाई गई।
- पत्थरों के मासिक उत्खनन/प्रेषण रजिस्टरों की न तो ठीक से संधारण किया गया था, न ही उन्हें औरंगाबाद जिले में खनन अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित और हस्ताक्षरित किया गया था। मासिक रिपोर्टों/रिटर्न और रजिस्टरों की आगे जांच करने पर, यह भी देखा गया कि, कई महीनों में, पिछले महीने के समापन भंडार को अगले महीने के प्रारंभिक भंडार के रूप में नहीं लिया गया था। यहां तक कि कई महीनों के रिटर्न में उत्खनन की मात्रा की इकाइयों का भी उल्लेख नहीं किया गया था। यह कार्यालय की ओर से निगरानी में कमी को दर्शाता है।
- खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए अवैध खनन पर खनिज–वार आँकड़े भी उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

राज्य में पाए जाने वाले खनिजों की सूची और उनके मुद्रीकरण का कार्य खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अभ्रक और क्वार्ट्ज को छोड़कर पूरा कर लिया गया है। राज्य को संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए और आई0बी0एम0 के साथ आँकड़ों के नियमित मिलान की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए ताकि संकलित आँकड़ें अधिक विश्वसनीय हों। सभी खनिजों के लिए रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के दौरान अनुमत उत्खनन के सापेक्ष खनिजों के अधिक उत्खनन पर नजर रखी जा सके जिससे अवैध खनन पर व्यापक नियंत्रण किया जा सके।

4.24 एकल नोडल लेखांकन (एस0एन0ए0)

नकदी प्रबंधन को अधिक प्रभावी और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के उद्देश्य से, राज्य सरकारें और भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग 01 जुलाई 2021 से केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के अंतर्गत निधियों के उपयोग को जारी करने और निगरानी के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं।

एकल नोडल लेखांकन के कार्यान्वयन के लिए:

- प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक सी0एस0एस0 के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित करेगी। प्रत्येक एजेंसी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी0एफ0एम0एस0) में पंजीकृत होगी

और प्रत्येक एजेंसी का बैंक खाता एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोला जाएगा और पी0एफ0एम0एस0 में अधिसूचित किया जाएगा।

- एस0एन0ए0 के अंतर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खाते में उपलब्ध निधियों को केन्द्र और राज्य के अंश के स्पष्ट विभाजन के साथ संबद्ध एस0एन0ए0 के बैंक खाते में अंतरित कर दिया गया है। केवल शून्य शेष वाले बैंक खाते खोले जांएगे।
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आई0ए0) को शून्य शेष वाले खाते के साथ पी0एफ0एम0एस0 में खुद को पंजीकृत करना होगा। परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर, प्रत्येक योजना के लिए शून्य–शेष सहायक खाते सभी आई0ए0 के लिए चयनित बैंक की एक ही शाखा में या विभिन्न शाखाओं में खोले जाएंगे। इन सहायक खातों में समय–समय पर संबंधित एस0एन0ए0 द्वारा तय की जाने वाली आहरण सीमाएं आवंटित की जाएंगी और आहरण वास्तविक समय के आधार पर की जाएंगी।
- एस0एन0ए0 यह सुनिश्चित करेगी कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को अनिवार्य रूप से संबंधित समेकित निधि में आनुपातिक आधार पर भेजा गया है।

वित्त वर्ष की शुरुआत में, मंत्रालय/विभाग सी0एस0एस0 के लिए किसी राज्य के लिए निर्धारित राशि का 25 प्रतिशत से अधिक राशि जारी नहीं करेंगे। अतिरिक्त केंद्रांश (एक बार में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) एकल नोडल खाते में निर्धारित राज्य के अश के हस्तांतरण और पहले जारी की गई निधियों के कम से कम 75 प्रतिशत के उपयोग पर जारी किया जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान उन योजनाओं के मामले में लागू नहीं होगा जहां मंत्रिमंडल द्वारा अलग मात्रा जारी करने की अनुशंसा की गई है। सभी कार्यान्वयन एजेंसियां अपने खाते में पड़ी अव्ययित राशि को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एस0एन0ए0 को वापस करेंगी। एस0एन0ए0 कार्यान्वयन एजेंसियों के खाते में पड़ी अव्ययित शेष राशि और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वापस की गई राशि का अभिलेख रखेगी। मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटन सख्ती से सभी सी0एस0एस0 के अंतर्गत जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार की जाए।

13.10.2022 तक पी0एफ0एम0एस0 के आँकड़ों के साथ–साथ एस0एन0ए0 के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों और राज्यों के साथ इस संबंध में किये गये पत्राचार के साथ जांच की गई और पाया गया कि:

- एस0एन0ए0 के कार्यान्वयन की स्थिति: 84 एस0एन0ए0 एजेंसियों के अंतर्गत 4,815 सहवर्ती एजेंसियाँ पंजीकृत थीं जिसके अंतर्गत 1,49,363 शून्य शेष वाले बैंक खाते संचालित किए जा रहे थे। अतः कुल 1,54,262 एजेंसियाँ पी0एफ0एम0एस0 में पंजीकृत थी। इससे बैंक खातों में कमी आई है।
- राज्य सरकार को प्राप्त केंद्रांश को प्राप्त होने के 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एस0एन0ए0 के खाते में स्थानांतरित करना था। केंद्रांश को पी0डी0 खातों या किसी अन्य खातों में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, केंद्रांश जारी होने के 40 दिनों के बाद राज्यांश जारी नहीं किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केन्द्रांश और राज्यांश को कोषागारों से एस0एन0ए0 में अंतरित करने में क्रमश 89 और 92 दिन लगे।
- 14 योजनाओं में, राज्य ने केन्द्रांश और राज्यांश को या तो पी0एल0 खातों के माध्यम से, या कोषागारों के माध्यम से योजना से संबंधित एस0एन0ए0 खातों में अंतरित किया, जो भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत था।

वित्त विभाग ने जवाब दिया कि, एक योजना में, पी0एल0 खातों से एस0एन0ए0 में निधि हस्तांतरित किया गया था जबकि 13 योजनाओं में, निधि पी0एल0 और कोषागार से एस0एन0ए0 में अंतरित किया गया था।

- वित्त विभाग के अनुसार, भारत सरकार ने सी0एस0एस0 के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 18,553.85 करोड़ की राशि जारी की। तथापि, पी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, भारत सरकार ने एस0एन0ए0 के अंतर्गत सी0एस0एस0 के लिए 20,937.76 करोड़ रुपए जारी किए जो तथ्यों के विपरीत था। हालांकि वित्त विभाग ने भारत सरकार को संबोधित एक पत्र में इस तथ्य को स्वीकार किया कि पी0एफ0एम0एस0 में कुछ कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है, जिनको आँकड़ों के सटीक प्रदर्शन तथा अगली निधियों के जारी किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए समाधान करने की आवश्यकता है।
- सी0एस0एस0 के कार्यान्वयन के लिए पी0एफ0एम0एस0 के साथ 91 राज्य संबद्ध योजनाएं (एस0एल0एस0) सृजित की गई थीं। राज्य ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इन पर कुल ₹ 42,522.60 करोड़ का व्यय किया है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत सरकार ने एस0एन0ए0 के अंतर्गत सी0एस0एस0 के लिए ₹ 20,937.76 करोड़ जारी किए। इसमें से केवल ₹ 9,171.03 करोड़ व्यय के रूप में और ₹ 1,446.61 करोड़ अग्रिम के रूप में दिए गए, जबकि कोषागार द्वारा एस0एन0ए0 को ₹ 19,887.10 करोड़ जारी किए गए थे। ₹ 9,269.45 करोड़ की राशि का उपयोग किया जाना शेष था तथा ₹ 1,050.66 करोड़ अद्यतन राज्य द्वारा जारी नहीं किया गया था।
- ब्याज और अव्ययित शेष राशि के लेखांकन के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया (13.10.2022) कि एस0एन0ए0 के 63 बैंक खातों में ₹ 185.87 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए थे और ₹ 12,314.57 करोड़ की राशि अंतशेष के रूप में थी, जिससे राज्य द्वारा योजनाओं के अप्रभावी निष्पादन का पता चला।
- सात योजनाओं में ₹ 334.13 करोड़ की धनराशि को अवरुद्ध रखने से राज्य की नकदी शेष राशि की अतिकथन स्पष्ट हुआ। वित्त विभाग ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि अवरुद्ध निधियों को भारत की समेकित निधि में वापस कर दिया जाएगा।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 90 प्रतिशत से अधिक राशि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी की गई थी, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक मार्च 2022 के महीने में थी, जिससे राज्य के पास अव्ययित शेष राशि जमा हो गई।

वित्तीय वर्ष के अंत में भारत सरकार द्वारा राज्यों को निधियां विमुक्त करने से बचना चाहिए ताकि राज्यों के पास अव्ययित शेष राशि के संचय को रोका जा सके। राज्य को भारत सरकार से समय पर निधियों को विमुक्त करने का अनुरोध करने की आवश्यकता है ताकि राज्य के पास अपने संबंधित विधानमंडलों से पूरक विनियोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय हो। राज्य को समय पर निधि का उपयोग सुनिश्चित करना होगा ताकि निधि की कम विमुक्ति से बचा जा सके।

4.25 सी0एफ0एम0एस0 में लेखांकन

सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध संचालन के लिए ''व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी0टी0एम0आई0एस0)'' के स्थान पर "व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0)" को 01.04.2019 से एकल स्रोत के रूप में परिकल्पित किया गया था। परियोजना के पूरा होने के बाद, अप्रैल 2019 तक सी0एफ0एम0एस0 को 'गो–लाइव' घोषित करने से पहले उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू0ए0टी0) के साथ कार्यक्षमता, त्रुटियों आदि का परीक्षण करने के लिए एक तृतीय–पक्ष मूल्यांकन किया जाना था। बजट भाषण 2020–21 में, माननीय वित्त मंत्री, बिहार सरकार, ने कहा था कि 01 अप्रैल 2019 से सी0एफ0एम0एस0 लागू कर दिया गया है और बजट तैयार करने, आवंटन और पुनर्विनियोजन सहित समग्र वित्तीय कार्य ऑनलाइन और पेपरलेस हो गया है। कोषागार पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत और ऑनलाइन हो गए हैं, साथ ही यह आठ प्रकार के मॉड्यूल लागू किए जा चुके हैं और अन्य मॉड्यूल भी वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान चरणबद्ध तरीके से

लागू किए जाएंगे। इसी तरह, बजट भाषण 2021–22 में, यह कहा गया कि सी0एफ0एम0एस0 1.0 के कार्यान्वयन के बाद से राज्य के पूरे वित्तीय लेनदेन लाईव हो गए हैं, तथा सी0एफ0एम0एस0 2.0 वित्तीय वर्ष 2021–22 में तैयार हो जाएगा।

राज्य के सभी वित्तीय लेनदेन सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रारंभ, अनुमोदित, भुगतान और दर्ज किए जाते हैं। भुगतान और प्राप्तियों को सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से अधिकृत किया जा रहा है, जो कोषागार लेखे के आधार पर होता है, उसके उपरांत, वी0एल0सी0 प्रणाली के आँकड़ों का आधार बनता है, जिसका उपयोग वित्त और विनियोग लेखे की तैयारी के लिए महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

सी0एफ0एम0एस0 की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के लिए वित्त विभाग से (दिनांक 13.03.2020 को) संपर्क किया गया, लेकिन इस आधार पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया कि ''सी0एफ0एम0एस0'' को आधिकारिक तौर पर गो–लाइव घोषित किया जाना बाकी है। प्रणाली को अप्रैल 2019 में सीमित कार्यों सहित अस्थायी रूप से शुरू किया गया था और शेष कार्यात्मकताओं के साथ सुधार और कार्यान्वयन का कार्य अभी भी प्रगति पर है। सी0एफ0एम0एस0 की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा ने फिर से (दिनांक 10.03.2022) संपर्क किया, लेकिन दिनांक 29.04.2022 को दिए जवाब में, यह कहा गया कि वर्तमान में सी0टी0एम0आ0ई0एस0 कुछ परिवर्धन और कार्यक्षमता वृद्धि के साथ मौजूद है। नियोजित सी0एफ0एम0एस0 अभी भी विकास के अधीन है और प्रस्ताव के अनुरोध (आर0एफ0पी0) के अनुसार सभी कार्यात्मकताओं के उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू0ए0टी0) के बाद लाइव हो जाएगा।

सी0एफ0एम0एस0 की लेखापरीक्षा के लिए मार्गदर्शिका तैयार करने के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी0एफ0एम0एस0 के साथ कई गंभीर मुद्दों को स्वयं राज्य सरकार द्वारा सेवा प्रदाता (टी0सी0एस0) को कई पत्रों के माध्यम से इंगित किया गया था, जैसे कि लगभग 1,500 कर्मचारियों के लिए डुप्लिकेट वेतन विपत्र, वेतन का भुगतान दो बार किया जाना, तैयार डेटाबेस में गलत और काल्पनिक प्रविष्टियां, वास्तविक सूचना से छेड़छाड़, लेन–देन में अंतर, डिजिटल हस्ताक्षर की तिथियों और अनुमोदन तिथियों को बैक–एंड से ठीक किया जाना है, डेबिट एवं वापसी से संबंधित सूचनाओं की गलत व्याख्या, परिणामस्वरूप लेखे में विसंगति और बाद में बैक–एंड से सुधार, अनुमोदन के बिना डेटाबेस परिवर्तन, विभागीय सहमति के बिना आँकड़ों का अद्यतनीकरण/विलोपन, आवंटन/प्राधिकार उपलब्ध न होने के बावजूद विपत्र तैयार होना, वास्तविक देय राशि से अधिक निवल भुगतान, उपलब्ध बजट आवंटन राशियों के विरुद्ध दावों की अधिक निकासी आदि जैसे मामले थे।

लेखापरीक्षा का मत है कि आँकड़ों की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्वयं सी0एफ0एम0एस0 के साथ उल्लेखित उपर्युक्त मुद्दों को देखते हुए लेखापरीक्षा किसी वैध औचित्य, अनुमोदन और आवश्यक प्रलेखन के बिना, कोषागार प्रणाली को दरकिनार करते हुए और कोषागार संहिता तथा आई0टी0 नियंत्रणों का उल्लंघन करते हुए सी0एफ0एम0एस0 के बैक–एंड के माध्यम से अभी भी की जा रही मौलिक लेखा प्रविष्टियों के जोखिमों को रोक नहीं सकती है। चूंकि आर0एफ0पी0 के अनुसार, अभी तक सभी कार्यप्रणालियों का न तो ''उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण'' किया गया था (दिनांक 29.04.2022 का पत्र) और न ही कोई आई0टी0 लेखापरीक्षा हुई थी, जो वर्ष 2019 के बाद से किए गए सुधारात्मक कार्यों के बारे में आश्वासन प्रदान कर सकता था। जवाब में, वित्त विभाग (दिनांक 23.09.2022) ने कहा कि सभी संबोधित मुद्दों का समाधान कर लिया गया है और आश्वासन दिया कि हाल के दिनों में इस तरह के परिचालन संबंधित मुद्दों की सूचना नहीं है तथा यू0ए0टी0 दल ने ''साइन–ऑफ'' प्रदान करने से पहले व्यापक परीक्षण किया था। विभाग का जवाब दिनांक 29.04.2022 के उसके बयान के विपरीत है। यह संभावित दुर्विनियोजन के अलावा सरकारी वित्त की गलत व्याख्या के जोखिम से भरा है, क्योंकि सी0एफ0एम0एस0 के बैक–एंड पर बदलाव हो सकते हैं।

4.26 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेत	नकारात्मक संकेतक
प्राकृतिक संसाधन लेखे 2020–21 तैयार किया गया था	श्रम उपकर निधियों को राज्य के लोक लेखे से निरंतर बाहर रखे जाने के मामले
	ब्याज सहित जमा राशियों के संबंध में ब्याज देयता का निर्वहन न करने में वृद्धि
	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की बढ़ती संख्या
	लंबित डी0सी0 विपत्रों की बढ़ती संख्या
	उचंत शीर्ष के अंतर्गत बढ़ती राशि

4.27 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को चाहिए कि:

- सी0एफ0एम0एस0 में डी0सी0 विपत्रों को शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे,
- सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करे तथा सुनिश्चित करे कि वर्ष के अंत में पी0डी0 खातों में पड़ी सभी राशियों को अविलंब समेकित निधि में प्रेषित कर दिया गया है,
- लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत वर्तमान में दर्शाए जाने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की प्राप्ति और व्यय, प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के परामर्श से उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किये गए हैं।
- एक समय सीमा निर्धारित करे जिसके भीतर प्रशासनिक विभाग, लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एकत्र करे और यह सुनिश्चित करे, कि लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के समाशोधन की समय–सीमा का पालन किया गया है।
- सुनिश्चित करे कि सभी नियंत्री अधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक से लंबित सभी ए0सी0 विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें और यह भी सुनिश्चित करे कि इनका आहरण सिर्फ बजट प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए नहीं किए जाएं। लंबित ए0सी0 विपत्रों के समायोजन में अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय करें।
- दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच शेष राशि का निपटान शीघ्र करे।

अध्याय–V
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)

अध्याय V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)

यह अध्याय बिहार में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0) के अन्तर्गत उन सरकारी कम्पनियों को शामिल किया गया है जिनमें राज्य सरकार की धारिता 51 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ भी शामिल है। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संविधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य कम्पनियों को भी एस0पी0एस0ई0 के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

राज्य में मार्च 2022 तक एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या 77[48] थी, जिसमें 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 एवं 40 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 थी। जबकि विगत तीन वर्षों यथा 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 तक के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर इस अध्याय में कुल 16 एस0पी0एस0ई0 (15 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) को शामिल किया गया है। शेष 61[49] एस0पी0एस0ई0 जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए बकाये थे या निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थी या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि लेखाओं के बकाये होने के कारण वर्ष 2021–22 के लिए इन एस0पी0एस0ई0 द्वारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक योगदान एवं अर्जित लाभ/वहन की गई हानि सहित उनकी लाभप्रदता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। फलतः, राजकोष में उनका योगदान राज्य की विधानमंडल को भी प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

5.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

5.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013, के अर्न्तगत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं और उस तरीके पर निर्देश देते हैं जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

5.1.2 इस अध्याय में क्या है

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति, जैसा कि उनके लेखाओं से प्रकट होता है, को दर्शाया गया है।

[48] राज्य में एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या मार्च 2021 तक 79 एस0पी0एस0ई0 थी। वर्ष 2021–22 के दौरान 79 एस0पी0एस0ई0 में से दो एस0पी0एस0ई0 यथा बिहार स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सूची से नाम काट दिया गया) तथा भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड (सरकारी कम्पनी नहीं रहने के कारण) को शामिल नहीं किया गया है।

[49] कुल 61 एस0पी0एस0ई0 में से आठ अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 सहित नौ एस0पी0एस0ई0 ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत/अन्तिमीकृत नहीं किए थे तथा शेष 52 एस0पी0एस0ई0, जिसमें 36 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 भी शामिल है, के लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बकाया थे।

वर्ष 2021–22 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का प्रभाव इस अध्याय में दिया गया है।

5.1.3 एस0पी0एस0ई0 की संख्या

31 मार्च 2022 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 77 एस0पी0एस0ई0 थे। इनमें 70 सरकारी कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगम तथा चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ शामिल थी।

सरकारी कम्पनियाँ	**70**
सांविधिक निगम	**3**
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	**4**
कुल एस0पी0एस0ई0	**77**

इनमें से, 16 एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय निष्पादन का सारांश इस अध्याय में शामिल किया गया है और इन एस0पी0एस0ई0 की प्रकृति को **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है :

तालिका 5.1: इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

एस0पी0एस0ई0 की प्रकृति	एस0 पी0 एस0 ई0 की कुल संख्या	अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 की संख्या				इस अध्याय में शामिल नहीं किए गए एस0पी0 एस0ई0 की संख्या	बकाये लेखाओं वाले एस0पी0 एस0ई0 की संख्या
		वर्ष तक के लेखे			कुल		
		2021–22	2021–22	2021–22			
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	30	1	8	5	14	16	29
कार्यशील सांविधिक निगम	3	0	0	1	1	2	3
सरकारी कम्पनियों / निगमों की कुल संख्या	**33**	**1**	**8**	**6**	**15**	**18**	**32**
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	4	0	0	0	0	4	4
कार्यशील एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या	**37**	**1**	**8**	**6**	**15**	**22**	**36**
अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	40	0	13[50]	0	1	39	40
अकार्यशील सांविधिक निगम	-	-	-	-	-	-	-
अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या	**40**	**0**	**1**	**0**	**1**	**39**	**40**
कुल	**77**	**1**	**9**	**6**	**16**[51]	**61**	**76**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 16 एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय निष्पादन का सारांश **परिशिष्ट 5.1** में दिया गया है।

[50] बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

[51] प्रक्षेत्र – ऊर्जा: 8, कृषि: 1, वित्त: 2, आधारभूत संरचना: 2, सेवा: 1 एवं अन्य: 2

31 मार्च 2022 तक इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय निष्पादन का सारांश (सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम)

एस0पी0एस0ई0 की संख्या	77
शामिल किए गए एस0पी0एस0ई0	16
प्रदत्त पूँजी (16 एस0पी0एस0ई0)	₹ 40,260.17 करोड़
दीर्घावधि ऋण (सात एस0पी0एस0ई0)	₹ 12,429.50 करोड़
शुद्ध लाभ (सात एस0पी0एस0ई0)	₹ 291.30 करोड़
शुद्ध हानि (पाँच एस0पी0एस0ई0)	₹ 1,946.95 करोड़
शून्य लाभ/हानि (चार एस0पी0एस0ई0)[52]	
घोषित लाभांश	शून्य
टर्नओवर (16 एस0पी0एस0ई0)	₹ 20,396.89 करोड़
निवल मूल्य (16 एस0पी0एस0ई0)	₹ 21,018.33 करोड़

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

इस अध्याय में **परिशिष्ट 5.2** में दर्शाए गए 61 एस0पी0एस0ई0 शामिल नहीं है।

5.1.4 राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

इस अध्याय में शामिल 16 एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एस0पी0एस0ई0 की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2022 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की अवधि के लिए एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर एवं बिहार राज्य की जी0एस0डी0पी0 का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 5.2: एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर एवं बिहार की जी0एस0डी0पी0 का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20			2020-21			2021-22		
	ऊर्जा	गैर – ऊर्जा	कुल	ऊर्जा	गैर – ऊर्जा	कुल	ऊर्जा	गैर – ऊर्जा	कुल
टर्नओवर	17,077.90	2,355.53	19,433.43	18,048.72	2,355.75	20,404.47	18,041.14	2,355.75	20,396.89
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-	-	-	5.68	0.01	5.00	-0.04	0.00	-0.04
बिहार राज्य की जी0एस0डी0पी0	5,82,516			5,87,154			6,75,448		
जी0एस0डी0पी0 में पिछले वर्ष की जी0एस0डी0पी0 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-			0.80			15.04		
टर्नओवर का बिहार के जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशत	2.93	0.40	3.34	3.07	0.40	3.48	2.67	0.35	3.02

(स्रोत : बिहार सरकार के जी0एस0डी0पी0 आँकड़ों तथा एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर आँकड़ों के आधार पर संकलित)

[52] 2021–22 के दौरान 16 एस0पी0एस0ई0 में से चार एस0पी0एस0ई0 ऐसी थी जिन्होंने लाभ अर्जित अथवा हानि वहन नहीं किया था क्योंकि या तो उनका कारोबार शुरू नहीं हुआ था या उनके लाभ/कुल व्ययों को उनके अनुषंगी कम्पनियों में बाँट दिया गया था या लाभ को लाभार्थियों में वितरित कर दिया गया था। एस0पी0एस0ई0 के संबंध में जहाँ किसी विशेष वर्ष के लेखे 31 जुलाई 2022 के पूर्व प्राप्त नहीं हुए थे, वहाँ आँकड़े नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे अर्थात 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 से लिये गये हैं।

ऊर्जा क्षेत्र की आठ एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर 2019–20 में ₹ 17,077.90 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 18,041.11 करोड़ हो गया। 2020–21 से 2021–22 के दौरान टर्नओवर की वृद्धि दर –0.04 प्रतिशत तथा 5.68 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर इसी अवधि में 0.80 प्रतिशत तथा 15.04 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले दो वर्षों के दौरान जी0एस0डी0पी0 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर[53] (सी0ए0जी0आर0) 7.68 प्रतिशत रही। सी0ए0जी0आर0 विभिन्न समयावधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जी0एस0डी0पी0 के 7.68 प्रतिशत की सी0ए0जी0आर0 के विरूद्ध ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर में पिछले दो वर्षों में 2.78 प्रतिशत की सी0ए0जी0आर0 दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप जी0एस0डी0पी0 में ऊर्जा क्षेत्र की इन एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2.93 प्रतिशत से घटकर 2.67 प्रतिशत हो गई।

पुनः, आठ गैर–ऊर्जा एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर आंशिक रूप से 0.01 प्रतिशत बढ़कर 2019–20 में ₹ 2,355.53 करोड़ से 2021–22 में ₹ 2,355.75 करोड़ हो गया। जी0एस0डी0पी0 के 7.68 प्रतिशत सी0ए0जी0आर0 के विरूद्ध इन एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर शून्य सी0ए0जी0आर0 दर्ज किया गया क्योंकि इन एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर लगभग समान रहा।

5.2 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2022 के अन्त तक 16 सरकारी कम्पनियों और निगमों में अंश पूँजी और ऋणों में निवेश की राशि को **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है :

तालिका 5.3: सरकारी कम्पनियों और निगमों में अंश पूँजी एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2021 तक			31 मार्च 2022 तक		
	अंश पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	कुल	अंश पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
राज्य सरकार	39,654.51	619.30	40,273.81	39,686.75	619.30	40,306.05
केन्द्र सरकार	213.00	0.00	213.00	213.00	0.00	213.00
अन्य	328.19	11,743.93	12,072.12	360.42	11,810.20	12,170.62
कुल निवेश	40,195.70	12,363.23	52,558.93	40260.17	12,429.50	52,689.67
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	98.65	5.01	76.63	98.58	4.98	78.50

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.2.1 अंश पूँजी धारिता

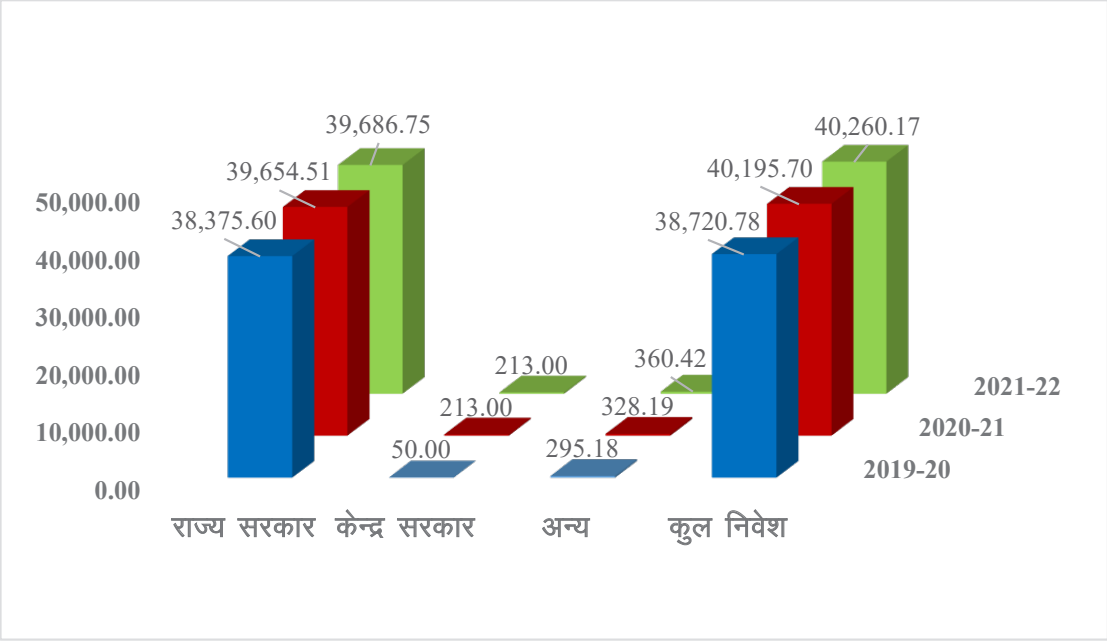
2021–22 के दौरान, इस अध्याय में शामिल की गई 16 एस0पी0एस0ई0 में अंकित मूल्य पर कुल अंश पूँजी धारिता में ₹ 64.47 करोड़[54] की निवल वृद्धि दर्ज की गई थी। अंकित मूल्य पर राज्य सरकार की अंश पूँजी धारिता 2020–21 में ₹ 39,654.51 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 39,686.75 करोड़ हो गई।

सरकारी कम्पनियों और निगमों में 31 मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और अन्य द्वारा अंश पूँजी में धारिता को **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है :

[53] चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर = [{(2021–22 का मूल्य / 2019–20 का मूल्य)^(1 / 2 वर्ष)} –1]×100

[54] ₹ 64.47 करोड़ में से 50 प्रतिशत अर्थात ₹ 32.23 करोड़ का निवेश बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड में किया गया।

चार्ट 5.1: एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी निवेश



(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

अंश पूँजी में ₹ 39,686.75 करोड़ के निवेश में से राज्य सरकार ने ₹ 39,371.32 करोड़ का निवेश ऊर्जा क्षेत्र में किया है। वर्ष 2021–22 तक राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 के प्रदत्त पूँजी में किए गए महत्वपूर्ण निवेश का विवरण **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.4: राज्य सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश धारिता

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	विभाग का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	16 एस0पी0एस0ई0 में कुल निवेश के विरूद्ध धारिता का प्रतिशत
1	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)	ऊर्जा	12,770.34	24.24
2	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0)	ऊर्जा	12,144.43	23.05
3	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0)	ऊर्जा	8,076.82	15.33
4	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0जी0सी0एल0)	ऊर्जा	4,812.96	9.13
5	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बी0जी0सी0एल0)	ऊर्जा	322.53	0.80
6	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0)	ऊर्जा	1,244.22	2.36
7	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	यू0डी0एच0डी0	213.00	0.40
8	बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी0एस0एफ0सी0)	उद्योग	39.95	0.08
9	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सड़क	20.00	0.04
10	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	शिक्षा	20.00	0.04

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.2.2 राज्य सरकार की कम्पनियों तथा निगमों को दिया गया ऋण

दीर्घावधि ऋण वैसे ऋण है जिनका पुनर्भुगतान लम्बी अवधि में होता है। राज्य सरकार एस0पी0एस0ई0 के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं इनके सुचारू कार्यकलाप के लिए दीर्घकालिक ऋण के रूप में निवेश करती है, ताकि एस0पी0एस0ई0 की पूँजी एवं राजस्व देनदारियों को पूरा किया जा सके।

5.2.2.1 31 मार्च 2022 को बकाया दीर्घावधि ऋणों की गणना

31 मार्च 2022 को 16 एस0पी0एस0ई0 में से सात[55] में सभी स्रोतों से बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 12,429.50 करोड़ थे। शेष नौ एस0पी0एस0ई0 के पास कोई दीर्घावधि ऋण 31 मार्च 2022 तक नहीं थे। एस0पी0एस0ई0 के बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है :

तालिका 5.5 : एस0पी0एस0ई0 में दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

ऋण का स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य सरकार	541.25	619.30	619.30
केन्द्र सरकार	0.00	0.00	0.00
अन्य[56]	5,811.63	11,743.93	11,810.20
कुल निवेश	**6,352.88**	**12,363.23**	**12,429.50**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण में ₹ 78.05 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि अन्य स्रोतों से ऋण में ₹ 5,998.57 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई थी। 31 मार्च 2022 तक कुल ऋण में राज्य सरकार का ऋण ₹ 619.30 करोड़ (4.98 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का ₹ 359.85 करोड़ (58.11 प्रतिशत) ऊर्जा कम्पनियों के पास बकाया था तथा शेष (₹ 259.45 करोड़) अन्य कम्पनियों के पास था, जबकि अन्य स्रोतों से ऋणों (₹ 11,810.20 करोड़) का 100 प्रतिशत ऊर्जा कम्पनियों से संबंधित था।

ऊर्जा क्षेत्र या गैर–ऊर्जा क्षेत्र की किसी भी एस0पी0एस0ई0 द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त दीर्घावधि ऋण के मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं किया गया था।

5.2.2.2 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों के प्रति कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों में से एक है कि क्या कम्पनी अपने समस्त ऋण चुकाने में समर्थ है। ऋण चुकाने योग्य माने जाने के लिए एक इकाई की परिसंपत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज की राशि से अधिक होना चाहिए। सात एस0पी0एस0ई0, जिनके पास 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण थे, में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर दीर्घावधि ऋणों का कवरेज **तालिका 5.6** में दर्शाया गया है :

[55] बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0), बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बी0जी0सी0एल0), बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0ए0आई0डी0सी0एल0) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी0एस0एफ0सी0)।

[56] अन्य स्रोतों से ऋण के आँकड़े में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बैंक एवं बिहार अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी से लिए गए ऋण शामिल है।

तालिका 5.6 : कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋणों का कवरेज

(₹ करोड़ में)

एस0पी0 एस0ई0	सकारात्मक व्याप्ति				नकारात्मक व्याप्ति			
	एस0पी0 एस0ई0 की संख्या	दीर्घावधि ऋण	संपत्ति	ऋणों के विरूद्ध संपत्ति का प्रतिशत	एस0पी0 एस0ई0 की संख्या	दीर्घावधि ऋण	संपत्ति	ऋणों के विरूद्ध संपत्ति का प्रतिशत
सांविधिक निगम	-	-	-	-	1	228.47	209.72	91.79
सरकारी कम्पनियाँ	5	12,170.05	1,22,793.30	1,008.98	1	30.98	25.33	81.76
कुल	5	12,170.05	1,22,793.30	1,008.98	2	259.45	235.05	90.60

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

सात एस0पी0एस0ई0 में से दो एस0पी0एस0ई0[57] की कुल संपत्ति का मूल्य बकाया दीर्घावधि ऋणों से कम था।

5.2.3 एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता

बिहार सरकार द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में एस0पी0एस0ई0 को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2022 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के दौरान एस0पी0एस0ई0, जो इस अध्याय में शामिल की गई हैं, को अंश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी से संबंधित बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.7** में दर्शायी गयी है:

तालिका 5.7 : एस0पी0एस0ई0 को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण[58]	2019-20		2020-21		2021-22	
	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	राशि	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	राशि	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	राशि
ऊर्जा						
अंश पूँजी का व्यय (i)[59]	1	3,079.20	1	1,125.96	1	32.23[60]
प्रदत्त ऋण (ii)	2	41.01	2	78.05	-	-
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	3	7,171.13	2	7,189.78	-	-
कुल व्यय (i+ii+iii) ऊर्जा	3	10,291.34	3	8,393.79	1	32.23
गैर–ऊर्जा						
अंश पूँजी का व्यय (i)	1	60.05	1	152.95	-	-
प्रदत्त ऋण (ii)	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	5.00	1	7.65	-	-
कुल व्यय (i+ii+iii) गैर–ऊर्जा	2	65.05	2	160.60	-	-
कुल व्यय	5	10,356.39	5	8,554.39	1	32.23

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान इन एस0पी0एस0ई0 को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 32.23 करोड़ से ₹ 10,356.39 करोड़ के मध्य रही। 2021–22 के दौरान ₹ 32.23 करोड़ की अंश पूँजी का निवेश बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड में किया गया।

57 बिहार राज्य वित्तीय निगम एवं बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

58 यह राशि केवल राज्य के बजट से व्यय दर्शाती है।

59 बिहार सरकार ने अपनी होल्डिंग कंपनी यानि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से चार सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम को सीधे अंश जारी किए, जिसके खिलाफ इन सहायक कंपनियों ने अपनी होल्डिंग कंपनी को अंश जारी किए। इसलिए, सरकरी निधि के प्रवाह के प्रायोजन के लिए, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम की ओर से केवल होल्डिंग कंपनी पर विचार किया गया है।

60 वर्ष 2021–22 हेतु ऊर्जा क्षेत्र एस0पी0एस0ई0 में बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड को छोड़कर किसी अन्य के लेखे प्राप्त नहीं हुए।

5.3 सरकारी कम्पनियों और निगमों से प्रतिफल

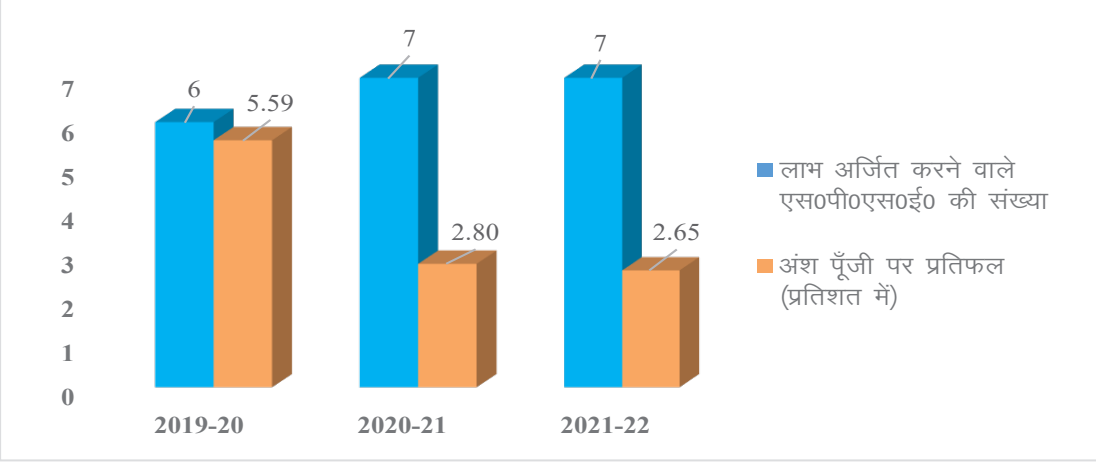
बिहार सरकार द्वारा निवेश की गई अंश पूँजी में निवेश पर प्रतिफल पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0) एक वित्तीय अनुपात है जो यह दर्शाता हैं कि एस0पी0एस0ई0 द्वारा बिहार सरकार के निवेश का प्रबंधन कितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है।

5.3.1 एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या सात थी। अर्जित लाभ वर्ष 2020–21 के ₹ 302.15 करोड़ से घटकर 2021–22 में ₹ 291.30 करोड़ हो गया था। 16 एस0पी0एस0ई0 में से पाँच एस0पी0एस0ई0 कई वर्षों से तथा एक एस0पी0एस0ई0[61] 2019–20 से हानि वहन करती आ रही थी। सात एस0पी0एस0ई0, जिन्होंने वर्ष 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित किया था, का निवल मूल्य ₹ 10,989.84 करोड़ था। इन सात एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) वर्ष 2020–21 के 2.80 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 2.65 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2021–22 में पाँच हानि वहन करने वाले एवं चार बिना लाभ/हानि वाले एस0पी0एस0ई0 सहित सभी 16 एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल (–)7.88 प्रतिशत था।

2019–20 से 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या **चार्ट 5.2** में दर्शायी गयी है:

चार्ट 5.2: विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों की संख्या तथा उनका अंश पूँजी पर प्रतिफल



(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

2021–22 के दौरान अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली ऊर्जा एवं गैर ऊर्जा एस0पी0एस0ई0 को **तालिका 5.8** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.8: ऊर्जा एवं गैर ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने वर्ष 2021–22 के दौरान अधिकतम लाभ कमाया

प्रक्षेत्र	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	शुद्ध अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	सभी एस0पी0एस0ई0 के कुल लाभ से लाभ का प्रतिशत
ऊर्जा	2	235.38	80.80
गैर–ऊर्जा	5	55.92	19.20
कुल	**7**	**291.30**	

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 235.38 करोड़ का शुद्ध लाभ, जो कि एस0पी0एस0ई0 के कुल लाभ का 80.80 प्रतिशत था, का योगदान ऊर्जा क्षेत्र द्वारा किया गया था। अद्यतन अन्तिमीकृत

[61] पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन।

लेखाओं के अनुसार ₹ 10 करोड़ से ज्यादा लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 की सूची **तालिका 5.9** में दर्शाया गया है :

तालिका 5.9 : एस0पी0एस0ई0 की सूची जिन्होंने ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)
1	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	91.41
2	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2021-22	143.97
3	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2019-20	26.63
4	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2019-20	18.58

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.3.2 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान छः से सात एस0पी0एस0ई0 ने लाभ अर्जित किया है। इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 के संबंध में 2019–20 से 2021–22 के दौरान एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित आय का विवरण **तालिका 5.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.10: वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान एस0पी0एस0ई0 द्वारा लाभांश भुगतान

वर्ष	कुल एस0पी0एस0ई0 जहाँ बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी में निवेश किया गया		एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया	
	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	बिहार सरकार द्वारा निवेशित अंश पूँजी (₹ करोड़ में)	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5
2019-20	16	38,375.60	6	544.40
2020-21	16	39,654.51	7	302.15
2021-22	16	39,686.75	7	291.30

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

चूँकि राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके तहत सभी लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 को न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना आवश्यक होता, किसी भी एस0पी0एस0ई0 द्वारा राज्य सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया गया।

5.4 ऋण शोधन

ऋण शोधन कुल मूलधन और ब्याज भुगतान है, जो चल रहे ऋण भुगतान और वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। ऋण शोधन के प्रयोजन के लिए एक कम्पनी को अपने मूलधन और ब्याज भुगतानों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करना चाहिए।

5.4.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व की आय को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, ऋण पर ब्याज चुकाने की कम्पनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 16 एस0पी0एस0ई0 में से सात[62] एस0पी0एस0ई0 में विभिन्न स्रोतों से कुल दीर्घकालिक ऋण बकाया थे। शेष नौ एस0पी0एस0ई0 के पास 31 मार्च 2022

[62] बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

तक कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं थे। वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान बकाया ऋण वाले एस0पी0एस0ई0 के सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 5.11** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.11: ब्याज व्याप्ति अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज एवं करों से पूर्व आय	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	एस0पी0एस0ई0 की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात >= 1	एस0पी0एस0ई0 की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात < 1
सांविधिक निगम					
2019-20	17.68	36.26	1	1	-
2020-21	17.68	36.26	1	1	-
2021-22	17.68	36.26	1	1	-
सरकारी कम्पनियाँ					
2019-20	515.44	(-)2,000.09	5[63]	2	3
2020-21	769.33	(-)832.36	5[63]	2	3
2021-22	782.68	(-)821.38	5[63]	2	3

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार की तीन सरकारी कम्पनियों यथा साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। इससे यह पता चलता है कि 31 मार्च 2022 तक अत्यधिक हानि वहन करने के कारण एस0पी0एस0ई0 की आय उनके ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह दिवालियापन के उच्च जोखिम को भी इंगित करता है।

5.4.2 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि–वार विश्लेषण

31 मार्च 2022 तक, बिहार सरकार द्वारा 16 एस0पी0एस0ई0 (जो इस अध्याय में शामिल है), में से चार एस0पी0एस0ई0 के दीर्घकालिक ऋणों पर ₹ 422.83[64] करोड़ का ब्याज बकाया था। एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि–वार विश्लेषण **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.12: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	लेखाओं के अन्तिमीकरण का वर्ष	ऋण पर कुल बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम समय के लिए ऋण पर बकाया ब्याज	1–3 वर्ष के लिए ऋण पर बकाया ब्याज	3 वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण पर बकाया ब्याज
1	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	104.99	26.10	40.80	38.09
2	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	55.21	9.04	23.75	22.42
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2019-20	233.92	17.68	36.32	179.92
4	बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	28.71	0.65	1.30	26.76
कुल योग			**422.83**	**53.47**	**102.17**	**267.19**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं/प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित)

[63] लाभ अथवा हानि नहीं रहने के कारण ब्याज व्याप्ति अनुपात की गणना के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को विचारित नहीं किया गया है।

[64] बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड ने अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया है। अतः बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड के ब्याज की राशि को विचारित नहीं किया गया है।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 267.19 करोड़ की राशि का ब्याज तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बकाया ऋण के मूलधन के साथ–साथ ब्याज को चुकाने में भी विफल रही, जबकि बिहार राज्य वित्तीय निगम भी पुर्नभुगतान करने में विफल रहा, क्योंकि निगम कोई नया व्यवसाय अर्थात नया कर्ज नहीं दे रहा है जो कि उसकी आय/राजस्व का मुख्य साधन है।

5.5 सरकारी कम्पनियों की परिचालन दक्षता

परिचालन दक्षता मुख्य रूप से परिचालन लागत के कार्य के रूप में अर्जित लाभ की दक्षता को मापती है। एक अधिक परिचालन दक्षता एक इकाई के लिए लाभदायक है क्योंकि यह इकाई को इसके लिए अधिक आय या प्रतिफल या किसी अन्य विकल्प की तुलना में कम लागत उत्पन्न करने के लिए सक्षम बनाती है।

5.5.1 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0सी0ई0) एक अनुपात है, जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर0ओ0सी0ई0 की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई0बी0आई0टी0) को नियोजित पूँजी[65] द्वारा विभाजित करके की जाती है। प्रत्येक एस0पी0एस0ई0 के आर0ओ0सी0ई0 का विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दिया गया है। वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान 16 एस0पी0एस0ई0 का समेकित नियोजित पूँजी पर प्रतिफल **तालिका 5.13** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

प्रक्षेत्र	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	ई0बी0आई0टी0 (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आर0ओ0सी0ई0 (प्रतिशत में)
2019-20				
ऊर्जा	8	(-)2,002.66	25,947.00	(-)7.72
गैर–ऊर्जा	8	82.91	724.83	11.44
कुल	**16**	**(-)1,919.75**	**26,671.83**	**(-)7.20**
2020-21				
ऊर्जा	8	(-)835.13	32,129.44	(-)2.60
गैर–ऊर्जा	8	87.85	1,043.70	8.42
कुल	**16**	**(-)747.28**	**33,173.14**	**(-)2.25**
2021-22				
ऊर्जा	8	(-)824.15	32,404.13	(-)2.54
गैर–ऊर्जा	8	87.85	1,043.70	8.42
कुल	**16**	**(-)736.30**	**33,447.83**	**(-)2.20**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

यह देखा गया कि वर्ष 2019–20 से 2020–21 के दौरान 16 एस0पी0एस0ई0 में से ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (-)2.54 प्रतिशत से (-)7.72 प्रतिशत के मध्य ऋणात्मक रहा एवं गैर–ऊर्जा क्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल 11.44 प्रतिशत से घटकर 8.42 प्रतिशत हो गया। पुनः, वर्ष 2021–22 के दौरान 16 एस0पी0एस0ई0 का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल वर्ष 2019–20 की तुलना में अधिक था, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा प्रक्षेत्र की एस0पी0एस0ई0 में नियोजित पूँजी पर प्रतिफल में वृद्धि था। हालाँकि, वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान यह ऋणात्मक रहा।

5.5.2 सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आर0ओ0आर0आर0)

बिहार सरकार द्वारा 16 कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस प्रकार के निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल

[65] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। अतः निवेश पर प्रतिफल की गणना धन के वर्तमान मूल्य (पी0वी0) को ध्यान में रखकर की गई है ताकि बिहार सरकार द्वारा किए गए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल को ज्ञात किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घकालिक ऋण तथा पूँजीगत अनुदान के रूप में 2014–15 से लेकर 31 मार्च 2022 तक निवेश किया गया था, जिस पर राज्य सरकार द्वारा निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है।

16 एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के निवेश पर वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घकालिक ऋण और पूंजीगत अनुदान को राज्य सरकार द्वारा निवेश माना गया है। इसके अलावा, उन मामलों में जहाँ एस0पी0एस0ई0 को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया गया था, अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की अंश पूँजी में जोड़ा गया है। राजस्व अनुदान और सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई धनराशि को निवेश के रूप में नहीं माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना हेतु सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर को डिस्काउंट दर के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किए धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है।

इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2022 तक अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/ डिफॉल्टेड ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में 16 कम्पनियों में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति तथा इसी अवधि में इन्हीं एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के निवेश के वर्त्तमान मूल्य की समेकित स्थिति को **तालिका 5.14** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.14: 2014–15 से 2021–22 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण और सरकारी निधियों के वास्तविक प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई गई अंश पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ब्याज मुक्त/ डिफाल्टेड ऋण तथा पूँजी अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जित आय	वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii= {vii× (100+ vi)/100}	ix= {vii×vi)/100}	x	xi= (x×100/ viii)
2014-15 तक	0.00	9,016.88	6,243.75	15,260.63	6.59	15,260.63	16,266.31	1,005.68	-836.36	-5.14
2015-16	16,266.31	6,931.91	1,423.49	8,355.40	6.58	24,621.71	26,241.81	1,620.11	-884.77	-3.37
2016-17	26,241.81	5,272.00	5,212.82	10,484.82	6.42	36,726.63	39,084.48	2,357.85	-1,319.36	-3.38
2017-18	39,084.48	8,970.68	222.89	9,193.57	6.13	48,278.05	51,237.50	2,959.44	-7,768.11	-15.16
2018-19	51,237.50	5,044.86	3,477.65	8,522.51	6.18	59,760.01	63,453.18	3,693.17	-2,440.50	-3.85
2019-20	63,453.18	3,139.25	1,983.13	5,122.38	5.68	68,575.56	72,470.65	3,895.09	-2,416.84	-3.33
2020-21	72,470.65	1,278.91	1,703.46	2,982.37	5.94	75,453.02	79,934.93	4,481.91	-1,644.80	-2.06
2021-22	79,934.93	32.23	0.00	32.23	5.70	79,967.16	84,525.29	4,558.13	-1,655.65	-1.96
कुल		**39,686.72**	**20,267.19**	**59,953.91**						

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष के अंत में राज्य सरकार द्वारा इन 16 कम्पनियों में निवेशित धनराशि का शेष 2014–15 के ₹ 15,260.63 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹ 59,953.91 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने अंश पूँजी (₹ 30,669.84 करोड़) एवं पूंजीगत अनुदान (₹ 14,023.44 करोड़) के रूप में अतिरिक्त निवेश किया था। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 84,525.29 करोड़ दर्ज किया गया।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 से 2021–22 के दौरान ऊर्जा कम्पनियों द्वारा हानि वहन करने के कारण इन एस0पी0एस0ई0 की कुल अर्जित आय और वास्तविक प्रतिफल की दर नकारात्मक रही, जो यह इंगित करता है कि सरकार के निधियों की लागत वसूल करने के लिए निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक हानियों का संचय किया है, जिससे वे व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक हो गयी हैं।

5.5.3 एस0पी0एस0ई0 में निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0)

निवेश पर प्रतिफल[66] कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन को मापने का एक उपाय है जिसकी गणना कुल निवेश से शुद्ध आय को विभाजित कर की जाती है। 31 मार्च 2022 को समाप्त तीन वर्षों के लिए अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 के प्रक्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल **तालिका 5.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15: प्रक्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल

(प्रतिशत में)

प्रक्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
ऊर्जा	(-)4.41	(-)1.58	(-)1.55
गैर–ऊर्जा	5.93	5.11	5.09
कुल	**(-)4.10**	**(-)1.37**	**(-)1.34**

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 16 सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल में वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान मामूली सुधार हुआ इसका मुख्य कारण ऊर्जा कम्पनियों में निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि थी।

5.5.4 एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0)

अंश पूँजी पर प्रतिफल[67] कम्पनियों के वित्तीय प्रदर्शन को मापने का एक उपाय है जिसकी गणना शेयरधारकों की अंश पूँजी से शुद्ध आय को विभाजित कर की जाती है। 31 मार्च 2022 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एस0पी0एस0ई0 का प्रक्षेत्रवार अंश पूँजी पर प्रतिफल **तालिका 5.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.16: प्रक्षेत्रवार अंश पूँजी पर प्रतिफल

(प्रतिशत में)

प्रक्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
ऊर्जा	(-)12.38	(-)8.48	(-)8.45
गैर–ऊर्जा	8.95	6.86	6.86
कुल	**(-)11.89**	**(-)7.90**	**(-)7.88**

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 16 सरकारी कम्पनियों और निगमों का अंश पूँजी पर प्रतिफल वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 के मध्य नकारात्मक रही जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कम्पनियों की हानियाँ एवं अंश पूँजी पर नकारात्मक प्रतिफल था।

[66] निवेश पर प्रतिफल = (ब्याज, कर और अधिमान लाभांश के पूर्व शुद्ध लाभ/अंश पूँजी) × 100/निवेश। जहाँ निवेश = चुकता पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घकालिक ऋण।

[67] अंश पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के पश्चात् शुद्ध लाभ/अंश पूँजी)×100 जहाँ अंश पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय।

5.6 हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0 एवं पूँजी का क्षरण

पूँजी का क्षरण तब होता है जब किसी कम्पनी की आय में एक स्थिर, दीर्घकालिक गिरावट का रूझान होता है। यह किसी कम्पनी के रूग्ण वित्तीय स्थिति को इंगित करता है।

5.6.1 हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0

2019–20 से 2021–22 के दौरान हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या पाँच से छः के मध्य रही जिसे **तालिका 5.17** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.17: 2019–20 से 2021–22 के दौरान हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या

वर्ष	हानि वहन करने वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानियाँ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य[68] (₹ करोड़ में)
सरकारी कम्पनियाँ				
2019-20	6	2,961.24	19,629.17	9,312.52
2020-21	5	1,946.95	21,041.52	8,783.09
2021-22	5	1,946.95	21,041.52	8,783.09

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2021–22 के दौरान पाँच एस0पी0एस0ई0 को हुई कुल ₹ 1,946.95 करोड़ की हानि में से ₹ 1,942.01 करोड़ की हानि दो एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन की गई थी जिनकी सूची **तालिका 5.18** में दर्शायी गयी है:

तालिका 5.18: एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने ₹ 10 करोड़ से अधिक की हानि वहन की

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अंतिमीकृत लेखा का वर्ष	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि
1	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	(-)1,140.50
2	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	(-)801.51
कुल			(-) 1,942.01

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.6.2 सरकारी कम्पनियों में पूँजी का क्षरण

31 मार्च 2022 तक, 16 एस0पी0एस0ई0 में 12 एस0पी0एस0ई0 (सभी कार्यशील) का निवल मूल्य सकारात्मक था। शेष चार एस0पी0एस0ई0 (**तालिका 5.19** में दर्शाई गई है), जिसमें तीन कार्यशील एवं एक अकार्यशील थी, का निवल मूल्य नकारात्मक था। इन तीन[69] कार्यशील एस0पी0एस0ई0 तथा एक[70] अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य उनकी संचित हानियों से पूरी तरह क्षरित हो गई थी क्योंकि इन एस0पी0एस0ई0 में 31 मार्च 2022 तक अंश पूँजी निवेश ₹ 77.86 करोड़ एवं ₹ 7.64 करोड़ के विरूद्ध निवल मूल्य क्रमशः (–) ₹ 405.46 करोड़ एवं (–) ₹ 182.97 करोड़ था। पुनः, दो[71] एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य उसके प्रदत्त पूँजी के 15 प्रतिशत से भी कम था और एक एस0पी0एस0ई0 अर्थात नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का निवल मूल्य

[68] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियां तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से बनाए गए सभी संचय और अंश प्रीमियम लेखे किंतु इसमें संपत्तियों के पुर्नमूल्यांकन एवं ह्रास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

[69] लखीसराय बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

[70] बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

[71] बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

31 मार्च 2022 के अंत में ₹ 12,144.43 करोड़ के अंश पूँजी निवेश के विरूद्ध ₹ 6,672.93 करोड़ (54.95 प्रतिशत) थी, जो उसकी वित्तीय क्षमता की रूग्णता को दर्शाता है।

तालिका 5.19: उन एस0पी0एस0ई0 का विवरण जिनका निवल मूल्य अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार क्षरित हो गया है

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं का वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर एवं लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	संचित हानियाँ	निवल मूल्य	31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की अंश पूँजी	31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की ऋण
1	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	2019-20	0.01	0.00	0.05	(-) 0.04	0.01	--
2	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	2019-20	0.01	0.00	0.05	(-) 0.04	0.01	--
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2019-20	77.84	18.58	493.27	(-) 405.38	39.95	228.47
4	बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	7.64	(-) 0.67	190.61	(-) 182.97	7.64	30.98

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.7 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का समापन

31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 5.20 : अकार्यशील एस0पी0एस0ई0

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की संख्या	42	42	40[72]
उपरोक्त में से, समापन की प्रक्रिया के अधीन एस0पी0एस0ई0 की संख्या	5	5	5

(स्रोतः संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा0क्षे0उ0), बिहार सरकार तथा परिशिष्ट–5.2 में वर्णित जानकारी के आधार पर संकलित)

2021–22 में दर्शायी गयी सभी 40 एस0पी0एस0ई0 पाँच वर्षों से अधिक समय से अकार्यशील थी। अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की स्थिति निम्न **तालिका 5.21** में दर्शाई गई है:

तालिका 5.21: अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की स्थिति

क्र0 सं0	स्थिति	एस0पी0एस0ई0 की संख्या
1	परिसमापन की प्रक्रिया में	5
2	नाम हटाने के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार (आर0ओ0सी0) को आवेदन	6
3	राज्य सरकार ने न्यायालय से समापन याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया	12
4	बिहार एवं झारखण्ड के मध्य संपत्तियों तथा देनदारियों का बंटवारा न होने के कारण परिसमापन की प्रक्रिया विचाराधीन	7
5	राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के साथ प्रक्रिया के अन्तर्गत	1

[72] वर्ष 2021–22 के दौरान दो एस0पी0एस0ई0 यथा, बिहार स्टेट सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सूची से नाम काट दिया गया) और भवानी एक्टिव कार्बन लिमिटेड (सरकारी कम्पनी नहीं रहने के कारण) को हटा दिया गया।

क्र0 सं0	स्थिति	एस0पी0एस0ई0 की संख्या
6	समापन की प्रक्रिया लम्बित	5
7	सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	4
	कुल	**40**

बिहार सरकार ने 36 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 (वर्ष 2000 में पाँच एस0पी0एस0ई0, वर्ष 2003 में 27 एस0पी0एस0ई0 और पीछे के वर्षों में शेष चार एस0पी0एस0ई0) को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा शेष चार एस0पी0एस0ई0 के पुनर्जीवित या बंद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तथापि, इन निर्णयों के 19 से 22 वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भी, ये अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 अभी भी परिसमापन के विभिन्न चरणों में थी।

अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लेखे एक[73] वर्ष से 45[74] वर्षों (प्रारंभ से ही) तक बकाया थे। इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की व्यवहार्यता भी संदिग्ध है क्योंकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का कोई योगदान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लगातार अस्तित्व में बने रहने से स्थापना व्यय के रूप में राजकोष पर व्यापक बोझ पड़ता है।

5.8 लेखों को अंतिम रूप नहीं देने के दौरान एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 यह निर्धारित करती है कि कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के भीतर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक अंतिम रूप से तैयार कर लेना है। समय पर लेखा तैयार कर प्रस्तुत करने में विफलता कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी बनाती है।

सरकार ने 19 कार्यशील एस0पी0एस0ई0, एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 मार्च 2022 तक (31 जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार) अंतिमीकृत नहीं किये गये थे, को ₹ 29,830.55 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, अनुदान, सब्सिडी और स्वीकृत प्रत्याभूति) प्रदान की। इन एस0पी0एस0ई0 ने कम्पनी अधिनियम/सम्बन्धित सांविधिक निगमों/एस0पी0एस0ई0 के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 45 वर्षों से अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया है (**परिशिष्ट 5.3**)।

एस0पी0एस0ई0 (विगत छः वर्ष) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की जाँच के दौरान यह पाया गया कि बिहार सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड[75] को 2016–17 से 2021–22 तक नियमित बजटीय सहायता दी थी, जबकि कम्पनी के वार्षिक लेखे 2016–17 से बकाया है। कई अन्य कम्पनियाँ[76] भी थीं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे लेकिन सरकार से निवेश प्राप्त कर रही थी।

लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0), कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं वैसे निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा, जैसा कि उनके अधिनियम में वर्णित है, करने में असमर्थ रहे हैं। लेखाओं

[73] बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

[74] बिहार स्कूटर लिमिटेड।

[75] 2016–17 : ₹ 95.11 करोड़, 2017–18 से 2021–22 : ₹ 40 करोड़ (प्रत्येक वर्ष ₹ आठ करोड़)।

[76] पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (2021–22: ₹ 249.50 करोड़), बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लमिटेड (2017–18: ₹ 20.00 करोड़), बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2018–19: ₹ 5.00 करोड़)

को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार की निवेश के परिणाम राज्य विधायिका के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखापरीक्षा की जाँच से बच जाते है। नतीजतन, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, समय पर नहीं किये जा सकते हैं। धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरूपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

5.9 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

प्रत्येक कम्पनी को समय पर शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक (ए0जी0एम0) आयोजित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उक्त ए0जी0एम0 में उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.9.1 ससमय प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लेन देनों पर वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की ए0जी0एम0 के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना है और उसे यथाशीघ्र लेखापरीक्षा अध्याय की एक प्रति और नि0म0ले0प0 द्वारा लेखापरीक्षा अध्याय पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक टिप्पणी के साथ राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की ए0जी0एम0 आयोजित किया जाना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि एक ए0जी0एम0 और अगले ए0जी0एम0 की तारीख के मध्य 15 महीनों से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्दिष्ट है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण ए0जी0एम0 में उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, कम्पनी के निदेशकों सहित, पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, 31 जुलाई 2022 तक विभिन्न एस0पी0एस0ई0 के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसके ब्यौरे आगामी कंडिकाओं में दिये गये हैं।

5.9.2 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2022 तक, नि0म0ले0प0 के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में, 70 राज्य सरकार की कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगम और चार सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ (कुल 77 एस0पी0एस0ई0) थी। इनमें से 31 जुलाई 2022 तक सभी राज्य सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों से वर्ष 2021–22 के लेखे प्राप्य थे। 77 एस0पी0एस0ई0 में से केवल एक[77] सरकारी कम्पनी ने 31 जुलाई 2022 से पूर्व वर्ष 2021–22 का लेखा नि0म0ले0प0 द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया था। शेष 69 राज्य सरकार की कम्पनियों, तीन सांविधिक निगमों और चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों (कुल 76 एस0पी0एस0ई0) के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।

[77] बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, नि0म0ले0प0, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य वित्तीय निगम और बिहार राज्य भण्डारण निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है और नि0म0ले0प0 द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लेखे, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक के लेखे और बिहार राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक के लेखे 31 जुलाई 2022 तक प्रतिक्षित थे।

31 जुलाई 2022 तक एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण **तालिका 5.22** में दिया गया है :

तालिका 5.22: एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

विवरण		सरकारी कम्पनियाँ/सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ/ सांविधिक निगम			
		सरकारी कम्पनियों की संख्या	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की संख्या	सांविधिक निगमों की संख्या	कुल
31 मार्च 2022 तक नि0म0ले0प0 के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या		70	04	03	77
घटाव: एस0पी0एस0ई0 के नए उद्यम जिनसे 2021–22 के लेखे देय नहीं थे		-	-	-	-
एस0पी0एस0ई0 की संख्या जिनसे वर्ष 2021–22 के लिए लेखे देय थे		70	04	03	77
एस0पी0एस0ई0 की संख्या जिन्होंने 31 जुलाई 2022 तक नि0म0ले0प0 के लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2021–22 के लिए लेखे प्रस्तुत किए		01	-	-	01
31 जुलाई 2022 तक बकाया लेखाओं वाली एस0पी0एस0ई0 की संख्या		69	04	03	76
बकाया लेखाओं की संख्या		1,294	14	09	1,317
बकाया का ब्यौरा	परिसमापनाधीन	99	-	-	99
	अकार्यशील	1,058	-	-	1,058
	कार्यशील	137	14	09	160
'कार्यशील' श्रेणी के विरूद्ध बकाया का अवधि–वार विश्लेषण	एक वर्ष (2021–22)	07	-	-	07
	दो वर्ष (2020–21 और 2021–22)	12	-	02	14
	तीन वर्ष और अधिक	118	14	07	139

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

इन कम्पनियों के नाम **परिशिष्ट 5.4** में दर्शाये गये हैं। कुल 76 एस0पी0एस0ई0 में से 36 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के 160 लेखे, एक से 23 वर्ष के लिए बकाया थे, जबकि 40 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के 1,157 लेखे, एक से 45 वर्ष के लिए बकाया थे।

5.10 वित्त लेखे के साथ समाशोधन

एस0पी0एस0ई0 के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण और बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़े बिहार सरकार के वित्त लेखे में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुरूप होने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित एस0पी0एस0ई0 और वित्त विभाग के अन्तरों का समाशोधन करना चाहिए।

इस संबंध में 31 मार्च 2022 तक की स्थिति विस्तृत रूप से **परिशिष्ट 5.5** में तथा सारांश **तालिका 5.23** में संक्षेपित है:

तालिका 5.23: वित्त लेखे एवं एस0पी0एस0ई0 के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण और बकाया प्रत्याभूतियाँ

निवेश के रूप	वित्त लेखे के अनुसार	एस0पी0एस0ई0 के अभिलेख के अनुसार	अन्तर
अंश पूँजी	34,658.79	42,134.77	-7,475.98
ऋण	5,496.00	4,592.62	903.38
प्रत्याभूति	20,561.39	13,529.50	7,031.89

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 से प्राप्त जानकारी के आधार पर, वित्त लेखे एवं मार्च 2018 के सा0क्षे0उ0 पर नि0म0ले0प0 के प्रतिवेदन के आधार पर संकलित)

आँकड़ों में अन्तर पिछले कई वर्षों से जारी है। अन्तरों के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को समय–समय पर एस0पी0एस0ई0/विभागों के साथ भी उठाया गया। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार और एस0पी0एस0ई0 को अन्तरों का समयबद्ध तरीके से समाशोधन करना चाहिए।

5.11 विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) का विद्युत क्रय बकाया तथा राज्य वित्त पर इसका प्रभाव

डिस्कॉम्स (एन0बी0पी0डी0सी0एल0 एवं एस0बी0पी0डी0सी0एल0) अपने उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करने के लिए विद्युत उत्पादन कम्पनियों (राज्य/केन्द्र/अन्य) से विद्युत क्रय करती हैं तथा संबंधित विद्युत कम्पनियों को ऊर्जा और अन्य शुल्कों का भुगतान करती हैं। 31 मार्च 2022 तक डिस्कॉम्स के द्वारा विद्युत क्रय बकाया इस प्रकार है:

तालिका 5.24: डिस्कॉम्स के विद्युत क्रय बकाया का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	एन0बी0पी0 डी0सी0एल0	एस0बी0पी0 डी0सी0एल0	कुल
1	राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों के सम्बन्ध में बकाया	4.95	0.00	4.95
2	केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कम्पनियों के सम्बन्ध में बकाया	1,424.36	1,693.59	3,117.95
3	अन्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों के सम्बन्ध में बकाया	331.32	1,051.20	1,382.52
	कुल	**1,760.63**	**2,744.79**	**4,505.42**

(स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत सूचना/आँकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2022 को राज्य/केन्द्रीय/अन्य विद्युत उत्पादन कम्पनियों के सम्बन्ध में बकाया राशि क्रमशः ₹ 4.95 करोड़, ₹ 3,117.95 करोड़ और ₹ 1,382.52 करोड़ थी। डिस्कॉम्स द्वारा उपरोक्त विद्युत उत्पादन के बकाये का भुगतान अपने आंतरिक स्रोतों यथा राजस्व प्राप्तियाँ, बिल भुनाने की सुविधा, बैंकों के पास कार्यशील पूँजी की सीमा और राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी से किया जा रहा है।

डिस्कॉम्स को 2021–22 के दौरान राज्य सरकार से दो मदों के तहत सब्सिडी प्राप्त हुई (अ) *'मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना'* के तहत प्रति इकाई ऊर्जा खपत पर विभिन्न उपभोक्ताओं को सब्सिडी और (ब) बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा निर्धारित सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए0टी0 एण्ड सी0) हानियों की तुलना में कुल ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों की अधिकता के कारण राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में डिस्कॉम्स को वित्तीय हानियों की क्षतिपूर्ति। डिस्कॉम्स द्वारा 2021–22 के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 5.25: डिस्कॉम को प्राप्त अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	एन0बी0पी0 डी0सी0एल0	एस0बी0पी0 डी0सी0एल0	कुल
1	*'मुख्यमंत्री विद्युत उभोक्ता सहायता योजना'* के तहत प्रति इकाई बिजली उपभोग के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं को सब्सिडी	2,969.99	3,607.97	6,577.96
2	बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों की तुलना में कुल ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों की अधिकता के कारण राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में डिस्कॉम्स को वित्तीय हानियों की क्षतिपूर्ति	498.96	923.04	1,422.00
कुल		**3,468.95**	**4,531.01**	**7,999.96**

(स्रोत : डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत सूचना/आँकड़े)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि *'मुख्यमंत्री विद्युत उभोक्ता सहायता योजना'* के तहत ₹ 6,577.96 करोड़ के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्ध सब्सिडी है और बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित ए0टी0 एण्ड सी0 हानि पर अतिरिक्त ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों के कारण ₹ 1,422.00 करोड़ की अप्रतिबद्ध सब्सिडी है।

5.12 सार्वजनिक उपक्रम समिति (सी0ओ0पी0यू0) के प्रतिवेदन का अनुपालन

सी0ओ0पी0यू0 ने राज्य विधानमंडल को एक अनुशंसा (2021–22) के साथ सात प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे। हालाँकि, अनुशंसा (सितम्बर 2022) के संबंध में कोई कार्यवाही टिप्पणी (ए0टी0एन0) प्राप्त नहीं हुई, जिसे **तालिका 5.26** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.26: सी0ओ0पी0यू0 प्रतिवेदनों का अनुपालन

सी0ओ0पी0यू0 प्रतिवेदन का वर्ष	सी0ओ0पी0यू0 के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	सी0ओ0पी0यू0 प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जहाँ ए0टी0एन0 प्राप्त नहीं हुए
2019-20	05	0	0
2020-21	01	0	0
2021-22	01	1	1
कुल	**07**	**1**	**1**

(स्रोतः सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर संकलित)

5.13 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

- लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 में निवेशित अंश पूँजी पर निर्दिष्ट लाभांश के भुगतान के लिए एक लाभांश नीति बनायी जाए।
- एस0पी0एस0ई0 के आर0ओ0सी0ई0 और आर0ओ0आर0आर0 को ऋणात्मक से सकारात्मक आर0ओ0सी0ई0/ आर0ओ0आर0आर0 में लाने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रयास किए जाएँ क्योंकि ऋणात्मक आर0ओ0सी0ई0/ आर0ओ0आर0आर0 से हानियों का संचय होने की संभावना है, जिससे वे व्यवसायिक रूप से अव्यवहारिक हो जाती हैं।
- हानि वहन करने वाली सभी एस0पी0एस0ई0 के कार्यकलापों की समीक्षा की जाए क्योंकि इन एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य क्षरित हो गया है जो इनकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
- अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के परिसमापन और निस्तारण की समीक्षा की जाए क्योंकि ये एस0पी0एस0ई0 स्थापना व्यय के रूप में राजकोष पर व्यापक बोझ डाल रहे हैं।

- वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करें कि एस0पी0एस0ई0 अपने लेखाओं को समयबद्ध तरीके से अन्तिमीकृत करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और वैसे एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे बकाया हैं, उनके लेखाओं को तैयार नहीं करने एवं अन्तिमीकृत नहीं करने के लिए प्रबंधन की जवाबदेही तय करने पर विचार करे तथा
- वित्त विभाग और संबंधित एस0पी0एस0ई0 के प्रशासनिक विभाग एस0पी0एस0ई0 के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण और बकाया प्रत्याभूतियों का वित्त लेखे में प्रदर्शित आँकड़ों के साथ अंतर का समाशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

पटना **(रामावतार शर्मा)**
दिनांक 28 मार्च 2023 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक 29 मार्च 2023 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट– 1.1

(संदर्भः कंडिका 1.1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़े

क्रम सं.	विवरण		आँकड़े
1	क्षेत्रफल		94,163 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या (2022 के अनुसार)		12.49 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 418.43 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		1,327
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसख्या (बी.पी.एल.) (अखिल भारतीय = 21.90 प्रतिशत)		*33.74*
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)		61.8
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जन्म पर)		27
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 69.70 वर्ष)		69.2
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) 2021–22 के चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)		6,75,448
9	प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0[78] सी0ए0जी0आर0[79] (2012–13 से 2021–22)	बिहार	8.33
		सामान्य कोटि के राज्य	9.34
10	जी0एस0डी0पी0 सी0ए0जी0आर0 (2012–13 से 2021–22)	बिहार	10.18
		सामान्य कोटि के राज्य	10.62
11	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)	बिहार	17.72
		सामान्य कोटि के राज्य	11.17

ब. वित्तीय आँकड़े

(आँकड़े प्रतिशत में)

क्रम सं0	विवरण सी0ए0जी0आर0	2012–13 से 2015–16		2020–21 से 2021–22	
		सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
क	राजस्व प्राप्तियों का	13.79	17.29	25.60	23.90
ख	स्व कर राजस्व का	8.92	16.12	25.62	14.87
ग	करेत्तर राजस्व का	9.80	24.40	45.35	(-) 35.75
घ	कुल व्यय का	16.32	17.83	13.96	16.09
ड	पूँजीगत व्यय का	25.38	28.20	25.59	30.04
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	12.31	9.76	11.47	26.76
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	17.22	23.77	19.71	26.84
ज	वेतन एवं मजदूरी का	10.50	3.42	11.23	7.90
झ	पेंशन का	12.16	12.32	11.88	3.17

(स्रोतः एम0ओ0एस0पी0आई0 और सी0ए0जी0 के आर्थिक सलाहकार)

[78] जी0एस0डी0पी0 = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

[79] सी0ए0जी0आर0 = चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट–2.1

(संदर्भः कंडिका 2.2)

राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
खंड अ0 प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,17,447	1,31,794	1,24,233	1,28,168	1,58,798
(i) स्व कर राजस्व	23,137 (20)	29,408 (22)	30,158 (24)	30,342 (24)	34,855 (22)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,298 (36)	6,584 (23)	6,121 (20)	6,032 (20)	6,872 (20)
राज्य उत्पाद	(-) 3.00 (0)	(-)10 (0)	(-) 4.00 (0)	(-) 4 (0)	(-) 1 (0)
वाहनों पर कर	1,599 (7)	2,086 (7)	2,713 (9)	2,268 (7)	2,475 (7)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	3,726 (16)	4,189 (14)	4,661 (16)	4,206 (14)	5,224 (15)
भू–राजस्व	779 (3)	477 (2)	275 (1)	302 (1)	284 (1)
माल एवं यात्री पर कर	1,645 (7)	399 (1)	23 (0)	6 (0)	0 (0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	6,747 (29)	15,288 (52)	15,800 (52)	16,050 (53)	19,264 (55)
अन्य कर	346 (2)	395 (1)	568 (2)	1,482 (5)	737 (2)
(ii) करेत्तर राजस्व	3,507 (3)	4,131 (3)	3,700 (3)	6,201 (5)	3,984 (2)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	65,083 (55)	73,603 (56)	63,406 (51)	59,861 (47)	91,353 (58)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	25,720 (22)	24,652 (19)	26,969 (22)	31,764 (25)	28,606 (18)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	22	1825	30	820	28
4. कुल राजस्व एवं गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,17,469	1,33,619	1,24,263	1,28,988	1,58,826
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	13,169	18,668	29,145	35,915	40,445
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	11,771	16,134	27,866	29,412	30,918
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,398	2,534	1,279	6,503	9,527
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	1,30,638	1,52,287	1,53,408	1,64,903	1,99,271
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	57,107	68,259	1,94,512	2,17,837	2,46,840
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	**1,87,745**	**2,20,546**	**3,47,920**	**3,82,740**	**4,46,111**

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
खंड ब. व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493	1,59,220
योजनाएँ	35,951 (35)	47,365 (38)	44,576 (35)	44,201 (32)	58,487 (37)
स्थापना और प्रतिबद्ध	66,673 (65)	77,532 (62)	81,441 (65)	95,292 (68)	1,00,733 (63)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	33,374 (32)	38,691 (31)	41,628 (33)	46,239 (33)	48,939 (31)
सामाजिक सेवाएँ	45,770 (45)	58,284 (47)	57,816 (46)	63,807 (46)	76,115 (48)
आर्थिक सेवाएँ	23,476 (33)	27,918 (22)	26,571 (21)	29,445 (21)	34,165 (21)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	2	2	1
12. पूँजीगत व्यय	28,907	21,058	12,304	18,209	23,678
योजना	28,866 (100)	20,999 (100)	12,253 (100)	18,194 (100)	23,650 (100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	41 (0)	59 (0)	51 (0)	15 (0)	28 (0)
सामान्य सेवाएँ	2,765 (10)	3,311 (16)	2,388 (19)	1,387 (8)	3,507 (15)
सामाजिक सेवाएँ	4,258 (15)	4,061 (19)	2,803 (23)	6,331 (35)	5,154 (22)
आर्थिक सेवाएँ	21,884 (75)	13,686 (65)	7,113 (58)	10,491 (57)	15,017 (63)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	243	1,470	666	1,114	1,479
14. कुल *(11+12+13)*	1,31,774	1,47,425	1,38,987	1,58,816	1,84,377
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,653	7,230	7,110	6,880	8,746
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	3,841	6,300	6,143	5,937	7,619
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेन–देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	812	930	967	943	1,127
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
18. संचित निधि से कुल संवितरण *(14+15+16+17)*	1,36,427	1,54,655	1,46,097	1,65,696	1,93,123
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-		-
20. लोक लेखा संवितरण	46,299	67,135	1,97,747	2,17,092	2,48,373
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	**1,82,726**	**2,21,790**	**3,43,844**	**3,82,788**	**4,41,496**

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
खंड स. घाटा					
22. राजस्व घाटा (–)/राजस्व अधिशेष (+) (1–11)	14,823	6,897	(-) 1,784	(-) 11,325	(-) 422
23. राजकोषीय घाटा (–)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4.14)	(-) 14,305	(-) 13,807	(-) 14,724	(-) 29,827	(-) 25,551
24. प्राथमिक घाटा (–)/ प्राथमिक अधिशेष (+) (23+25)	(-) 5,251	(-) 3,736	(-) 3,733	(-) 17,343	(-) 11,729
खंड द. अन्य आँकड़ें					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	9,054	10,071	10,991	12,484	13,822
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	43,359	51,764	46,582	54,929	65,015
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)@	4,68,746	5,27,976	5,82,516	5,87,154	6,75,448
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	1,56,777	1,68,921	1,93,382	2,27,195	2,57,510*
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	5,174	5,398	5,380	16,080	37,632
30. अधिकतम दी गई प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	20,234	20,834	20,834	24,972	25,070
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	127	68	143	157	146
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	892	315	1,001	1,654	890
खंड ई. राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
कर राजस्व/जी0एस0डी0पी0	4.94	5.57	5.18	5.17	5.16
करेत्तर राजस्व/जी0एस0डी0पी0	0.75	0.78	0.64	1.06	0.59
केंद्रीय अंतरण/जी0एस0डी0पी0	19.37	18.61	15.51	15.60	17.76
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जी0एस0डी0पी0	28.11	27.92	23.86	27.05	27.30
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	112.20	111.86	111.88	123.91	116.11
राजस्व व्यय/कुल व्यय	77.88	84.72	90.67	87.83	86.36
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	34.73	39.53	41.60	40.18	41.28
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	17.82	18.94	19.12	18.54	18.53
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	21.94	14.28	8.85	11.47	12.84
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	19.84	12.04	7.13	10.59	10.94

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजस्व अधिशेष/जी0एस0डी0पी0	3.16	1.31	(-) 0.31	(-) 1.93	(-) 0.06
राजकोषीय घाटा/जी0एस0डी0पी0	3.05	2.62	2.53	5.08	3.78
प्राथमिक घाटा/जी0एस0डी0पी0	1.12	0.71	0.64	2.95	1.74
राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटा	103.62	49.95	12.12	37.97	1.65
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजकोषीय दायित्व/जी0एस0डी0पी0	33.45	31.99	33.20	38.69	37.07[#]
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्तियाँ	133.49	128.17	153.66	177.26	162.16
राजकोषीय दायित्व/राज्य के स्व–संसाधन	588.41	503.66	563.82	621.72	663.02

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप–शीर्षों की कुल प्रतिशतता (निकटतम) दर्शातें हैं।

@ जी0एस0डी0पी0:– सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

** प्रभावी बकाया राजकोषीय देनदारियाँ ₹ 2,50,398.57 करोड़ होगा अगर ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य को बैक टू बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 7,111.43 करोड़ के जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति को किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाए जिसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।*

कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 7,111.43 करोड़ के जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति को छोड़कर प्राप्त।

परिशिष्ट–2.2

(संदर्भः कंडिका 2.4.3.3)

ऋणों की प्रतिकूल शेष राशि

क्रम सं.	शीर्ष का विवरण	ऋण की प्रकृति	चुकाई गई राशि ₹ लाख में	वित्तीय वर्ष
1.	6215-190-0001	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	**(-) 7.90**	2005-06
2.	6216-02-201-0003	भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए प्राप्त ऋण की बकाया राशि का भुगतान	3.79	2003-04
	6216-02-201-0001	सरकार द्वारा बी0एस0एच0बी0 के बॉन्ड पर लौटाया गया ऋण	2.69	2004-05
			2.30	2005-06
			0.02	2010-11
			(-) 8.80	
3.	6216-02-800-0001	अन्य ऋण	0.13	2004-05
			0.51	2006-07
			0.28	2007-08
			0.33	2008-09
			0.34	2009-10
			1.02	2011-12
			0.22	2012-13
			0.94	2013-14
			0.37	2016-17
			0.11	2017-18
			(-) 4.25	
4.	6216-80-190-0001	सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण	0.05	2005-06
			0.10	2007-08
			0.04	2008-09
			0.25	2009-10
			(-) 0.44	
5.	6245-02-101-0001	निः शुल्क राहत	7.04	2003-04
			106.87	2004-05
			129.35	2005-06
			0.88	2006-07
			(-) 244.14	
6.	6245-02-117-0001	ऋण	**(-) 0.01**	2003-04
7.	6245-02-800-0011	प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिला बोर्ड प्राधिकारों को ऋण	38.52	2001-02
			0.70	2002-03
			(-) 39.22	
8.	6425-106-0003	कृषि सहकारी समितियाँ	4.16	2004-05
			4.75	2005-06
			27.83	2006-07
			0.78	2007-08
			0.47	2008-09
			1.15	2010-11
			0.15	2012-13
			1.20	2013-14
			15.00	2016-17
			0.30	2017-18
			0.10	2018-19
			(-) 55.89	

क्रम सं.	शीर्ष का विवरण	ऋण की प्रकृति	चुकाई गई राशि ₹ लाख में	वित्तीय वर्ष
9.	6425-108-0005	अन्य सहकारी समितियाँ	82.77	2006-07
			87.45	2008-09
			30.70	2009-10
			71.10	2010-11
			1172.05	2011-12
			355.02	2012-13
			13.87	2013-14
			275.60	2014-15
			243.48	2015-16
			509.79	2016-17
			329.63	2017-18
			9115.57	2018-19
			205.97	2019-20
			102.23	2020-21
			45.31	2021-22
			(-) 12,640.54	
10.	6425-107-001	नाबार्ड की बकाया राशि	**(-) 45,945.86**	2018-19
11.	6851-101-0001	बिहार राज्य औद्योगिक सहायता अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उद्योगों और कंपनियों को ऋण	9.03	2003-04
			6.75	2004-05
			14.29	2005-06
			18.06	2006-07
			3.29	2007-08
			0.65	2008-09
			35.46	2009-10
			4.46	2010-11
			0.69	2011-12
			1.13	2012-13
			26.84	2013-14
			4.97	2014-15
			6.11	2015-16
			0.34	2016-17
			0.16	2017-18
			4.54	2019-20
			(-) 136.77	
12.	6885-02-800-0001	अन्य ऋण	1.46	2004-05
			1.04	2005-06
			(-) 2.50	
13.	6401-911-0002	फसल कृषि–कर्म के लिए ऋण	**(-) 0.74**	2017-18
कुल ऋणात्मक शेष			**(-) 59,087.06**	
			₹ (-) 590.87 करोड़	

परिशिष्ट–2.3

(संदर्भः कंडिका 2.4.3.4)

अपूर्ण परियोजनाओं पर लंबित भुगतान

(₹ लाख में)

क्रम सं0	परियोजना/कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/ संशोधन की तिथि	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
1	जगनपुरा मौजा, पटना में बादशाही नाला पर से नारायणी अस्पताल मोर तक आरसीसी बॉक्स टाइप ड्रेन पुलिया का निर्माण	869.18	2021	2022	50	22.83	22.83	840.90	*	*
2.	ब्लॉक–सदर आरा (एजेंडा संख्या– 180/538/2022), भोजपुर में गंभीर पहुंच में बाएं तटबंध में पूर्वी गंगा में कटाव रोधी कार्य	141.19	2021-22	2021-22	20	38.00	26.86	26.86	78.10	*
3.	नदी के दाहिने किनारे पर गांव हेतमपुर के पास कटाव निरोधी कार्य (एजेंडा संख्या 180/531/2022), आरा, भोजपुर	200.77	2021-22	2021-22	75	85.49	85.49	65.68	*	*
4.	252.70 से 268.40 आर0डी0 (मुख्य नहर) तक सोन उच्च स्तरीय नहर का जीर्णोणार एवं पी0सी0सी0 लाइनिंग एवं इसकी वितरण प्रणाली, अनुबंध राशि 5425.31 लाख, अरवल	6,028.13	2017-18	2021-22	80	782.52	3,978.67	1,446.64	*	*
5.	नदी किनारे संरक्षण के साथ पुछरिया गांव में कटाव निरोधी कार्य और गंडक नदी के ऑपफशूट चैनल को बंद करना (एजेंडा संख्या–180/97/2022), मोतिहारी	401.50	2022	2022	40	-	*	325.22	*	*
6.	भरवालिया एएपफएस के पास चंपारण तटबंध का कटाव रोधि कार्य 72.0 किमी और 91.80 किमी से 93.70 किमी के बीच 1930 मीटर की लंबाई में उठाना और मजबूत करना। 94.20 किसी से 97.34 कि0मी0 के 1260 मीटर पर चम्पारण तटबंध के मजूबूतीकरण कार्य विभिन्न जगह के नजदीक पिपरा बाजार, नोनिया टोला मननपुर और नवादा (कार्यसूची संख्या–180/95/2022, 180/96/2022), मोतिहारी	705.49	2022	2022	34	-	*	579.77	*	*

क्रम सं0	परियोजना/कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/संशोधन की तिथि	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
7.	ओरहनी जलाशय योजना का अनुरक्षण, बांका	276.15	2021-22	2021-22	80	152.09	152.09	58.93	*	*
8.	बेत्री वितरण किमी 0.00 से 7.04 किमी नहर पुनर्स्थापन एवं लैनिंग का कार्य, भभुआ (कैमूर)	1,381.00	2020-21	2021-22	40	449.33	449.33	931.67	*	*
9.	बेलहरना जलाशय योजना, बांका अंतर्गत बेलहरना मुख्य नहर, गिद्दा माइनर, सुरही माइनर एवं बदला जलमार्ग का जीर्णोद्धार कार्य	3,752.14	2017-18	2022	86	1,812.00	2,633.33	1,118.82	*	*
10.	जेबीसी मधुबनी के आरडी 41.00 से 138.00 तक जीर्णोद्धार कार्य	1,859.45	2019-20	2021-22	80	303.56	139.88	460.61	*	*
11.	पूर्वी कोसी तटबंध को 105.00 किमी से बढ़ाकर 124.37 किमी करना और उस पर बिटुमिनस सड़क का निर्माण और पूर्वी तटबंध डिवीजन, कोपरिया, सहरसा के तहत संरचना का निर्माण/नवीनीकरण/बहाली (किमी 123.6 पर ए0एफ0एस0 संरचना)	2,443.95	2020	2022	10	189.19	189.19	2,254.76	*	*
12.	नगवा ओरैना अहर पाइन, गया जिला	792.76	2019-20	2021-22	75	396.21	396.21	396.56	*	*
13.	गोटासागर आहर सिंचाई प्रणाली, जमुई जिला	110.37	2022	2022	85	46.48	46.48	63.90	*	*
14.	जमुई जिले के मैनजोर आहर की सिंचाई प्रणाली	152.01	2022	2022	30	-	*	152.01	*	*
15.	जमुई जिले के जोगिया बिछला, तेतरिया और ग्राभा अहार की सिंचाई प्रणाली	107.55	2022	2022	25	-	*	107.55	*	*
16.	पिद्रौना आहर, जमुई जिले की सिंचाई प्रणाली	106.93	2022	2022	45	-	*	106.93	*	*
17.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	4,724.80	2019-20	2021-22	85	281.75	2,947.05	1,777.75	**	**
18.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	3,768.28	2019-20	2021-22	80	829.05	2,405.77	1,362.51	**	**
19.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	4,923.93	2019-20	2021-22	80	1,105.63	3,392.33	1,531.60	**	**
20.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	3,939.95	2019-20	2021-22	80	606.59	2,603.87	1,336.08	**	**

क्रम सं0	परियोजना/कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/ स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/ संशोधन की तिथि	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
21.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	7,489.34	2019-20	2021-22	75	1,313.52	4,818.38	2,670.96	**	**
22.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित पीडब्ल्यूएस, किशनगंज	244.03	2019-20	2021-22	80	31.18	144.44	99.59	**	**
23.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	14,688.86	2019-20	2021-22	75	3,641.26	9,347.39	5,341.47	**	**
24.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	3,541.15	2019-20	2021-22	80	428.32	2,123.59	1,417.56	**	**
25.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	2,977.21	2019-20	2021-22	75	597.65	2,086.80	890.41	**	**
26.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	6,511.87	2019-20	2021-22	80	516.00	3,756.54	2,755.33	**	**
27.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	5,222.36	2019-20	2021-22	75	445.82	3,612.30	1,610.06	**	**
28.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	3,492.05	2019-20	2021-22	75	736.94	2,326.66	1,165.39	**	**
29.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	11,050.80	2019-20	2021-22	75	1,946.44	6,507.25	4,543.55	**	**
30.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	5,838.77	2019-20	2021-22	75	929.38	4,214.60	1,624.17	**	**
31.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	163.53	2019-20	2021-22	75	15.47	66.82	96.71	**	**

क्रम सं0	परियोजना/कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/संशोधन की तिथि	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
32.	मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित) लौह प्रभावित मिनी जलापूर्ति योजना, किशनगंज	477.35	2019-20	2021-22	75	-	128.48	348.87	**	**
33.	पुराना बाजार पाइप जलापूर्ति योजना, लखीसराय	709.22	2020-21	2021-22	63	261.65	261.65	447.57	**	**
34.	कन्या आई0टी0आई0 मदनपुर, मधेपुरा का निर्माण	2,038.00	2021	2022	3	53.19	53.19	1,984.81	*	*
35.	श्रम कार्यालय मधेपुरा का निर्माण	406.00	2021	2022	14	57.13	57.13	348.87	*	*
36.	पटना में गर्दनीबाग आवास विकास के अंतर्गत ऑफिसर एन्क्लेव 752 इकाइयों का निर्माण	44,362.00	2020	2022	35	8,456.68	14,357.12	37,506.44	*	*
37.	पटना संग्रहालय का उन्नयन और विस्तार (सिविल + संरक्षण + एम0ई0पी0) पटना संग्रहालय का प्रदर्शनी डिजाइन कार्य	15,800.00	2020	2022	33	929.88	2,429.65	4,720.42	*	*
38.	बी0एस0ई0बी0 परीक्षा परिसर, कुम्हरार, पटना का निर्माण	22,731.00	2020	2022	10	2,500.00	2,500.00	20,231.00	*	*
39.	आबकारी कार्यालय बैरक मलखाना एवं दस बिस्तरों वाली महिला बैरक, छपरा का निर्माण	274.64	2020	2022	35	51.45	69.89	204.74	*	*
40.	सात निश्चय के तहत आई0टी0आई0 भवन छपरा का निर्माण	1,749.66	2020	2022	35	131.63	333.63	141.60	*	*
41.	वर्ष 2 के लिए महिला आई0टी0आई0 छपरा सारण का निर्माण	902.79	2019	2022	65	202.51	419.65	483.13	*	*
42.	आई0टी0आई0, रजौली (नवादा) का निर्माण	1,358.00	2020	2022	75	486.79	871.21	536.68	*	*
43.	आई0टी0आई0 नवादा में बाउण्ड्री वाल, पार्क, परिसर विकास एवं एप्रोच रोड का निर्माण	150.38	2021	2022	45	-	150.38	41.98	*	*
44.	राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सीवान का निर्माण	7,574.95	2021	2022	80	6,273.38	6,273.38	1,301.57	*	*
45.	कटिहार के मनिहारी प्रखंड में मनिहारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय एवं प्रशासनिक भवन, कर्मशाला, कैंटीन, प्राचार्य क्वार्टर वाइस प्रिंसिपल क्वार्टर, स्टाफ हॉस्टल, परिसर विकास का निर्माण	1,805.00	2020	2022	40	75.19	75.19	1,410.24	*	*
46.	मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, बिहटा में एन0आई0टी0, पटना के लिए वर्ष 21–22 के लिए बाउंड्री वाल के शेष भाग का निर्माण	321.91	2022	2022	25	-	*	321.91	*	*
47.	आबकारी अधीक्षक कार्यालय का निर्माण, औरंगाबाद	281.01	2021	2022	22	134.84	134.84	146.16	*	*
48.	आईटी केंद्र भवन का निर्माण रफीगंज, औरंगाबाद	481.83	2020	2022	50	167.03	241.54	240.29	*	*

क्रम सं0	परियोजना/कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/संशोधन की तिथि	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
49.	आरा में आरा इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण	6,327.89	2020	2022	33	1,865.72	2,068.13	939.66	*	*
50.	पॉलिटेक्निक कॉलेज कोकिला, जगदीशपुर, आरा का निर्माण	3,581.20	2021	2022	36	877.70	1,292.05	463.70	*	*
51.	आरा में 10 बिस्तरों वाली महिला पुलिस बैरक के साथ आबकारी अधीक्षक कार्यालय का निर्माण	289.35	2021	2022	81	177.54	177.54	56.50	*	*
52.	आई0टी0आई0 अय्यारा, अरवल का निर्माण	1,511.74	2020	2022	67	305.12	495.45	1,016.29	*	*
53.	कहलगाँव, भागलपुर में आई0टी0आई0 भवन का निर्माण	1,792.00	2020	2022	80	1.20	1.20	16.72	*	*
54.	राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भागलपुर के परिसर में 200 बिस्तरों वाली 03 इकाई बालक एवं 200 बिस्तरों वाली 01 इकाई बालिका छात्रावास का निर्माण	5,200.00	2021	2022	25	-	-	5,294.44	*	*
55.	भागलपुर में सहकारी भवन का निर्माण	316.10	2021	2022	80	146.00	146.00	170.18	*	6.43
56.	सिंघेश्वर (मंदिर) मधेपुरा जिले में प्रस्तावित सामुदायिक भवन का निर्माण	204.04	2021	2022	80	133.37	133.37	70.68	*	*
57.	पटना सिटी में खनकाह मुनिमिया, मित्तन घाट पर फर्नीचर की आपूर्ति (शीर्ष – 46–5452–011–010–104), पटना	233.05	2022	2022	2	4.56	4.56	228.49	*	*
58.	बागानपुर प्रखंड, वैषाली के अंतर्गत ई–किसान भवन का निर्माण	123.36	2021	2022	80	98.99	88.73	22.30	*	*
59.	प्रखंड–बैसा, जिला पूर्णिया में कनपफलिया पंचायत अंतर्गत ग्राम पनकी कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का निर्माण	103.55	2022	2022	35	20.00	20.00	83.55	*	*
60.	वर्ष 2018–19 के लिए आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के तहत मारवाड़ी कॉलेज गेट वाया अल्लालपट्टही चौक से रहमगंज चौक और गंगासागर पोखर के लिए चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	520.26	2019	2022	53	-	277.30	242.96	*	*
61.	दरभंगा–कमतौल–बसैथा–माधवापुर रोड (एस0एच0–75) और कमतौल–जोगियारा रोड में आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के तहत आर0सी0सी0 ड्रेन साइज 60 सेंटीमीटर X 90 सेंटीमीटर का निर्माण	571.24	2019	2022	60	50.00	339.84	231.40	*	*

क्रम सं0	परियोजना/कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/संशोधन की तिथि	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
62.	वर्ष 2018–19 के लिए आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के तहत मिथिला आटा मिल वाया पी0बी0एम0 और पुराने एन0एच0–57 कंगवा गुमटी से शीशा फैक्ट्री में ड्रेन का निर्माण	915.09	2019	2022	49	75.00	452.84	462.25	*	*
63.	वर्ष 2019–20 के लिए आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के तहत अशोक पेपर मिल से बिदेश्वरस्थान एन0एच0–57 रोड का आई0आर0क्यू0पी0 कार्य	1,393.46	2020	2022	63	431.46	872.48	520.98	*	*
64.	अहिल्या स्थान से गौतम कुंड (नरौछ) रोड, दरभंगा के डब्ल्यू0 एंड एस0	2,348.35	2020	2022	68	627.51	1,600.43	747.92	*	*
65.	वर्ष 2019–20 के लिए आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के तहत एन0एच0 खिरमा–जलवाड़ा–असराहा–बिसफी रोड का आई0आर0क्यू0पी0 कार्य (किमी 0.000 से 10.50)	876.75	2020	2022	22	-	191.78	684.97	*	*
66.	वर्ष 2019–20 के लिए आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के तहत 0.00 से 8.10 तक के0एम0 से खैरा जुज्जी कोरिगामा रोड वाया सिरुआ से निमैठी तक आई0आर0क्यू0पी0 कार्य।	723.12	2020	2022	26	124.62	190.44	532.68	*	*
67.	वर्ष 2019–20 के लिए आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के लिए एसबीडी के तहत महेसपट्टड्डी, पिपरा वाया भरवाड़ा (लालपुर चौक) से चामुंडा स्थान तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	1,309.98	2020	2022	43	253.47	565.35	744.63	*	*
68.	वर्ष 2019–20 के लिए आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के तहत डैन देकुली–सिसौनी–उघरा रोड वाया शाइनी चौक से डगरसमा–कपछाही–अमापट्टड्डी–सतघरा का आईआरक्यूपी कार्य	1,638.33	2020	2022	41	410.33	665.27	973.06	*	*
69.	वर्ष 2020–21 के लिए आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के तहत पफरदाहा–इथरवा–अम्मी–मझीगामा–ध्बैला–धेईघाट रोड वाया रजवारा–तरानुल से धेईघाट रोड तक का आई0आर0क्यू0पी0 कार्य	1,547.48	2021	2022	10	-	*	1,547.48	*	*
70.	वर्ष 2020–21 के लिए आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के अंतर्गत बहेरी ब्लॉक में बहेरी पीडब्ल्यूडी रोड झाझरी चौक से सिरुआ वाया भाछी उजैना रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	1,575.93	2021	2022	10	3.16	3.16	1,572.77	*	*

क्रम सं0	परियोजना/कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/संशोधन की तिथि	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
71.	वर्ष 2019–20 के लिए मिश्रा पी0डब्ल्यू0डी0 रोड आर0सी0डी0, रोड डिवीजन, दरभंगा के तहत (लंबाई– 3.626 किमी) एस0एच0–50 एकमीघाट से किलाघाट एल0एन0 का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	514.94	2022	2022	10	-	*	514.94	*	*
72.	किमी 9 (पी), 10,11, 12 (पी), 13, 14 (पी), 15 (पी) और 17 (पी) में बथिया–नारायण–ककोड़ा–महिया–देवना–राजाखरवार रोड के रखरखाव के काम के साथ डब्ल्यू/एस नाबार्ड के अंतर्गत वर्ष 2021–21 के लिए (कुल लंबाई– 4,106 कि.मी.) (शेष कार्य), दरभंगा	1,057.70	2021	2022	10	-	*	1,057.70	*	*
73.	रोसरा में वर्ष 2016–17 के लिए किमी 00 से 21.700 (कुल लंबाई 21.700 किमी) में रोसेरा–मबिधाला–सहरचिया–मंगलगढ़–काले–राजघाट–सतीघाट सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का सी0एम0बी0डी0 कार्य	4,052.91	2018	2022	82	255.60	3,328.71	724.91	*	*
74.	गढ़पुरा से सखवा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण रोसरा में वर्ष 2018–19 (शीर्ष–सी0आर0एफ0) के लिए एच0एल0 ब्रिज 3 X 12.00 एम) सहित 0.000 से 14.00 कि0मी0)	3,318.26	2019	2022	85	1,035.21	2,215.10	1,103.16	*	*
75.	रोसरा में वर्ष 2018–19 (शीर्ष–सी0आर0एफ0) के लिए एच0एल0 ब्रिज (3 X 14.00 एम) सहित 0.00 से 14.710 कि0मी0 दलसिंहसराय से शाहपुर रोड तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	3,343.36	2019	2022	75	806.71	2,306.00	1,037.36	*	0
76.	वर्ष 2017–18 अररिया के लिए आर0आई0डी0एफ0 नाबार्ड के तहत जहानपुर (एन0एच0–327ई)–सोहंदरा–उरलाहा–हसनपुर रोड को सीएच–0+000 से बढ़ाकर 26+250 करने की कुल लंबाई –26.250 किमी अररिया	7,602.31	2018	2021-22	52	1,360.09	3,997.80	3,604.51	*	*
77.	धापरी मोड़ से असरगंज (लदुआ मोड़) किमी 7.30 से किमी 15.70 (कुल लंबाई 8.40 किमी) नाबार्ड, मुंगेर तक सुदृढ़ीकरण कार्य	1,109.75	2020	2022	82	389.30	789.46	165.08	*	*
78.	वर्ष 2019–20 मुंगेर में भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य में कुण्डस्थान (राष्ट्रीय राजमार्ग पर) से भीमबांध तक 9.554 किमी वन पथ के ब्लैक टॉपिंग का उन्नयन	3,141.80	2021	2022	42	1,261.80	1,261.80	1,683.08	*	*

क्रम सं0	परियोजना/कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/संशोधन की तिथि	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
79.	वर्ष 2017–18 अररिया के लिए आर0आई0डी0एफ0 नाबार्ड के तहत जहानपुर (एनएच–327ई)–सोहंदरा–उरलाहा–हसनपुर रोड को सीएच–0000 से बढ़ाकर 26250 करने की कुल लंबाई –26.250 किमी अररिया	7,602.31	2018	2021-2022	53	1,360.09	3,997.80	3,604.51	*	*
80.	अब्दुल्ला चक चौक 2018–19 समस्तीपुर के रास्ते जन्दाहा से पटोरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	376.82	2020	2022	30	114.74	114.74	262.08	*	*
81.	वर्ष 2019–20 के लिए मुक्तापुर–वारिसनगर–भदोघाट–हथौरी मार्ग किमी 00 से 23.300 (कुल लंबाई 23.30 किमी) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण समस्तीपुर	3,506.64	2020	2022	37	1,074.10	1,074.10	2,432.54	*	*
82.	वर्ष 2018–19 के लिए एस0बी0डी0 के तहत एन0एच0 28ए रामगढ़वा थाना चौक से पिपरपति घाट किमी 0.00 से 7.20 तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण मोतिहारी	3,614.97	2020	2022	45	545.63	1,233.81	1,499.03	*	*
83.	वर्ष 2019–20 मोतिहारी के लिए आरडी–105 से आरडी–185 (किमी 0.00 से 13.00) तक घोड़ास्थान शाखा नहर सेवा मार्ग पर रक्सौल अदापुर चौराडानो सड़क का निर्माण	3,919.73	2020	2022	57	646.80	1,896.66	1,443.59	*	*
84.	राष्ट्रीय राजमार्ग–28ए (लक्ष्मीपुर से रेलवे क्रॉसिंग रक्सौल शहर से 0.00 से 4.45 किमी तक) के बचे हुए हिस्से का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण वर्ष 2019–20 मोतिहारी	1,308.54	2021	2022	51	748.18	748.18	717.27	*	*
85.	बेलवटिया जनता चौक से रघुनाथपुर बाजार रोड वर्ष 2020–21 मोतिहारी	3,000.00	2021	2022	13.68	410.39	410.39	1,786.29	*	*
86.	पहाड़पुर–मुरीगा–भगवानपुर स्टेषन रोड वैशाली के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1,768.05	2019-20	2021-22	72.32	371.49	1,278.62	174.17	*	*
87.	जंदाहा– (एन0एच0–103) पटोरी रोड वैशाली का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य	1,205.37	2020-21	2021-22	89.86	445.47	1,083.16	128.06	*	*
88.	चकसिकंदर–करिहो चौर मिर्जा नगर महुआ रोड वैशाली के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	2,800.00	2020-21	2021-22	86.42	1,090.70	2,419.75	208.77	*	*

क्रम सं0	परियोजना/कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष	कार्य समाप्ति का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/संशोधन की तिथि	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
89.	वर्ष 2019–20 वैशाली के लिए अधिशासी अभियंता, वैशाई पथ प्रमंडल, हाजीपुर के कार्यालय भवन का निर्माण	200.37	2020-21	2021-22	82.64	7.72	165.59	44.98	*	*
90.	वर्ष 2019–20 वैशाली के लिए शहीद बेनी भगत चौक–चौहट्टा–यूसुफपुर–राजपूत नगर से पासवान चौक रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (कुल लम्बाई =3.20 किमी)	882.58	2020-21	2021-22	83.11	40.72	733.47	178.42	*	*
91.	भदौसी रोड (किमी 0.00 से 3.75) के माध्यम से कोयला से दिहकुसुंभ का सुदृढ़ीकरण और वर्ष 2019–20/योजना (3x12 मी) शेखपुरा के लिए एच0एल0 आर0सी0सी0 पुल का निर्माण	1,420.51	2020	2022	60	371.16	612.75	510.85	*	*
						55,425.68				

(स्रोतः वित्त लेखे 2021–22)

** संबंधित प्रभागों/राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति की तिथि प्रदान नहीं किया गया।*

*** विवरण संबंधित प्रभागों/राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया*

संबंधित प्रभागों/राज्य सरकार द्वारा संशोधन की तिथि प्रदान नहीं किया गया।

परिशिष्ट–3.1

(संदर्भः कंडिका 3.3.1)

ऐसे मामले जहाँ निधि लोक लेखा में स्थानांतरित की गयी (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	विवरण	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कुल जमा
1	10	4801-05-190-0105- बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 की परियोजना	150.00	150.00	150.00
2		4801-05-190-0106- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना	250.00	250.00	250.00
3		4801-05-190-0107- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना	250.00	250.00	250.00
4		4801-05-190-0111- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	225.00	225.00	225.00
5		4801-05-190-0115- हर खेत तक सिंचाई का पानी–सात निश्चय–2	150.00	150.00	150.00
6		4801-05-789-0102- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना	100.00	100.00	100.00
7		4801-05-789-0103- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना	100.00	100.00	100.00
8		4801-05-789-0104- हर खेत तक सिंचाई का पानी–सात निश्चय–2	150.00	150.00	150.00
9	11	2225-03-197-0101- छात्रवृत्ति / वजीफा	104.00	103.90	103.90
10	18	3456-00-102-0306- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	624.41	571.01	571.01
11		3456-00-789-0302- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	180.17	137.37	137.37
12	20	2210-01-789-0201- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	401.00	301.00	301.00
13		2210-01-789-0301- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	178.00	178.00	178.00
14		2210-03-110-0203- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	937.82	602.68	602.68
15		2210-03-110-0303- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	550.00	550.00	550.00
16		2210-03-789-0201- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	457.74	241.07	241.07
17		2210-03-789-0301- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	261.00	256.45	256.45
18		2210-05-105-0017- इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	345.00	341.00	341.00
19		2210-06-101-0016- कोविड–19–उन्मूलन कार्यक्रम	1,000.00	1,000.00	1,000.00
20		2210-06-101-0114- आशा कार्यकर्त्ता एवं फैसिलिटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन	120.00	119.22	119.22

क्रम सं0	अनुदान सं0	विवरण	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कुल जमा
21	20	4210-03-050-010- नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	350.00	177.50	177.50
22		4210-03-051-0201- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	1,046.58	127.01	127.01
23		4210-03-789-0101- मेडिकल कॉलेजों हेतु	250.00	197.50	197.50
24	21	2202-02-109-0312- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर0एम0एस0ए0) के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्त्ति	160.86	144.57	144.57
25		4202-01-202-0109- राजकीय उच्च विद्यालय के भवन	105.00	101.05	101.05
26		4202-01-789-0101- राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	100.00	100.00	100.00
27	22	4055-00-051-0101- पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	774.23	503.25	503.25
28	26	2230-03-003-0109- मशीनों का आधुनिकीकरण	140.00	102.25	102.25
29		2230-03-003-0130- बिहार कौशल विकास मिशन–सात निश्चय–2	129.30	129.30	129.30
30		2230-03-789-0102- बिहार कौशल विकास मिशन–सात निश्चय–2	100.26	100.26	100.26
31		4202-02-104-0110- मशीनों का आधुनिकीकरण–सात निश्चय–2	160.00	160.00	160.00
32	35	4070-00-051-0107- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	1,094.12	1,062.17	1,062.17
33		4070-00-789-0103- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	203.01	203.01	203.01
34	37	4515-00-103-0113- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	366.79	366.79	366.79
35		4515-00-103-0119- ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना	137.78	137.78	137.78
36		4515-00-103-0518- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (वर्ल्ड बैंक संपोषित)	553.00	359.45	359.45
37		4515-00-103-0519- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एन0डी0बी0)	742.00	244.86	244.86
38		4515-00-789-0104- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एन0डी0बी0)	1,690.08	1,690.08	1,690.08
39		4515-00-796-0109- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एन0डी0बी0)	203.13	203.13	203.13
40	44	2225-01-102-0115- महादलितों का विकास	317.00	285.85	285.85
		योग	**15,157.28**	**12,172.51**	**12,172.51**

परिशिष्ट–3.2

(संदर्भः कंडिका 3.3.2)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6(3-5)**
राजस्व (भारित)					
1.	15- पेंशन	14.18	3.13	8.21	5.97
2.	28- उच्च न्यायालय बिहार	197.73	9.51	180.90	16.83
(अ) कुल राजस्व (भारित)		**211.91**	**12.64**	**189.11**	**22.80**
राजस्व (दत्तमत)					
3.	1- कृषि विभाग	3,235.47	567.25	1,698.00	1,537.47
4.	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1,561.72	62.74	640.07	921.65
5.	3- भवन निर्माण विभाग	835.02	3.01	702.25	132.77
6.	4- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	310.91	8.13	219.41	91.50
7.	6- निर्वाचन विभाग	423.28	84.03	309.14	114.14
8.	7- निगरानी विभाग	44.34	2.04	36.69	7.65
9.	9- सहकारिता विभाग	1,301.26	32.22	806.51	494.75
10.	12- वित्त विभाग	307.76	90.00	217.79	89.97
11.	15- पेंशन	21,802.97	2.19	20,286.74	1,516.23
12.	16- पंचायती राज विभाग	9,223.93	4,000.94	8,057.26	1,166.67
13.	17 - वाणिज्य –कर विभाग	160.64	2.14	133.07	27.57
14.	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	940.98	452.97	880.67	60.31
15.	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	655.76	113.53	324.02	331.74
16.	21- शिक्षा विभाग	36,971.29	8,943.67	33,373.28	3,598.01
17.	22- गृह विभाग	13,239.44	178.45	10,112.19	3,127.25
18.	25- सूचना प्रावैधिकी विभाग	137.19	16.59	72.96	64.23
19.	26- श्रम संसाधन विभाग	795.64	5.29	588.56	207.08
20.	27- विधि विभाग	1,066.90	26.80	848.16	218.74
21.	29- खान एवं भूतत्व विभाग	47.57	2.76	31.98	15.59
22.	31- संसदीय कार्य विभाग	12.96	2.58	5.26	7.70
23.	32- विधानमंडल	241.18	2.43	193.85	47.33
24.	33- सामान्य प्रशासन विभाग	777.35	8.28	561.63	215.72
25.	35- योजना एवं विकास विभाग	852.93	10.65	532.10	320.83
26.	37- ग्रामीण कार्य विभाग	2,236.13	120.06	2,234.40	1.73
27.	38- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	280.23	14.15	213.96	66.27
28.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1,191.23	46.13	786.28	404.95

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6(3-5)**
29.	42- ग्रामीण विकास विभाग	16,784.66	6,386.12	13,994.68	2,789.98
30.	43 - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	310.35	57.61	293.11	17.24
31.	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,799.28	119.92	1,456.48	342.80
32.	45- गन्ना उद्योग विभाग	115.95	1.15	37.39	78.56
33.	46- पर्यटन विभाग	69.52	12.84	43.94	25.58
34.	47-परिवहन विभाग	387.41	14.63	192.95	194.46
35.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	7,617.13	2,414.49	5,883.84	1,733.29
(ब) योग राजस्व (दत्तमत)		**1,25,738.38**	**23,805.79**	**1,05,768.62**	**19,969.76**
योग राजस्व (अ+ब)		**1,25,950.29**	**23,818.43**	**1,05,957.73**	**19,992.56**
पूँजीगत (दत्तमत)					
36.	3- भवन निर्माण विभाग	4,486.38	927.91	3,027.25	1,459.13
37.	10- ऊर्जा विभाग	1,513.00	503.93	1,507.13	5.87
38.	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	95.12	55.00	34.21	60.91
39.	20- स्वास्थ्य विभाग	2,437.68	721.01	865.52	1,572.16
40.	22- गृह विभाग	733.82	843.38	690.27	43.55
41.	25- सूचना प्रावैधिकी विभाग	140.00	3.50	63.00	77.00
42.	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2,431.10	500.00	1,976.17	454.93
43.	37- ग्रामीण कार्य विभाग	7,188.00	1,287.78	3,755.69	3,432.31
44.	43 - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	112.16	3.39	79.22	32.94
45.	51- समाज कल्याण विभाग	10.05	10.00	1.38	8.67
(स) पूँजीगत (दत्तमत)		**19,147.31**	**4,855.90**	**11,999.84**	**7,147.47**
योग पूँजीगत		**19,147.31**	**4,855.90**	**11,999.84**	**7,147.478**
महायोग (अ+ब+स)		**1,45,097.60**	**28,674.33**	**1,17,957.57**	**27,140.03**

(स्रोतः वित्तीय वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.3
(संदर्भः कंडिका 3.3.3)
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	01	2401-00-103-0001-बीज संवर्धन फार्म	23.44	0.00	23.44	2.00	22.30	0.00	3.14
2.	03	2052-00-090-0020-भवन निर्माण	2.39	0.00	2.39	0.15	1.91	0.00	0.63
3.		2059-80-001-0001-निदेशन	21.07	0.00	21.07	0.50	19.32	0.00	2.25
4.		2059-80-001-0011-उद्यान (स्थापना)	11.79	0.00	11.79	1.80	8.19	0.00	5.40
5.		4059-80-051-0117-इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवन (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)	100.00	260.00	360.00	12.50	309.21	0.00	63.29
6.		4202-02-105-0105-अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय)	350.00	410.00	760.00	37.50	731.31	0.00	66.19
7.	04	2013-00-101-0001-मंत्रिगण	31.69	0.00	31.69	0.37	27.39	0.00	4.67
8.	06	2015-00-103-0002-विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	0.53	0.00	0.53	1.50	0.45	0.00	1.58
9.	08	2204-00-101-0001-शारीरिक शिक्षा	4.54	0.00	4.54	0.16	3.52	0.00	1.18
10.		2205-00-103-0101-पुरातत्व निदेशालय	3.25	0.00	3.25	1.50	1.72	0.00	3.03
11.		2251-00-090-0003-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	4.15	0.00	4.15	0.01	3.31	0.00	0.85
12.	11	2251-00-090-0024-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	4.17	1.16	5.33	0.53	4.61	0.00	1.25
13.	13	2049-01-305-0001-पुराने ऋणों से संबंधित व्यय	27.68	0.00	27.68	8.60	21.62	0.00	14.66

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	15	2071-01-106-0002-माननीय सेवा निवृत मुख्य न्ययाधीश/न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सीय खर्च	1.86	1.04	2.90	1.00	2.69	0.00	1.21
15.	16	2015-00-101-0001-राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	4.59	0.00	4.59	0.22	3.36	0.00	1.45
16.		2515-00-001-0001-मुख्यालय पंचायत, स्थापना	10.56	0.00	10.56	0.55	9.04	0.00	2.07
17.		3451-00-090-0028-पंचायती राज विभाग	2.17	0.00	2.17	0.35	1.44	0.00	1.08
18.	18	3451-00-090-0011-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	9.45	0.03	9.48	0.11	7.45	0.00	2.14
19.	19	2406-01-001-0001-निदेशन एवं प्रशासन	20.69	0.96	21.65	0.59	18.08	0.00	4.16
20.	19	2406-02-111-0001-अन्य उद्यान	17.62	0.27	17.89	0.50	16.46	0.00	1.93
21.	20	2210-01-001-0001-स्वास्थ्य निदेशालय	28.91	0.60	29.51	7.00	23.67	0.00	12.84
22.		2210-01-200-0001-क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम	60.94	15.09	76.03	0.46	56.33	0.00	20.16
23.		2210-05-105-0003-दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय	128.24	1.02	129.26	2.50	95.09	0.00	36.67
24.		2210-05-105-0005-नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय	79.41	16.85	96.26	3.00	89.85	0.00	9.41
25.		2210-05-105-0007-मगध चिकित्सा महाविद्यालय	49.77	0.55	50.32	4.76	48.20	0.00	6.88
26.		2210-05-105-0023-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	36.31	0.02	36.33	3.00	30.31	0.00	9.02
27.		2210-05-105-0028-जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा	27.08	14.49	41.57	2.00	22.02	0.00	21.55
28.		2210-06-001-0001-अधीक्षण	15.13	0.19	15.32	1.00	10.54	0.00	5.78
29.		2210-06-101-0003-राष्ट्रीय मलेरिया उनमूलन कार्यक्रम	41.60	3.68	45.28	1.02	28.55	0.00	17.75

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	20	2210-06-101-0012-महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	1.00	0.00	1.00	0.30	0.72	0.00	0.58
31.		2210-06-102-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना	4.56	0.58	5.14	1.70	3.06	0.00	3.78
32.	21	2202-01-001-0001-प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	5.72	37.06	42.78	1.78	42.29	0.00	2.27
33.		2202-02-001-0001-माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	13.66	14.70	28.36	0.23	21.80	0.00	6.79
34.		2202-02-001-0003-क्षेत्रीय उप–निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी	14.13	0.00	14.13	2.60	11.95	0.00	4.78
35.		2202-03-001-0006-बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्	0.00	1.91	1.91	6.50	1.50	0.00	6.91
36.		2202-04-001-0002-जन शिक्षा निदेशालय	2.99	0.00	2.99	0.17	1.73	0.00	1.43
37.		2202-05-103-0002-राजकीय संस्कृत विद्यालय	2.01	0.61	2.62	1.00	2.05	0.00	1.57
38.		2202-80-001-0001-मुख्यालय स्थापना	10.55	0.00	10.55	0.22	6.74	0.00	4.03
39.		2202-80-001-0002-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	1.51	0.00	1.51	0.04	1.00	0.00	0.55
40.		2202-80-004-0018-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान परिषद्	10.16	0.00	10.16	0.46	7.55	0.00	3.07
41.		2202-80-004-0108-ललित नारायण मिश्र इंस्टिच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेज	5.00	0.00	5.00	4.90	5.00	0.00	4.90
42.		2251-00-090-0002-शिक्षा विभाग	11.44	0.00	11.44	25.81	6.71	0.00	30.54
43.		4202-01-202-0103-राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	400.20	0.00	400.20	2.13	399.41	0.00	2.92
44.	22	2014-00-114-0004-अभियोजन निदेशालय	95.42	0.08	95.50	1.50	67.01	0.00	29.99
45.		2051-00-103-0003-बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग	29.51	0.00	29.51	2.75	29.15	0.00	3.11

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	22	2052-00-090-0006-गृह (आरक्षी) विभाग	10.11	0.00	10.11	0.42	8.51	0.00	2.02
47.		2055-00-001-0001-अधीक्षण	103.08	0.00	103.08	2.55	95.79	0.00	9.84
48.		2055-00-003-0008-प्रशिक्षण विद्यालय, डुमराँव	11.22	0.00	11.22	0.54	8.34	0.00	3.42
49.		2055-00-101-0003-भारत–नेपाल सीमा पर चेक–पोस्ट	6.85	0.00	6.85	0.10	6.00	0.00	0.95
50.		2055-00-104-0003-विशेष टास्क फोर्स	209.35	0.00	209.35	0.50	170.22	0.00	39.63
51		2055-00-104-0004-आतंकवाद निरोधक दस्ता	22.55	0.00	22.55	0.49	21.73	0.00	1.31
52.		2055-00-113-0001-चिकित्सालय व्यय	11.74	0.00	11.74	0.40	8.58	0.00	3.56
53.		2055-00-114-0002-कम्प्यूटर	5.22	0.00	5.22	0.24	4.59	0.00	0.87
54.		2056-00-101-0006-मुक्त कारागार	2.35	0.00	2.35	0.05	1.75	0.00	0.65
55.		2070-00-003-0004-अग्निशाम सेवा के कर्मचारियों को प्रशिक्षण	0.25	1.50	1.75	1.11	1.03	0.00	1.83
56.	24	2220-01-001-0001-निदेशन और प्रशासन	6.70	0.00	6.70	0.84	5.99	0.00	1.55
57.		2220-60-106-0002-जिला इकाइयां	25.61	0.00	25.61	0.04	17.29	0.00	8.36
58.	25	2852-07-202-0108-स्टेट डाटा सेन्टर	10.00	7.83	17.83	3.50	9.20	0.00	12.13
59.		3451-00-090-0118-सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	2.00	0.00	2.00	6.90	1.52	0.00	7.38
60.		4859-02-004-0101-बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	70.00	3.50	73.50	17.50	63.00	0.00	28.00
61.	26	2230-01-101-0006-श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन	14.01	0.00	14.01	0.12	11.10	0.00	3.03
62.	32	2011-02-103-0001-विधान सभा सचिवालय	63.18	1.13	64.31	1.65	57.79	0.00	8.17
63.		2011-02-103-0002-विधान परिषद सचिवालय	55.33	1.30	56.63	1.90	54.97	1.50	2.06

क्रम सं0	अनुदान सं0	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	33	2053-00-094-0001-अनुमंडलीय स्थापना	133.15	0.00	133.15	0.80	103.88	0.00	30.07
65.	35	2052-00-090-0010-योजना एवं विकास विभाग	23.41	0.00	23.41	0.32	13.10	0.00	10.63
66.	36	2215-01-102-0002-हस्तचालित नलकूप, तालाब, कुएं एवं उच्च प्रवाही नलकूप	183.84	0.00	183.84	5.00	151.19	0.00	37.65
67.	39	2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति	2.00	0.00	2.00	0.50	1.69	0.00	0.81
68.	41	3451-00-090-0014-पथ निर्माण विभाग	3.60	0.00	3.60	0.10	2.18	0.00	1.52
69.		5054-03-101-0101-पुल	48.90	100.00	148.90	50.00	146.66	0.00	52.24
70.	44	2225-02-277-0003-लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	1.49	0.00	1.49	0.30	0.89	0.00	0.90
71.	48	2251-00-090-0005-नगर विकास एवं आवास विभाग	13.78	0.17	13.95	0.35	10.73	0.00	3.57
72.	49	2711-01-103-0002-अन्य रख–रखाव व्यय	220.60	0.00	220.60	38.90	184.39	0.00	75.11
73.		4700-80-051-0104-सिचाई सृजन परियोजनाएँ (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	765.00	1035.00	1800.00	43.65	1485.70	0.00	357.95
74.	51	2235-02-106-0001-प्रतिपेक्षण गृह	3.37	0.84	4.21	0.20	3.82	0.00	0.59
योग			**3,755.55**	**1,932.18**	**5,687.71**	**326.25**	**4,877.24**	**1.50**	**1,135.24**

(स्रोतः अनुदान अंकेक्षण पंजी, 2021–22 सहित विस्तृत विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.4

(संदर्भः कंडिका 3.3.3)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	02	2403-00-113-0001- राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना	7.73	2.88	9.08	0.00	1.53
2.	03	2059-80-053-0017- माननीय उच्च न्यायालय पटना के आवासीय एवं गैर आवासीय पार्कों के रख–रखाव/जीर्णोद्धार	0.50	2.50	1.32	0.00	1.68
3.	06	2015-00-105-0005- निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय	1.52	6.00	2.81	0.00	4.71
4.		2015-00-106-0005- निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय	72.55	62.50	94.31	0.00	40.74
5.	12	7610-00-201-0001- सरकारी सेवकों को गृह–निर्माण अग्रिम	18.00	4.00	21.43	0.03	0.54
6.	15	2071-01-104-0001- अन्य उपादान 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत हुए कर्मियों को भुगतान	6.00	3.00	6.17	0.00	2.83
7.		2071-01-105-0001- 15.11.2000 के पूर्व पेंशन पाने वालों को पारिवारिक पेंशन	78.02	430.00	494.97	0.00	13.05
8.		2071-01-105-0002- उत्तरवर्त्ती बिहार से सेवानिवृत कर्मियों से संबंधित पारिवारिक पेंशन का भुगतान	1046.39	1075.00	2014.65	0.00	106.74
9.		2071-01-115-0001- 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मचारियों/पदाधिकारी को भुगतेय अव्यहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि	7.00	1.37	7.41	0.00	0.96
10.		2071-01-117-0001- अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य का अंशदान	755.40	660.00	1311.05	0.00	104.35
11.	19	2406-02-112-0101-जलवायु, पर्यावरण एवं पार्कों का विकास	0.00	36.00	2.44	0.00	33.56
12.		4406-01-070-0101- सड़क और पुल	2.00	1.50	2.63	0.00	0.87
13.	20	2210-01-110-0028- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णिया	2.32	14.51	4.35	0.00	12.48
14.		2210-05-105-0031- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णिया	2.00	9.62	5.75	0.00	5.87
15.	21	2202-01-109-0105- प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृति	175.00	9.70	182.84	0.00	1.86
16.		2202-02-110-0002- सैनिक विद्यालय	7.50	2.50	9.21	0.00	0.79
17.		2202-80-001-0102- राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	5.05	3.74	8.24	0.00	0.55
18.	27	2235-60-200-0013- बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम	10.00	5.00	13.72	0.00	1.28

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि–योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	39	2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्त्ति	115.00	50.00	120.71	0.00	44.29
20.	43	4202-02-105-0106- अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय)	28.09	6.00	30.12	0.00	3.97
21.	44	2225-01-277-0002- छात्रावासों का संधारण	10.10	10.59	15.13	0.00	5.56
22.	47	2235-60-200-0121- बिहार वाहन दुर्घटना सहायता	0.00	15.00	11.40	0.00	3.60
23.	48	2217-80-192-0010- छावनी परिषद को सहायक अनुदान	0.00	5.00	1.49	0.00	3.51
		योग	**2,350.17**	**2,416.41**	**4,371.23**	**0.03**	**395.32**

(स्रोतः 2021–22 का विस्तृत विनियोग लेखे एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट–3.5

(संदर्भः कंडिका 3.3.3)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पुनर्विनियोजन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	विभाग का पत्र संख्या और दिनांक		वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति की पत्र संख्या और दिनांक		राशि
		पत्र सं0	दिनांक	पत्र सं0	दिनांक	
1.	12- वित्त विभाग	-	-	213	31-03-2022	11.23
2.	22- गृह विभाग	2944	21-03-2022	431	31-03-2022	0.35
3.		2939	21-03-2022	426	31-03-2022	4.00
4.		2938	21-03-2022	425	31-03-2022	0.35
5.		2945	21-03-2022	432	31-03-2022	0.91
6.		2943	21-03-2022	430	31-03-2022	6.50
7.		2942	21-03-2022	429	31-03-2022	0.35
8.		2941	21-03-2022	428	31-03-2022	2.24
9.		2940	21-03-2022	427	31-03-2022	0.05
10.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	504	28-03-2022	433	31-03-2022	0.11
	योग					**26.09**

(स्रोतः बिहार सरकार के अभ्यर्पण पत्रों का संग्रहण)

परिशिष्ट–3.6

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

कुल प्रावधान में से ₹ 100 करोड़ एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता	प्रावधान के विरूद्ध प्रतिशत व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ) राजस्व (भारित)								
1.	13- सूद भुगतान	14,517.41	0.00	14,517.41	13,821.93	695.48	4.79	95.21
योग राजस्व (भारित)		**14,517.41**	**0.00**	**14,517.41**	**13,821.93**	**695.48**	**4.79**	**95.21**
(ब) राजस्व (दत्तमत)								
2.	1- कृषि विभाग	3,235.47	567.25	3,802.72	1,698.00	2,104.72	55.35	44.65
3.	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1,561.72	62.74	1,624.46	640.07	984.39	60.60	39.40
4.	3- भवन निर्माण विभाग	835.02	3.01	838.03	702.25	135.78	16.20	83.80
5.	6- निर्वाचन विभाग	423.28	84.03	507.31	309.14	198.17	39.06	60.94
6.	9- सहकारिता विभाग	1,301.26	32.22	1,333.48	806.51	526.97	39.52	60.48
7.	11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,731.49	1220.39	2,951.88	2,850.73	101.15	3.43	96.57
8.	12- वित्त विभाग	307.76	90.00	397.76	217.79	179.97	45.25	54.75
9.	15- पेंशन	21,802.97	2.19	21,805.16	20,286.74	1,518.42	6.96	93.04
10.	16- पंचायती राज विभाग	9,223.93	4,000.94	13,224.87	8,057.26	5,167.61	39.07	60.93
11.	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	940.98	452.97	1,393.95	880.67	513.28	36.82	63.18
12.	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	655.76	113.53	769.29	324.02	445.27	57.88	42.12
13.	20- स्वास्थ्य विभाग	10,827.19	3,811.89	14,639.08	10,846.79	3,792.29	25.91	74.09
14.	21- शिक्षा विभाग	36,971.29	8,943.67	45,914.96	33,373.28	12,541.68	27.32	72.68
15.	22- गृह विभाग	13,239.43	178.45	13,417.89	10,112.19	3,305.70	24.64	75.36
16.	26- श्रम संसाधन विभाग	795.64	5.29	800.93	588.56	212.37	26.51	73.49
17.	27- विधि विभाग	1,066.90	26.80	1,093.70	848.16	245.54	22.45	77.55
18.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	272.63	0.00	272.63	171.64	100.99	37.04	62.96
19.	33- सामान्य प्रशासन विभाग	777.35	8.28	785.63	561.63	224.00	28.51	71.49
20.	35- योजना एवं विकास विभाग	852.93	10.65	863.58	532.10	331.48	38.38	61.62
21.	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	539.16	380.00	919.16	685.64	233.52	25.41	74.59

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता	प्रावधान के विरूद्ध प्रतिशत व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	37- ग्रामीण कार्य विभाग	2,236.13	120.06	2,356.19	2,234.40	121.79	5.17	94.83
23.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	3,321.57	2,473.67	5,795.24	3,895.42	1,899.82	32.78	67.22
24.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1,191.23	46.13	1,237.36	786.28	451.08	36.45	63.55
25.	41- पथ निर्माण विभाग	1,993.71	0.00	1,993.71	1,568.82	424.89	21.31	78.69
26.	42- ग्रामीण विकास विभाग	16,784.66	6,386.12	23,170.78	13,994.68	9,176.10	39.60	60.40
27.	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,799.28	119.92	1,919.20	1,456.48	462.72	24.11	75.89
28.	47-परिवहन विभाग	387.41	14.63	402.04	192.95	209.09	52.01	47.99
29.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	7,617.13	2,414.49	10,031.62	5,883.84	4,147.78	41.35	58.65
30.	49- जल संसाधन विभाग	1,083.54	0.00	1,083.54	937.84	145.70	13.45	86.55
31.	50- लघु जल संसाधन विभाग	318.91	0.22	319.13	195.90	123.23	38.61	61.39
32.	51- समाज कल्याण विभाग	8,149.10	3,071.09	11,220.19	8,994.46	2,225.73	19.84	80.16
योग राजस्व (दत्तमत)		**1,52,244.84**	**34,640.63**	**1,86,885.47**	**1,34,634.24**	**52,251.23**	**27.96**	**88.43**
योग राजस्व (अ+ब)		**1,66,762.25**	**34,640.63**	**2,01,402.88**	**1,48,456.17**	**52,946.71**	**26.29**	**89.02**
(स) पूँजीगत (भारित)								
33	14 - ऋण अदायगियाँ	9,094.43	0.00	9,094.43	8,746.47	347.96	3.83	96.17
योग पूँजीगत (भारित)		**9,094.43**	**0.00**	**9,094.43**	**8,746.47**	**347.96**	**3.83**	**96.17**
(द) पूँजीगत (दत्तमत)								
34.	3- भवन निर्माण विभाग	4,486.38	927.91	5,414.29	3,027.25	2,387.04	44.09	55.91
35.	9- सहकारिता विभाग	232.83	0.00	232.83	70.28	162.56	69.82	30.18
36.	10- ऊर्जा विभाग	1,513.00	503.93	2,016.93	1,507.13	509.80	25.28	74.72
37	16- पंचायती राज विभाग	321.00	0.00	321.00	121.58	199.42	62.12	37.88
38.	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	95.12	55.00	150.12	34.21	115.91	77.21	22.79
39.	20- स्वास्थ्य विभाग	2,437.68	721.01	3,158.69	865.52	2,293.17	72.60	27.40
40.	21- शिक्षा विभाग	1,064.64	0.00	1,064.64	728.59	336.05	31.56	68.44
41.	22- गृह विभाग	733.82	843.38	1,577.20	690.27	886.93	56.23	43.77

क्रम सं0	अनुदान / विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता	प्रावधान के विरूद्ध प्रतिशत व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	290.00	0.00	290.00	101.43	188.57	65.02	34.98
43.	35- योजना एवं विकास विभाग	1,345.47	321.82	1,667.29	1,367.11	300.18	18.00	82.00
44.	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2,431.10	500.00	2,931.10	1,976.17	954.93	32.58	67.42
45.	37- ग्रामीण कार्य विभाग	7,188.00	1,287.78	8,475.78	3,755.69	4,720.09	55.69	44.31
46.	41- पथ निर्माण विभाग	3,809.90	1,320.48	5,130.38	4,057.05	1,073.33	20.92	79.08
47.	46- पर्यटन विभाग	208.00	0.00	208.00	48.25	159.75	76.81	23.19
48.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	150.00	1,400.00	1,550.00	1,057.58	492.42	31.77	68.23
49.	49. जल संसाधन विभाग	2,990.84	1,735.00	4,725.84	3,358.28	1,367.56	28.94	71.06
50.	50- लघु जल संसाधन विभाग	691.00	0.00	691.00	270.51	420.49	60.85	39.15
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		**29,988.78**	**9,616.32**	**39,605.009**	**23,036.90**	**16,568.20**	**41.83**	**76.82**
कुल पूँजीगत (स+द)		**39,083.21**	**9,616.31**	**48,699.52**	**31,783.36**	**16,916.16**	**34.74**	**81.32**
कुल योग (अ+ब+स+द)		**2,05,845.46**	**44,256.94**	**2,50,102.40**	**1,80,239.53**	**69,862.87**	**27.93**	**87.56**

(स्रोतः वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.7

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

कुल प्रावधान में से 20 प्रतिशत एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	उपयोग की प्रतिशतता	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1- कृषि विभाग	3,335.47	740.91	4,076.38	1,927.93	47.30	2,148.45	52.70
2.	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1,561.72	62.88	1,624.60	640.21	39.41	984.39	60.59
3.	3- भवन निर्माण विभाग	5,321.40	930.92	6,252.32	3,729.50	59.65	2,522.82	40.35
4.	4- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	441.18	141.48	582.66	437.76	75.13	144.90	24.87
5.	5- राज्यपाल सचिवालय	33.13	0.00	33.13	4.29	12.95	28.84	87.05
6.	6- निर्वाचन विभाग	423.28	84.03	507.31	309.14	60.94	198.17	39.06
7.	7- निगरानी विभाग	44.34	2.04	46.38	36.69	79.11	9.69	20.89
8.	8- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	165.61	0.00	165.61	90.53	54.66	75.08	45.34
9.	9- सहकारिता विभाग	1,534.09	32.22	1,566.31	876.78	55.98	689.53	44.02
10.	16- पंचायती राज विभाग	9,544.93	4,000.94	13,545.87	8,178.84	60.38	5,367.03	39.62
11.	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,036.10	507.97	1,544.07	914.88	59.25	629.19	40.75
12.	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	737.76	113.53	851.29	397.60	46.71	453.69	53.29
13.	20- स्वास्थ्य विभाग	13,264.87	4,532.90	17,797.77	11,712.31	65.81	6,085.46	34.19
14.	21- शिक्षा विभाग	38,035.93	8,943.67	46,979.60	34,101.87	72.59	12,877.73	27.41
15.	22- गृह विभाग	13,973.26	1,021.83	14,995.09	10,802.46	72.04	4,192.63	27.96
16.	24 - सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	234.92	0.00	234.92	175.25	74.60	59.67	25.40
17.	25- सूचना प्रावैधिकी विभाग	277.19	20.09	297.28	135.96	45.73	161.32	54.27
18.	26- श्रम संसाधन विभाग	965.64	5.29	970.93	748.57	77.10	222.36	22.90
19.	27- विधि विभाग	1,066.90	26.80	1,093.70	848.16	77.55	245.54	22.45
20.	29- खान एवं भूतत्व विभाग	47.57	2.76	50.33	31.98	63.54	18.35	36.46
21.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	562.63	0.00	562.63	273.07	48.53	289.56	51.47

क्रम सं0	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	उपयोग की प्रतिशतता	बचत	बचत की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	31- संसदीय कार्य विभाग	12.96	2.58	15.54	5.26	33.85	10.28	66.15
23.	32- विधानमंडल	242.64	2.43	245.07	194.73	79.46	50.34	20.54
24.	33- सामान्य प्रषासन विभाग	784.96	8.28	793.24	567.85	71.59	225.39	28.41
25.	35- योजना एवं विकास विभाग	2,198.40	332.47	2,530.87	1,899.21	75.04	631.66	24.96
26.	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2,970.26	880.00	3,850.26	2,661.81	69.13	1,188.45	30.87
27.	37- ग्रामीण कार्य विभाग	9,424.13	1,407.84	10,831.97	5,990.09	55.30	4,841.88	44.70
28.	38- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	280.23	14.15	294.38	213.96	72.68	80.42	27.32
29.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	3,322.07	2,473.67	5,795.74	3,895.42	67.21	1,900.32	32.79
30.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1,261.73	47.12	1,308.85	790.64	60.41	518.21	39.59
31.	41- पथ निर्माण विभाग	5,803.61	1,320.48	7,124.09	5,625.87	78.97	1,498.22	21.03
32.	42- ग्रामीण विकास विभाग	16,835.67	6,386.12	23,221.79	14,015.02	60.35	9,206.77	39.65
33.	43 - विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	422.51	61.00	483.51	372.33	77.01	111.18	22.99
34.	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,803.28	119.92	1,923.20	1,456.48	75.73	466.72	24.27
35.	45- गन्ना उद्योग विभाग	115.95	1.15	117.10	37.39	31.93	79.71	68.07
36.	46- पर्यटन विभाग	277.52	12.84	290.36	92.19	31.75	198.17	68.25
37.	47-परिवहन विभाग	406.41	14.63	421.04	196.73	46.72	224.31	53.28
38.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	7,767.13	3,814.49	11,581.62	6,941.42	59.93	4,640.20	40.07
39.	49. जल संसाधन विभाग	4,074.38	1,735.00	5,809.38	4,296.12	73.95	1,513.26	26.05
40.	50- लघु जल संसाधन विभाग	1,009.91	0.22	1,010.13	466.41	46.17	543.72	53.83
योग		**1,51,621.67**	**39,804.65**	**1,91,426.32**	**1,26,092.70**	**65.87**	**65,333.62**	**34.13**

(स्रोतः वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.8

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

2017–18 से 2021–22 के दौरान सतत् बचत (₹ 100 करोड़ और उससे अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	बचत की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठक में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1- कृषि विभाग	1,150.72 *(41.01)*	1,436.00 *(44.06)*	1,319.44 *(38.00)*	1,825.93 *(54.92)*	2,104.72 *(55.35)*
2.	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	148.73 *(19.90)*	248.04 *(26.51)*	336.30 *(29.88)*	*606.95 (48.75)*	984.39 *(60.60)*
3.	3- भवन निर्माण विभाग	102.59 *(16.63)*	192.56 *(24.81)*	433.89 *(52.13)*	449.95 *(52.00)*	135.78 *(16.20)*
4.	9- सहकारिता विभाग	138.21 *(14.67)*	843.17 *(46.26)*	1,155.32 *(66.35)*	478.56 *(34.85)*	526.97 *(39.52)*
5.	11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	285.23 (19.11)	342.72 (22.04)	174.41 *(10.99)*	1,287.78 *(75.73)*	101.15 *(3.43)*
6.	12- वित्त विभाग	119.66 *(44.64)*	104.75 *(34.86)*	125.45 *(40.21)*	147.18 *(44.43)*	179.97 *(45.25)*
7.	15- पेंशन	5,570.01 *(28.04)*	650.32 *(3.90)*	1,402.03 *(7.57)*	788.67 *(3.86)*	1,518.42 *(6.96)*
8.	16- पंचायती राज विभाग	607.76 *(6.64)*	1,836.67 *(17.93)*	4,686.73 *(35.04)*	4,361.83 *(34.62)*	5,167.61 *(39.07)*
9.	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,208.16 *(49.93)*	255.11 *(18.68)*	653.10 *(48.20)*	1,508.83 *(67.45)*	513.28 *(36.82)*
10.	20- स्वास्थ्य विभाग	1,427.99 *(19.99)*	1,877.89 *(22.84)*	2,322.97 *(25.02)*	2,893.91 *(25.35)*	3,792.29 *(25.91)*
11.	21- शिक्षा विभाग	7,703.21 *(24.50)*	9,957.93 *(26.96)*	11,102.36 *(29.96)*	10,726.33 *(28.89)*	12,541.68 *(27.32)*
12.	22- गृह विभाग	866.99 *(11.77)*	724.29 *(8.10)*	2,033.64 *(18.44)*	2,284.89 *(19.43)*	3,305.70 *(24.64)*
13.	26- श्रम संसाधन विभाग	102.51 *(22.49)*	175.23 *(24.13)*	208.91 *(24.51)*	422.03 *(49.06)*	212.37 *(26.52)*
14.	27- विधि विभाग	204.74 *(25.14)*	153.84 *(16.66)*	228.92 *(22.96)*	140.62 *(14.80)*	245.54 *(22.45)*
15.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	209.43 *(70.29)*	101.65 *(50.90)*	134.09 *(60.21)*	127.03 *(38.26)*	100.99 *(37.04)*
16.	33- सामान्य प्रषासन विभाग	166.51 (30.27)	221.94 (30.75)	226.36 *(30.08)*	233.61 *(29.42)*	224.00 *(28.51)*
17.	35- योजना एवं विकास विभाग	1,030.36 *(74.05)*	156.02 *(25.78)*	596.72 *(68.54)*	329.57 *(40.44)*	331.48 *(38.38)*
18.	37- ग्रामीण कार्य विभाग	228.19 *(14.39)*	198.87 *(16.53)*	545.26 *(24.66)*	317.17 *(14.32)*	121.79 *(5.17)*
19.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	1,362.71 *(34.39)*	3,176.72 *(65.92)*	3,730.70 *(50.74)*	2,617.04 *(27.96)*	1,899.82 *(32.78)*
20.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	306.85 *(35.34)*	238.51 *(30.14)*	369.32 *(39.67)*	694.80 *(51.00)*	451.08 *(36.46)*

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	बचत की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठक में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
21.	41- पथ निर्माण विभाग	476.18 *(35.81)*	487.94 *(34.41)*	1,214.66 *(58.70)*	720.00 *(29.26)*	424.89 *(21.31)*
22.	42- ग्रामीण विकास विभाग	5,166.39 *(49.82)*	6,175.24 *(32.58)*	8,870.62 *(47.79)*	8,531.88 *(47.85)*	9,176.10 *(39.60)*
23.	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	390.28 *(27.75)*	441.72 *(30.16)*	474.37 *(29.73)*	453.07 *(26.29)*	462.72 *(24.11)*
24.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	1,811.89 *(35.89)*	2,064.28 *(38.50)*	3,250.51 *(52.13)*	3,752.81 *(40.17)*	4,147.78 *(41.35)*
25.	51- समाज कल्याण विभाग	2,142.20 *(26.02)*	3,243.44 *(33.97)*	2,265.40 *(23.52)*	2,175.85 *(19.83)*	2,225.73 *(19.84)*
योग		**32,927.50 *(27.31)***	**35,304.85 *(25.62)***	**47,861.48 *(31.49)***	**47,876.29 *(29.30)***	***50,896.25 (27.83)***
पूँजीगत (दत्तमत)						
26.	3- भवन निर्माण विभाग	2,348.80 *(52.93)*	1,018.64 *(27.76)*	3,771.12 *(73.14)*	3,380.78 *(74.51)*	2,387.04 *(44.09)*
27.	9- सहकारिता विभाग	118.13 (45.98)	230.27 (21.97)	554.00 (98.70)	135.77 *(43.57)*	162.56 *(69.82)*
28.	10- ऊर्जा विभाग	130.74 *(1.79)*	623.36 *(10.72)*	*1,454.24 (31.80)*	906.01 *(39.83)*	509.80 *(25.28)*
29.	20- स्वास्थ्य विभाग	619.16 *(52.87)*	481.38 *(29.80)*	1,259.58 *(59.65)*	1,162.53 *(64.29)*	2,293.17 *(72.60)*
30.	21- शिक्षा विभाग	448.65 *(26.99)*	123.88 *(22.63)*	1,038.31 *(89.21)*	1,058.58 *(71.98)*	336.05 *(31.56)*
31.	35- योजना एवं विकास विभाग	587.58 (40.10)	380.40 (20.46)	586.96 (34.82)	644.06 *(46.68)*	300.18 *(18.00)*
32.	37- ग्रामीण कार्य विभाग	3,302.51 *(34.05)*	7354.68 *(71.36)*	7,973.69 *(80.89)*	6,122.07 *(64.96)*	4,720.09 *(55.69)*
33.	41- पथ निर्माण विभाग	372.09 *(6.26)*	192.24 *(3.34)*	3,614.83 *(65.29)*	3,211.71 *(50.06)*	1,073.33 *(20.92)*
34.	49- जल संसाधन विभाग	1,405.44 *(35.54)*	179.43 *(5.89)*	3,553.85 *(78.83)*	2,077.14 *(51.50)*	1,367.56 *(28.94)*
योग		**9,333.10 *(26.02)***	**10,584.28 *(31.45)***	**23,806.58 *(67.72)***	***18,698.65 (59.07)***	***13,149.78 (41.24)***
महायोग		**42,260.60 *(27.01)***	**45,889.13 *(26.77)***	**71,668.06 *(38.30)***	**66,574.94 (34.13)**	**64,046.03 (29.82)**

(स्रोतः वर्ष 2017–18 से 2021–22 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.9

(संदर्भः कंडिका 3.3.4)

2021–22 में ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक निधि के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र म सं0	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
1.	1- कृषि विभाग	3,335.47	740.91	4,076.38	1,927.93	2,148.45	642.65
2.	9- सहकारिता विभाग	1,534.09	32.22	1,566.31	876.78	689.53	501.17
3.	10- ऊर्जा विभाग	8,560.00	2,504.19	11,064.19	10,506.46	557.73	504.48
4.	16- पंचायती राज विभाग	9,544.93	4,000.94	13,545.87	8,178.84	5,367.03	3,519.56
5.	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,036.10	507.97	1,544.07	914.88	629.19	325.00
6.	22- गृह विभाग	13,973.26	1,021.83	14,995.09	10,802.46	4,192.63	130.19
7.	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2,970.26	880.00	3,850.26	2,661.81	1,188.45	380.00
8.	37- ग्रामीण कार्य विभाग	9,424.13	1,407.84	10,831.97	5,990.09	4,841.88	400.00
9.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	3,322.07	2,473.67	5,795.74	3,895.42	1,900.32	152.07
10.	41- पथ निर्माण विभाग	5,803.61	1,320.48	7,124.09	5,625.87	1,498.22	410.60
11.	42- ग्रामीण विकास विभाग	16,835.67	6,386.12	23,221.79	14,015.02	9,206.77	680.00
12.	49. जल संसाधन विभाग	4,074.38	1,735.00	5,809.38	4,296.12	1,513.26	250.00
13.	51- समाज कल्याण विभाग	8,159.15	3,081.09	11,240.24	8,995.84	2,244.40	1,524.21
	कुल	**88,573.12**	**26,092.26**	**1,14,665.38**	**78,687.52**	**35,977.86**	**9,419.93**

(स्रोतः वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.10

(संदर्भः कंडिका 3.4.1)

अनुदान/विनियोजन का शत् प्रतिशत अनुपयोगी (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक) रहना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
1	2	3	4
1.	01	2401-00-119-0225-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना	108.93
2.		2401-00-119-0325-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना	67.83
3.	02	2403-00-101-0108-पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2	166.00
4.		2403-00-789-0112-पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2	32.00
5.		2405-00-789-0102-मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2	28.44
6.	03	4202-02-104-0111- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन–सात निश्चय–2	117.00
7.		4202-02-789-0102- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन–सात निश्चय–2	35.00
8.		4235-02-104-0102-वृद्धाश्रम–सात निश्चय–2	50.00
9.		4408-02-101-0101-लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न का भंडारण हेतू गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम	50.00
10.		4408-02-101-0102-खाद्यान भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड संपोषित)	135.00
11.	09	4425-00-108-0166-सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	37.50
12.		4425-00-108-0465-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	49.52
13.	10	4801-05-190-0208-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) (राज्य घटक)–एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए	489.93
14.	12	2054-00-098-0001-स्थानीय निधि अंकेक्षण	32.27
15.	16	2515-00-198-0115-स्वच्छ गाँव–निश्चय–2 कार्यक्रम	124.50
16.	18	2408-01-101-0201-एन0एफ0एस0ए0 के अंतर्गत खाद्यान्नों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	300.00
17.	19	2406-04-103-0104-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	55.06
18.	20	2210-01-103-0301-प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0वाई0) फेज–5(बी) अंर्तगत आई0जी0आई0एम0एस0 का उन्नयन	73.06
19.		2210-01-200-0111-एम्बुलेंस सेवा परिचालन	25.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
1	2	3	4
20.	20	2210-03-103-0103-स्वास्थ्य केंद्रों का जिर्णोद्धार–सात निश्चय–2	100.00
21.		2210-03-796-0202-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	30.00
22.		2235-60-110-0204-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	45.00
23.		4210-01-110-0112-मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ई0ए0पी0)	25.00
24.		4210-02-103-0102-स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार –सात निश्चय–2	190.00
25.		4210-03-105-0110-मेडिकल कॉलेज (बाहरी सहायता प्राप्त योजना)	25.00
26.	21	2202-02-052-0103-उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम	99.47
27.		2202-02-110-0007-गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	616.61
28.		2202-04-200-0204-राष्ट्रीय शिक्षा मिशन–साक्षर भारत	36.71
29.		2202-04-789-0202-अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	30.00
30.		4202-01-201-0106-जल–जीवन–हरियाली	50.00
31.	26	2230-03-003-0234-स्किल सट्रैथनिंग फॉर इंडस्ट्रीयल वैल्यु एन्हान्समेन्ट (एस0टी0आर0आई0वी0ई0)	50.00
32.	35	4070-00-051-0210-सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी0ए0डी0पी0)	51.09
33.	36	4215-01-102-0134-ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण –सात निश्चय–2	390.00
34.	37	4515-00-103-0120-अतिरिक्त संपर्कता–सात निश्चय–2	200.00
35.	40	3454-01-101-0403-जनगणना, 2021	37.47
36.	42	2215-02-105-0104-लोहिया स्वच्छता योजना–2 सात निश्चय–2	50.00
37.		2215-02-105-0202-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	480.00
38.		2216-03-796-0202-इंदिरा आवास योजना	40.00
39.		2515-00-102-0218-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	127.66
40.	44	2225-01-102-0216-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0वाई0)	40.00
41.		2225-02-796-0125-थरूहट क्षेत्र विकास	35.62
42.	48	2015-00-109-0001-नगर निगमों, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों का चुनाव	25.00
43.		2215-02-105-0101- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2	49.00
44.		2215-02-789-0103-स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम–सात निश्चय–2	43.00
45.		2215-02-789-0104- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन–सात निश्चय–2	183.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
1	2	3	4
46.	48	2217-01-051-0102-मोक्ष धाम का निर्माण–सात निश्चय–2	40.00
47.		2217-01-789-0205-सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	48.00
48.		2217-03-051-0102-मोक्ष धाम का निर्माण–सात निश्चय–2	85.00
49.		2217-03-051-0201-स्वच्छ भारत अभियान	190.10
50.		2217-03-051-0301-स्वच्छ भारत अभियान	100.00
51.		3475-00-108-0202-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	41.25
52.		3475-00-789-0202-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	32.00
53.	49	4700-80-051-0310-उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (नाबार्ड एल0टी0आई0एफ0)	50.00
54.	51	2235-02-104-0111-वृद्धाश्रम के संचालन–सात निश्चय–2	40.00
		कुल	**5,653.04**

(स्रोतः वर्ष 2021–22 के विस्तृत विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.11

(संदर्भः कंडिका 3.4.4)

मार्च 2022 माह में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	वर्ष 2021–22 के दौरान कुल व्यय	माह मार्च 2022 में हुआ व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशत	
								जनवरी – मार्च 2022	मार्च 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. कृषि विभाग	108.57	454.88	359.25	1,005.24	1,927.94	512.77	52.14	26.60
2.	4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	56.63	39.83	87.91	253.38	437.75	227.78	57.88	52.03
3.	6. निर्वाचन विभाग	37.01	38.25	67.97	165.90	309.14	77.20	53.66	24.97
4.	9. सहकारिता विभाग	142.50	164.50	124.55	445.24	876.79	212.10	50.78	24.19
5.	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	5.14	1.92	887.95	1,957.93	2,852.95	326.33	68.63	11.44
6.	13. सूद भुगतान	1,663.59	2,820.54	2,236.79	7,101.01	13,821.93	4,150.85	51.37	30.03
7.	16. पंचायती राज विभाग	917.16	1,367.24	1,156.30	4,738.15	8,178.85	3,825.49	57.93	46.77
8.	23. उद्योग विभाग	222.73	172.34	250.96	914.77	1,560.80	412.34	58.61	26.42
9.	25. सूचना प्रावैधिकी विभाग	6.62	39.06	16.60	73.67	135.96	26.58	54.19	19.55
10.	26. श्रम संसाधन विभाग	45.34	54.90	67.65	580.67	748.57	536.35	77.57	71.65
11.	31. संसदीय कार्य विभाग	0.58	0.46	0.54	3.67	5.25	3.31	69.92	62.92
12.	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	207.36	570.41	481.00	1,403.03	2,661.81	767.80	52.71	28.85
13.	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	92.22	69.27	226.17	1,068.82	1,456.48	706.82	73.38	48.53
14.	45. गन्ना उद्योग विभाग	3.29	3.35	4.07	26.68	37.39	21.68	71.35	57.99
15.	46. पर्यटन विभाग	1.32	10.54	28.59	51.73	92.18	40.57	56.12	44.01
16.	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	531.72	243.95	1,608.05	4,557.72	6,941.43	2,222.23	65.66	32.01
कुल		**4,041.80**	**6,051.44**	**7,604.35**	**24,347.61**	**42,045.20**	**14,070.20**	**57.91**	**33.46**

(स्रोतः वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट–3.12

(संदर्भः कंडिका 3.4.4)

शत् प्रतिशत व्यय मार्च 2022 में (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक) किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मार्च में 100 प्रतिशत व्यय
1	2	3	4
1.	01	2401-00-119-0224-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	7.97
2.		2401-00-119-0324-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	5.31
3.		2401-00-789-0235-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1.54
4.		2401-00-789-0335-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1.02
5.		2402-00-102-0213-एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0)	12.71
6.		2402-00-102-0313-एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0)	8.57
7.		2402-00-789-0202-एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0)	2.67
8.		2402-00-789-0302-एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0)	1.78
9.		2435-60-101-0101-कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	4.15
10.	02	2403-00-109-0108-बिहार कौशल विकास मिशन	1.66
11.		2403-00-789-0110-सुअरों का विकास	1.97
12.		2404-00-191-0201-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई)(ए0सी0ए0)	3.73
13.		2404-00-191-0301-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई)(ए0सी0ए0)	2.48
14.		2404-00-789-0203-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई)(ए0सी0ए0)	1.97
15.		2404-00-789-0303-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई)(ए0सी0ए0)	1.31
16.		2405-00-101-0117-मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2	1.97
17.	03	2059-80-053-0010-मरम्मत– राज भवन के लिए	1.77
18.		2216-01-053-0004-मुख्यमंत्री आवास सं0–1, अणे मार्ग, पटना में साज–सामान एवं पैनलिंग आदि की मरम्मती	3.90
19.	10	2801-05-190-0001-नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत समानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्त्ति)	100.00
20.		6801-00-201-0105-बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड)	14.00
21.	12	5475-00-800-0101-क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान–निवेश	50.00
22.	13	2049-03-104-0001-साधारण भविष्य निधि पर ब्याज	698.00
23.		2049-03-104-0002-आइ0ए0एस0 भविष्य निधि पर ब्याज	17.50
24.		2049-03-108-0001-बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज	430.00
25.	14	6003-00-101-M0066- 8.99 प्रतिशत बिहार सरकार स्टॉक, 2022	500.00
26.		6003-00-101-M0067- 9.03 प्रतिशत बिहार सरकार स्टॉक, 2023	500.00
27.		6003-00-106-0004- "उदय" स्कीम के अन्तर्गत बिहार स्पेशल बॉण्ड	155.45
28.	15	2071-01-106-0001- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय अंशदान–प्रभृत	4.53
29.	18	4408-02-101-0103-खाद्य भंडारण गोदामों का निर्माण	12.68
30.	19	2406-02-110-0224-बाघ परियोजना	4.14
31.		2406-02-110-0324-बाघ परियोजना	3.85
32.	20	2210-01-110-0127-ममता कार्यकर्ता	61.81
33.		2210-02-200-0103-प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पतालों एवं औषधालय का विकास	24.73
34.		2210-02-200-0202- औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	16.86
35.		2210-02-200-0302-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	13.68
36.		2210-05-200-0002-राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	1.45
37.		4210-01-110-0320-प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी0एम0एस0वाई0)	30.00

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मार्च में 100 प्रतिशत व्यय
1	2	3	4
38.	20	4210-02-103-0101-रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	4.80
39.		4210-02-110-0101-आयुष महाविद्यालय, चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरी	25.00
40.	21	2202-03-102-0028-आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय	5.98
41.		2202-03-104-0004-ग्रामिण महाविद्यालय (बरौली सोसाइटी)	1.11
42.		2202-03-113-0101-बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	4.00
43.		2202-80-004-0011-ललित नारायण मिश्र इंस्टिच्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेज	1.63
44.		4202-01-202-0115-जल–जीवन–हरियाली	2.11
45.	22	2055-00-115-0303-पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	25.76
46.		2055-00-115-0404-निर्भया (नेशनल वाईड इमरजेंसी रिस्पान्स सिस्टम)	3.06
47.		2056-00-101-0104-कारा प्रशासन का आधुनिकीकरण केन्द्रीय/मंडल/उपकारा	2.63
48.	26	2230-03-003-0109-मशीनों का आधुनिकीकरण	102.25
49.		2230-03-003-0130-बिहार कौशल विकास मिशन–सात निश्चय–2	129.30
50.		2230-03-789-0102-बिहार कौशल विकास मिशन–सात निश्चय–2	100.26
51.		2230-03-796-0122-बिहार कौशल विकास मिशन–सात निश्चय–2	5.44
52.		4202-02-104-0110-मशीनों का आधुनिकीकरण–सात निश्चय–2	160.00
53.	30	2225-04-277-0101-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति	4.82
54.	31	2011-02-102-0201-नेशनल ई विधान एप्लिकेशन (एन0ई0बी0)	1.97
55.		2011-02-102-0301-नेशनल ई विधान एप्लिकेशन (एन0ई0बी0)	1.31
56.	37	4515-00-103-0216-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)	75.00
57.		4515-00-103-0316-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)	50.00
58.	38	2039-00-001-0109-समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली	2.00
59.	40	4047-00-789-0106-गृह विहीन परिवारा के लिए रैयती भूमि का क्रय	3.38
60.	41	3054-80-797-0101-केन्द्रीय सड़क निधि राशि का अंतरण	447.06
61.	42	2215-02-105-0302-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	60.00
62.		2215-02-789-0204-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	28.68
63.		2215-02-789-0304-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	19.12
64.		2215-02-796-0206-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	1.79
65.		2215-02-796-0306-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	1.19
66.		2216-03-105-0107-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	4.00
67.		2216-03-789-0105-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	12.00
68.		2216-03-789-0202-इंदिरा आवास योजना	995.42
69.		2216-03-789-0302-इंदिरा आवास योजना	663.61
70.		2216-03-796-0104-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	4.00
71.		2501-01-001-0104-बिजनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंग	2.27
72.	44	2225-01-190-0001-बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, पटना	5.15
73.		2225-02-102-0201-अनुसचित जनजातियों का बहुमुखी विकास–संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त	6.42
74.		2225-02-102-0202-अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	5.83
75.		2225-02-197-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा	8.06
76.	48	2215-01-191-0101-पेय जलापूर्त्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	17.50
77.		2215-01-192-0101-पेय जलापूर्त्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	8.79
78.		2217-01-191-0124-विशेष स्वच्छता अनुदान	22.47
79.		2217-03-192-0114-विशेष स्वच्छता अनुदान	19.99
80.		2217-03-193-0113-विशेष स्वच्छता अनुदान	14.27
81.		2217-80-191-0016-पेशाकर के आलोक में अनुदान	20.07

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मार्च में 100 प्रतिशत व्यय
1	**2**	**3**	**4**
82.	48	2217-80-192-0009-पेशाकर के आलोक में अनुदान	8.51
83.		2217-80-193-0008-पेशाकर के आलोक में अनुदान	2.90
84.	49	2700-04-101-0002-बाण सागर जलाशय के रखरखाव व्यय में बिहार राज्य की हिस्सेदारी	5.00
85.		2700-80-190-0001-जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थानो को सहायक अनुदान	3.91
86.		4711-01-799-0101-विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	1.78
87.	50	2702-02-016-0101-बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	13.28
88.		2702-02-789-0101-बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	2.56
89.	51	2235-02-103-0110-नारी शक्ति योजना	24.05
90.		2235-02-789-0108-मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	18.20
		योग	**5,864.85**

(स्रोतः वर्ष 2021–22 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट–3.13

(संदर्भः कंडिका 3.4.5)

गैर–आकस्मिक खर्च के लिए आकस्मिक निधि से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	7	2070	निगरानी विभाग	प्रशासनिक पद श्रेणी समिति द्वारा अनुमोदित 03 वाहनों का क्रय करना।	0.34
2.	9	2425	सहकारिता विभाग	निबंधक, सहकारिता समिति, बिहार, पटना को विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु वाहन का क्रय किया जाना।	0.18
3.		3451		मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार के उपयोग के लिए नई कार खरीदने हेतु।	0.25
4.		3451		सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार के लिए एक नई कार खरीदने के लिए।	0.18
5.	19	2406	पर्यावरण एवं वन विभाग	कस्टोडियन, पटना सर्किल, पटना के क्षेत्र भ्रमण एवं निरीक्षण हेतु निरस्त वाहन (वाहन संख्या BR01AP9382) के स्थान पर नया वाहन क्रय करना।	0.18
6.		3451		अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत किराये पर गाड़ी के बिलों के भुगतान के लिए।	0.30
7.	21	2205	शिक्षा विभाग	गांधी स्मृति संग्रहालय, पटना के जीर्णोद्धार, सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु राशि।	3.00
8.	23	2852	उद्योग विभाग	कार्यालय उपयोग के लिए एक नई कार खरीदने के लिए।	0.18
9.		3451		मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के उपयोग हेतु एक इनोवा कार खरीदने हेतु।	0.44
10.		2851		महिला चरखा समिति, कदम कुआं, पटना की सामूहिक निधि सृजित करना।	2.00
11.		2851		उत्पादन–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, महिला चरखा समिति, कदम कुआं, पटना के भवन निर्माण हेतु।	6.72
12.	28	2014	उच्च न्यायालय, बिहार	उच्च न्यायालय, पटना में स्थानांतरित एवं पदोन्नत न्यायाधीशों के लिए एक नया वाहन खरीदने के लिए।	2.31
13.	29	2853	खान एवं भूतत्व विभाग	मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार हेतु नया वाहन क्रय करने के लिए।	0.22
14.		2853		प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के लिए नये वाहन का क्रय किया जाना।	0.20
15.	32	2011	विधानमंडल	बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचेतज्ञ हेतू छः वाहनों का क्रय किया जाना।	1.13

क्रम सं0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	उद्देश्य	राशि
1	2	3	4	5	6
16.	40	2052	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	मंत्री, राजस्व और भूमि के कार्यालय उपयोग के लिए एक नई कार का क्रय किया जाना।	0.25
17.	42	2216	ग्रामीण विकास विभाग	प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण हेतु अनुदान संख्या 42 के अंतर्गत राज्य मद में स्वीकृति।	640.42
18.		2505		मनरेगा योजना निर्माण हेतु अनुदान संख्या 42 के अन्तर्गत राज्य मद में स्वीकृति।	533.51
19.	43	3451	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को कार्यालय उपयोग हेतु नया वाहन का क्रय किया जाना।	0.25
20.	44	2225	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	अनुसूचित जाति आवासीय अनुरक्षण मद में वेतन एवं अन्य मदों के लिए अग्रिम।	0.60
21.	49	4700	जल संसाधन विभाग	गया जल निकासी योजना के माध्यम से नाबार्ड में अतिरिक्त राशि	366.35
कुल					**1,559.01**

(स्रोतः वित्त विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

परिशिष्ट–3.14

(संदर्भः कंडिका 3.6.1.2)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी0आर0आर0) योजनाओं पर अल्पव्यय

(₹ लाख में)

क्रम सं0	योजना	कुल प्रावधान	मार्च 2022 तक व्ययित राशि
1	पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना	200.00	0.00
2	बाढ़ प्रवण जिलों में मोटरबोट आदि का क्रय	250.00	0.00
3	संचार उपकरणों क्रय एवं रखरखाव	100.00	0.00
4	आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना (इ०ओ०सी०)	150.00	0.00
5	वेयरहाउस निर्माण	50.00	0.00
6	आपदा न्यूनीकरण हेतु स्टेक होल्डर के जागरूकता क्षमता का निर्माण	100.00	0.00
7	जागरूकता निर्माण	150.00	25.00
8	बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप का कार्यान्वयन	1.00	0.00
9	राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सुदृढीकरण	108.99	54.59
10	आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेनडई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन	18.00	0.00
11	सर्वाधिक बाढ़ प्रवण 30 जिलों में समुदाय स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण (आपदा मित्र)	0.01	0.00
12	आपातकालीन संचालन केंद्र का क्षमता निर्माण	3.11	0.41
कुल		**1,131.11**	**80.00**

परिशिष्ट–3.15

(संदर्भः कंडिका 3.6.2.3)

राज्य योजना और नाबार्ड ऋण के तहत पिछले पाँच वर्षों में चल रही परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रमंडल	कार्य का नाम	शीर्ष / उपशीर्ष	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की संशोधित तिथि	जून 2022 तक किया गया व्यय (करोड़ में)
1	आरा	बिहार राज्य में ईपीसी मोड पर रोहतास जिले में सिंचाई नहर के किनारे आर.ओ.बी / पुलों सहित मिट्टी कार्य के साथ 2 लेन सासाराम बाईपास सड़क (बेदा से मोरकर –0.00 से 9.00 किलोमीटर) का निर्माण कार्य।	योजना	07-09-20	06-09-22	06-12-22	18.95
2	पटना–1	बिहार राज्य में सोनपुर के निकट दीघा घाट पर गंगा नदी के दोनों ओर रेल–सह–सड़क पुल के सम्पर्क मार्ग का निर्माण (चरण–II)	योजना	16-02-18	15-02-20	30-06-22	262.64
3	सारण कार्य	सिवान जिले में एन.एच. –85 के छोड़े गए हिस्से परिसदन (सिवान) के पास मुख्य सड़क में यूटिलिटि शिफ्टींग और संरक्षण कार्य के साथ एचएल आरसीसी पुल का निर्माण।	योजना	19-09-20	18-03-22		2.07
4	कटिहार	पूर्णिया जिले में फोर्ड कंपनी से गुलाबबाग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग–31 के तीसरे किमी में आरसीसी एचएल पुल (1X14 मीटर + 4X24 मीटर + 1X14 मीटर) का निर्माण।	योजना	01-06-21	31-08-22		3.36
5	पटना–1	पटना जिले में रेलवे पुल के पूर्व की ओर पुनपुन नदी के दोनो ओर पुनपुन घाट पर केबल सस्पेंशन ब्रिज (लक्ष्मण झूला) का निर्माण कार्य	योजना	31-08-19	02-03-21	31-03-22	12.83
6	पटना–1	पटना जिले के कहगुरी–खौरत सड़क में नशोपुर (नौबतपुर ब्लॉक) पोआवन घाट (मसौढ़ी ब्लॉक) के बीच पुनपुन नदी पर एचएल आरसीसी ब्रिज (6X18.00 मीटर) का निर्माण।	योजना	14-08-19	13-02-21	13-02-21	6.21
7	पटना–1	पटना जिले के पाली ब्लॉक के अंतर्गत पाली–उलार–मसौढ़ी सड़क के 12वें किमी में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर एच.एल.आर.सी.सी. पुल (6X18.00 मीटर) का निर्माण	योजना	06-03-19	05-03-21	05-03-21	7.50

क्रम सं0	प्रमंडल	कार्य का नाम	शीर्ष / उपशीर्ष	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की संशोधित तिथि	जून 2022 तक किया गया व्यय (करोड़ में)
8	पटना–1	एनएच–83 पोठही एवं पटना गया रेलवे लाइन क्रास के 20 किमी के पार शाहवाजपुर (प्रखंड पुनपुन) एवं चक्कन बिगहा (प्रखंड नौबतपुर) के बिच मुसनापेर से मसौढ़ी–नौबतपुर तक पुनपुन नदी पर सम्पर्क मार्ग, भुमि अधिग्रहण के साथ संरक्षण कार्य सहित एच.एल.आर.सी,सी. पुल का निर्माण (6X18 मीटर)।	योजना	05-03-19	04-03-21	04-03-21	5.85
9	पटना–1	(ख) एच.एल.आर.सी.सी. पुल की तीन स्पैन में से एक स्पैन के शेष कार्य का निर्माण।	नाबार्ड	13-08-21	30-06-22		1.74
10	चंपारण (मोतिहारी)	भारत–नेपाल सीमा के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले में 5.819 किमी इनरवा बाजार के पास 2X30.00 मीटर एच.एल. आर.सी.सी. पुल का निर्माण।	नाबार्ड	05-07-18	04-08-19		4.52
11	भागलपुर	वर्ष 2017–22 के दौरान नौगछिया और ढोलबज्जा के बीच कोशी नदी के विजय घाट पर पोंटून पुल के 28 सेट मॉड्यूल की पुनः स्थापना, मरम्मत और रखरखाव कार्य।	योजना	18-02-18	17-02-23		3.47
12	गया	जहानाबाद जिले में (1) चारदीवारी निर्माण (2) सड़क विकास (3) जल निकासी (4) इलेक्ट्रिक लाइट– हाई मास्क/रोड लाइट (5) प्रवेश द्वार और गार्ड रूम (6) कृषि बाजार समिति का शौचालय ब्लॉक का निर्माण कार्य।	योजना	01-09-20	28-02-21		6.25
13	गया	औरंगाबाद जिले में (1) चारदीवारी निर्माण (2) सड़क विकास (3) जल निकासी (4) इलेक्ट्रिक लाइट– हाई मास्क/रोड लाइट (5) प्रशासनिक भवन की मरम्मत यदि कोई हो (6) कृषि बाजार समिति दाउदनगर का शौचालय ब्लॉक का निर्माण कार्य।	योजना	04-09-20	03-03-21	31-03-22	11.15
14	गया	गया जिले में (1) चारदीवारी निर्माण (2) सड़क विकास (3) जल निकासी (4) इलेक्ट्रिक लाइट– हाई मास्क/रोड लाइट (5) प्रषासनिक भवन की मरम्मत, यदि कोई हो (6) कृषि बाजार समिति का शौचालय ब्लॉक का निर्माण कार्य।	योजना	14-09-20	13-03-21	31-03-22	9.76
15	गया	औरंगाबाद जिले में बारुन–नवीनगर सड़क के चैनेज 0.00 किलोमीटर से 35.10 किलोमीटर (कुल लंबाई–35.10 किलोमीटर) तक सुदृढ़ीकरण हेतु मिट्टी कार्य, सड़क क्रस्ट वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, आर.सी.सी. कार्य	योजना	10-06-20	09-06-21	31-05-22	33.61

क्रम सं0	प्रमंडल	कार्य का नाम	शीर्ष / उपशीर्ष	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की संशोधित तिथि	जून 2022 तक किया गया व्यय (करोड़ में)
16	नालंदा	नवादा जिला में रजौली ब्लॉक के अंतर्गत धनरजय नदी के दोनो ओर रजौली बाजार को एनएच 31 से जोड़ने वाले ओल्ड स्क्रू पाइल पुल के स्थान पर 8X18 मीटर एच.एल. आर.सी.सी. पुल का निर्माण कार्य।	योजना	30-10-19	29-04-21		8.39
17	नालंदा	बिहारशरीफ, चरण–1 के तहत (1) चारदीवारी निर्माण (2) सड़क विकास (3) जल निकासी (4) इलेक्ट्रिक लाइट– हाई मास्ट/रोड/स्ट्रीट लाइट (5) मौजूदा भवन की मरम्मत, यदि कोई हो (6) प्रवेश द्वार और गार्ड रूम (7) बाजार कृषि समिति का शौचालय ब्लॉक का निर्माण कार्य।	योजना	24-02-20	23-08-20		6.11
18	गया	जहानाबाद जिले में पाई बिगहा–घेजन सड़क में मोरहर नदी पर सम्पर्क मार्ग के साथ एच.एल. आर.सी.सी पुल का निर्माण।	योजना	20-09-20	19-12-21		3.28
19	गया	जहानाबाद जिले में पुराने पुल के स्थान पर एनएच–83 पर अस्पताल मोड़ और होरिलगंज के बीच दरधा नदी पर एच.एल.आर.सी.सी पुल का निर्माण।	योजना	07-01-20	06-07-21	31-03-22	6.74
20	एक्सटर्नल डिवीजन–2 (किशनगंज)	किशनगंज जिले में बहादुरगंज–टेढ़ागाछ सड़क के 21वें किमी में सम्पर्क मार्ग, संरक्षण कार्य, भूमि अधिग्रहण कार्य और विविध कार्य सहित 4X16.00 मीटर एचएल आर.सी.सी पुल का निर्माण।	योजना	19-09-20	18-12-21		3.55
21	गया	औरंगाबाद जिले में तेतरिया मोड़ से कोइरीडीह सड़क के 7वें किमी में सम्पर्क मार्ग के साथ एच.एल.आर.सी.सी पुल का निर्माण।	योजना	27-02-20	26-08-21	30-04-22	4.85
22	गया	औरंगाबाद जिले के रफीगंज ब्लॉक में मामका मोड़ से जाखिम रेलवे स्टेषन सड़क में सम्पर्क मार्ग के साथ एच.एल.आर.सी.सी पुल का निर्माण।	योजना	27-04-20	26-10-21	30-06-22	4.97
23	एक्सटर्नल डिवीजन–2 (किशनगंज)	किशनगंज जिले में मस्तान चौक–बागलबाड़ी–रहमतपाड़ा–अल्ता–बरबत्ता सड़क के 15वें किमी में कोचाधामन ब्लॉक के अंतर्गत कंकई नदी पर 5X16.00 एच.एल.आर.सी.सी. पुल का निर्माण।	योजना	06-10-18	05-04-20		9.29
24	गया	गया जिले में पाई बिगहा बाजार से बालाबिगहा गांव के बीच दरधा नदी पर संपर्क मार्ग सहित एच.एल.आर.सी.सी. पुल (10X18.00 मीटर) का निर्माण।	योजना	17-09-20	16-09-22		.81

क्रम सं0	प्रमंडल	कार्य का नाम	शीर्ष / उपशीर्ष	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की संशोधित तिथि	जून 2022 तक किया गया व्यय (करोड़ में)
25	आरा	कैमूर (भभुआ) जिले में सुअरा नदी पर भभुआ अधौरा सड़क (ताला गांव में) के 40वें किमी में उच्च स्तरीय आरसीसी पुल (4X18.0 मीटर) का निर्माण।	योजना	17-01-20	16-04-21	16-07-21	0.00
26	आरा	कैमूर जिले में दुर्गावती नदी पर मोहनिया–रामगढ़ सड़क (2X18+4X26) मीटर के 19वें किमी पर एचएल आरसीसी पुल का निर्माण।	योजना	21-08-18	20-08-20	20-11-20	10.51
27	सहरसा	मधेपुरा जिले में सम्पर्क मार्ग सहित क्षतिग्रस्त जल निकासी (3X18.00 मीटर) के स्थान पर एनएच 106 करमा मोड़ से आलमनगर सड़क में एचएल आरसीसी पुल का निर्माण।	योजना	22-05-21	21-05-22		.75
28	सहरसा	सुपौल जिले में दीपनगर, फुलकाही, रामविष्णुपुर से होते हुए थलहा से एनएच – 57 सड़क के 8.00वें किमी पर पहुंच सड़क और संरक्षण कार्य सहित उच्च स्तरीय आरसीसी पुल (5X21.00 मीटर वेल फाउंडेशन) का निर्माण।	योजना	10-09-20	09-09-22		5.88
29	खगड़िया	बेगूसराय जिले में चारदीवारी, सड़क कार्य, नाली का काम, गार्ड रूम, हाई मास्ट लाइट और शौचालय कार्य के साथ विपणन यार्ड का निर्माण	योजना	08-08-20	22-02-21		8.50
30	खगड़िया	खगड़िया जिले के बिषनपुर–सुम्भा मार्ग के तीसरे किमी में चान्हा नदी के छंच घाट पर एचएल आरसीसी पुल का निर्माण।	योजना	23-10-18	22-04-20		10.17
31	मुजफ्फरपुर	वैशाली जिले के बिदुपुर के चकोसनघाट से जमींदरी घाट (5 वर्षों के लिए खोलने और रीसेट सहित) के बीच गंगा नदी पर पंटून पुल का निर्माण।	योजना	06-02-18	05-02-23		7.23
32	दरभंगा	दरभंगा जिले में कुसेश्वरस्थान से फुलटोरा सड़क के 9वें किमी सी.एच. 4.4, 5.5 और में एच.एल. आर.सी.सी पुल का निर्माण।	योजना	02-03-19	01-03-22		44.33
33	दरभंगा	दरभंगा जिले में सी.एच.–19.8 में कुसेश्वरस्थान से फुलतोरा तक एच.एल.आर.सी.सी पुल (3X2100 मीटर) का निर्माण।	योजना	02-03-19	01-09-20	31-03-22	3.85
34	दरभंगा	दरभंगा जिले में चै. 18 में कुशेश्वरस्थान से फुलटोरा तक एच.एल.आर.सी.सी. पुल (5X21.00 मीटर) का निर्माण।	योजना	02-03-19	01-03-21	31-03-22	10.08
35	दरभंगा	दरभंगा जिले में चै. शिव नगर घाट से घनश्यामपुर–रसियारी घाट सड़क में रसियारी घाट पर कमला नदी पर एचएल आरसीसी पुल (4X18.75 मीटर) का निर्माण	योजना	25-01-21	24-01-23		2.16

क्रम सं0	प्रमंडल	कार्य का नाम	शीर्ष / उपशीर्ष	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने की संशोधित तिथि	जून 2022 तक किया गया व्यय (करोड़ में)
36	दरभंगा	दरभंगा जिले में कुशेश्वरस्थान से फुलटोरा सड़क के 3.8वें कि.मी. (3X21.00 मीटर) में उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल का निर्माण।	योजना	02-03-19	01-03-21	31-03-22	9.36
37	दरभंगा	दरभंगा जिले में शिव नगर घाट से घनश्यामपुर–रसियारी घाट सड़क में रसियारी घाट पर कमला नदी पर एचएल आरसीसी पुल (4X18.75 मीटर) का निर्माण	योजना	25-01-21	24-01-23		.29
38	नालंदा	जिला–लखीसराय में मालिया नगरदार और तेतरहाट ब्लॉक–रामगढ़चौक के बीच किऊल नदी में 18X24.75 मीटर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के पियर्स का संरक्षण कार्य।	नाबार्ड	12-09-19	11-06-20		40.03
39	नालंदा	शेखपुरा–अरहा सड़क के 20वें किमी में डायवर्सन, संरक्षण कार्य, निराकरण कार्य और सम्पर्क मार्ग के साथ एच.एल.आर.सी.सी पुल 3X16.00 मीटर का निर्माण कार्य।	योजना	14-08-19	13-11-20		5.49
40	चम्पारण (मोतिहारी)	भारत–नेपाल सीमा के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण जिले में चै. 5.819 किमी में इनरवा बाजार के पास पाइल फाउंडेशन एच.एल. आर.सी.सी. का निर्माण 2X20.00 मीटर	नाबार्ड	05-02-18	04-08-19		1.94
							598.47

परिशिष्ट–3.16

(संदर्भः कंडिका 3.6.2.3)

रूकी हुई और बीच में बंद परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0.	क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	एकरारनामा की राशि	31.03.2022 तक किए गये व्यय	टिप्पणियां
1	उत्तर बिहार	जल्ले–अटेरबेल सड़क (14.510 किमी), जल्ले–शंकर चौक से घोघराचट्टी सड़क (1.79 किमी) और जल्ले–जोगियारा–मकिया सड़क (1.0 किमी) में आर.सी.सी. नाले का निर्माण	22.04.2021	11.54	0.98	योजना बंद है। नाली–4.75
2	उत्तर बिहार	खिरोई नदी के पश्चिमी तटबंध पर दरभंगा–समस्तीपुर मार्ग (एसएच–50) से सोभनग्राम गांव (एनएच–57) के दूसरे किमी तक सड़क का निर्माण।	23.10.2020	7.29	0.17	योजना बंद है।
3	उत्तर बिहार	वर्ष 2017–18 के लिए एमएमबी सड़क के किमी 7, 8, 10, 11, 12, 13 और 14 में 1/22/0 आरसीसी कल्वर्ट का निर्माण	12.11.19	1.62	0.53	(1) कार्य बंद। (2) निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के कारण एकरारनामा को समय से पहले बंद करने का प्रस्ताव क्रमशः एस.ई. दरभंगा को पत्र संख्या 1219 दिनांक 02.12.2019 तथा सीई को पत्र संख्या 2178, दिनांक 31.12.2019 के द्वारा भेजा गया।
4	उत्तर बिहार	मोतिहारी–चौरादानो सड़क के लिए केएम–13 (700 मीटर), 14 (500 मीटर और 15 (500 मीटर) में सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ (पीक्यूसी) और नाले का निर्माण।	06.01.20	7.41	3.57	पीक्यूसी का काम पूरा हो गया है। एकरारनामा का पूर्वसमापन प्रक्रियाधीन है।
5	उत्तर बिहार	मीनापुर–टेंगराहा सड़क के किमी 0 से 9.928 में डब्ल्यू/एस कार्य।	03.10.19	9.76	5.24	उपलब्ध भूमि में कार्य पूर्ण हुआ और विभाग के पत्र संख्या –7348 (ई) दिनांक –15.11.2021 के अनुसार कार्य बंद कर दिया गया।
6	उत्तर बिहार	राजेपुर–करचौलिया सड़क के किमी 0.00 से 10.195 में डब्ल्यू/एस कार्य।	11.12.19	10.41	8.52	उपलब्ध भूमि में कार्य पूरा हुआ और विभाग के पत्र संख्या –7348 (ई) दिनांक –15.11.2021 के अनुसार बंद कर दिया गया।
		कुल		**48.03**	**19.01**	

परिशिष्ट–3.17

(संदर्भः कंडिका 3.6.2.3)

विलंबित परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र म सं0.	क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	एकरारनामा की राशि	31.03.2022 तक किए गये व्यय	टिप्पणियां
अतिक्रमण के मुद्दों के कारण परियोजनाएं विलंबित और अधूरी हैं						
1	उत्तर बिहार	कासरौर मध्य विद्यालय से हरसिंहपुर सीआरएफ सड़क वाया नरमचौक (सीएमबीडी)	12.02.2019 (सी) 12.04.2024 (एम) 31.01.2021 (इ0ओ0टी0)	11.27	6.98	अतिक्रमण के कारण काम में देरी।
2	उत्तर बिहार	वर्ष 2019–20 के लिए दरभंगा जिले में किमी 0.00 से 10.835 में बहेरा बाजार से कटवासा सड़क का आईआरक्यूपी कार्य	12.02.2021	9.24	8.11	मैस्टिक कार्य 0.5 किमी में पूर्ण हुआ अतिक्रमण के कारण कार्य में विलंब हुआ।
3	उत्तर बिहार	वर्ष 2019–20 के लिए आईबी डुमरियाघाट गोपालगंज से सटे सरकारी भूमि की चहारदीवारी का निर्माण	09.11.2021	0.82	0.68	अतिक्रमण वाले हिस्से को छोड़कर चारदीवारी निर्माण पूर्ण। सीओ द्वारा अतिक्रमण के विरूद्ध मुकदमा दायर किया गया है।
4	दक्षिण बिहार	जगदीशपुर गोदाम और अनुभाग कार्यालय भूमि का चारदीवारी का निर्माण	23.01.2020	0.25	0.05	अतिक्रमण का नामांतरण निरस्त करने के लिए सीओ जगदीशपुर को पत्र भेजा गया है। हाल ही में ईई पत्र संख्या 851 दिनांक 21–05–21 के माध्यम से एडीएम बीजीपी को नामांतरण निरस्त करने के लिए सूचित किया गया। पिलर कास्टेड की संख्या –60 ईट कार्य–140 मीटर।
		कुल		**21.59**	**15.82**	

क्र म सं0.	क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	एकरारनामा की राशि	31.03.2022 तक किए गये व्यय	टिप्पणियां
भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण परियोजना विलंब/अपूर्ण						
5	दक्षिण बिहार	नूरसराय से सिलाव सड़क	08.05.2015	46.12	136.82	कुल 16 मौजों में से 07 मौजाओं में भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। एलए प्रक्रिया 9 मौजा में अंतिम चरण में है। कुल नया संरेखण – 12.541 किमी (सीधी लंबाई – 9.05 किमी नारी बाईपास – 0.95 किमी जगदिशपुर–तियारी – 1.61 किमी पापरनौसा बाईपास – 0.931 किमी)
6	दक्षिण बिहार	सादिकपुर–पाभेरा–मसौढ़ी सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (चार लेन)।	वास्तविक 20.08.2021 विस्तारित 20.11.2021 पत्र सं. 2016(ई) डब्ल्यू. ई. दिनांक 12.03.2021 के अनुसार कविड–19 के कारण समय विस्तार स्वीकृति दी गई थी	201.00	180.00	कार्य प्रगति पर है। (ईपीसी मोड.) माननीय उच्च न्यायालय में भूमि विवाद सीडब्ल्यूजेसी के कारण धनरूआ बाजार में 1.50 किलोमीटर में काम बाधित हुआ। मंदिरों का स्थानांतरण प्रक्रियाधिन है।
7	दक्षिण बिहार	करमा मोड़ से बिजोई हाई स्कूल वाया कसमा – पिरौता – देवरिया – फईशर – आलमपुर – बाकान – दोसमा – नेवारा मोड़ – रजोई – बिजोई सड़क में डब्ल्यू/एस कार्य।	30.04.21	15.03	9.15	भूमि विवाद के कारण ग्रामीणों द्वारा दो खंडों (कुल 400 मीटर) में काम रोक दिया गया। नाली –2.00 किमी, पी वॉल –0.525 पेवर ब्लॉक –1.85 किमी
8	दक्षिण बिहार	बेरी– कलाली से भड़वा होते हुए पिरथु बिशांभरपुर करवा खरौखर गोठनी सड़क में कार्य।	20.02.21	25.62	19.37	कार्य प्रगति पर है। 100 मीटर (लगभग) नाली में भूमि विवाद – 3.245 किमी
9	दक्षिण बिहार	गया–नालंदा सड़क का निर्माण हरली होते हुए बैरका (मायापुर के पास) सरैया, बुधधरैया, हुदराहीघरैया, कोबवा रोड।	19.01.2021 (21.10.2020 + 90 छत)	19.69	15.91	1100 मीटर लंबाई में भूमि विवाद (8वें किमी 100 मीटर लंबाई, 10 वीं किमी 400 मीटर लंबाई, 12 वीं किमी 160 मीटर लंबाई, 14 वीं किमी 130 मीटर लंबाई, 15 वीं किमी 250 मीटर लंबाई, 16 वीं 60 मीटर लंबाई का काम प्रगति पर है।

क्र म सं0.	क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	एकरारनामा की राशि	31.03.2022 तक किए गये व्यय	टिप्पणियां
10	दक्षिण बिहार	बोधगया–मोहनपुर सड़क का निर्माण/सुधार।	23.09.2019	16.05 आपूर्ति समझौता ₹ 2.66	16.71	भूमि विवाद के कारण 70 मीटर लंबाई को छोड़कर कार्य पूर्ण हुआ।
11	दक्षिण बिहार	बकरोर–सोहेलपुर वाया डुंगेश्वरी चौक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।	26.02.2020	6.61	5.46	सार्वजनिक बाधाओं के कारण 175 मीटर लंबाई के खंडों को छोड़कर कार्य पूरा हो चुका है। भूमि विवाद निपटारा के लिए सीओ बोधगया, गया को पत्र संख्या 1156 दिनांक 14.07.2020 को कार्य पूर्ण को सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। पत्रांक 1156, 1157 और 1158 दिनांक 4.8.2021 द्वारा भू–स्वामी से सहमति पत्र मांगा गया है।
		कुल		**330.10**	**383.42**	
वन मंजूरी और अन्य वन संबंधी अन्य मुद्दों के कारण परियोजनाओं में विलंब होना और अपूर्ण रहना						
12	उत्तर बिहार	एसएच–50 का डब्ल्यू/एस (किमी 38.00वें से 43वें (पी) और 43 (पी) से 47 (पी) (कुल लंबाई – 7.804 किमी) में दरभंगा–समस्तीपुर सड़क)	27.07.21 (इ0ओ0टी0) 23.02.22	20.72	8.86	डिवाइडर का कार्य प्रगति पर है। वन विभाग से मंजुरी नहीं मिलने और नल जल पाइप लाइन के काम के कारण कार्य में बाधा आयी है।
13	दक्षिण बिहार	टीओ लालदैया, भीमायन, चपरी, भोजायत–मोहगे, रक्षाचौक सड़क (लालदैया एसएच–82 से रक्षा चौक एनएच–333) चैनेज का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	17.07.22 (सी) 17.07.27 (एम)	21.40	12.90	कार्य प्रगति पर है। (2.50 किलोमीटर में वन मुद्दा), डीएम, जमुई के साथ चर्चा की।
14	दक्षिण बिहार	झाझा–परासी–अमकोलिया–दुधवारा–जुरपनिया–गयनबथान–गोलनितांड सड़क चौनेज का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	19.04.22 (सी) 19.04.27 (एम)	23.41	13.27	कार्य प्रगति पर है। (6.64 किमी में वन मुद्दा) पत्रांक 1249 (डब्ल्यु ई) दिनांक 11.12.21 के अंतर्गत वन भूमि के बदले गैर–वन भूमि के संबंध में निर्देष के लिए अधिक्षण अभियंता से अनुरोध किया गया
15	दक्षिण बिहार	सांगवरिया – बेलाटांड – पैरमटियाना – सरधोडीह – तिलावरिया – अमझरी – छपरडीह – अमकोलिया – दुधरवा सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	18.03.22 (सी) 18.03.27 (एम)	25.59	10.31	कार्य प्रगति पर है। (7.10 किमी में वन मुद्दा)। डीएम, जमुई से चर्चा की गई।

क्र म सं0.	क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	एकरारनामा की राशि	31.03.2022 तक किए गये व्यय	टिप्पणियां
16	दक्षिण बिहार	सांगवरिया – बेलाटांड – पैरमटियाना – सरधोडीह – तिलावरिया – अमझरी – छपरडीह – अमकोलिया – दुधरवा सड़क चौनेज	16.09.21 (सी) 16.09.26 (एम)	10.37	9.05	कार्य प्रगति पर है। 15 सीडी को डी–स्कोप किया जाना है। 0.405 किमी में वन समस्या। शेष कार्य संपन्न हुआ। जमुई के डीएम के साथ बातचीत हुई।
17	दक्षिण बिहार	नरगंजो (रेलवे स्टेशन) बोरवा–भीखा, चुकीझोर–परगहा सड़क चैनेज का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	26.05.22 (सी) 26.05.27 (एम)	28.09	12.86	कार्य प्रगति पर है। (3.90 किमी में वन मुद्दा)। डीएफओ के साथ संयुक्त सत्यापन किया गया है और रिपोर्ट पीसीसीएफ (कमपा) बिहार, पटना को समर्पित। जमुई डीएम के साथ बातचीत हुई।
18	दक्षिण बिहार	दुलमपुर–कियाजोरी–गोपीडीह (एनएच–333) सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	18.03.22 (सी) 18.03.27 (एम)	21.65	15.05	कार्य प्रगति पर है। (1.124 किमी में वन मुद्दा) डीएम, जमुई से चर्चा हुई।
19	दक्षिण बिहार	डब्ल्यू/एस जीटी सड़क से भलुआ–भागढ़–केबला–पहाड़पुर सड़क (0.00 से 25.952)	01-02-2021 +90 दिन 02.05.2021	20.09	8.04	बिटुमिनस और पीक्यूसी का काम 13.3 से 25.952 किमी में पूरा हुआ, सीएच 0.00 से 0.60 किमी और सीएच 1.5 से 13.3 किमी में वन समस्या के कारण काम रुक गया। विभागीय निदेषानुसार संषोधित तकनीकी स्वीकृति वन भूमि खंड (5.5 किमी लंबाई) को सी.ई. दक्षिण द्वारा संशोधित अनुमान के अनुसार प्रगति पर है। नाली– 0.40 किमी
		कुल		**171.32**	**90.34**	

परिशिष्ट–4.1

(संदर्भः कंडिका 4.15)

निकायों/प्राधिकरणों, जिन्होंने लेखापरीक्षा का कार्य नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपा है

क्रम सं0	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	जिला
1	शिक्षा	सिमुलतल्ला शिक्षण संस्थान (सिमुलतल्ला आवासीय विद्याालय) (अक्टुबर–19)	जमुई
2	शिक्षा	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद	पटना
3	शिक्षा	एल0एन0 मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान	पटना
4	शिक्षा	ए0एन0 सिन्हा समाजिक शिक्षण संस्थान	पटना
5	शिक्षा	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (एस0एस0)	पटना
6	शिक्षा	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	पटना
7	स्वास्थ्य	इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान	पटना
8	स्वास्थ्य	बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति	पटना
9	स्वास्थ्य	बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा बोर्ड	पटना
10	स्वास्थ्य	बिहार नर्स पंजीकरण परिषद, पटना	पटना
11	स्वास्थ्य	बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड	पटना
12	श्रम संसाधन	बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	पटना
13	अल्पसंख्यक कल्याण	बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड	पटना
14	अल्पसंख्यक कल्याण	सैय्यद शहीद सफेदार पीर	पटना
15	अल्पसंख्यक कल्याण	बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड	पटना
16	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	पटना
17	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	बिहार महादलित विकास मिशन	पटना
18	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	राज्य महादलित आयोग	पटना
19	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	राज्य अनुसूचित जाति आयोग	पटना
20	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	पटना
21	समाजिक कल्याण	महिला विकास निगम	पटना
22	समाजिक कल्याण	राज्य महिला आयोग	पटना
23	समाजिक कल्याण	बिहार राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड	पटना
24	समाजिक कल्याण	बिहार बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	पटना
25	शिक्षा	टी0एम0 विश्वविद्यालय	भागलपुर
26	शिक्षा	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय	भोजपुर
27	शिक्षा	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	दरभंगा
28	शिक्षा	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	दरभंगा
29	शिक्षा	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	गया
30	शिक्षा	भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय	मधेपुरा
31	शिक्षा	बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
32	शिक्षा	पटना विश्वविद्यालय	पटना
33	शिक्षा	आर्यभट्ट विश्वविद्यालय	पटना
34	शिक्षा	जय प्रकाश विश्वविद्यालय	सारण

क्रम सं0	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	जिला
35	शिक्षा	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड	पटना
36	शिक्षा	बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड	पटना
37	शिक्षा	बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षण बोर्ड	पटना
38	शिक्षा	बिहार विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद	पटना
39	शिक्षा	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय	पटना
40	शिक्षा	मुंगेर विश्वविद्यालय	मुंगेर
41	शिक्षा	मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय	पटना
42	शिक्षा	पूर्णिया विश्वविद्यालय	पूर्णिया
43	शिक्षा	नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय	पटना
44	शिक्षा	जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना	पटना
45	आपदा प्रबंधन	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	पटना

(स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा संकलित आकड़ा)

परिशिष्ट–5.1

(संदर्भः कंडिका 5.1.3 एवं 5.5.1)

वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2021–22 के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल एस0पी0एस0ई0 का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ0बी0आई0टी0 (ब्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी मुक्त संचय दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी संचय एवं अधिशेष –संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी (अंशधारकों की निधि दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी मुक्त संचय एवं अधिशेष–संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (4×100/10)	12= (4×100/8)	13= (5×100/9)	14
2021-22													
ऊर्जा													
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2020-21	0.00	0.00	0.00	1,244.22[80]	1,847.78	1,244.22	1,847.78	0.00	0.00	0.00	1,244.22
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	-2.79	-2.79	0.00	4,812.96	4,812.96	577.04	577.04	-0.48	-0.06	-0.48	577.04
3	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
4	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	204.82	91.41	886.80	8,076.82	11,303.09	9,088.96	11,303.09	1.81	1.81	1.01	9,088.96
6	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2021-22	369.18	143.97	452.62	645.06	3,017.14	1,024.16	3,017.14	12.24	12.24	14.06	1,024.16
7	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	-540.43	-801.51	7,679.29	12,144.43[81]	15,347.08	6,672.93	9,875.58	-5.47	-3.52	-12.01	6,672.93

[80] बिहार विद्युत सुधार हस्तांतरण योजना, 2012 (हस्तांतरण योजना), दिनांक 31 अक्टूबर 2012 के अनुसार बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0) के माध्यम से बिहार सरकार बिजली कम्पनियों में अंश पूँजी निवेश करती है। इसके अलावा, बी0एस0पी0एच0सी0एल0 कथित फंड को बिजली कम्पनियों में अंश पूँजी के रूप में निवेश करता है और शेष, जिसे कि निवेश नहीं किया गया है, अपने पास बनाए रखता है। सहायक/विद्युत कम्पनियाँ अपने वार्षिक वित्तीय लेखे में बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के नाम से अंश पूँजी को दर्शाती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अंश पूँजी के रूप में बिहार सरकार के निवेश को सहायक/संयुक्त उद्यम (विद्युत कम्पनियाँ) के साथ पृथक रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा, बी0एस0पी0एच0सी0एल0 अपनी सहायक कम्पनियों को सभी व्यय/आय वितरित कर देती है और अपने वित्तीय विवरणों के लाभ एवं हानि खातों में शून्य लाभ/हानि को दर्शाती है।

[81] एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में बिहार सरकार द्वारा किया गया निवेश, बी0एस0पी0एच0सी0एल0 द्वारा किए गए निवेश के रूप में विचारित किया गया है क्योंकि बी0एस0पी0एच0सी0एल0 ऊर्जा कम्पनियों में अंश पूँजी के रूप में कोषों का निवेश करती है और शेष अंश पूँजी, जो निवेश नहीं किया गया है, को अपने पास रखती है। सहायक/विद्युत कम्पनियाँ अपने वार्षिक लेखाओं में बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के नाम से अंश पूँजी को दर्शाती है।

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ0बी0आई0टी0 (ब्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी मुक्त संचय दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी संचय एवं अधिषेश –संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी (अंशधारकों की निधि दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी मुक्त संचय एवं अधिशेष–संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (4×100/10)	12= (4×100/8)	13= (5×100/9)	14
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	-854.93	-1,140.50	9,022.43	12,770.34	16,927.07	1,626.85	5,783.58	-14.78	-5.05	-70.10	1,626.85
	कुल ऊर्जा		-824.15	-1,709.42	18,041.14	39,693.85	53,255.14	20,234.08	32,404.13	-2.54	-1.55	-8.45	20,234.08
	गैर–ऊर्जा												
1	बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कृषि)	2020-21	-0.02	-0.67	0.00	7.64	38.62	-182.97	-151.99	0.01	-0.05	0.37	-182.97
2	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड (अन्य)	2020-21	0.00	0.00	0.52	0.34	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
3	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (आधारभूत संरचना)	2019-20	7.14	7.14	22.39	20.00	258.36	258.36	258.36	2.76	2.76	2.76	258.36
4	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (वित्त)	2020-21	0.34	0.25	0.00	9.50	10.25	10.25	10.25	3.32	3.32	2.44	10.25
5	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (सेवा)	2020-21	4.62	3.32	0.00	426.00	428.96	428.96	428.96	1.08	1.08	0.77	428.96
6	बिहार राज्य वित्तीय निगम (वित्त)	2019-20	36.26	18.58	6.97	77.84	316.14	-405.38	-176.91	-20.50	11.47	-4.58	-405.38
7	बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (अन्य)	2019-20	-1.48	-1.48	0.00	5.00	89.24	89.24	89.24	-1.66	-1.66	-1.66	89.24
8	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आधारभूत संरचना)	2019-20	40.99	26.63	2,325.87	20.00	584.53	584.53	584.53	7.01	7.01	4.56	584.53
	कुल गैर–ऊर्जा		87.85	53.77	2,355.75	566.32	1727.36	784.25	1043.7	8.42	5.09	6.86	784.25
	कुल योग (2021-22)		**-763.30**	-1,655.65	20,396.89	40,260.17	54,982.50	21,018.33	33,447.83	-2.20	-1.34	-7.88	21,018.33
	2020-21												
	ऊर्जा												
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2020-21	0.00	0.00	0.00	1244.22	1,847.78	1,244.22	1,847.78	0.00	0.00	0.00	1,244.22
2	बिहार स्टेट पावर जेनरशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	-2.79	-2.79	0.00	4812.96	4,812.96	577.04	577.04	-0.48	-0.06	-0.48	577.04

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ0बी0आई0टी0 (ब्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी मुक्त संचय दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी संचय एवं अधिषेश –संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी (अंशधारकों की निधि दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी मुक्त संचय एवं अधिशेष–संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (4×100/10)	12= (4×100/8)	13= (5×100/9)	14
3	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
4	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	204.82	91.41	886.80	8076.82	11,303.09	9,088.96	11,303.09	1.81	1.81	1.01	9,088.96
6	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2020-21	358.2	154.82	460.20	580.59	2,742.44	815.73	2,742.44	13.06	13.06	18.98	815.73
7	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	-540.43	-801.51	7,679.29	12144.43	15,347.08	6,672.93	9,875.58	-5.47	-3.52	-12.01	6,672.93
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	-854.93	-1,140.50	9,022.43	12770.34	16,927.07	1,626.85	5,783.58	-14.78	-5.05	-70.10	1,626.85
	कुल ऊर्जा		-835.13	-1,698.57	18,048.72	39,629.38	52,980.44	20,025.66	32,129.44	-2.60	-1.58	-8.48	20,025.66
						गैर–ऊर्जा							
1	बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कृषि)	2020-21	-0.02	-0.67	0.00	7.64	38.62	-182.97	-151.99	0.01	-0.05	0.37	-182.97
2	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड (अन्य)	2020-21	0.00	0.00	0.52	0.34	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
3	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (आधारभूत संरचना)	2019-20	7.14	7.14	22.39	20.00	258.36	258.36	258.36	2.76	2.76	2.76	258.36
4	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (वित्त)	2020-21	0.34	0.25	0.00	9.50	10.25	10.25	10.25	3.32	3.32	2.44	10.25
5	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (सेवा)	2020-21	4.62	3.32	0.00	426	428.96	428.96	428.96	1.08	1.08	0.77	428.96
6	बिहार राज्य वित्तीय निगम (वित्त)	2019-20	36.26	18.58	6.97	77.84	306.31	-405.38	-176.91	-20.50	11.84	-4.58	-405.38
7	बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (अन्य)	2019-20	-1.48	-1.48	0.00	5.00	89.24	89.24	89.24	-1.66	-1.66	-1.66	89.24

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ0बी0आई0टी0 (ब्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी मुक्त संचय दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी संचय एवं अधिषेश –संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी (अंशधारकों की निधि दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी मुक्त संचय एवं अधिशेष–संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (4×100/10)	12= (4×100/8)	13= (5×100/9)	14
8	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आधारभूत संरचना)	2019-20	40.99	26.63	2,325.87	20.00	584.53	584.53	584.53	7.01	7.01	4.56	584.53
	कुल गैर–ऊर्जा		87.85	53.77	2,355.75	566.32	1,717.53	784.25	1,043.70	8.42	5.11	6.86	784.25
	कुल योग (2020-21)		-747.28	-1,644.80	20,404.47	40,195.70	54,697.97	20,809.91	33,173.14	-2.25	-1.37	-7.90	20,809.91
	2019-20												
	ऊर्जा												
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	1,271.06	1,709.56	1,271.06	1,709.56	0.00	0.00	0.00	1,271.06
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	-2.56	-2.56	0.00	4,812.96	4,812.96	579.85	579.85	-0.44	-0.05	-0.44	579.85
3	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
4	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	445.18	460.16	1,033.08	7,949.99	9,655.82	8,691.79	9,655.82	4.61	4.61	5.29	8,691.79
6	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2019-20	124.81	31.63	207.84	514.58	2,284.81	594.9	2,284.81	5.46	5.46	5.32	594.9
7	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	-1,068.89	-1,282.88	7,469.78	11,653.84	13,135.11	6,482.83	7,964.10	-13.42	-8.14	-19.79	6,482.83
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	-1,501.20	-1,664.84	8,367.20	12,267.96	13,787.68	2,233.22	3,752.94	-40.00	-10.89	-74.55	2,233.22
	कुल ऊर्जा		-2,002.66	-2,458.49	17,077.90	38,470.41	45,385.96	19,853.57	25,947.00	-7.72	-4.41	-12.38	19,853.57
	गैर–ऊर्जा												
1	बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कृषि)	2019-20	0.01	-9.12	0.00	7.64	38.62	-182.31	-151.33	-0.01	0.03	5.00	-182.31
2	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड (अन्य)	2019-20	0.00	0.00	0.3	0.34	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ0बी0आई0टी0 (ब्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी मुक्त संचय दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी संचय एवं अधिषेश –संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी (अंशधारकों की निधि दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी मुक्त संचय एवं अधिशेष–संचित हानि–स्थगित राजस्व व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (4×100/10)	12= (4×100/8)	13= (5×100/9)	14
3	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (आधारभूत संरचना)	2019-20	7.14	7.14	22.39	20.00	258.36	258.36	258.36	2.76	2.76	2.76	258.36
4	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (वित्त)	2019-20	0.35	0.26	0.00	9.50	9.99	9.99	9.99	3.50	3.50	2.60	9.99
5	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (सेवा)	2019-20	-0.36	-0.36	0.00	110.5	110.05	109.69	109.69	-0.33	-0.33	-0.33	109.69
6	बिहार राज्य वित्तीय निगम (वित्त)	2019-20	36.26	18.58	6.97	77.84	306.31	-405.38	-176.91	-20.50	11.84	-4.58	-405.38
7	बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (अन्य)	2019-20	-1.48	-1.48	0.00	5.00	89.24	89.24	89.24	-1.66	-1.66	-1.66	89.24
8	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आधारभूत संरचना)	2019-20	40.99	26.63	2,325.87	20	584.53	584.53	584.53	7.01	7.01	4.56	584.53
	कुल गैर–ऊर्जा		**82.91**	**41.65**	**2,355.53**	**250.37**	**1,398.36**	**465.38**	**724.83**	**11.43**	**5.93**	**8.94**	**465.38**
	कुल योग (2019-20)		**-1,919.75**	**-2,416.84**	**19,433.43**	**38,720.78**	**46,784.32**	**20,318.95**	**26,671.83**	**-7.20**	**-4.10**	**-11.89**	**20,318.95**

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।)

परिशिष्ट–5.2

(संदर्भः कंडिका 5.1.3)

उन एस0पी0एस0ई0 का विवरण जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं हैं

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं एस0पी0एस0ई0 का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
अ.	**कार्यशील एस0पी0एस0ई0 जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक वर्षों से बकाया में थे/प्रथम लेखे अप्राप्त थे/बकाया नहीं थे**					
I.	**सरकारी कम्पनियाँ**					
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2008-09	2022-23	-2.49	0	3.71
2	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2015-16	2021-22	0.00	0.00	15.12
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99	2021-22	0.22	1.19	6.26
4	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2015-16	2022-23	-3.04	3.24	39.89
5	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2017-18	2022-23	8.09	25.86	0.10
6	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2021-22	4.22	27.17	5.00
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	2022-23	42.74	84.42	3.50
8	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	8.95	209.17	5.00
9	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	3.54	11.63	5.00
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड	2010-11	2021-22	-4.58	1,940.31	5.39
11	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2021-22	2.30	29.01	6.67
12	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2011-12	2020-21	114.46	233.43	0.48
13	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2013-14	2020-21	28.28	13.54	99.04
14	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	0.43	0.2	1.00
15	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-
16	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-	-	-	-
17	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2021-22	0.00	0.00	0.10
18	पटना स्मार्ट सिटी	2018-19	2021-22	0.01	0	0.10

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं एस0पी0एस0ई0 का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	कर के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
19	भागलपुर स्मार्ट सिटी	2018-19	2020-21	23.86	0	0.10
20	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2020-21	25.37	424.73	25
	उप योग			252.36	3,003.90	221.46
II	**संविधिक निगमें**					
21	बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	2021-22	-144.11	64.47	101.27
22	बिहार राज्य भंडारण निगम	2017-18	2022-23	11.67	226.94	6.42
	उप योग			**-132.44**	**291.41**	**107.69**
	कुल अ			**119.92**	**3295.31**	**329.15**
ब. (I)	**अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**					
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1996-97	-0.22	0.00	1.75
2	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2016-17	0.02	0.00	0.05
3	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1997-98	2.17	0.00	5.00
4	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1997-98	2014-15	0.00	0.00	6.72
5	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1983-84	-0.26	0.01	5.60
6	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	1.47	0.00	1.91
7	बिहार कीटनाशक लिमिटेड (क्र0सं0 ब 2 की अनुषंगी)	1986-87	1991-92	-1.03	0.00	0.57
8	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी खगौल लिमिटेड' (क्र0सं0 ब 2 की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
9	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी डेहरी लिमिटेड' (क्र0सं0 ब 2 की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
10	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी औरंगाबाद लिमिटेड' (क्र0सं0 ब 2 की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
11	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी मोहनियाँ लिमिटेड' (क्र0सं0 ब 2 की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
12	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1991-92	-0.01	0.00	1.44

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं एस0पी0एस0ई0 का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	कर के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
13	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1996-97	-0.10	0.00	6.28
14	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2017-18	-3.81	0.31	14.04
15	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2002-03	2017-18	-3.52	23.34	7.00
16	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001-02	2021-22	16.65	38.90	9.97
17	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड (क्र0सं0 ब 27 की अनुषंगी)	1986-87	1995-96	-0.32	0.00	0.66
18	मगध मिनरल लिमिटेड' (क्र0सं0 अ 20 की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
19	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (क्र0सं0 अ 20 की अनुषंगी)	1989-90	2016-17	-0.34	0.44	3.06
20	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड (क्र0सं0 अ 20 की अनुषंगी)	1990-91	2017-18	0.14	0.41	1.32
21	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड (क्र0सं0 अ 20 की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
22	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1996-97	-9.20	0.00	9.97
23	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1992-93	-0.17	0.00	3.62
24	बिहार मेज प्रोडक्टस लिमिटेड (क्र0सं0 ब 23 की अनुषंगी)	1983-84	1987-88	-0.03	0.00	0.67
25	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड (क्र0सं0 ब 23 की अनुषंगी)	1985-86	1991-92	-0.03	0.00	0.94
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	1995-96	-0.09	0.00	4.98
27	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02	2021-22	0.06	23.24	2.29
28	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (क्र0सं0 ब 14 की अनुषंगी)	1985-86	1997-98	-0.06	0.00	1.56
29	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड (क्र0सं0 ब 23 की अनुषंगी)	1985-86	1997-98	-0.08	0.00	0.16
30	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र0सं0 ब 23 की अनुषंगी)	1984-85	1988-89	-0.01	0.00	0.4
31	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र0सं0 ब 23 की अनुषंगी)	1985-86	1991-92	-0.01	0.00	0.42
32	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (क्र0सं0 ब 23 की अनुषंगी)	1988-89	1993-94	-0.32	0.00	1.03

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं एस0पी0एस0ई0 का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	कर के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
33	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड (क्र0सं0 ब 23 की अनुषंगी)	1983-84	1987-88	-0.02	0.00	0.09
34	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड' (क्र0सं0 ब 16 की अनुषंगी)	-	-	-	-	-
	कुल योग ब (I)			0.88	86.65	91.50
ब (II)	**समापन प्रक्रियाधीन सरकारी कम्पनियाँ**					
1	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (क्र0सं0 ब 16 की अनुषंगी)	1994-95	1995-96	-2.39	10.89	2.17
2	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड (क्र0सं0 ब (II) 3 की अनुषंगी)	1983-84	1986-87	-1.49	0.00	1.47
3	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	2004-05	-0.37	1.16	5.14
4	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	1999-00	0.10	4.94	2.00
5	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	2005-06	-1.42	15.22	7.18
	कुल योग ब (II)			**-5.57**	**32.21**	**17.96**
	कुल ब			**-4.69**	**118.86**	**109.46**
	कुल योग (अ+ब)			**115.23**	**3414.17**	**438.61**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

* *एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने अपने प्रथम लेखे समर्पित/अन्तिमीकृत नहीं किये।*

परिशिष्ट–5.3

(संदर्भः कंडिका 5.8)

उन एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखे 31 जुलाई 2022 को बकाए थे

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	बकाया लेखाओं वाले एस0पी0एस0ई0 में 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश							
		अंश पूँजी	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजी अनुदान	सब्सिडी	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया में है	बकाया लेखे (31 जुलाई 2022 तक)
अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ									
1	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	2021-22	1
2	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	249.5	2021-22	1
3	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	148.5	0.00	148.5	2019-20	3
4	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	106.5	0.00	106.55	2017-18	5
5	पटना स्मार्ट सिटी	0.00	0.00	0.00	88.5	0.00	88.50	2019-22	3
6	बिहार राज्य खनन निगम	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2017-18	5
7	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	2017-18	5
8	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	5.23	0.00	5.23	2015-16	7
9	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	2018-19	4
10	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	40.11	0.00	30.00	95.00	0.00	165.11	2016-17	6
11	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	79.63	8.66	88.29	2009-10	13
12	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड	0.00	1,000.48	10,000.00	0.00	4,750.20	15,750.68	2011-12	11
13	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	1999-00	23
14	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00	46.86	2014-15	8
15	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34	2019-20	3

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	बकाया लेखाओं वाले एस0पी0एस0ई0 में 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश							
		अंश पूँजी	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजी अनुदान	सब्सिडी	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया में है	बकाया लेखे (31 जुलाई 2022 तक)
16	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	1,430.00	0.00	0.00	757.63	0.00	2,187.63	2020-21[82]	1
17	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	21.31	400.00	0.00	3,468.95	3,890.26	2020-21	1
18	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	28.00	450.00	0.00	0.00	478.00	2020-21	1
19	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	5,368.72	0.00	0.00	5,368.72	2020-21	1
	कुल अ	**1,787.00**	**1,096.65**	**16,248.72**	**1,291.77**	**8,227.81**	**28,651.95**		**102**
ब.	**कार्यशील सांविधिक निगमें**								
1	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0.00	0.00	119.29	0.00	0.00	119.29	2018-19	4
	कुल ब	**0.00**	**0.00**	**119.29**	**0.00**	**0.00**	**119.29**		**4**
स.	**अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**								
1	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2015-16	7
2	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	2011-12	11
3	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	2003-04	19
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13	2002-03	20
5	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.25	5.63	0.00	0.26	0.00	7.14	1993-94	29
6	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	0.00	2.21	0.00	0.00	0.08	2.29	1992-93	30
7	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.00	1.66	0.00	0.00	2.47	4.13	1991-92	31
8	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	5.79	6.99	0.00	0.00	0.00	12.78	1988-89	34
9	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	12.92	52.95	0.00	0.00	0.00	65.87	1986-87	36
10	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	11.21	365.32	0.00	0.00	197.93	574.46	1985-86	37
11	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	3.72	56.26	0.00	0.00	0.48	60.46	1984-85	38

[82] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2020–21 तक का पृथक वित्तीय विवरण तैयार किया है।

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	बकाया लेखाओं वाले एस0पी0एस0ई0 में 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश							
		अंश पूँजी	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजी अनुदान	सब्सिडी	कुल	वर्ष जहाँ से लेखे बकाया में है	बकाया लेखे (31 जुलाई 2022 तक)
12	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	5.22	18.78	0.00	0.00	55.41	79.41	1983-84	39
13	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	12.26	43.18	0.00	0.00	0.00	55.44	1983-84	39
14	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	5.00	154.33	0.00	0.00	0.00	159.33	1979-80	43
15	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09	1977-78	45
	कुल स	**57.37**	**745.31**	**0.00**	**0.26**	**256.37**	**1,059.31**		**458**
	कुल योग (अ+ब+स)	**1,844.37**	**1,841.96**	**16,368.01**	**1,292.03**	**8,484.18**	**29,830.55**		**564**

(स्रोत : लेखापरीक्षा द्वारा संकलित किए गए आँकड़े)

परिशिष्ट–5.4

(संदर्भः कंडिका 5.9.2)

एस0पी0एस0ई0 के बकाया लेखाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

I. सरकारी कम्पनियाँ

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम		अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
अ	ब		स	द
उद्योग विभाग				
1	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	1986–87 से 2021–22	36
2	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड		1984–85 से 2021–22	38
3	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		2011–12 से 2021–22	11
4	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड		1977–78′ से 2021–22	45
5	बिहार कीटनाशक लिमिटेड		1987–88 से 2021–22	35
6	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड		1988–89 से 2021–22	34
7	बिहार मेज प्रोडक्ट लिमिटेड		1984–85 से 2021–22	38
8	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड		1986–87 से 2021–22	36
9	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड		1985–86 से 2021–22	37
10	बिहार ड्रग्स एवं रसायन लिमिटेड		1986–87 से 2021–22	36
11	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड		1986–87 से 2021–22	36
12	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड		1986–87 से 2021–22	36
13	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड		1984–85 से 2021–22	38
14	मगध मिनरल्स लिमिटेड		1984–85′ से 2021–22	38
15	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2016–17 से 2021–22	06
सूचना प्रावैधिकी विभाग				
16	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2019–20 से 2021–22	03
17	बेल्ट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	1990–91 से 2021–22	32
18	बेल्ट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड		1991–92 से 2021–22	31
19	बेल्ट्रॉन इन्फॉरमेटिक्स लिमिटेड		01.03.1988′ से	34
पर्यावरण एवं वन विभाग				
20	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2021–22	01
21	बिहार राज्य टैनिन एक्सट्रेक्ट लिमिटेड	अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	1989–90 से 2021–22	33
22	बिहार राज्य सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड		1987–88 से 2021–22	35
23	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड		2002–03 से 2021–22	20

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम		अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
अ	ब		स	द
ऊर्जा विभाग				
24	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	2014–15 से 2021–22	08
25	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड[83]		2018–19 से 2021–22	04
26	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड		2021–22	01
27	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड[84]		2020–21 से 2021–22	02
28	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		2021–22	01
29	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		2021–22	01
30	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड		2020–21 से 2021–22	02
31	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड		2020–21 से 2021–22	02
पशु और मत्स्य संसाधन विभाग				
32	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	1993–94 से 2021–22	29
33	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड		1998–99 से 2021–22	24
जल संसाधन विभाग				
34	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	अकार्यशील सरकारी कम्पनी	2003–04 से 2021–22	19
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग				
35	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2017–18 से 2021–22	05
गन्ना उद्योग विभाग				
36	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	अकार्यशील सरकारी कम्पनी	1985–86 से 2021–22	37
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
37	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2011–12 से 2021–22	11
पथ निर्माण विभाग				
38	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	2019–20 से 2021–22	03
39	बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड		2020–21 से 2021–22	02
गृह (पुलिस) विभाग				
40	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2018–19 से 2021–22	04
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग				
41	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2016–17 से 2021–22	06

[83] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 तक अपना समेकित वार्षिक वित्तीय लेखाओं का निर्माण नहीं किया है। कम्पनी ने वर्ष 2020–21 तक अपना पृथ्क वार्षिक वित्तीय लेखा का निर्माण किया है।

[84] बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का अपना समेकित वार्षिक वित्तीय लेखाओं का निर्माण नहीं किया है। कम्पनी ने वर्ष 2020–21 तक अपना पृथ्क वार्षिक वित्तीय लेखा का निर्माण किया है।

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम		अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
अ	ब		स	द
खान एवं भूविज्ञान विभाग				
42	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील सरकारी कम्पनी	2002–03 से 2021–22	20
43	बिहार राज्य माइनिंग निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2017–18′ से 2021–22	05
पंचायती राज विभाग				
44	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	अकार्यशील सरकारी कम्पनी	1985–86 से 2021–22	37
पर्यटन विभाग				
45	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2015–16 और 2021–22	07
लघु सिंचाई विभाग				
46	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	1979–80 से 2021–22	43
47	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड		1983–84 से 2021–22	39
शिक्षा विभाग				
48	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	2012–13 से 2021–22	10
49	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		2020–21 से 2021–22	02
50	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड		2021–22	01
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग				
51	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	कार्यशील सरकारी कम्पनी	1999–00 से 2021–22	23
कृषि विभाग				
52	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2009–10 से 2021–22	13
53	बिहार राज्य एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	2021–22	13
54	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड		2015–16 से 2021–22	01
55	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड		2015–16 और 2021–22	07
56	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी खगौल लिमिटेड		1993–94′ से 2021–22	07
57	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी डेहरी लिमिटेड		1993–94′ से 2021–22	29
58	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी औरंगाबाद लिमिटेड		1993–94′ से 2021–22	29
59	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी मोहनियाँ लिमिटेड		1993–94′ से 2021–22	29
मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग				
60	बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2020–21 से 2021–22	02

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम		अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
अ	ब		स	द
भवन निर्माण विभाग				
61	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2019–20 से 2021–22	03
नगर विकास एवं आवास विभाग				
62	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	2018–19 से 2021–22	04
63	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड		2021–22	01
स्वास्थ्य विभाग				
64	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यशील सरकारी कम्पनी	2018–19 से 2021–22	04
	कुल I			1,195

*** शुरू होने की तिथि से**

II. सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	विभाग का नाम		अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
1	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नगर विकास एवं आवास विभाग	कार्यशील सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	2019–20 से 2021–22	03
2	पटना स्मार्ट सिटी			2019–20 से 2021–22	03
3	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड			2019–20 से 2021–22	03
4	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड			2017–18' से 2021–22	05
	कुल II				14

III. सांविधिक निगमें

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	विभाग का नाम		अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	कार्यशील सांविधिक निगमें	2019–20 से 2021–22	03
2	बिहार राज्य भंडारण निगम	साहकारिता		2018–19 से 2021–22	04
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग		2020–21 से 2021–22	02
	कुल III				09

IV. समापन प्रक्रिया के अधीन

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	विभाग का नाम		नवनीतम लेखे के अन्तिमीकरण की अवधि	इस तिथि से समापन प्रक्रिया के अधीन	अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
1	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	1990–91	04 अक्टूबर 2012	1991–92 से 2012–13	22
2	बिहार राज्य फिनिश्ड लेदर कॉरपोरेशन लिमिटेड			1983–84	25 अगस्त 2008	1984–85 से 2008–09	25
3	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड			1991–92	04 अक्टूबर 2012	1992–93 से 2012–13	21
4	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड			1982–83	25 अगस्त 2008	1983–84 से 2008–09	26
5	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड			1994–95	17 अगस्त 1999	1995–96 से 1999–2000	05
	कुल IV						99

कुल योग **(I+II+III+IV) = 1,195+14+09+99 = 1,317**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित।)

परिशिष्ट–5.5

(संदर्भः कंडिका 5.10)

31 मार्च 2022 को इक्विटी, ऋण और गारंटी के संबंध में बिहार सरकार के वित्त लेखे और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखे के बीच अंतर

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार			एस0पी0एस0ई0 के अभिलेखों के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ									
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2.28	2.03	0.00	2.28	31.90	0.00	0.00	-29.87	0.00
2	बिहार स्टेट माइनिंग निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	12.14	26.80	0.00	15.12	20.47	0.00	-2.98	6.33	0.00
4	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	21.48	0.00	15.43	23.36	0.00	15.43	-1.88	0.00	0.00
5	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	634.59	0.00	30.00	87.89	5.60	30.00	546.70	-5.60	0.00
6	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1.00	0.48	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	-0.02	0.00
7	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	9.50	2,368.64	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	2,368.64	0.00
8	बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	10.15	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
9	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	520	0.00	0.00	-520
12	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00
15	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00
16	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00
17	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार			एस0पी0एस0ई0 के अभिलेखों के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	1,270.59	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	545.59	0.00	0.00
19	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	25.00	0.24	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00
20	बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	4.16	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-0.84	0.00	0.00
22	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.02	1,335.17	7,870.50	5.27	2,180.48	78.71	-5.25	-845.31	7,791.79
23	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	49.98	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	43.24	0.00	0.00
24	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.12	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00
कुल अ		**2,119.85**	**3,733.36**	**7,915.93**	**995.56**	**2,238.95**	**644.14**	**1,124.29**	**1,494.41**	**7,271.79**
ब. कार्यशील सांविधिक निगमें										
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	23.09	103.00	0.00	39.95	228.47	0.00	-16.86	-125.47	0.00
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	81.74	0.00	0.00	74.76	873.37	0.00	6.98	-873.37	0.00
3	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0.80	0.00	119.29	3.21	0.00	119.29	-2.41	0.00	0.00
कुल ब		**105.63**	**103.00**	**119.29**	**117.92**	**1,101.84**	**119.29**	**-12.29**	**-998.84**	**0.00**
स. अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.75	0.68	0.00	3.70	2.60	0.00	-1.95	-1.92	0.00
2	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
3	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	12.19	14.57	0.00	10.00	49.68	0.00	2.19	-35.11	0.00
4	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	0.00	1.95	0.00	6.72	0.00	0.00	-6.72	1.95	0.00
5	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	9.94	3.50	0.00	10.82	8.55	0.00	-0.88	-5.05	0.00
6	बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	4.94	1.95	0.00	7.64	30.98	0.00	-2.70	-29.03	0.00
7	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1.64	23.12	0.00	1.61	0.42	0.00	0.03	22.70	0.00
8	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	0.98	0.07	0.00	2.01	0.00	0.00	-1.03	0.07	0.00
9	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	11.42	57.32	0.00	10.00	1.16	0.00	1.42	56.16	0.00

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार			एस0पी0एस0ई0 के अभिलेखों के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.63	4.41	0.00	7.18	10.40	0.00	-6.55	-5.99	0.00
11	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	3.18	101.95	0.00	14.04	86.54	0.00	-10.86	15.41	0.00
12	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	5.00	3.30	0.00	7.00	6.77	0.00	-2.00	-3.47	0.00
13	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	23.72	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	13.75	0.00	0.00
14	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.20	0.01	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
15	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	322.95	0.00	0.00	-322.95	0.00
16	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	9.57	12.35	0.00	15.78	50.90	0.00	-6.21	-38.55	0.00
17	बिहार ड्रग्स एवं रसायन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	-1.28	0.00
18	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	15.81	6.70	0.00	5.37	1.62	0.00	10.44	5.08	0.00
19	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	2.27	0.94	0.00	2.00	1.22	0.00	0.27	-0.28	0.00
20	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2.19	4.20	0.00	1.75	0.00	0.00	0.44	4.20	0.00
21	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
22	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00	-9.18	0.00
23	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	10.43	13.27	0.00	17.40	12.43	0.00	-6.97	0.84	0.00
24	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	-6.09	0.00
	कुल स	**136.44**	**250.30**	**0.00**	**153.19**	**602.77**	**0.00**	**-16.75**	**-352.47**	**0.00**
	कुल योग	**2,361.92**	**4,086.66**	**8,035.22**	**1,266.67**	**3943.56**	**763.43**	**1,095.25**	**143.10**	**7,271.79**
	ऊर्जा									
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	32,194.85	1,028.23	0.00	40,769.06	0.00	0.00	-8,574.21	1,028.23	0.00
2	बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
3	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	15.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	15.00	0.00
6	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार			एस0पी0एस0ई0 के अभिलेखों के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	80.00	4,322.34	0.00	296.55	4,322.34	0.00	-216.55	0.00
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0.00	85.00	5,653.83	0.00	112.61	5,653.83	0.00	-27.61	0.00
9	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	102.02	191.11	0.00	99.04	239.90	239.90	2.98	-48.79	-239.90
	कुल ऊर्जा	**32,296.87**	**1,409.34**	**12,526.17**	**40,868.10**	**649.06**	**12,766.07**	**-8,571.23**	**760.28**	**-239.90**
	कुल योग	**34,658.79**	**5,496.00**	**20,561.39**	**42,134.77**	**4,592.62**	**13,529.50**	**-7,475.98**	**903.38**	**7,031.89**

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

क्रम सं0	संकेताक्षर	पूर्ण रूप
1	ले0 एवं हक0	लेखा एवं हकदारी
2	ए0सी0	सार आकस्मिक
3	ए0ई0	संचयी व्यय
4	ए0जी0	महालेखाकार
5	ए0जी0एम0	वार्षिक आम बैठक
6	ए0एस0	लेखा मानक
7	बी0बी0एम0	बिहार बजट हस्तक
8	बी0ई0	बजट अनुमान
9	बी0एफ0आर0	बिहार वित्तीय नियम
10	बी0एफ0आर0बी0एम0	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
11	बी0ओ0सी0डब्लू0	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार
12	बी0टी0सी0	बिहार कोषागार संहिता
13	सी0ए0जी0	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
14	सी0ए0जी0आर0	चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर
15	सी0ई0	पूँजीगत व्यय
16	सी0एस0आर0	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
17	डी0सी0	विस्तृत आकस्मिक
18	डी0डी0ओ0	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
19	डी0ई0	विकास व्यय
20	डीस्कॉम	वितरण कम्पनी
21	ई0बी0आई0टी0	ब्याज एवं करों से पूर्व की आय
22	ई0डी0सी0	निर्माण के दौरान व्यय
23	ई0एस0	आर्थिक सेवाएँ
24	एफ0सी0	वित्त आयोग
25	जी0डी0पी0	सकल घरेलू उत्पाद
26	जी0आई0ए0	सहायता अनुदान
27	जी0ओ00बी0	बिहार सरकार
28	जी0ओ0आई0	भारत सरकार
29	जी0एस0	सामान्य सेवाएँ
30	जी0एस0डी0पी0	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
31	जी0एस0टी0	वस्तु एवं सेवा कर
32	आई0सी0ए0आई0	इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया

क्रम सं0	संकेताक्षर	पूर्ण रूप
33	आई0सी0आर0	ब्याज व्याप्ति अनुपात
34	इंड–एएस	भारतीय लेखा मानक
35	एम0सी0ए0	कॉरपोरेट मामले मंत्रालय
36	एन0पी0आर0ई0	गैर–योजना राजस्व व्यय
37	एन0पी0एस0	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
38	एन0एस0डी0एल0	नेशनल सिक्योरिटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड
39	एन0एस0एस0एफ0	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
40	एन0टी0आर0	करेत्तर राजस्व
41	पी0ए0सी0	लोक लेखा समिति
42	पी0डी0	व्यक्तिगत जमा
43	पी0एफ0	भविष्य निधि
44	पी0एस0यू0	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
45	आर0बी0आई0	भारतीय रिजर्व बैंक
46	आर0ई0	राजस्व व्यय
47	आर0ओ0सी0	कंपनियों के रजिस्ट्रार
48	आर0ओ0सी0ई0	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल
49	आर0ओ0ई0	अंश पूँजी पर प्रतिफल
50	आर0ओ0आई0	निवेश पर प्रतिफल
51	आर0ओ0आर0आर0	सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर
52	आर0आर0	राजस्व प्राप्तियाँ
53	एस0 एण्ड डब्लू0	वेतन एवं मजदूरी
54	एस0डी0आर0एफ0	राज्य आपदा मोचन निधि
55	एस0एल0आर0	सांविधिक तरलता अनुपात
56	एस0पी0एस0ई0	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
57	एस0एस0	सामाजिक सेवाएँ
58	यू0सी0	उपयोगिता प्रमाण–पत्र
59	उदय	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना
60	भी0ए0टी0	मूल्य वर्धित कर
61	वी0एल0सी0	अभिश्रव स्तर का कम्प्यूटरीकरण
62	एफ0एफ0सी0 (XV)	पंद्रहवाँ वित्त आयोग

राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बिहार सरकार - 2021-22

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू0 आर0
कोड स्कैन करें

www.ag.bih.nic.in